अष्टम माला, खंड 14, अंक 17

सोमवार, 17 मार्च, 1986
26 फाल्गुन, 1907 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

# विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 14, पांचवा सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 17, सोमवार, 17 मार्च, 1986/ 26 फाल्गुन, 1907 (शक)

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर ... ... ... ... ... | 1—24 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 305, 307, 309, 310 और 312 से 316 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : ... ... ... ... ... | 25—180 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 304, 311, 317 से 324 और 209 | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 2979 से 2985, 2987 से 3075, 3077 से 3081 और 3083 से 3141 | |
| सभा-पटल पर रखे गए पत्र ... ... ... ... ... | 180···184 |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन करने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई ... ... ... ... ... ... | 185 |
| नियम 377 के अधीन मामले ... ... ... ... ... | 185—189 |
| (1) उड़ीसा के 200 मील लम्बे समुद्र तट पर तट रक्षक केन्द्रों की एक शृंखला स्थापित करने की आवश्यकता | |
| श्री सोमनाथ रथ ... ... ... ... | 185 |

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय पृष्ठ

(2) बोइंग 747 विमानों की उड़ानें बन्द करने और उनके संरचनात्मक दोषों का पता लगाने के लिए आवश्यक परीक्षण करने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह ... ... ... ... 186

(3) एम्प्रेस मिल्स, नागपुर का प्रबन्ध ग्रहण करने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित ... ... ... 186

(4) दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता जिससे कि रक्षा कार्मिक सेवा निवृति से पूर्व अपने मकानों पर पुन: कब्जा प्राप्त कर सकें

श्री अजय मुशरान ... ... ... ... 186

(5) भारतीय वातावरण पर हैली धूमकेतु के प्रभाव का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप शर्मा ... ... ... ... 187

(6) तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने तथा तम्बाकू पर अनुसंधान के लिए और अधिक धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव ... ... ... 187

(7) बिहार में हाल ही में फैली महामारी में मारे गए हजारों पशुओं के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा देने और बीमार पशुओं को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री काली प्रसाद पाण्डेय ... ... ... 188

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 189—205

श्री काली प्रसाद पाण्डेय ... ... ... 189

श्री जनार्दन पुजारी ... ... ... ... 190

विषय | पृष्ठ


विनियोग विधेयक ... ... ... ... ... ... 206

विधेयक पुर:स्थापित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी ... ... ... ... 206

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी ... ... ... ... 207

विनियोग (संख्याक-2) विधेयक (चर्चा समाप्त) ... ... ... 207

विधेयक पुर:स्थापित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी ... ... ... ... 207

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी ... ... ... ... 208

प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक ... ... ... ... 209—227

श्री अजय विश्वास ... ... ... ... 209

श्री पी० चिदम्बरम ... ... ... ... 212

श्री शांताराम नायक ... ... ... ... 215

श्री एन०के० प्रधान ... ... ... ... 219

श्री राज मंगल पांडे ... ... ... ... 221

श्री मूल चन्द डागा ... ... ... ... 222

तिहाड़ जेल से कैदियों के फरार होने के बारे में वक्तव्य ... ... 227

विषय पृष्ठ

प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक—(चर्चा समाप्त) ... ... 229—304

श्री थम्पन थामस ... ... ... ... 230

श्री जैनुल बशर ... ... ... ... 232

श्री हरूभाई मेहता ... ... ... ... 238

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति ... ... ... 242

श्री राजकुमार राय ... ... ... ... 245

श्री ए० चार्ल्स ... ... ... ... 249

श्री अजय मुशरान ... ... ... ... 251

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ... ... ... ... 257

श्री भोलानाथ सेन ... ... ... ... 262

कुमारी ममता बनर्जी ... ... ... ... 268

डा० गौरी शंकर राजहंस ... ... ... 274

श्री पी०आर० कुमारमंगलम ... ... ... 278

श्री हुसैन दलवाई ... ... ... ... 284

श्री पी० नामग्याल ... ... ... ... 28[illegible]

श्री राम प्यारे पनिका ... ... ... ... 29[illegible]

श्री हरीश रावत ... ... ... ... 291

चौधरी सुन्दर सिंह ... ... ... ... 292

श्री पी० चिदम्बरम ... ... ... ... 293

श्री अजय विश्वास ... ... ... ... 301

विचार करने के लिए प्रस्ताव

खंड 2 से 26 तथा 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी० चिदम्बरम ... ... ... ... 304

सभा पटल पर रखे गए पत्र ... ... ... ... ... 304

# लोक सभा

सोमवार, 17 मार्च, 1986/26 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

### शिवसागर/जोरहाट में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

*305. श्री पराग चालिहा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवसागर अथवा जोरहाट में कम शक्ति का एक दूरदर्शन ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) मार्च, 1984 में स्वीकृत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए दूरदर्शन विस्तार योजना के अंग के रूप में, जोरहाट में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पराग चालिहा : महोदय, मेरे प्रश्न में रूप भेद किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि असम में गत आम चुनावों से थोड़ा पहले एक एल०पी०टी० (अन्य कम शक्ति ट्रांसमिशन) ट्रांसमीटर एक छोटे से कस्बे नजीरा में जिसकी जनसंख्या मुश्किल से 10,000 है शिव सागर की अपेक्षा तरजीह देते हुए क्यों स्थापित किया गया। जबकि शिवसागर एक जिला मुख्यालय है और उसकी जनसंख्या 60,000 है तथा केवल 15 किलोमीटर दूर है और असम का एकसांस्कृतिक केन्द्र है। क्या यह ट्रांसमीटर वहां इसलिए स्थापित किया गया है कि नजीरा कस्बा पिछले कांग्रेस-आई मुख्यमन्त्री का मूल निवास स्थल है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या इस प्रकार का कोई

मानदण्ड है कि जहां मुख्य मन्त्री रहता हो वहां ट्रांसमीटर स्थापित किया जा सकता है ? यही मेरा मूल प्रश्न था ।

**अध्यक्ष महोदय** : नए महत्वाकांक्षी व्यक्ति आगे आयेंगे और आपका इलाका भी मुख्य-मन्त्री का निर्वाचन क्षेत्र बन जाएगा ।

**श्री पराग चालिहा** : इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

**श्री वी० एन० गाडगिल** : उत्तर-पूर्व के लिए वर्ष 1984 में 35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित करके एक विशेष योजना को मंजूरी दी गई थी । उस समय अनेक स्थलों के बारे में निर्णय लिया गया था और उस विशेष योजना के अनुसार योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

**श्री पराग चालिहा** : माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । शिव-सागर जो केवल 15 मील दूर है और जिसकी जनसंख्या 50-60 हजार से अधिक है की अपेक्षा नजीरा कस्बे को क्यों अधिक महत्व दिया गया ? महोदय, नजीरा कस्बे में ट्रांसमीटर स्थापित करने का मानदण्ड केवल यही था कि नजीरा कस्बा पिछले कांग्रेस (आई) मुख्यमन्त्री का निवास स्थान है ।

**श्री वी० एन० गाडगिल** : मैं सभा में कई बार कह चुका हूं कि ट्रांसमीटर स्थापित करने का मापदण्ड अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाना है । अत: स्थल के चयन का कार्य विशे-षज्ञों पर छोड़ दिया जाता है जो इस बात का पता लगाते हैं कि किस स्थल का चयन करके अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है । इस योजना को विशेषरूप से उत्तर-पूर्व के लोगों के लिए 1984 में मंजूरी दी गई थी । माननीय सदस्य इस बात को जानकर प्रसन्न होंगे कि अखिल भारतीय औसत की तुलना में उत्तर-पूर्व के लोगों के लिए औसत कहीं ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जा रही है । केवल यही मानदण्ड था ।

**श्री संतोष मोहन देव** : उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोगों के लिए माननीय मन्त्री महोदय के पास विशेष योजनाएं है जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । महोदय, हाल में घोषणा की गई थी कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विभिन्न भागों में सामुदायिक दूरदर्शन सैटों को लगाया जाएगा । क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में इन सामुदायिक दूरदर्शन सैटों के लगाने के क्या मापदण्ड हैं ?

**श्री वी० एन० गाडगिल** : गत वर्ष भारत के सभी सूचना मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था । उस समय हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि दूरदर्शन सैटों की व्यवस्था करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । लेकिन हम अपवादस्वरूप एक कार्य यह कर सकते हैं कि उत्तर-पूर्व के लोगों के लिए जहां 5000 सैटों के वास्ते मंजूरी दी जा चुकी है, उसका आंशिक रूप से भुगतान हम करें । इन सैटों को लगाने के लिए स्थलों का चयन और उनके रख-रखाव का कार्य राज्य सर-कारों द्वारा किया जाए ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : दर्शक भी राज्य सरकार के हों ।

**श्री बी० एन० गाडगिल** : कुछ निर्माताओं, जिनसे हम दूरदर्शन सैट खरीदेंगे, से सैट उपलब्ध होते ही हम इन सैटों को आबंटित कर देंगे।

**श्री अताउर्रहमान** : असम में दूरदर्शन स्थापित करने के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए हम प्रसारण मंत्री महोदय के आभारी हैं। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि यह विशेष मामला वर्ष 1984 से लम्बित पड़ा था, चुनाव की तिथि अक्तूबर 1985 में की गई थी। नजीरा कस्बे में, जो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का निर्वाचन क्षेत्र है, ट्रांसमीटर लगाने के लिए प्रसारण मंत्रालय की ओर से जल्दबाजी क्यों की गई? एक अन्य प्रश्न मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किसी अधिकारी द्वारा नजीरा कस्बे में उक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने के लिए किसी प्रकार की कोई सांठगांठ की गई थी? क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी?

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न दूसरे प्रश्न की भांति है। केवल दूसरे शब्दों में पूछा गया है। अब प्रश्न सं० 307 लीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

टीन का आयात

*307. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के टीन का आयात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में हमारे देश में कितनी मात्रा में टीन का उत्पादन किया गया?

[अनुवाद]

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) टीन का आयात खनिज व धातु व्यापार निगम लि० की मार्फत किया जाता है। आयातित टीन की मात्रा और मूल्य इस प्रकार है :—

| | वर्ष | मात्रा (टन) | मूल्य (करोड़ रु०) |
|---|---|---|---|
| 1. | 1982-83 | 1689 | 20.45 |
| 2. | 1983-84 | 2251 | 30.19 |
| 3. | 1984-85 | 2475 | 35.18 |

(ख) मध्य प्रदेश से निम्नलिखित टीन उत्पादन की सूचना मिली है, जो आयातित मात्रा की तुलना में नगण्य है ।

| 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|
| 6.6 (मी०टन) | 4.7 (मी० टन) | 9.50 (मी० टन) |

[हिन्दी]

**प्रो० चन्द्र भानु देवी :** अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगी कि देश में टीन के उत्पादन का पता लगाने के लिए भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में क्या-क्या कदम उठाए हैं तथा उसके फलस्वरूप क्या परिणाम मिले हैं ।

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** अध्यक्ष महोदय, टोटल रिक्वायरमेंट टीन का जो हमारे देश में है, वह आयात से पूरा किया जाता है। जी०एस०आई० ने टीन के भंडार का पता लगाने के लिए बहुत वर्षों से छानबीन भी की है जिससे तमिलनाडू, पश्चिम-बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा में बहुत कम मात्रा में टीन के भंडार का पता चला है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि हरियाणा की तोषम पहाड़ी पर अधिक अच्छा भंडार मिलने की सम्भावना है ।

**प्रो० चन्द्रभानु देवी :** क्या यह बात सही है कि हरियाणा में टीन का अच्छा भंडार उपलब्ध है। यदि हां तो इसके दोहन और टीन के उत्पादन के लिए कोई योजना सरकार के पास है या नहीं ।

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बतलाया है कि हरियाणा में तोषम हिल पर टीन का अच्छा भंडार मिलने की संभावना है। जी०एस०आई० सर्वे कर रहा है और डिटेल एक्सप्लोरेशन का काम एम०ई०सी० एल० ने लिया है। उसने एक प्रोग्राम बनाया है कि 7 हजार मीटर में ड्रिलिंग करेंगे और 1500 मीटर में ड्रेंचिग करेंगे। खुशीकी बात यह है कि नवम्बर, 1985 तक 7 हजार मीटर में से 4 हजार मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि माइन्स मिनिस्ट्री की एक अंडरटेकिंग है, उसने लीज भी ले लिया है जिससे उम्मीद है कि अच्छा भंडार मिलेगा क्योंकि "ओर" को देखने से पता चलता है कि 0.16 परसेंट इसमें टीन का कांसनट्रेट प्राप्त हो रहा है ।

**श्री प्रताप भानु शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदया ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में टीन का अच्छा भंडार है। मैं जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के बस्तर में टीन का खनिज काफी मात्रा में प्राप्त हुआ है। क्या वहां पर भी कामर्शियल बेसिस पर टिन के एक्सपेंशन वर्क और निर्माण का कार्य सरकार हाथ में लेने पर विचार कर रही है तथा उस टिन की किस्म क्या है ?

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** मैंने अपने उत्तर में कभी नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में टिन का अच्छा भण्डार है, मैंने तो तोशम के बारे में बतलाया है जो कि हरियाणा प्रान्त में है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, कुछ थोड़ा-सा ओर इस तरह का मिला है मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में और वहां ट्राइबल लोगों ने कुछ ट्रेडीशनल तरीके से अपना कुछ काम किया है, उस ओर को निकाल कर ताम्बे में मिलाकर ब्रांज़ का इमेज दिया है। उसके अलावा रायपुर में एक स्मेल्टर भी लगा हुआ है और मैंने अपने प्रारम्भिक स्टेटमेंट में ही बताया है कि तकरीबन साढ़े 9 टन टिन का वहां से हम लोग उत्पादन कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट माइनिंग कारपोरेशन करा रहा है।

**[अनुवाद]**

**श्री एस०एम० गुरड्डी :** महोदय, वे अन्य देशों से टिन का आयात कर रहे हैं। आप इस देश में टिन के आयात करने के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च कर रहे है ?

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** महोदय, अपने विवरण में मैंने पहले ही बता दिया है कि हम कितना टिन आयात कर रहे हैं और इस टिन का कितना मूल्य है। यदि वह चाहते हैं तो मैं इसे सभा-पटल पर रख सकती हूं। इंडोनेशिया से हमने वर्ष 1984-85 के लिए 886.87 लाख रु० के मूल्य का 620 मिट्रिक टन टिन आयात किया है। मलेशिया से हमने 2444.63 लाख रुपये के मूल्य का 1685 मिट्रिक टन टिन आयात किया था।

**प्रो० मधु दंडवते :** आप सम्पूर्ण धनराशि का ब्यौरा सभा-पटल पर रख सकते हैं। (व्यवधान)

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** यदि माननीय सदस्य ब्यौरे के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसे सभा के पटल पर रख दूंगी।

**अध्यक्ष महोदय :** यह ठीक है। आप उसे सभा-पटल पर रख दीजिये। ये आंकड़े सभा-पटल पर रखे जाएं।

## किसानों की उपेक्षा

*309. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम**†
**डा० चिन्ता मोहन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान आन्दोलन के नेताओं ने जिनकी बैठक 27 जनवरी, 1986 को हैदराबाद में हुई थी, किसानों की उपेक्षा किए जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और यदि हां, तो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है, और

(ख) क्या केवल फसलों के मामले में ही नहीं, बल्कि दूध, दालों, फलों तथा सब्जियों जैसी अन्य रक्षक आवश्यक खाद्य पदार्थों की अधिक उत्पादकता के लिए भी लोगों को पुरस्कृत करने का सरकार का विचार है ?

**कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

(क) किसान अभियान के नेताओं की 27 जनवरी, 1986 को हैदराबाद में हुई बैठक के बारे में खबरें अखबारों में छपी हैं। कृषि में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की नीति ऐसे कार्यक्रमों पर बल देने की है जिनके फलस्वरूप कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़े। सिंचाई की और अधिक उपलब्धता द्वारा संभव हुई फसलों की गहनता में वृद्धि कम उत्पादन वाले क्षेत्रों तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को नई कृषि प्रौद्योगिकी की उपलब्धता तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश की जा रही है।

(ख) खाद्यान्नों के मामले में सरकार फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीकें अपनाने के वास्ते प्रोत्साहन देने हेतु लाभकारी स्तरों पर खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। ऊंची उत्पादकता का लाभ खेतों से होने वाली ऊंची आय के रूप में मिल जाता है। सरकार आपरेशन फलड जैसी योजनाओं के जरिए दूध के उत्पादन की ऊंची उत्पादकता को प्रोत्साहित करती है, जिसके अन्तर्गत उन्नत नस्लों, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य परिचर्या और उचित मूल्य की व्यवस्था की जाती है। ऐसी ऊंची उत्पादकता से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। साथ ही, दूध उत्पादन प्रतियोगिता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। फलों और सब्जियों के मामले में भी बेहतर उत्पादन के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग की विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है जिसने कीमतों, उत्पादकता, किसानों के लिए आदानों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों आसान ऋण के बारे में 17-खण्डों का एक प्रतिवेदन तैयार किया था। यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा क्योंकि किसानों की स्थिति वास्तव में बड़ी दयनीय है विशेष रूप से लघु तथा सीमांत किसानों की जो बिना सिंचाई और ट्रैक्टरों से खेती कर रहे हैं क्योंकि आप कृषि उत्पादों के लिए केवल न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर रहें हैं।

**सरदार बूटा सिंह** : महोदय, आयोग की अधिकांश सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है और सरकार खेती के स्तर तथा किसानों का स्तर ऊंचा करने सम्बन्धी प्रणाली में सुधार करने के लिए बहुत उत्सुक है। सरकार का प्रयास सुधार करते रहना तथा किसानों के आर्थिक विकास में सुधार लाना और कृषि क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक लागू करना है।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : महोदय, फलों तथा सब्जियों के संबंध में सभा-पटल पर जो विवरण रखा गया है उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बेहतर किस्म के उत्पादन के लिए केवल पुरस्कार देकर फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। हम बेहतर किस्म के उत्पादन के लिए पुरस्कार की मांग नहीं कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि यदि किसान केवल बेहतर किस्म के फलों का ही नहीं अपितु अधिक फलों का उत्पादन करते हैं तो उनको क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। हम बेहतर किस्म के और अधिक फलों तथा सब्जियों का उत्पादन चाहते हैं क्योंकि सब्जियों के उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है और सब्जी तथा फल उद्योग को जो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए वह लगभग नहीं के बराबर है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय अथवा उनके मंत्रालय का सब्जी, फलों तथा दालों के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने का जो अनिवार्य है, किसी प्रकार का कोई विचार है।

सरदार बूटा सिंह : उद्यान-कृषि-उपज की प्रकृति ही ऐसी है कि सब्जियां बहुत जल्द खराब होने वाली वस्तुएं हैं। इन फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के अतिरिक्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू बाजार आसूचना के विकास परिवहन, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में तथा निगमित क्षेत्र मे भी सब्जियों तथा फलों के लिए संसाधन यूनिटों की स्थापना, विशेषकर उत्पादन; फसलों परान्त उठाई-धराई निर्यात संवर्द्धन प्रक्रिया तथा अपने देश में विपणन सहित फसलों परान्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देना है। इसलिए हम उद्यान-कृषि-उपज सब्जियां तथा दालों के उत्पादन में लगे किसानों को पर्याप्त वित्तीय तथा अन्य सहायता देना चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने भारतीय कृषि के एक महत्वपूर्ण पहलू को उठाया है। दालों का क्षेत्र ऐसा है जिसका सम्बन्ध कृषि मन्त्रालय से है। दालों की उपज में हमने अधिक प्रगति नहीं की है और इसलिए हमने दालों के विकास के लिए एक विशेष अखिल भारतीय परियोजना तैयार की है जिसके लिए सरकार ने निधियां आवंटित की हैं और शीघ्र ही इसका उद्घाटन होगा और हमारा विचार बहुत उच्च प्राथमिकता के आधार पर दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने का है।

प्रो० एन० जी० रंगा : संरक्षण तथा परिष्करण की क्या स्थिति है ?

सरदार बूटा सिंह : यह परिष्करण के अन्तर्गत ही आता है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, वित्त मन्त्री महोदय से यह आश्वासन मिला है कि जो वस्तु आपने सभा में तय की है उसे खरीदने के लिए धन की कोई कमी बाधक नहीं बनने दी जाएगी।

सरदार बूटा सिंह : जी, हां।

प्रो० एन० जी० रंगा : ये केवल कहने की ही बात है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : उपापन-मूल्य के निर्धारण के ढंग से ही यह स्पष्ट है कि किसानों की कितनी उपेक्षा की जा रही है। सरकार ने हमें बार-बार बताया है कि उपापन मूल्य का निर्धारण करने से पूर्व, फसल तैयार करने में प्रयुक्त आदानों की लागत को ध्यान में रखा जाता है।

क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या उन्हें यह मालूम है कि 1971-72 से 1981-82 के दशक में, उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार, केवल आदानों की लागत में 375.27% की वृद्धि हुई थी जबकि उत्पादन लागत में लगभग 135% की वृद्धि हुई है ?

क्या माननीय मन्त्री इस अनुपात या तुलना को उचित तथा युक्तिसंगत मानते हैं ?

**सरदार बूटा सिंह :** आर्थिक सलाहकार कार्यालय के माध्यम से और कृषि लागत तथा मूल्य आयोग के माध्यम से आदानों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में, और उत्पादन लागत के बारे में नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और विशेषकर उपापन मूल्यों तथा समर्थन मूल्यों का निर्धारण करते समय, इस तत्व को ध्यान में रखा जाता है ।

यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं एक तुलनात्मक विवरण दूं कि 1979 से अब तक किस प्रकार आदान लागतें बढ़ी हैं तथा सरकार यह सुनिश्चित करने में किस प्रकार रूचि ले रही है कि उपापन तथा समर्थन मूल्लों के निर्धारण में इस तत्व को अवश्य ध्यान में रखा जाये और भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों में भी आदानों में हुई यह वृद्धि परिलक्षित होती है ।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या माननीय मंत्री इस समानता से संतुष्ट हैं ? क्या यह युक्ति युक्त, तर्क संगत है या नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह निष्कर्ष आप उनके उत्तर से निकाल सकते हैं ।

**श्री आनन्द गजपति राजू :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तिलहन के बारे में भी कोई नीति अपना रही है । खाने के तेलों का भारी आयात हो रहा है क्या इस सम्बन्ध में, चीनी के मूल्य निर्धारण तथा चीनी के आयात तथा निर्यात में इस निति का पालन किया जा रहा है ?

मैं यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पश्चिमी यूरोप तथा अमरीका में कृषि के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान करने की प्रवृति चल रही है । क्या इससे भारतीय सरकार के प्रतिनिधित्व के माध्यम से कुछ सुधार होगा, ताकि हमें छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए बेहतर मूल्य मिल सकें ।

**सरदार बूटा सिंह :** देश में तिलहनों के उत्पादन तथा खाद्य तेलों की मांग को देखते हुए भारत सरकार ने, माननीय प्रधान मन्त्री के निर्देशन में, तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हेतु तथा तिलहन के क्षेत्र में परिष्करण यूनिटों की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए एक विशेष प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है जिससे तिलहन का आयात पूर्णतः समाप्त हो जाए । इस प्रकार भारत सरकार का तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रकारी आन्दोलन चलाने का विचार है । हमने हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्यों से कहा है कि वे अपने फसल उगाने के ढंग पर विशेष ध्यान दें ताकि तिलहन को भी वही महत्व मिले जो अन्य नकदी फसलों या अन्य अच्छी फसलों को दिया जाता है ।

अत: सरकार देश में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता से पूर्णतः अवगत है।

प्रशिक्षण-सुविधाओं के बारे में मैं प्रश्न के अन्तिम भाग को नहीं सुन पाया ?

**श्री सी०के० कुप्पू स्वामी :** देश में रुई की खरीद के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

**सरदार बूटा सिंह :** जैसा कि सभा में घोषणा की जा चुकी है कि सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की थी और भारतीय रुई निगम के माध्यम से उत्पादकों से खरीद जारी है और अधिकतर राज्यों ने संतोष प्रकट किया है। मैंने गुजरात का दौरा किया है। मैंने आंध्रप्रदेश का दौरा किया है...

**प्रो० एन० जी० रंगा :** आंध्र में ऐसा नहीं है। वहां आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं।

**सरदार बूटा सिंह :** यदि मैं अपना उत्तर पूरा कर लेता तो शायद प्रो० रंगा जी संतुष्ट हो जाते। कल मैं आंध्र प्रदेश में था। मुझे ऐसी शिकायत मिली थी और आज ही मैं वस्त्र-मंत्री के साथ बात-चीत करूंगा क्योंकि आंध्र के उत्पादकों को कठिनाइयां हो रही हैं।...

**एक माननीय सदस्य :** कर्नाटक में भी।

**प्रो० मधु दण्डवते :** मैं दो वस्तुओं के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मंत्री महोदय को याद होगा कि जब किसानों ने प्याज के मूल्यों तथा 'नाफेड' के कार्यकरण को लेकर आंदोलन किया था तो हमें सभा में आश्वासन दिया गया था कि प्रथमत: 'नाफेड' पर्याप्त खरीद करेगा और दूसरे प्याज के भंडारण की सुविधाएं अलग-अलग भागों में उपलब्ध कराई जाएंगी

जहां तक रूई का संबंध है, चूंकि हस्त-निर्मित तथा सिंथेटिक धागे पर जोर दिया जा रहा है इसलिये सूती धागा पीछे रह जाता है। इस वर्ष रूई की 105 गांठें इकट्ठी हो गई हैं। अतः क्या वे दो आश्वासन देंगे : (1) रूई का पर्याप्त रक्षित भंडार (बफर-स्टाक) तैयार किया जाएगा या (2) इसके विकल्प के रूप में पहले से ही एकत्र हुई रूई के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा ताकि रूई उत्पादकों की हानि न हो और देश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके !

**अध्यक्ष महोदय :** तीसरी बात का उद्देश्य आयात सीमित करना है।

**प्रो० मधु दण्डवते :** यह स्पष्ट है।

**सरदार बूटा सिंह :** तीसरी बात बतलाने के लिए धन्यवाद। हमने माननीय सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर पहले ही निर्णय ले लिया है।

रुई के निर्यात हेतु आवंटित धनराशि में पर्याप्त वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष यह 5 लाख गांठ थी और इस वर्ष इसे बढ़ाकर 10 लाख गांठ कर दिया गया है। हम इस पर निगाह रखे हुए हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम और अधिक रुई के निर्यात की अनुमति देने में नहीं हिच-किचायेंगे। पर यहां समस्या यह है कि हम यह चाहते हैं कि रुई का निर्यात रुई के रूप में न किया जाये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं है। अत: सरकार रुई को सूत में परिवर्तित करने पर अधिक जोर देती है। कताई एककों को रुई से सूत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि हमारे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिल सकें।

पिछले वर्ष प्याज की कुछ समस्या थी। इस वर्ष हमने ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनी है। नाफेड बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैंने महाराष्ट्र का दौरा किया था। कल मैं आंध्र प्रदेश में था। वहां प्याज के बारे में कोई शिकायत नहीं है। इस बार तो हम प्याज का निर्यात करने जा रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : भण्डारण सुविधाओं की क्या स्थिति है।

सरदार बूटा सिंह : यह देखना नाफेड का काम है।

[हिन्दी]

## लूनी नदी बेसिन परियोजना, राजस्थान

*310. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विभाग ने राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की समस्या को हल करने की दृष्टि से लूनी नदी बेसिन परियोजना की मंजूरी दे दी है और यह परियोजना विश्व बैंक के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का काम कब से शुरू किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) राजस्थान में लूनी नदी बेसिन परियोजना अभी तक राजस्थान सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या इसमें कोई मास्टर प्लान बनाने का कोई प्रावीजन किया गया है, यदि किया गया है तो क्या प्रावीजन किया गया है।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो 8 परियोजनाएं इस वक्त चल रही हैं—फ्लड प्रोन स्कीम्स जिसको कहते हैं, अपर यमुना हिमाचल एण्ड यू०पी० अपर गंगा

इन यू०पी०, साहबी नदी राजस्थान-हरियाणा, दिल्ली यूनियन टेरीटरी, गोमती इन उत्तर प्रदेश, सोन नदी मध्य प्रदेश, यू०पी० एण्ड बिहार, फूलपुर, बिहार, ओजय इन बिहार एण्ड वैस्ट बंगाल, रूप नारायण इन वेस्ट बंगाल।

[अनुवाद]

बाढ़ संभावित क्षेत्र योजना के अन्तर्गत हमने इन प्रमुख नदियों को चुना है। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हम लूनी नदी को भी इसमें सम्मिलित करने के बहुत उत्सुक हैं। परन्तु पहली बात तो यह है कि अभी तक यह परियोजना हमें नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस समय सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए इनके अतिरिक्त कोई नयी योजना सम्मिलित करने की गुंजाइश नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही निराशाजनक है, इस दृष्टिकोण से भी कि इसके बारे में अभी तक न तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है, न इस सम्बन्ध में इसको सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा रहा है। यह डेजर्ट एरिया है और इस क्षेत्र में लूनी नदी बहती है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। इस नदी पर तटबंधन की जो योजना है, वे तटबंधन न बंधने से भारी नुकसान होता है। क्या इस दृष्टिकोण से आप इसको प्राथमिकता देंगे ?

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने शुरू में ही कहा है, हमारे मन्त्रालय की ओर से इसमें पूरी सहानुभूति है, हम इसका समर्थन करना चाहते हैं, यदि हमें फण्ड उपलब्ध हो जाएं और योजना राजस्थान सरकार की तरफ से आ जाए तो हम इसको पूरा करेंगे।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि टोंक, बूंदी, सवाईमाधोपुर आदि जिलों के कास्तकारों के लिए एक बड़ी परियोजना तैयार हुई है बीसलपुर बांध की, क्या इसको इस सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर आपने इन्क्लूड किया है।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अर्ज किया है कि राजस्थान से तो सिर्फ एक ही नदी है, लूनी नदी, जिसका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, वे इसके कैचमेंट में नहीं आते।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा परामर्शदायी सेवा

*312. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार देश में कृषि अनुसंधान कार्य करने वाले विभिन्न अभिकरणों को परामर्श और सहायता देने के लिए एक परामर्शदायी सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सेवा कब आरम्भ की जायेगी; और

(ग) कृषि अनुसंधान कार्य करने वाले विभिन्न अभिकरणों को इस सेवा से किस सीमा तक लाभ प्राप्त होगा ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) :** (क) जी हां, श्रीमान। कृषि तथा उससे सम्बन्धित विज्ञानों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है।

(ख) प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रस्तावित योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक/तकनीकी या व्यावसायिक परामर्श और सहायता प्रदान करने की बात सोची गई है। इस अवस्था में यह बताना समय पूर्व है कि इससे विभिन्न अभिकरणों को किस हद तक लाभ पहुंचने की संभावना है।

**डा० गौरी शंकर राजहंस :** मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रकार की सेवा की संभाव्यता के बारे में विभिन्न राज्यों में विद्यमान कृषि विश्वविद्यालयों की संभावना का कोई मूल्यांकन किया है और क्या इसमें पहले किए गए कार्य को दोहराया नहीं जाएगा और इस प्रकार इस पर अनावश्यक व्यय होगा।

**सरदार बूटा सिंह :** नहीं श्रीमान् क्योंकि विश्वविद्यालय अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं और सर्वोपरि दायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को विदेशी संस्थाओं एवं विदेशी सरकारों को इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। अतः विश्वविद्यालयों के कार्य में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा। इसके विपरीत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

**डा० गौरी शंकर राजहंस :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह परामर्शदायी सेवा जनता को कृषि उत्पाद की निर्यात संभावनाओं के बारे में जानकारी देगी ?

**सरदार बूटा सिंह :** जी, हां।

**श्री पी० नाम ग्याल :** यह एक सराहनीय प्रयास है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का किसानों को परामर्शदायी सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। परन्तु प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान तथा किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचने में बहुत अन्तराल हो जाता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है कि प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधानों की जानकारी किसानों तक पहुंचे ताकि वे इनसे अधिकाधिक लाभ उठा सकें।

**सरदार बूटा सिंह :** यह सही है कि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अखिल भारतीय संस्थाओं सहित हमारे अनुसंधान संस्थानों द्वारा अपने अनुसंधानों के माध्यम से

एकत्र की गई जानकारी पूरी तरह किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। मुझे बताया गया है कि हम अपनी उपलब्ध जानकारी का केवल 40 प्रतिशत ही किसानों तक पहुंचा पाये हैं। भारत सरकार के पास एक योजना है जिसके अंतर्गत प्रयोगशालाओं से-भूमि-तक-परियोजनाओं एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों व राज्य सरकारों की विस्तार सेवाओं के माध्यम से भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त उत्सुक है कि इतनी अधिक लागत से तैयार की गई प्रौद्योगिकी को किसानों तक अवश्य पहुंचाया जाये ताकि वे इस प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग कर सकें।

[हिन्दी]

**श्री डी०पी० यादव :** माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत जितनी प्रयोगशालाएं हैं, उन पर हम सभी भारतीयों को नाज है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन प्रयोगशालाओं में काम करने वाले ऐसे वैज्ञानिक जो 55, 58 और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उनकी सेवाओं को पूल करके क्या आप एक ऐसा संगठन तैयार करेंगे जिससे रिटायर करने के बाद उनकी सेवाओं को लिया जाए और आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस का वह एक अच्छा-खासा सेन्टर बने।

[अनुवाद]

**सरदार बूटा सिंह :** यह तो कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है।

[हिन्दी]

**श्री यशपाल सिंह :** अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि एक विकनेस गवर्नमेंट के पार्ट पर चल रही है और नयी टैक्नोलाजी के ज्ञान को किसानों के पास पहुंचाने का जो लैब टू लैण्ड प्रोग्राम है उसमें एक बड़ा जबर्दस्त अन्तर है। मंत्री जी ने बताया कि हम लैब टू लैण्ड एक स्कीम जारी कर रहे हैं जिससे यह प्राबलम साल्व हो जाए। जहां तक मुझे जानकारी है, इसमें एक बड़ी जबर्दस्त दिक्कत गवर्नमेंट के सामने यह है कि केन्द्रीय सरकार तो उसको पहुंचाना चाहती है लेकिन बहुत-सी स्टेट गवर्नमेंट अब भी उसको स्वीकार नहीं कर रही हैं, कुछ खर्चे की वजह से किसी और परेशानी की वजह से। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के सामने और कृषि मंत्री जी के सामने यह प्राबलम है, अगर है तो उसका सोल्यूशन क्या है।

**अध्यक्ष महोदय :** भूतपूर्व कृषि मंत्री अपने एक्सपीरियंस के बिना पर बता रहे हैं।

**सरदार बूटा सिंह :** अध्यक्ष जी, यह सही है कि बहुत से राज्यों में लैब टू लैण्ड प्रोग्राम जिस मात्रा में और जिस सफलता से होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जहां कहीं भी कोई प्राबलम उत्पन्न होती है तो भारत सरकार शीघ्रातिशीघ्र उसको ऐसा करे कि वह सभी राज्यों में ज्यादा कामयाब हो। मैं, यह बात भी जरूर

कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो हमारी साइन्टीफिक टैक्नोलाजी इन दी एग्रीकल्चर सैक्टर है और जैसा मैंने शुरू में कहा, साठ प्रतिशत टैक्नोलाजी अभी जो लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटीज और हमारे संस्थानों के उत्पन्न हो चुकी है, वह किसानों के पास नहीं गई है। सबसे अच्छा माध्यम जो है वह लैब टू लैण्ड और कृषि विज्ञान केन्द्र का है। हमने पहले यह संकल्प लिया था कि हरेक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र हो। लेकिन वित्तीय भार की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना में उसको कवर कर सकें।

### राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा कलकत्ता में परियोजनाओं को पूरा किया जाना

*313. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कलकत्ता महानगर एकक को भारी घाटा होने के बावजूद, निगम द्वारा नई परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके लाभ अथवा हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निर्धारित समय के भीतर परियोजनाओं के पूरा न होने के कारणों की जांच कराने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो किस प्रकार की जांच कराई जाएगी और कब ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) कलकत्ता में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा आरम्भ की गई महानगर परिवहन परियोजनाओं में सब मिलाकर लाभ हुआ है। इन परियोजनाओं पर लाभ/हानि के ब्यौरों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

(ग) इस निगम द्वारा अधिकांश ठेके बढ़ाई गई अवधि के भीतर पूरे कर लिए हैं या कर लिए जाएंगे। इसलिए किसी प्रकार की जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

#### विवरण

| क्र० सं० | कार्य का नाम | 31-3-85 की स्थिति के अनुसार प्रगामी लाभ/हानि (लाख रुपयों में) | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | महानगर परिवहन परियोजना सेक्शन—ि | (+) 1.37 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | महानगर परिवहन परियोजना, सेक्शन—X | (—) 100.75 | लगभग 100 लाख रुपये का संविदात्मक दावा एम०टी०पी० के साथ मध्यस्थ की स्वीकृति लिए पड़ा हुआ है और इस हानि को पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है। |
| 3. | महानगर परिवहन परियोजना, सेक्शन—IX | (—) 35.41 | लगभग 361 लाख रुपये की संविदात्मक वृद्धि भुगतान रेलवे बोर्ड के अनुमोदन हेतु एम०टी०पी० द्वारा रोका हुआ है और इस भुगतान के प्राप्त हो जाने से घाटा पूरा हो जाएगा। |
| 4. | महानगर परिवहन परियोजना सेक्शन—X1 | (—) 56-59 | — |
| 5. | महानगर परिवहन परियोजना सेक्शन—14-सी (आर) | (+) 53.51 | — |
| 6. | महानगर परिवहन परियोजना सेक्शन—15—ए 11 (आर) | (+) 35.30 | |
| | कुल लाभांश | (+) 10.71 | |

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : सर, वैसे तो मेरे मूल प्रश्न को ही संशोधित कर दिया गया है लेकिन फिर भी मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार किसी परियोजना में लाभ और किसी में हानि बताई गई है। मैंने मूल प्रश्न में यह भी पूछा था कि कलकत्ता में कलकत्ता महानगर परिषद् द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उस पर कुछ अवांछनीय तत्वों का कब्जा है। क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड की कलकत्ता शाखा की एम०टी०पी० 14 सी०आर० शाखा के कुशल, ईमानदार परियोजना प्रबन्धक, श्री उमेश चन्द्र शरण को, अवांछित तत्वों की ओर से सपरिवार जान से मार देने की धमकी दी

गई है जिसकी सूचना उन्होंने एफ०आई०आर० दिनांक 15-1-1986 द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दी है और अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए, सभी पुलिस अधिकारियों को लिखा है। इस तनाव से ऊब कर उन्होंने सरकार को भी लिखा है कि अगर मेरा यहां से स्थानान्तरण अन्यत्र नहीं कर दिया जाता तो मेरा त्याग-पत्र एक्सैप्ट कर लिया जाए। क्या मंत्री जी को उसकी जानकारी है और यह बात सही है या नहीं।

**श्री अब्दुल गफूर :** मेरे पास जो प्रश्न है...

**अध्यक्ष महोदय :** इस तरीके से तो सारे अपना स्थानान्तरण करवा लेंगे।

**श्री अब्दुल गफूर :** यद्यपि इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी माननीय मैम्बर मेरे इलाके से आते हैं, जहां मेरा घर भी है, इसलिए मैं इन की बातों पर इंक्वायरी करवा कर इन्हें सन्तुष्ट कर दूंगा··· (व्यवधान)...हमारी इनके साथ पूरी सिम्पैथी है।

**अध्यक्ष महोदय :** अब पता चला कि यह आपस में क्या मिलीभगत है। आप पड़ोसी हैं।

**श्री काली प्रसाद पाण्डेय :** जहां तक मन्त्री जी ने कहा मेरे साथ उनकी सहानुभूति है, लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि श्री उमेश चन्द्र करन के पिता स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी हैं और उन्होंने कई बार गवर्नमैंट को लिखा...

**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई आपके पास सवाल है तो कीजिए, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं।

**श्री काली प्रसाद पाण्डेय :** उनकी जान को खतरा है, उन्होंने एफ०आई०आर० दर्ज कराई हुई है, तमाम अधिकारियों को लिखा है कि यदि मेरा स्थानान्तरण नहीं किया जाता तो मेरा रैसिग्नेशन एक्सैप्ट कर लिया जाए...

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी इसकी अनुमति नहीं दे सकता। कोई भी किसी न किसी धमकी पर स्थानांतरण करवा लेगा। यह प्रश्न अनर्गल है।

**श्री बसुदेव आचार्य :** एन०बी०सी०सी० के प्रबन्धकों ने कलकत्ता की सभी चालू परियोजनाओं पर तालाबन्दी की घोषणा कर दी है। इससे मैट्रो रेलवे और कोलाघाट तापीय विद्युत स्टेशन के निर्माण में बाधा पड़ेगी। प्रबन्धकों ने अधिकांश संघों के लगभग सभी बड़े नेताओं को निलम्बित भी कर दिया है। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार तालाबन्दी को हटवाने, विवाद के समाधान तथा प्रबंधकों एवं मान्यता प्राप्त संघों के बीच हुए समझौते के क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप करने का है?

**श्री अब्दुल गफूर :** इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप केवल एक का उत्तर दें।

**श्री अब्दुल गफूर :** मेरा विचार है कि यदि सभा के समक्ष एक भी उदाहरण दिया गया तो बंगाल के सदस्य इसके विरोध में उठ खड़े होंगे। मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा। एन०बी०

सी०सी० कार्यालय कर्मकारों में मासिक वेतन वितरित कर रहा था । तीन व्यक्ति पिस्तौल लेकर आये । वे धन छीनना चाहते थे । यद्यपि पुलिस वहां खड़ी थी फिर भी उसने कोई कार्यवाही नहीं की । जब उन्होंने कुछ धन लूट लिया तो पुलिस को कुछ रुपया बांटकर वे वहां से चले गये । वहां स्थिति इतनी खराब है कि उनके लिए कठिन है... (व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्या तालाबंदी की घोषणा इसीलिए की गई है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप तालाबन्दी उठाने के लिए हस्तक्षेप करेंगे ? (व्यवधान)

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी ?

**श्री अब्दुल गफूर** : महोदय, इसका कारण केवल यही नहीं है। जिस भूमि पर होकर यह मैट्रो रेलवे गुजरेगी, उसके संबंध में स्वीकृति नहीं मिली है। (व्यवधान) इसमें अनेक कारण हैं। मैं माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसकी जांच करूंगा । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इन्होंने कहा है कि वे इसकी जांच करेंगे ।

## भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग

*314. **श्री अनिल बसु**†
**श्री आनन्द पाठक**
: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख कार्य एक निगम को सौंपने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रबन्ध मण्डल ने अपनी ड्रिलिंग गतिविधियों की समीक्षा करते समय 4 अक्तूबर, 1985 को श्रीनगर में हुई बैठक में अनुभव किया कि ड्रिलिंग कार्यों को कार्मिक, उपस्कर, भंडार आदि सहित खनिज गवेषण निगम को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह सुझाव दिया गया था कि खनिज गवेषक निगम लि० (मन्त्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम) के अनुषंगी निगम के रूप में क्षेत्रीय ड्रिलिंग निगम स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए, ताकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्मिकों के हितों को प्रभावित किये बिना ड्रिलिंग विंग की कार्य क्षमता बढ़ाई जा सके । इस प्रयोजन से गहन अध्ययन तथा बोर्ड को रिपोर्ट पेश करने हेतु एक समिति गठित की गई । इस समिति ने हाल ही में रिपोर्ट दे दी है । इस मामले में जो भी अंतिम निर्णय होगा, वह निस्संदेह, अन्य बातों के साथ-साथ, भार-

तीय भू-सर्वेक्षण के कार्मिकों के हितों को पूरी तरह ध्यान में रख कर ही किया जायेगा।

**श्री अनिल बसु :** श्रीमान्, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण एक प्रतिष्ठित संस्था है। अब इस संस्था को पंगु बनाने के लिए ड्रिलिंग कार्य को खनिज गवेषण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। मंत्री महोदय ने बताया है कि 4 अक्तूबर, 1985 को श्रीनगर में हुई भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रबन्ध-मंडल की बैठक में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के ड्रिलिंग कार्य की समीक्षा की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ड्रिलिंग कार्य की समीक्षा का मामला बैठक की कार्य-सूची में शामिल था या यह बैठक में चर्चा के दौरान उठाया गया था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रबन्ध-मंडल की सर्वसम्मति से यह राय थी कि ड्रिलिंग कार्य को प्रस्तावित खनिज गवेषण निगम को हस्तांरित किया जाए ?

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** मैं पहले ही तथ्यात्मक विवरण दे चुकी हूं। यह सच है कि गत अक्तूबर में श्रीनगर में प्रबंध मंडल की 27वीं बैठक हुई थी और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के ड्रिलिंग कार्य की समीक्षा की गई थी और यह आवश्यक समझा गया था कि ड्रिलिंग कार्य को खनिज गवेषण निगम लिमिटेड या इसकी सहायक संस्था को एक क्षेत्रीय बोर्ड स्थापित करने हेतु हस्तांतरित किया जाए। एक दो सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट कुछ ही दिन पूर्व मन्त्रालय को मिली है। हम इसे देख रहे हैं। अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

**श्री अनिल बसु :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा था कि क्या यह विषय कार्य-सूची में शामिल था या यूं ही चर्चा के दौरान उठाया गया था।

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** श्रीमान्, यह चर्चा के दौरान उठाया गया था।

**श्री अनिल बसु :** श्रीमान्, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है। अब हुआ यह है कि ये स्थलाकृतिक सर्वेक्षण करेंगे और भूमिगत ड्रिलिंग कार्य खनिज गवेषण निगम द्वारा किया जाएगा। आप भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ड्रिलिंग-कार्य हटा कर उसे पंगु बना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसी अन्य सहायक संस्था को ड्रिलिंग कार्य सौंपने के बारे में गहन अध्ययन करने वाली समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** प्रबंध-मण्डल में 18 सदस्य हैं, अर्थात्, सचिव तथा चेयरमैन संस्था का प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिनिधि इस समिति में कई महत्वपूर्ण संगठनों का प्रतिनिधित्व है तथा इसकी सदस्य संख्या 18 है। इसके चेयरमैन खान-सचिव हैं। मैं मानती हूं कि यह एक प्रतिष्ठित संगठन है; इसका प्रारम्भ 1851 में हुआ था और तभी से यह अच्छा कार्य कर रहा है। आवश्यकतानुसार समिति नियुक्त की गई थी और इसकी रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुई है।

ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य के दिल में कुछ और बात है जिसे वे प्रकट नहीं कर

रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में ड्रिलिंग-कार्य में लगे कर्मचारियों तथा कामगारों के बारे में सम्यक विचार किया जाएगा।

**श्री अनिल बसु** : जो लोग भूमिगत तथा स्थलाकृतिक सर्वेक्षण में लगे हैं उन्हें ही ड्रिलिंग कार्य में लगाना चाहिए परन्तु अब भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ड्रिलिंग कार्य ले लिया गया है।

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : जैसा कि मैंने कहा है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई ठोस प्रस्ताव है तो हम भी उसे जानना चाहते हैं।

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : क्या मैं अपने माननीय मित्र के लिए इस बात को स्पष्ट कर सकता हूं ? गवेषण के लिए उथली ड्रिलिंग होती है तथा गहरी ड्रिलिंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि ड्रिलिंग का सारा काम एक ही संगठन को देना सर्वोत्तम है। आज भी कुछ ड्रिलिंग भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता है और कुछ खनिज गवेषण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर तरह की ड्रिलिंग एक ही संगठन द्वारा की जाए।

**डा० कृपा सिंधु भोई** : यह प्रश्नकर्ता मित्र की जादूगरी है। मुख्यत: हम देश में विभिन्न संगठनों को अलग-अलग छोटे-छोटे भागों में बांटने के पक्ष में नहीं हैं इसे ध्यान में रखते हुए। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग देश में खनिज गवेषण के लिए शुरू से ही सराहनीय कार्य कर रहा है। हमारे देश में कुछ भू-वैज्ञानिक संरचनाएं है, और खनिज गवेषण निगम विस्तृत गवेषण के कार्य में लगा है और उसे यही उतरदायित्व सौंपा गया है। क्या माननीय मंत्री इस सभा को आश्वासन करेंगे कि विभिन्न नियमों को छोटे-छोटे भागों में नहीं बांटा जाएगा और यह कार्य किसी एक संगठन को सौंपा जाएगा चाहे वह भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो, खनिज गवेषण निगम भारतीय खान ब्यूरो हो। वे ही देश का ब्यौरेवार मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे क्योंकि हम इस काम में पिछड़े हुए हैं और मानचित्र तैयार करने कार्य कुल क्षेत्र का केवल 45 प्रतिशत ही हुआ है। दूसरे, विस्तृत गवेषण भी अभी होना बाकी है·········
(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना प्रश्न इस ढंग से पूछें कि उसका उत्तर दिया जा सके। आप प्रश्न की लम्बाई में ही उलझ कर रह गए।

**डा० कृपा सिंधु भोई** : श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस का आह्वान किया था। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या मंत्री महोदय विस्तृत मानचित्रण से लेकर एमरोमेगनेटिक सर्वेक्षण तक का सभी कार्य एक ही निगम को सौंपेंगे। चाहे वह खनिज गवेषण निगम हो या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण या कोई और संस्था हो, ताकि हमें विभिन्न संरचनाओं का ज्ञान हो सके जैसे पुरातन संरचनाएं, प्राचीन संरचनाएं, तृतीय युग की संरचनाएं या अन्य संरचनाए हों, और तब हम अपने विभिन्न खनिजों की गवेषणा तथा उनका उपयोग बेहतर ढंग से कर सकेंगे।······ (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : ये मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

**डा० कृपा सिन्धु भोई** : मंत्री महोदय तथ्यों से अवगत हैं। वे जानकार व्यक्ति हैं। वे इस कार्य के लिए एक ही संगठन रखने पर विचार करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : जब भी मैं आपको मोका देता हूं आप प्रश्न से चिपक जाते हैं।

अब अगला प्रश्न।

**कीटनाशक दवाइयां**

*315. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग 50 तकनीकी श्रेणी के कीटनाशक औषध और लगभग 300 दवाइयों का उत्पादन किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में उनका उत्पादन किया जाना उचित है;

(ख) क्या हमारे वैज्ञानिकों ने इस मामले में कोई गहन अध्ययन किया है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और कीटनाशक औषधों और दवाइयों की संख्या को घटाकर कम से कम करने हेतु क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग लागत को बढ़ाता है और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए उचित है; और

(घ) क्या पर्यावरण में कीटनाशक दवाइयों के अंश बड़ी मात्रा में बचे रहने से पता चलता है कि कीटनाशक दवाइयों में हानिकारक तत्व कम नहीं किया जा रहा है, जिसका दावा किया जाता है;

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) पंजीकरण समिति ने अब तक 56 तकनीकी श्रेणी की कीटनाशक औषधियों के देशीय विनिर्माण और 185 कीटनाशक दवाइयों के देशीय विनिर्माण के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

देश में विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों की किस्मों, कीटों, रोगों तथा खरपतवारों की अधिकता, जिनकी यदि रोकथाम न की जाए तो इनसे भारी हानि हो सकती है। इन्हें दृष्टि में रखते हुए यह संख्या कोई अधिक नहीं समझी गई है। जब पर्यावरण की ओर सचेत रहने वाले देश अमेरीका से हम इसकी तुलना करें तो यह संख्या बहुत ही नगण्य है। वहां पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी ने 7,000 कीटनाशी दवाइयां और करीब कीट-नाशी दवाइयों के 11,000 योग रजिस्टर्ड किए है।

(ख) इस्तेमाल में लाई जा रही कीटनाशी दवाइयों की संख्या को सीमित करना तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सिफारिश किए गए लक्ष्यों में नहीं है। दूसरी ओर सीमित संख्या में कीटनाशी

दवाइयों पर निर्भर रहना अन्ततः में उत्पादकता प्रतिरोधी सिद्ध हो सकता है क्योंकि एक ही कीटनाशी का बार-बार प्रयोग किए जाने से कीटों में प्रतिरोधी शक्ति बढ़ सकती है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए एक ही वर्ग के रोगों और कीटों के लिए वैकल्पिक कीटनाशी रखना हमेशा सुरक्षित समझा गया है। फिर भी, किसी फसल पर इस्तेमाल के लिए किसी कीटनाशी की सिफारिश करने से पहले पंजीकरण समिति उसकी क्षमता, विषाक्तता और सम्बद्ध मानदण्डों पर भलीभांति विचार करती है और केवल सुरक्षित कीटनाशियों का ही पंजीकरण करती है।

(ग) और (घ) भारत में इस समय कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल कई विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले अधिक नहीं है। यद्यपि, भारत में कीटनाशी दवाइयों की प्रति हैक्टार खपत करीब 295 ग्राम है तथापि इटली में 13 किलोग्राम से अधिक, हंगरी में 12 किलोग्राम से अधिक, जापान में 9 किलोग्राम से अधिक और कोरिया गणराज्य में 6 किलोग्राम से अधिक है। भारत में कीटनाशी दवाइयों को केवल आवश्यकता पर आधारित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल की सिफारिश की जा रही है और यह कीटों, रोगों और खरपतवारों की वजह से फसलों को होने वाली हानि को रोकने और पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी सन्तुलन की दृष्टि से खाद्य, रेशे, चारा और अन्य फसलों के उत्पादन को बनाये रखने के लिए बहुत ही प्रभावी और न्यायसंगत है। वनस्पति रक्षा के मामले में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति समेकित कीट प्रबन्ध की है, जिसमें रासायनिक पद्धतियों के अलावा आनुवंशिक, यांत्रिक और जैविक पद्धतियों का भी इस्तेमाल किया जाता है।

कीटनाशियों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और भारत में जिस कम स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है उससे पर्यावरण को कोई अधिक नुकसान नहीं हो सकता। कीटनाशी दवाइयों का पंजीकरण करने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। केन्द्रीय कृमिनाशी बोर्ड किसी कीटनाशीकी देश में इस्तेमाल किये जाने की स्वीकृति देने से पूर्व इसके सभी मानदण्डों के बारे में अपनी सन्तुष्टि करता है और कीटनाशी दवाइयों को इस्तेमाल और कटाई के बीच न्यूनतम अन्तराल के बारे में भी बताता है। सरकार पर्यावरण में कीटनाशी दवाइयों के अवशेषों पर भी बहुत कड़ी निगरानी रखती रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालय जैसी एजन्सियां अवशेषों संबंधी अनुसंधान कार्य में लगी हुई हैं। देश में सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कीटनाशी अवशेषों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना मंजूर की है। कीटनाशी -अवशेषों के अध्ययनों से केवल डी० डी०टी० और बी०एच० सी० के मामले में अवशेषों की समस्याओं का पता चला है।

कीटनाशियों का अवक्रमण इनके इस्तेमाल की अवधि से जुड़ा होता है और कई वर्षों की अवधि में सापेक्ष स्थाई कीटनाशियों के इस्तेमाल की जगह अधिक जैव-अवक्रमणशील कीटनाशी ले लेते हैं। इन कीटनाशी दवाईयों के अच्छी कृषि पद्धतियों के अन्तर्गत पर्यावरण में कोई अधिक अवशेष नहीं रहते या बचते हैं।

केन्द्रीय सरकार उन कीटनाशियों की जांच करने के लिए, जिनके इस्तेमाल पर अन्य देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है या जिनका इस्तेमाल सीमित कर दिया गया है परन्तु भारत

में उनके इस्तेमाल को जारी रखा जा रहा है, डा० एस०एन० बनर्जी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ-समिति का गठन पहले ही कर चुकी है। यह अत्यधिक विषाक्त और निरन्तर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशियों के एवजी सुरक्षात्मक कीटनाशियों के बारे में सिफारिश भी करेगा।

**डा० टी० कल्पना देवी:** मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार कीटनाशी औषधियों की निर्मितियों की संख्या कम या सीमित कर रही है जैसाकि औषधियों के लिए योजना बनाई जा रही है।

**सरदार बूटा सिंह :** हम नियमित रूप से कीटनाशी औषधियों तथा खरपतवारनाशी औषधियों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं तथा लगातार उपचारी उपाय कर रहे हैं। ऐसी कीटनाशी औषधियों की संख्या काफी हैं जिन्हें हानिकारक माना जाता है और उनका हमारे देश में प्रयोग नहीं किया जाता।

**डा० टी० कल्पना देवी :** जिन फसलों में कीटनाशी दवाएं छिड़की जाती हैं उनसे प्राप्त फलों तथा सब्जियों को खाने से मनुष्यों के शरीर में कीटनाशी किस मात्रा में पहुचे है ?

**सरदार बूटा सिंह :** यह प्रश्न बहुत ही तकनीकी है। मुझे खेद है कि इससे संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इस प्रश्न पर निश्चित रूप से विचार करूंगा और कुछ विशेषज्ञों से इस बात की जानकारी प्राप्त करूंगा। फिर मैं उसे माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

**श्री अजय मुशरान :** क्या माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि कीटनाशी तथा कृमिनाशी दवाओं के अस्तर के बारे में काफी शिकायतें आई हैं ? इन कृमिनाशी तथा कीट नाशी दवाओं के नकली होने के कारण इनसे चना उगाने वाले किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो कृमिनाशी और कीटनाशी दवाएं किसानों को दी जाती हैं उनसे सूंडी, इल्ली आदि कीड़े नहीं मरते। यदि मंत्री महोदय इससे अवगत हैं तो क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में वे कौन सी तात्कालिक तथा दूर-गामी कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं ?

**सरदार बूटा सिंह :** कृमिनाशी या कीटनाशी दवाओं के निरन्तर उपयोग से कीड़ों में इन दवाओं के प्रति निरोधात्मक शक्ति विकसित हो जाती है और इनका असर नहीं हो पाता। चने के बारे में जिस समस्या का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसकी रिपोर्ट हमें भी मिली है। हम प्रयोगशाला में इसकी जांच करवाएंगे। इसके साथ ही हम राज्य सरकारों को किसी विशेष कीटनाशी के बे असर होने के बारे में भी सलाह देते रहते हैं। कृमिनाशी तथा कीटनाशी दवाओं में मिलावट का भी रिपोर्ट मिली है। जैसे ही कोई मामला हमारे सामने लाया जाएगा हम उचित कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए क्योंकि नकली दवाएं बनाने वाले इन्सानों तक को नहीं छोड़ते।

[अनुवाद]

**श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या सरकार को विशेषज्ञ की इस सिफारिश की जानकारी है कि सिंकेटिक पाइराई-कायराइड्स का उपयोग खाद्य-फसलों में नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा होते हुए भी सिंथेटिक कायराइड्स का इस्तेमाल दालों तथा अन्य खाद्य फसलों में बहुतायत से किया जा रहा है ? इस कारण से कपास तथा तम्बाकू जैसी अन्य फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्या सरकार सिंथेटिक पायरीथामराइड कम से कम इन खाद्य-फसलों पर इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाएगी ?

**सरदार बूटा सिंह :** इस कृमिनाशी दवा को चारे की फसलों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ताजी सब्जियों तथा फलों पर इसके अधिक छिड़काव की अनुमति नहीं है। लेकिन यदि माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई विशेष मामला है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा।

## चल मृदा परीक्षण गाड़ियां

*316. **श्री वी० तुलसी राम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पोटाश लिमिटेड ने चल मृदा परीक्षण गाड़ियां तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इन गाड़ियों द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार दिए जाने वाले मार्गदर्शन से किसानों को किस सीमा तक सहायता मिलेगी;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में भी इस प्रकार की गाड़ियां उपलब्ध करायी गई हैं और यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की गाड़ियां कब तक उपलब्ध करायी जायेंगी ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) :** (क) जी, हां। इंडियन पोटाश लिमिटेड ने तीन चल मृदा परीक्षण गाड़ियां तैयार की हैं, जिन्हें फरवरी, 1986 में चालू किया गया है।

(ख) ये चल मृदा परीक्षण गाड़ियां मृदा के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए नवीनतम उपकरणों से लैस हैं ताकि निर्दिष्ट उर्वरक का इस्तेमाल करने की सिफारिश किसानों के घरों पर ही की जा सके। इन गाड़ियों में उर्वरक का तेजी से परीक्षण करने के किट मौजूद हैं ताकि किसानों को उर्वरकों की शुद्धता के बारे में सलाह दी जा सके। उर्वरकों के कुशल प्रयोग के माध्यम से फसल उत्पादन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी किसानों को देने के लिए इन गाड़ियों में श्रव्य दृश्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। इस सेवा के जरिए दिए जाने वाले मार्गदर्शन से किसानों को प्रति यूनिट उर्वरकों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उर्वरकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(ग) और (घ) इंडियन पोटाश लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश राज्य को ऐसी कोई गाड़ी नहीं दी है। वैसे, आन्ध्र प्रदेश में चार चल मृदा परीक्षण गाड़ियां पहले से ही कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

**श्री बी० तुलसीराम :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि चलती-फिरती गाड़ियां इंडियन पोटाश लिमिटेड ने बनाई हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह गाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में चल रही हैं वह कौन-सी कम्पनी की गाड़ियां हैं, कितने गांवों में कितने किसानों की जमीन के परीक्षण किए गए हैं और किसानों को सलाह देने के बाद क्या उनकी खेती की पैदावार में बढ़ोत्तरी भी हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

**सरदार बूटा सिंह :** अध्यक्ष जी, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि यह स्वायल टेस्टिंग की सेवा जहां पर चलाई है उसका फायदा काफी मात्रा में किसानों को पहुंचा है। इसके बारे में प्रत्येक फसल के सम्बन्ध में हमारे पास जानकारी है कि कितना-कितना फायदा हुआ है। आंध्र प्रदेश में इस वक्त चार गाड़ियां चल रही हैं, मेरे पास इस बात की सूचना तो नहीं है कि वह किस कम्पनी की हैं लेकिन सूचना है कि चार गाड़ियां चल रही हैं आंध्र प्रदेश में। इस वक्त हमारे देश में स्वायल टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है—इस बात को मैं मानता हूं। यह सेवा और अधिक मात्रा में होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 6 और लेबेनोरेटरीज डिफरेंट जोन्स में इस्टैबलिश की जा रही हैं जिससे कि अधिक-से-अधिक किसानों को देश में यह सेवा उपलब्ध हो सके। इस तरह से जो फर्टिलाइजर है उसका भी मैक्सिमम यूज हो सकता है और किसानों की जमीन में किस-किस तत्व की कमी है उसकी शिक्षा आन दि स्पाट किसानों को दी जा सकती है। इस तरह से यह सेवा बहुत ही उपयोगी है और इसके ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है।

**श्री बी० तुलसीराम :** मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह—परीक्षण किस ढंग से किया जा रहा है और किसान को क्या-क्या करना पड़ता है ? मान लीजिए मैं एक किसान हूं और मैं अपनी भूमि का परीक्षण करवाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसका क्या सिस्टम है और क्या उसके लिए कुछ चार्ज भी किया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

**सरदार बूटा सिंह :** यह एक निःशुल्क सेवा है, इसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया जाता है। इसके सम्बन्ध में किसानों को क्या-क्या करना होता है उसके बारे में पत्र और छोटी-छोटी किताबें भेजी जाती हैं। एक्सटेंशन सर्विसेज के जरिये, ग्राम-पंचायत, ब्लाक डेवलपमेंट एजेंसीज के जरिए से सभी किसानों को पहले से सूचित किया जाता है कि किस-किस एरियाज में मोबाइल वैन्स जायेंगी, किसानों को क्या-क्या सूचना देनी होगी। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि खेत में ही तुरन्त उसके परिणाम किसानों को बता दिए जाते हैं और एडवाइज दे दी जाती है कि खेत में किस-किस चीज की कमी है और कौन-कौन-सी फसलें उसमें अच्छी तरह से हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश में चार वैन्स जो चल रही हैं, वह वहां की प्रदेश सरकार की हैं।

———

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

### समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थी

*304 श्री के० बी० शंकर गौडा
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या देश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थी लोगों में 50 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे हैं जो समाज के सबसे गरीब वर्ग से सम्बन्धित नहीं हैं;

(ख) क्या गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ऐसे लोगों की संख्या 80 प्रतिशत है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इस बारे में कोई निर्देश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के विरुद्ध जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभ उन लोगों को नहीं दे रहे हैं जिनके लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) अक्तूबर-दिसम्बर, 1985 की अवधि की समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सहायता प्रदान करने के समय लगभग 12 प्रतिशत नमूना लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 1000 रुपये थी; 42 प्रतिशत की आय 1001 रुपये और 2000 रुपये के बीच थी तथा लगभग 46 प्रतिशत की आय 2001 रुपये से 3500 रुपये के बीच थी।

अक्तूबर-दिसम्बर, 1985 की उपर्युक्त समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में लगभग 18 प्रतिशत नमूना लाभार्थी 1001 रुपये से 2000 रुपये के आय-वर्ग के थे; तथा लगभग 82 प्रतिशत 2001 रुपये से 3500 रुपये के आय-वर्ग के थे; उत्तर प्रदेश में लगभग 2 प्रतिशत 0—1000 रुपये के आय-वर्ग के थे; लगभग 20 प्रतिशत 1001—2000 रुपये तथा लगभग 78 प्रतिशत 2001 रुपये से 3500 रुपये के आय-वर्ग के थे; पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 13 प्रतिशत 1001 रुपये—2000 रुपये तथा 87 प्रतिशत 2001 रुपये—3500 रुपये के आय-वर्ग के थे।

ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य-सरकारों पर इस बात के लिए बार-बार जोर दिया है कि कार्यक्रम में पता लगाये गये निर्धनतम लोगों को पर्याप्त सहायता देने पर ध्यान दिया जाए। इन अध्ययनों के निष्कर्षों को भी सम्बन्धित राज्य-सरकारों के ध्यान में लाया गया है और अनुरोध किया गया है कि वे सुधारात्मक कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

### उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित भू-भाग का कब्जा

*311. **श्री जगन्नाथ प्रसाद**
**श्री निर्मल खत्री** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश सरकार को नई दिल्ली में एक अतिथि-गृह का निर्माण करने हेतु चाणक्य सिनेमा घर और रेल लाइन के बीच 65,95,400 रुपये के मूल्य का 0.53 एकड़ भू-भाग आबंटित किया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके मूल्य का भुगतान भी कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार को अभी तक उस भू-भाग का कब्जा न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को उपर्युक्त भू-भाग का कब्जा कब तक दिये जाने की संभावना है ?

**शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) स्थल पर अनधिवासी बस्तियां बनी हुई हैं । स्थल से अनधिवासियों को हटाने तथा उत्तर प्रदेश सरकार को स्थल का कब्जा शीघ्रातिशीघ्र देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

### राज्यों में न्यूनतम मजूरी दरों में समानता

*317. **श्री टी० बशीर** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय विभिन्न राज्य न्यूनतम मजूरी अधिनियम. 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने और उसमें संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मजूरी की इस असमानता के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में उद्योगों का स्थानांतरण हो रहा है?

(ग) यदि हां, तो क्या न्यूनतम मजूरी की दरों में समानता लाने हेतु एक समान मानदंड तैयार करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित और संशोधित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। समुचित सरकार समितियां और उप-समितियां नियुक्त कर सकती हैं जो जांच करेगी और इस प्रकार के निर्धारण तथा संशोधन के बारे में सलाह देगी। दूसरा तरीका इन प्रस्तावों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने और प्रभावित होने वाले उन सभी पक्षों से अभिवेदन प्राप्त करके तथा ऐसे अभिवेदनों पर विचार करने के पश्चात उन्हें अन्तिम रूप देना है।

2. समय-समय पर शिकायतें की गई हैं कि दक्षिण क्षेत्र में पड़ौसी राज्यों में कुछ रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी-दरों में व्यापक विषमता के कारण, उद्योगों को ऐसे राज्यों में स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति होती है जहां न्यूनतम मजदूरी दरें अपेक्षाकृत कम हैं। इस प्रश्न पर कई बैठकों में विचार-विमर्श किया गया, जिन्होंने न्यूनतम मजदूरी-दरों में संशोधन की सिफारिश की, जहां कहीं ऐसा संशोधन बाकी है।

3. न्यूनतम मजदूरी-दरों में एकरूपता की आवश्यकता के सामान्य प्रश्न पर जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 31वें अधिवेशन में विचार विमर्श किया गया था। सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि हालांकि पूर्ण एकरूपता संभव नहीं थी फिर भी पड़ौसी राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी में बहुत अधिक विषमता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे उद्योग और व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो सकते हैं। तदनुसार, उक्त सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन मजदूरी निर्धारित/संशोधित करते समय, उस प्रभाव का उचित ध्यान रखा जाए जो निर्धारित मजदूरी-दरों का अन्य राज्यों, विशेष रूप से पड़ौसी राज्यौं, पर पड़ेगा। इस सिफारिश को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया गया। इस प्रश्न पर सितम्बर, 1981 में हुई कुछ श्रम मंत्रियों की बैठक में, बीड़ी श्रमिकों के विशेष संदर्भ में, फिर विचार-विमर्श किया गया था और मजदूरी-दरों में विषमता को कम करने हेतु अनेक सिफारिशें की गई थी। मजदूरी-दरों में विषमता के प्रश्न पर 25-26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में भी विचार-विमर्श किया गया था। इस सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि जब तक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी संभव न हो, तो क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी का होना वांछनीय होगा।

**दालों के विकास की वृहद योजना**

*318. **श्री डी० पी० यादव**
**श्रीमती किशोरी सिंह**
: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दालों के विकास के लिए बनाई गई वृहद योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) दाल विकास परिषद के कृत्य और उसका दर्जा क्या है;

(ग) क्या दाल बोर्ड बनाने का सरकार का विचार है, जिसकी सिफारिश दाल विकास परिषद ने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

**कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) 1986-87 से एक राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में प्रत्येक राज्य की स्थान विशेष की समस्याओं को उत्पादकता प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करके चुनिंदा क्षेत्रों में सुलझाई जाएंगी। इसमें कटाई के बाद के परिसंस्करण और विपणन सम्बन्धी प्रावधान भी शामिल होंगे।

(ख) यह परिषद एक सलाहकार निकाय है और इसके कार्य निम्नवत् हैं :—

1. दलहनों के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उसकी प्रगति की समीक्षा करना और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

2. दलहनों के लिए लाभकारी मूल्यों पर विचार करने के साथ-साथ दलहनों के उत्पादन तथा विपणन संबंधी समस्याओं पर विचार करना, और इन मामलों में सरकार को सलाह देना।

3. देशी तथा निर्यात बाजार में विभिन्न दलहन सम्बन्धी मांगों पर विचार करना और तदनुसार दलहन उत्पादन कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजन करने के बारे में सरकार को सलाह देना।

4. दलहन उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे तथा सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उसे पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना।

5. दलहन सम्बन्धी अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना और दालों की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में सलाह देना।

6. समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले इस प्रकार के अन्य सम्बद्ध मामलों पर सरकार को सलाह देना।

(ग) जी नहीं।

(घ) चूंकि प्रस्तावित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना राज्य स्तर पर विभिन्न विकासात्मक परिसंस्करण तथा विपणन पहलुओं का ध्यान रखेगी। अतः दलहनों के लिए एक पृथक बोर्ड स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

*319. श्री राजकुमार राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 तक 5 से 15 वर्ष तक की आयु के बाल श्रमिकों की संख्या एक करोड़ पचहत्तर लाख से बढ़कर एक करोड़ बयासी लाख हो जाएगी और तदनुसार रोजगार के इच्छुक बालकों की संख्या वर्तमान संख्या से बढ़कर और अधिक हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो बाल श्रमिकों की संख्या को शनैः-शनैः घटाने की अपनी नीति के अनुसरण में इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का सरकार का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) योजना आयोग द्वारा 7वीं योजना दस्तावेज में लगाये गए अनुमानों के अनुसार मार्च, 1985 और 1990 के बीच 5 और 15 वर्ष की आयु के बीच बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या क्रमश: 175.8 लाख और 181.7 लाख है ।

(ख) बाल श्रम को विनियमित करने और इसे धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए बाल श्रमिक सम्बन्धी एक व्यापक विधान बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों के लिए "मास्टर प्लान"

*320. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे सभी शहरी क्षेत्रों के लिए "मास्टर प्लान" बनायें;

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बिहार जैसे पिछड़े राज्य "मास्टर प्लान" बनाने और उसके कार्यान्वयन हेतु अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं;

(घ) क्या विश्व बैंक ने कई शहरों के विकास के लिए सहायता देने का वचन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सहायता का उपयोग किया जा रहा है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों को सभी शहरों और नगरों के सम्बन्ध में वृहत योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया था । इसके परिणामस्वरूप लगभग 600 वृहत योजनाएं तैयार की गई थीं ।

(ग) वृहत योजनाएं तैयार करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई थी। वृहत योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक कतिपय नगरों तथा शहरों के विकास के लिए समय-समय पर वित्तीय सहायता देता रहा है और यह सहायता विश्व बैंक द्वारा सहायतित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग में लाई जा रही है।

**विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में रोजगार के अवसर**

***321. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में 22 हजार से कुछ अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा और विभिन्न सहायक एककों के कारण रोजगार की सम्भावना इससे भी बहुत अधिक है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त निगम के अनुवर्ती वर्षों, अर्थात् 1983-84 के बाद वार्षिक प्रतिवेदनों में उपर्युक्त पैरे के सदृश पैरा नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अद्यतन तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है तथा किसके द्वारा की गई है तथा उक्त इस्पात संयंत्र में रोजगार के अवसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी, हां। लेकिन 34 लाख टन के स्तर पर श्रमिकों की संख्या 20 हजार बतायी गयी थी।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1982-83 के प्रतिवेदन में दिया गया विवरण व्यापक संशोधित परियोजना रिपोर्ट (1980) में लगाये गये आरम्भिक अनुमानों पर आधारित था। उनकी विस्तारपूर्वक जांच नहीं की गयी थी।

इस्पात कारखाने के लिए प्रस्तावित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तथा ऐसे ही अन्य इस्पात कारखानों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1984 में इस परियोजना द्वारा वांछित जन-शक्ति के बारे में अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से खनन कार्य, बस्ती तथा प्रशासन आदि कार्यों के लिए कुल 12,000 श्रमिकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 1985 में बनाई गयी संशोधित युक्तिसंगत धारणा के अनुसार कुल 15000 श्रमिकों

की परिकल्पना की गयी थी। चूंकि ये अनुमान अभी अस्थायी तौर पर लगाये गये हैं अतः इन्हें वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदनों में शामिल करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

(घ) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के मुख्य सलाहकार मेसर्स एम०एन० दस्तूर एंड कम्पनी तथा सोवियत रूपांकन संगठनों के साथ संयुक्त रूप से तैयार की गयी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए प्राप्त/प्राप्त किये जाने वाले संयंत्रों तथा उपकरणों के रूपांकन में नवीनतम प्रौद्योगिकियों का समावेश किया जा रहा है। परियोजना प्राधिकारी अपने सलाहकारों से परामर्श करने तथा सरकारी स्तर पर स्वीकृति प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करेंगे। स्थिति की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है तथा परियोजना की अर्थ-क्षमता में सुधार करने के लिए और उन्नत प्रौद्योगिकियां, जहां कहीं व्यवहार्य हैं, अपनायी जा रही हैं।

## गुजरात को पेयजल संभरण योजना के लिए वित्तीय सहायता

*322. श्री मोहनभाई पटेल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए गुजरात सरकार को गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए दी गई वित्तीय सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निगरानी रखी जाती है;

(घ) क्या क्रमशः वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान गांवों में पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात को दी गई निधियों और लक्ष्यों की तुलना में शामिल किए गए समस्या-ग्रस्त गांवों का विवरण नीचे दिया गया है: —

| वर्ष | त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के* अन्तर्गत मुक्त की गई निधियां (लाख रुपए में) | समस्या-ग्रस्त गांवों को शामिल करने का लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1982-83 | 287.00 | 800 | 712 |
| 1983-84 | 769:61 | 1000 | 1302 |
| 1984-85 | 777.64 | 1560 | 1372 |
| कुल | 1834.25 | 3360 | 3386 |

*वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान निगरानी तथा अन्वेषण एककों को मुक्त की गई निधियां तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दी गई निधियां इसमें शामिल हैं।

2. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियों के अलावा, गुजरात सरकार को पेयजल आपूर्ति हेतु अग्रिम योजना सहायता के रूप में 1982-83 के दौरान 7.80 करोड़ रुपये तथा 1983-84 के दौरान 2.62 रुपये की धन राशि स्वीकृत की गई थी।

3. छठी योजना के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात का कार्य-निष्पादन राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर रहा है। छठी योजना के दौरान कुल 5318 अर्थात् 84.47 प्रतिशत समस्या-ग्रस्त गांवों के मुकाबले राज्य द्वारा 4492 समस्या-ग्रस्त गांवों को शामिल किया गया है। छठी योजना के दौरान कुल 2.31 लाख अर्थात् 83.12 प्रतिशत चयनित समस्या ग्रस्त गांवों के मुकाबले अखिल भारतीय उपलब्धि के रूप में 1.92 लाख समस्या-ग्रस्त गांवों को शामिल किया गया था।

4. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी तकनीकी जांच करके उन्हें अनुमोदित किया जाता है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति की नियमित निगरानी रिपोर्टों तथा विवरणियों के साथ-साथ ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किए गए क्षेत्रों के दौरों के माध्यम से की जाती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग के प्रमाण-पत्र राज्य सरकारों से भी प्राप्त किए जाते हैं।

## समुद्री तल में खनिजों की खोज

*323. श्री चिन्तामणि जेना : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय समुद्र तट के समुद्र तल में खनिजों की खोज करने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया है;

(ख) कितने समुद्री क्षेत्र में खनिज सम्पदा की खोज की गई है और इसके फलस्वरूप हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह खोज कार्य जारी रखने के संबंध में सरकार का क्या कार्यक्रम है; और

(घ) क्या इसके संबंध में कोई विदेशी तकनीक प्राप्त की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के आर्थिक सम्प्रभुता समुद्र क्षेत्र और तटीय समुद्र की तलहटी में खनिज सम्पदा के गवेषण के लिए फील्ड-सत्र कार्यक्रम तैयार किए हैं।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने तटीय समुद्र में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा उससे परे भारत के आर्थिक सम्प्रभुता समुद्र क्षेत्र में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे किया है। इस सर्वे के फलस्वरूप, पुरी, गोपालपुर, निजामपतनम, रत्नगिरि चेवारा आदि के निकट समुद्री तल में इलमेनाइट, मोनाजाइट, रूटाइल, सिलीमेनाइट, गारनेट, आदि आर्थिक महत्व के महत्वपूर्ण खनिजों का पता चला है। भंडारों के आंकलन का काम चल रहा है।

(ग) प्रारम्भिक खोजों के परिणामों के आधार पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत खोज की जाएगी।

(घ) आयातित भू-भौतिकी यंत्रों (अधिकतर अमेरिका, कनाडा, जापान, प० जर्मनी व नीदरलैंड से प्राप्त) से सज्जित एक गहरे समुद्र में खोजी जलयान तथा दो तटीय नौकाएं समुद्री तल के विस्तृत खनिज गवेषण के कार्य में लगी हुई हैं।

## अलौह धातुओं के लागत-ढांचे का अध्ययन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अन्त: क्षेत्रीय सलाहकारों को आमंत्रण

*324. श्री बी०बी० देसाई : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीसे, जस्ते तथा तांबे के लागत-ढांचे का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्त:क्षेत्रीय सलाहकारों को निमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य का मुख्य प्रयोजन अलौह धातुओं की लागत को कम करना है;

(ग) क्या भारत में अलौह धातुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के लगभग दुगने हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ इसका अध्ययन करने के लिए सहमत हो गए हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत में अलौह धातुओं के मूल्य लन्दन धातु बाजार मूल्यों से ऊंचे हैं।

(घ) यू०एन०डी०पी० ने सीसा, जस्ता और तांबा के लागत-ढांचों का अध्ययन करने हेतु 3 अन्तर-क्षेत्रीय सलाहकारों की सेवाएं प्रदान करने की सहमति दे दी है।

## उपदान बोर्ड की स्थापना

*209. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपदान बोर्ड की स्थापना करने हेतु उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा)** : (क) और (ख) उपदान की अदायगी करने हेतु, नियोजकों के दायित्व का अनिवार्यतः बीमा कराने/एक पृथक न्यास निधि स्थापित करने के लिए उपदान संदाय अधिनियम में उपयुक्त उपबंध करने के बारे में एक प्रस्ताव पर 25 और 26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार किया गया और इसे सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया। इस सम्मेलन की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

## इस्पात की आवश्यकता और उत्पादन

2979. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) देश में इस्पात का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) वर्ष 1985-86 में इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए इसका कितनी मात्रा में आयात किया गया और वह कितने मूल्य का था;

(घ) इस्पात का आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाकर उसकी मांग पूरी करने और विदेशी-मुद्रा बचाने के उद्देश्य से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा लोहे और इस्पात के बारे में गठित कार्यकारी दल ने सातवीं योजनावधि के दौरान तैयार इस्पात की प्रक्षिप्त मांग और अनुमानित उपलब्धि का हिसाब लगाया है, जो इस प्रकार है :—

(हजार टन)

| वर्ष | अनुमानित मांग | अनुमानित उपलब्धि | अन्तर (—) अधिशेष (+) |
|---|---|---|---|
| 1985-86 | 11354 | 9920 | (—) 1434 |
| 1986-87 | 11929 | 10720 | (—) 1209 |
| 1987-88 | 12535 | 11184 | (—) 1351 |
| 1988-89 | 13172 | 12284 | (—) 886 |
| 1989-90 | 13856 | 13020 | (—) 836 |

(ग) माध्यम अभिकरण खनिज तथा धातु व्यापार निगम और भूतपूर्व माध्यम अभिकरण स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए इस्पात के आयात का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

| अभिकरण | वर्ष 1985-86 (फरवरी, 86 तक) में किया गया आयात | |
|---|---|---|
| | मात्रा (हजार टन) | मूल्य (करोड़ रुपये) |
| खनिज तथा धातु व्यापार निगम | 507 | 197.48 |
| स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड | 601 | 295.49 |

अनुपूरक लाइसेंसिंग, आई०ई०पी०/एडवांस/इम्प्रेस्ट लाइसेंसों तथा ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत किये गये सीधे आयात के संबंध में आंकड़े अभी प्रकाशित किए जाने हैं ।

(घ) आयात मुख्यत: जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, रूमानिया, यूगोस्लाविया, बेल्जियम, फ्रांस, हालैंड, लक्जमबर्ग, इटली, स्पेन, यू०के०, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रिया, फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, स्विटजरलैंड, टर्की, अर्जेन्टाइना, ब्राजील, वेनेजुएला तथा जिम्बाब्वे से किया जाता है।

(ङ) इस्पात के देशीय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपायों में कारखानों का आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय उन्नयन, कारखाने तथा उपस्करों का बेहतर रख-रखाव, गृहीत विद्युत का इष्टतम उत्पादन करना, ठीक किस्म के पर्याप्त आदानों की उपलब्धि सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा विशाखापत्तनम में एक नया इस्पात कारखाना निर्माणाधीन है। विद्युत चाप भट्टी प्रक्रिया के माध्यम से इस्पात बनाने की कुछ अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की अनुमति भी दी गई है।

### दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम

2980. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए काफी समय से बनाए गए आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये कोई कार्रवाई शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है, उसमें कितनी पूंजी लगेगी तथा नवीकरण का कार्य कितने चरणों में किया जायेगा; और

(ग) उक्त कार्यक्रम में किस प्रकार की विदेशी सहायता ली जायेगी अथवा लिया जाना आवश्यक समझा गया है?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) से (ग) 990 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई है। इस योजना से कारखाने को 16 लाख टन इस्पात पिण्ड की अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एकमुश्त पेशकश अथवा कुछेक भिन्न-भिन्न एकमुश्त पेशकशों के आधार पर एक आद्योपांत धारणा अपनाकर इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है। पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लेते समय वित्तीय और बाह्य सहायता, यदि कोई हुई, के ढांचे पर विचार किया जाएगा।

### सातवीं पंचवर्षीय योजना में छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना

2981. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र किन-किन राज्यों में स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितना परिव्यय नियत किया गया है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**आकाशवाणी केन्द्रों से उर्दू के प्रसारणों के लिए आबंटित समय**

2982. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रति सप्ताह कितना समय आबंटित किया गया है;

(ख) प्रत्येक केन्द्र का प्रति सप्ताह कुल प्रसारण समय कितना है;

(ग) जिले वार प्रत्येक केन्द्र का प्रसारण सेवा क्षेत्र कितना है; और

(घ) प्रत्येक मामले में संबंधित प्रसारण सेवा-क्षेत्र की जनसंख्या में उर्दू भाषी कितने प्रतिशत लोग हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है ।

(घ) प्रत्येक केन्द्र के बारे में उर्दू भाषी जनसंख्या का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 1981 की जनगणना के संबंध में जनगणना के महापंजीयक द्वारा जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

**विवरण—1**

**आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले उर्दू कार्यक्रमों की अवधि को दर्शाने वाला विवरण**

| क्र० सं० | केन्द्र का नाम | आवृत्ति | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | औरंगाबाद | प्रतिदिन | 30 मिनट |
| 2. | इलाहाबाद | महीने में दो बार | 20 मिनट |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | अहमदाबाद | सप्ताह में एक बार | 30 मिनट |
| 4. | बम्बई | प्रतिदिन | 30 मिनट |
| 5. | भोपाल | साप्ताहिक | 55 मिनट |
| 6. | भद्रावती | " | 45 " |
| 7. | बंगलौर | " | 45 " |
| 8. | बीकानेर | साप्ताह में एक बार | 30 " |
| 9. | कलकत्ता | साप्ताहिक | 30 " |
| 10. | दिल्ली | प्रतिदिन | 40 " |
| 11. | दरभंगा | प्रतिदिन | 55 " |
| 12. | धारवाड़ | सप्ताह में एक बार | 40 " |
| 13. | गोरखपुर | सप्ताह में एक बार | 60 " |
| 14. | गुलबर्गा | साप्ताहिक | 60 " |
| 15. | हैदराबाद | प्रतिदिन | 2.00 घण्टे |
| 16. | इन्दौर | साप्ताहिक | 42 मिनट |
| 17. | जम्मू | " | 90 " |
| 18. | जलंधर | " | 30 " |
| 19. | जलगांव | मासिक | 30 " |
| 20. | जयपुर | सप्ताह में एक बार | 30 " |
| 21. | जोधपुर | साप्ताहिक | 30 " |
| 22. | लखनऊ | प्रतिदिन | 20 " |
| 23. | नागपुर | सप्ताह में एक बार | 30 " |
| 24. | रत्नागिरि | मासिक | 30 " |
| 25. | रामपुर | प्रतिदिन | 20 " |
| 26. | रांची | साप्ताहिक | 45 " |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27. | शिमला | मासिक | 24 " |
| 28. | उदयपुर | साप्ताहिक | 30 " |
| 29. | विजयवाड़ा | " | 14 " |
| 30. | बदोदरा | सप्ताह में एक बार | 30 " |
| 31. | पटना | प्रतिदिन | 55 " |
| 32. | मैसूर | साप्ताहिक | 30 " |
| 33. | रोहतक | मास में एक बार | 25 " |

विवरण—2

| केन्द्र का नाम | प्रति सप्ताह प्रसारण के औसत कुल घण्टे | कार्यक्रम जोन का क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| इलाहबाद | 41.62 | प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा (आंशिक)। |
| अहमदाबाद | 51.97 | गांधीनगर, मोहसाना, खेड़ा (अहमदाबाद का भाग), सुरेन्द्रनगर, भड़ौच, बदोदरा, सूरत, पंचमहल, बलसार, पंग। |
| अगरतला | 19 40 | त्रिपुरा, राज्य। |
| ऐजवाल | 17.50 | मिजोरम संघ शासित क्षेत्र। |
| अम्बिकापुर | 33.75 | सरगुजा और रायगढ़ जिले। |
| औरंगाबाद | 33.11 | औरंगाबाद, परभनी, बीर, नान्देड़, ओस्मानाबाद, जालना तथा लाटूर। |
| बम्बई | 65.08 | बृहत बम्बई, थाणे। |
| बंगलौर | 38.38 | बंगलौर, कोरार, तुमकूर, कोडागु, हसन, चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्गा और माड्या के भाग। |
| भद्रावती | 35.01 | बंगलौर का सहायक केन्द्र। |
| भुज | 35.85 | कच्छ जिला। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| भोपाल | 25.94 | भोपाल, सीहौर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बेतुल और गुना । |
| भागलपुर | 30.42 | कटिहार, पूर्णिया, संथाल का भाग, मुंगेर का भाग, परगना और देवघर । |
| बीकानेर | 31.59 | बीकानेर और चुरू के जिले । |
| कलकत्ता | 83.81 | पश्चिमी बंगाल के दक्षिण और पूर्वी भाग, 24 परगना, हावड़ा, हुगली, नाडिया, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बांकुरा, मिदनापुर और बर्दवान । |
| कटक | 33.58 | कटक, पुरी, बालासौर, गंजम, ढेनकनाल, क्योंझर, मयूरभंज, और फुलबनी के जिले । |
| कालीकट | 33.65 | कन्नानोर, कालीकट, वायनाड और मालापुरम के जिले, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप और पांडिचेरी राज्य का माहे । |
| छत्तरपुर | 27.41 | सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और छत्तरपुर । |
| कोयम्बतूर | 37.88 | कोयम्बतूर, नीलागिरी, पेरियार और सलेम के जिले तथा मदुरै जिले का पलानी तलुक । |
| कुद्दप्पा | 39.46 | कुद्दप्पा, कुर्णूल, चितौर और अन्नतरपुर जिले । |
| धारवाड़ | 38.31 | धारवाड़, बेतगांव, बीजापुर, बैलेरी, उत्तर कन्नड़, बिदार, गुलबर्गा, रायचूर । |
| डिब्रूगढ़ | 47.59 | असम के सिबसागर, लखीमपुर और डिब्रूगढ़ जिले अरुणाचल प्रदेश के पूर्व और पश्चिम को छोड़कर शेष सभी जिले । |
| दरभंगा | 30.83 | मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सहसान, माधोपुरा । |
| दिल्ली | 95.33 | संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फर नगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, (सहारनपुर जिले के हरिद्वार, कनरवलू, ज्वालापुर के उपक्षेत्रों को छोड़कर) फरीदाबाद, सोनीपत और गुड़गांव के भाग । |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| गोहाटी | 70.25 | असम के सभी जिले (डिब्रूगढ़, सिबसागर- लखीमपुर, कछार, और उत्तर कछार (पहाड़ी जिलों) को छोड़कर) । |
| गुलबर्गा | 33.93 | धारवाड़ का सहायक केन्द्र । |
| गोरखपुर | 41.63 | गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया । |
| ग्वालियर | 36.23 | ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, मुरैना, दतिया । |
| गंगटोक | 10.35 | सिक्किम राज्य । |
| हैदराबाद | 115.93 | महबूबनगर, रंग रेड्डी, हैदराबाद, मेंढक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, नालगोंडा । |
| इम्फाल | 44.27 | मणिपुर राज्य । |
| इन्दौर | 33.32 | इन्दौर, मन्दसौर, झबना, पूर्वी निमाड़, राजगढ़, धार, उज्जैन, रतलाम, पश्चिम नीरा, देवास, शाजापुर । |
| जयपुर | 32.71 | जयपुर, अजमेर, अलवर, सवाई, माधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, सीकर और झुनझुनू । |
| जोधपुर | 33.37 | जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही जिले । |
| जैपोर | 33.42 | कोरापुट और कालाहांडी जिले । |
| जम्मू | 50.11 | जम्मू, पुंछ, रजौरी, उधमपुर, कठुआस- डोडा । |
| जबलपुर | 54.86 | जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा । |
| जलंधर | 50.02 | सम्पूर्ण पंजाब और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ । |
| जलगांव | 31.41 | बुलढाना, जलगांव, धुले और नासिक । |
| जगदलपुर | 29.12 | बस्तर जिला । |
| कोहिमा | 21.17 | नागालैंड राज्य । |
| कुर्सियांग | 32.15 | दार्जिलिंग । |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| लखनऊ | 56.19 | लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, झांसी, लखीमपुर, खेरी, ललितपुर, जालौन, इटावा, फरूखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, फतेहपुर, गोंडा, फैजाबाद, बांदा (आंशिक) |
| लेह | 27.81 | जम्मू और कश्मीर का लेह और कारगिल क्षेत्र । |
| मद्रास | 65.08 | मद्रास, चंगलपेट और उत्तर आरोट जिले के भाग । |
| मथुरा | 19.12 | मथुरा, आगरा, अलीगढ़ इटावा, मैनपुरी, भरतपुर और धौलपुर । |
| मंगलौर | 22.92 | दक्षिण कनारा जिला, उत्तर जिले का भाग । |
| मैसूर | 23.18 | मैसूर, कुर्ग, और माण्ड्या जिले के दो तलुके । |
| नागपुर | 35.73 | वर्धा, चन्द्रपुर, भण्डार, अकोला, यवतमाल, अमरावती । |
| नजीबाबाद | 36.02 | अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, और सहारनपुर जिले के बिजनौर, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर उपक्षेत्र । |
| पटना | 53.40 | पटना, भेजपुर, रोहतास, नालंदा, गया, नेवा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सारन, पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, सिवान, बैशाली, मुंगेर, गोपालगंज और सीतामढ़ी के भाग । |
| पुणे | 32.61 | सतारा, पुणे, शोलापुर, अहमदनगर, सांगली और कोल्हापुर । |
| पोर्टब्लेयर | 35.29 | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह । |
| पांडिचेरी | 26.23 | पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र के पांडिचेरी और कैरीकट क्षेत्र तथा तमिलनाडु के दक्षिण आरकोट और उत्तर आरकोट के भाग । |
| पणजी | 30.63 | संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन और द्विव को छोड़कर । |
| पासीघाट | 10.12 | पासीघाट उप प्रभाग । |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| राजकोट | 46.19 | राजकोट, भावनगर, जामनगर, सुरेन्द्र नगर का भाग जूनागढ़ और अमरेली । |
| रांची | 29.60 | सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद तथा संथाल परगना का भाग । |
| रायपुर | 43.35 | रायपुर, बिलासपुर, डोंग, राजनन्दगांव । |
| रोहतक | 31.90 | हरियाणा राज्य । |
| रीवा | 34.06 | रीवा, सतना, सीधी और शहडोल । |
| रामपुर | 29.27 | बरेली, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद और नैनीताल । |
| रत्नागिरि | 29.79 | रत्नागिरि, रायगढ़ और सिन्धुदुर्ग । |
| सिलीगुड़ी | 31.43 | दार्जिलिंग, जलपाइगुड़ी, कूच्छ बिहार, पश्चिम दीनाजपुर, माल्दा । |
| सूरतगढ़ | 2·.50 | गंगानगर जिला । |
| शिमला | 41.51 | हिमाचल प्रदेश राज्य । |
| श्रीनगर | 44.05 | बारामूला, पुलवामा, अनन्तनाग, श्रीनगर । |
| सिल्चर | 20.67 | असम के कछार और उत्तर कछार जिले । |
| शिलांग | 23.08 | मेघालय राज्य । |
| सम्बलपुर | 33.90 | सम्बलपुर, सुन्दरगढ़ और बोलनगीर के जिले । |
| सांगली | 30.63 | पुणे का सहायक केन्द्र । |
| तेजू | 4.02 | लोहित जिले के भाग । (अरुणाचल प्रदेश के अन्य भाग डिब्रूगढ़ के कार्यक्रम जोन के अन्तर्गत आते हैं) । |
| त्रिवेन्द्रम | 37.81 | त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, एलेप्पी, एर्णाकुलम, कोट्टायम और इडुक्की जिले । |
| तवांग | 7.48 | तवांग उप-प्रभाग और कामेंग जिले का भाग । |
| त्रिचुर | 28.41 | त्रिचुर, एर्णाकुलम और पालघाट के जिले । |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| तिरूचिरापल्ली | 38.44 | तिरूचिरापल्ली, मदुरै (पलानी तलुक को छोड़कर) तांजौर, पुडुकहाई, रामनाथपुरम और दक्षिण आरकोट जिले के भाग । |
| तिरूनेलवेली | 35.98 | सहायक केन्द्र तिरूनेलवेली और कन्याकुमारी जिले । |
| विशाखापत्तनम | 38.97 | पूर्वी गोदावरी के भाग, श्री काकुलम विशाखापत्तनम, विजयनगर । |
| विजयवाड़ा | 46.52 | गोदावरी का पूर्वी भाग, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुन्तूर, नेल्लौर, प्रकाशम, खम्मम । |
| वाराणसी | 38.82 | वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर । |
| उदयपुर | 34.04 | उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले । |

**राउरकेला इस्पात संयंत्र का नवीकरण**

2983. श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के नवीकरण के लिए कोई योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसमें कितना पूंजीगत परिव्यय अन्तर्निहित है; और

(ग) क्या उक्त कार्य शुरू हो गया है और यदि नहीं, तो इसके कब से शुरू करने की सम्भावना है और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए कितनी विदेशी सहायता अपेक्षित है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) जी, हां । राउरकेला इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की 18 लाख टन की वार्षिक निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से 861 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस कारखाने में प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई है। फिर भी, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड इस प्रस्ताव के विषय-क्षेत्र की समीक्षा तथा विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि यह कार्य किस तारीख को तथा कब शुरू किया जाएगा । पूंजी-निवेश संबंधी निर्णय लेते समय वित्तीय और बाह्य सहायता, यदि कोई हुई, के ढांचे, पर विचार किया जाएगा ।

**आकाशवाणी केन्द्रों के लिए सलाहकार समिति का गठन**

2984. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक आकाशवाणी केन्द्रों के लिए सलाहकार समितियां पिछले दो वर्ष से भी अधिक समय से गठित नहीं की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों के नाम क्या हैं और उनके लिए सलाहकार समितियां किस तारीख तक गठित किए जाने की संभावना है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त केन्द्रों के लिए पिछली समितियों का कार्यकाल किन तिथियों को समाप्त हो गया था ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) :** (क) से (ग) जिन आकाशवाणी केन्द्रों से प्रतिदिन कम से कम 5.30 घंटे का कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित होता है उनमें कार्यक्रम सलाहकार समितियां हैं। संजाल में इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या 60 है तथा उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2. इस प्रकार की कार्यक्रम सलाहकार समितियों का कार्यकाल 2 वर्ष है तथा इन केन्द्रों से सम्बद्ध समितियों का कार्यकाल 1983 और 1984 के बीच विभिन्न तारीखों को समाप्त हो गया था। इन समितियों में गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं, जिन्हें प्रत्येक केन्द्र के सेवा क्षेत्र के सांस्कृतिक भाषायी, सामाजिक आदि हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। परिपाठी संबंधित राज्य सरकारों से अनुशंसाएं प्राप्त करने तथा इच्छुक व्यक्तियों के आभ्यावेदनों तथा संसद सदस्यों सहित महत्वपूर्ण हस्तियों द्वारा की गई अनुशंसाओं पर भी विचार करने की है। विभिन्न नामांकनों तथा प्रस्तावों पर विचार करने के बाद आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा अनुशंसाएं की गई हैं। इन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिए जाने की संभावना है।

**विवरण**

**उन आकाशवाणी केन्द्रों के नाम, जहां कार्यक्रम सलाहकार समितियां हैं।**

| क्रम सं० | केन्द्र का नाम | क्रम सं० | केन्द्र का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. | अगरतला | 9. | कालीकट |
| 2. | अहमदाबाद | 10. | कलकत्ता |
| 3. | औरंगाबाद | 11. | कोयम्बतूर |
| 4. | इलाहाबाद | 12. | दिल्ली |
| 5. | ऐजवाल | 13. | डिब्रूगढ़ |
| 6. | बंगलोर | 14. | धारवाड़ |
| 7. | बम्बई | 15. | गोहाटी |
| 8. | कटक | 16. | हैदराबाद |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 17: | इन्दौर | 39. | सिल्चर |
| 18. | इम्फाल | 40. | शिमला |
| 19. | जयपुर | 41. | तिरुचिरापल्ली |
| 20. | जलन्धर | 42. | त्रिवेन्द्रम |
| 21. | जलगांव | 43. | त्रिचूर |
| 22- | जगदलपुर | 44. | विजयवाडा |
| 23. | जेपोर | 45. | विशाखपत्तनम |
| 24. | कुर्सियांग | 46 | अम्बिकापुर |
| 25. | लखनऊ | 47. | भोपाल |
| 26. | मद्रास | 4९. | भुज |
| 27. | मथुरा | 49. | छतरपुर |
| 28. | मंगलोर | 50. | गोरखपुर |
| 29. | नागपुर | 51. | जम्मू |
| 30. | नजीबाबाद | 52. | कोहिमा |
| 31. | पटना | 53. | लेह |
| 32. | पांडिचेरी | 54. | पुणे |
| 33. | पणजी | 55. | पोर्टब्लेयर |
| 34. | रीवा | 56. | रामपुर |
| 35. | रत्नागिरी | 57. | राजकोट |
| 36. | रांची | 58. | शिलांग |
| 37. | रोहतक | 59. | श्रीनगर |
| 38. | रायपुर | 60. | उदयपुर |

**विदेशों में श्रमिक भेजने के लिए उड़ीसा में ठेकेदारों को लाइसेंस**

2985. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष उड़ीसा के श्रमिक ठेकेदारों के लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया गया है और फिर भी उन्हें श्रमिक भर्ती करने तथा देश में और विदेशों में काम करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) गत वर्ष से अब तक उड़ीसा में पंजीकृत श्रमिक ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा)** : (क) से (ग) उड़ीसा इण्डिस्ट्रीयल इम्फास्ट्रक्चरल डैवलपमैन्ट कार्पोरेशन, भुवनेश्वर, भारत सरकार का एक उपक्रम, नामक केवल एक भर्ती एजेन्सी को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है जो 27-5-1987 तक वैध है। उड़ीसा के किसी भी अन्य श्रमिक ठेकेदार या भर्ती ऐजेन्ट को प्राधिकृत नहीं किया है। अत: उनके लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**दूरदर्शन पर क्षेत्रीय फिल्में दिखाना**

2987. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई गई फीचर फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिखाई जाती हैं;

(ख) इन फिल्मों के चयन के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) वर्ष 1985 के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिखाई गई क्षेत्रीय फिल्मों के क्या नाम हैं; और

(घ) प्रत्येक फिल्म के प्रसारण के लिए कितनी राशि का भुगतान किया जाता है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की केवल उन्हीं फीचर फिल्मों, जिन्होंने सर्वोत्तम फीचर फिल्मों के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं, पर दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट करने के लिए विचार किया जाता है, बशर्ते कि सम्बन्धित निर्माताओं/टी०वी० अधिकार धारकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए इस प्रकार की फिल्मों की औपचारिक रूप से पेशकश की जाए और फिल्में परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्त हों ।

(ग) और (घ) वर्ष 1985 के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की गई क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों के नाम पर प्रत्येक फिल्म को टेलीकास्ट करने के लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

जनवरी से दिसम्बर, 1985 तक दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की गई क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों के नाम और उनके बारे में दी गई धनराशि

| क्र० सं० | टेलीकास्ट की तारीख | फिल्म का नाम | भाषा | दी गई धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 6-1-1985 | भवानी भवाई | गुजराती | 4,00,000/— |
| 2. | 10-2-1985 | आलोकार अहृभाब | असमिया | 4,00,000/— |
| 3. | 3-3-1985 | स्मृति चित्र | मराठी | कोई भुगतान नहीं दूरदर्शन द्वारा निर्मित |
| 4. | 7-4-1985 | मेघ सन्देशम | तेलगु | 4,00,000/— |
| 5. | 5-5-1985 | सनी कैथल | मणिपुरी | 3,00,000/— |
| 6. | 18-5-1985 | मेघ ठाके तारा | बंगला | 3,00,000/— |
| 7. | 2-6-1985 | मैंज रात (सादी) | कश्मीरी | 3,00,000/— |
| 8. | 7-7-1985 | मलमुकालिले देवम् | मलयालम | 4,00,000/— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | 4-8-1985 | बोम्बालोम्दू कलाडल्ली | कन्नड | 4,00,000/— |
| 10. | 1-9-1985 | ओरू इन्धैया कनवू | तमिल | 4,00,000/— |
| 11. | 6-10-1985 | नीरब जादा | उड़िया | 5,00,000/— |
| 12- | 3-11-1985 | नाममोती | बंगला | 5,00,000/— |
| 13. | 30-11-1985 | अदालत—औ—एकती मेमी | बंगला | 5,00,000/— |
| 14. | 1-12-1985 | सोन मोयना | असमिया | 5,00,000/— |
| 15. | 22-12-1985 | रंगूला कला | तेलगू | 5,00,000/— |

*सादी फीचर फिल्मों के टेलीकास्ट के लिए भुगतान की दर रंगीन फीचर फिल्मों के लिए भुगतान की दर से 25% कम है।

**दिनांक 1-10-1985 से "ए" श्रेणी की फिल्मों के लिए हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की रंगीन फीचर फिल्मों के राष्ट्रीय टेलीकास्ट के लिए भुगतान की दर 4,00,000/—रुपए प्रति टेलीकास्ट से बढ़ाकर 5,00,000/—रुपए प्रति टेलीकास्ट कर दी गई है।

## असिंचित भूमि की उत्पादकता बढ़ाना

2988. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन रोपण और भू-आद्रता संरक्षण के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता और पर्यावरण में सुधार करने के लिए विश्व बैंक ने देश के विभिन्न भागों में स्थल-वैज्ञानिक परियोजनाओं के विकास में भारत की सहायता करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसी परियोजना आरम्भ की जाएगी; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के माध्यम से विश्व बैंक पहले से ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता कर रहा है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के बारे में इस प्रायोजना के अंतर्गत एक अनुसंधान समीक्षा की गई थी जिससे घोघराघाट में फसल अनुसंधान केन्द्र (उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र); सिरोही में गन्ना अनुसंधान केन्द्र तथा सरदारनगर में क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र); तथा मुख्य परीक्षण केन्द्र, कुमारगंज तथा कोटवा (पूर्वी मैदानी क्षेत्र) को सुदृढ़ करने हेतु पहचान की गयी। घोघराघाट के फसल अनुसंधान केन्द्र को सुदृढ़ किया जा रहा है जिस पर 52.73 लाख रु० खर्चा आयेगा। अन्य अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए इन्हें यथासमय हाथ में लिया जायेगा।

## लघु खनिज भंडारों वाली खानें

2989. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनिज के लघु भंडार वाली कोई छोटी-छोटी खानें हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उनकी संख्या क्या है; और

(ग) इन खानों का उपयोग करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) जी, हां।

(ख) गैर-ईंधन खनिजों, परमाणु खनिजों एवं गौण खनिजों से भिन्न छोटी खानों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—आन्ध्र प्रदेश 313, बिहार 224, गुजरात 447, हरियाणा 8, हिमाचल

प्रदेश 18, जम्मू और कश्मीर 3, कर्नाटक 223, केरल 28, मध्य प्रदेश 322, महाराष्ट्र 82, मणिपुर 2, उड़ीसा 112, राजस्थान 815, तमिलनाडु 120, उत्तर प्रदेश 108, पश्चिम बंगाल 18, दिल्ली 3, तथा गोआ 116।

(ग) सरकार ने छोटे खान-निक्षेपों के विदोहन के प्रश्न पर रिपोर्ट देने हेतु एक समिति गठित की है।

**केरल के मालापुरम जिले में खनिज भंडार**

2990. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के मालापुरम जिले में विभिन्न खनिजों के भंडार होने के बारे में कोई सूचना/रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में खनिज की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण /अध्ययन कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) से (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पहले से ही केरल के मालापुरम जिले में खनिजों का गवेषण कर रहा है। फलस्वरूप, जिले में निम्नलिखित 3 खनिजों का पता चला है—

1. नीलांबर क्षेत्र के अरुविकोदमाला, वीट्टुकुटमाला काप्पल्ली तथा मारुदा में प्राथमिक स्वर्ण।

2. नीलांबर घाटी में 8.5 मि० घन मीटर बजरी स्वर्ण भंडार, जिसमें 69,590 औंस स्वर्ण की संभावना है।

3. कोरट्टीमाला में लौह अयस्क, जिसमें 1.89 मि० टन आक्सीकृत अयस्क और 2.52 मि० टन गैर-आक्सीकृत अयस्क है।

4. पोनानी-चमनूर क्षेत्र में तलछट मिट्टी, जिसमें 60 मि० टन भंडार है। केरल खनिज गवेषण परियोजना द्वारा स्वर्ण हेतु विस्तृत खोज कार्य जारी है।

**विस्थापित व्यक्तियों को बोकारो इस्पात संयंत्र में रोजगार देना**

2991. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में कुल कितने कर्मचारी कार्य करते हैं;

(ख) बोकारो इस्पात लिमिटेड में नियुक्त किए गए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) विस्थापित व्यक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और अपंग कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) 28.2.1986 की स्थिति के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने में नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 51527 थी।

(ख) 28.2.1986 की स्थिति के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने में कार्यरत विस्थापित व्यक्तियों की संख्या 14473 थी।

(ग) कारखाने में इस बारे में तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है कि विस्थापित व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातितों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की संख्या कितनी है। परन्तु 31.12.85 की स्थिति के अनुसार बोकारो में कुल कर्मचारियों में से ऐसी श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

| | | |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | = | 6489 |
| अनुसूचित जन-जाति | = | 5427 |
| भूतपूर्व सैनिक | = | 2038 |
| शारीरिक रूप से अपंग | = | 158 |

**"हुडको" योजना 1979 के अन्तर्गत मकानों का आवंटन**

2992. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको पैटर्न योजना, 1979 के अन्तर्गत मकानों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तिम लाटरी कब निकाली गई;

(ख) उसमें किए गए आवंटन का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी लाटरी कब तक निकाली जाने की संभावना है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) नई पद्धति योजना '79 के अन्तर्गत 3689 फ्लैटों के काफी विशिष्ट फ्लैट के आवंटनार्थ अन्तिम लाट्री मई-जून, 1985 में निकाली गई थी। श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है :—

| ड्रा की तारीख | वर्ग | आबंटित फ्लैटों की संख्या |
|---|---|---|
| 30.5.85 | जनता | 723 |
| 12.6.85 | निम्न आय वर्ग | 987 |
| 19.6.85 | मध्यम आय वर्ग | 1979 |
| | | 3689 |

(ग) अगला ड्रा मार्च, 1986 के अन्त तक निकाले जाने की संभावना है ।

**केरल में नारियल के पेड़ों पर प्रभाव डालने वाली बीमारियों के लिए अनुसंधान और विकास**

2993. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल पेड़ों को लगने वाली घातक बीमारियों पर अनुसंधान और विकास के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) 1. ताड़ों के रोगग्रसित जड़ों (मूरझान) में माइकोप्लाजमा जैसे जीव नियमित रूप में पाये गए। माइकोप्लाजमा जैसे जीव सफलतापूर्वक अमरबेल के द्वारा रोगग्रस्त ताड़ से पेरिविन्कल्स में और प्रभावित पेरिविन्कल्स से स्वस्थ पेरिविन्कल्स में संचारित हुए थे । माइकोप्लाजमा जैसे जीव लेस विंग फ्लाई, एक कीट जो कि नारियल से संबद्ध है, के लारमय तथा मस्तिष्क ऊतकों में पाये गये थे ।

2. सीरो नैदानिक तथा दैहिक परीक्षणों के प्रयोग करने से दिखाई देने वाले लक्षणों के प्रकट होने के 3—9 महीने पहले बीमारी का पता लगाना संभव है ।

3. छुटपुट रोगवाले इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रोगग्रस्त ताड़ के पेड़ों के उन्मूलन कर देने से यह सिद्ध हो चुका है कि मामूली रोगग्रस्त इलाकों से इस बीमारी को काफी हद तक कम कर देना संभव है ।

4. नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश तथा मैगनिशियम की संतुलित खाद देने से, जैवी पदार्थों के पुनश्चकरण से, कैको जैसी फसलों के साथ मिलवां फसल पद्धति अपनाने से और सिंचाई की व्यवस्था करने से रोग प्रभावित क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

(ग) सूचना विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की जा रही है तथा उसे यथासमय सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

**औद्योगिक नीति संकल्प अनुसूची "क" में से इस्पात को निकालना**

2994. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने गैर-सरकारी क्षेत्र को एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने के लिए 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची "क" में से इस्पात को निकालने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृहों ने विदेशी सहयोग से ऐसे संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो उन औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं और उनके प्रस्तावित सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) एकाधिकार और निर्बन्धक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत तीन पंजीकृत इकाइयों ने स्पंज लोहा-विद्युत चाप भट्ठी प्रक्रिया द्वारा सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

| क्रम सं० | कम्पनी का नाम | प्रस्तावित विदेशी सहयोग का ब्यौरा |
|---|---|---|
| 1. | दी सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लि० | विदेशी तकनीकी सहयोग आवश्यक होगा। ब्यौरा नहीं दिया गया है। |
| 2. | हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड | विदेशी तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है, परन्तु ब्यौरा नहीं दिया गया है। |
| 3. | जैनिथ स्टील पाइप एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड | विदेशी तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है, परन्तु ब्यौरा नहीं दिया गया है। |

**लोगों को आवास के लिए आवास और शहरी विकास निगम "हुडको" का ऋण**

2995. **श्री गुरुदास कामत**
**श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) का विचार उन व्यक्तियों को ऋण देने का है जिनके पास अधिकृत कालोनियों में भूखंड है तथा जिनके पास हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा आवंटित भूखंड है;

(ख) यदि हां, तो उनका पूर्ण ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या आवास और शहरी विकास निगम की उन भूखंड मालिकों, जो मकान बनाने का अनुरोध करते हैं, के लिए मकान बनाने की कोई योजना है;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

**विदेशों में समाचार ब्यूरो का संचालन करने के लिए प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को सहायता**

2996. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया समाचार एजेन्सी की विदेशों में समाचार ब्यूरो के संचालन के लिए सहायता दी गई है, यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या यह भी सच है कि यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया, आदि जैसी अन्य समाचार एजेन्सियों को ऐसी सुविधा नहीं दी गई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा संचालित ब्यूरो ने उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की है, जिनके लिए उन्हें सहायता दी गई है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार की इस संबंध में पी०टी०आई० के एकाधिकार को समाप्त करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) जी, हां। कई वर्षों से भारत सरकार विदेशों में न्यूयार्क, लन्दन, मास्को, टोकियो, इस्लामाबाद, काठमांडू

और कोलम्बो में पी०टी०आई० के संवाददाताओं के अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। 1981-82 से इस प्रकार की सहायता क्वालालम्पुर, बीजिंग और नैरोबी में संवाददाताओं का पी०-टी०आई० द्वारा अनुरक्षण किए जाने के लिए भी उपलब्ध की जा रही है। मार्च, 1984 से, गुट निर्पेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में भारत पर डले उत्तरदायित्वों के अंग के रूप में, पी०टी०आई० द्वारा न्यूयार्क ब्यूरो का अनुरक्षण किए जाने के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई थी। 1984-85 से, पी०टी०आई० को अपने लन्दन ब्यूरो के कुछ व्यय की पूर्ति करने के लिए सहायता दी जा रही है ताकि भारतीय न्यूज पूल डैस्क की कुछ गुटनिर्पेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों तक पहुंच हो सके।

(ख) जब 1978 में सरकार ने न्यूज पूल डैस्क को पी०टी०आई० और यू०एन०आई० द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने की अपनी स्कीम यू०एन०आई० को भेजी तो उसने संयुक्त न्यूज पूल डैस्क में भाग लेने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की। तथापि, पी०टी०आई० को जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, उसी प्रकार की सुविधाएं यू०एन०आई० को भी दुबई में तथा खाड़ी के क्षेत्रों में काम करने के लिए दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, पोर्ट लुइस में एक संवाददाता का अनु-रक्षण करने के लिए हिन्दुस्तान समाचार को भी सहायता दी गई है।

(ग) विदेशों में पी०टी०आई० के कार्य से सरकार काफी सन्तुष्ट है। तथापि, प्रयास सदा अधिक सुधार के लिए रहता है।

(घ) इस प्रकार का कोई एकाधिकार नहीं है।

### "एकता" कार्यक्रम का प्रसारण

2997. श्री सी० सम्बु : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि हाल ही में दूरदर्शन पर प्रसारित "एकता" कार्यक्रम की समाचार पत्रों तथा दर्शकों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या "एकता" कार्यक्रम के भाग-दो के प्रसारण में काट-छांट करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) से (ग) दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में 25-2-1986, 4-3-1986 और 11-3-1986 को टेलीकास्ट किए गए "एकता" कार्यक्रम के बारे में दर्शकों की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है। इस कार्यक्रम की चौथी और आखरी कड़ी को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में 18-3-1986 को टेलीकास्ट करने का कार्य-क्रम है।

## श्रम सम्बन्धी अनिर्णीत मामले

2998. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1986 को देश के विभिन्न श्रम न्यायालयों में कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे;

(ख) मामलों के अनिर्णीत पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन अनिर्णीत मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए०संगमा) : (क) से (ग)** केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-व-श्रम न्यायालय के समक्ष 1-2-1986 को 4,338 मामले अनिर्णीत पड़े थे। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य क्षेत्र के अधीन मामलों के लिए श्रम न्यायालय/अधिकरण गठित किए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों को छोड़ कर 31-3-1985 को अधिकरणों/श्रम न्यायालयों के समक्ष 180038 मामले अनिर्णीत पड़े थे।

मामलों के इकट्ठा होने के कुछ मुख्य कारण, मामलों की संख्या में वृद्धि होना और सम्बन्धित पक्षों द्वारा बार-बार स्थगन की मांग करना है।

मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के विचार से, विवादों को निपटाने के लिए मासिक मानक बनाए गए हैं और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-व-श्रम न्यायालय के संबंध में प्रगति का मानीटर किया जा रहा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि औद्योगिक विवाद भेजने के आदेश में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय द्वारा पंचाट प्रस्तुत करने की अवधि का उल्लेख होगा और किसी एक कर्मकार और आवेदन से संबंधित औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में ऐसी अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में भी संशोधन किया गया है ताकि विभिन्न स्तरों पर शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए समय निश्चित करने का उपबंध किया जा सके। केन्द्रीय क्षेत्र में मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चण्डीगढ़ और कानपुर में दो और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-व-श्रम न्यायालय गठित किए गए हैं और बंगलौर में एक और गठित करने के लिए मंजूरी दी गई है।

## दिल्ली में खतरनाक रसायन कारखानों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

2999. श्री के० राममूर्ति : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खतरनाक रसायन कारखानों का सर्वेक्षण करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष और क्या हैं;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा)** : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने अपने तारीख, 28 मई, 1985 के आदेश द्वारा श्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसके विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से हैं :—

I. विशेषज्ञ समिति (जिसे इसके पश्चात "उक्त समिति" कहा जाए) श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में वर्तमान सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण उपायों, जिनमें भण्डारण, विनिर्माण और क्लोरीन की हैंडलिंग जैसे सभी पहलू आते हैं, की जांच करेगी और सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में सुधार करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए उपायों का सुझाव देगी ताकि सामुदायिक खतरों को समाप्त किया जा सके और निम्नलिखित की विशेष जांच करेगी :—

(1) कास्टिक क्लोरीन के भंडारण और हैंडलिंग के संदर्भ में वर्तमान सुरक्षा उपाय और उनकी प्रभावशीलता,

(2) वर्तमान सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता,

(3) प्लांट में प्रयोग किए जाने वाले जोखिमपूर्ण रसायनों और जहरीली गैसों के जोखिम का विश्लेषण की पर्याप्तता के तरीके, और

(4) बड़ी असफलता होने की दशा में, पता लगाए गए जोखिम को नियन्त्रण करने के लिए आपात योजनाओं और उपायों की विद्यमानता और पर्याप्तता।

II. दिल्ली में अन्य जोखिमपूर्ण उद्योगों में जोखिमपूर्ण रसायनों और जहरीले पदार्थों से दुर्घटनाओं के निवारण के सम्बन्ध में उपायों और उनकी प्रभावशीलता का अध्ययन करना और सुरक्षा एवं प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थाओं के सुधार के लिए और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए उपायों का सुझाव देना।

III. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित जोखिमपूर्ण उद्योगों में बेहतर सुरक्षा और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई अन्य सिफारिश करना।

2. दिल्ली प्रशासन को श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड संबंधी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। दिल्ली प्रशासन इन सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई कर रहा है।

**विवरण**

(i) तरल क्लोरीन के 100 मीटरिक टन भंडारण टैंक को भंडारण सेवा से समाप्त कर

दिया जाना चाहिए,

(ii) प्रबंधतंत्र द्वारा तरल क्लोरीन की भंडारण सीमा को प्रत्येक 20/25 मीटरिक टन के तीन टैंकों तक सीमित करना चाहिए ।

(iii) प्रबंधतंत्र को सभी वेल्ड ज्वाइन्टों की तुरन्त रेडियोग्राफी करने का प्रबंध करना चाहिए जिसके साथ-साथ मोटाई का सर्वेक्षण और हाइड्रोलिक परीक्षण भी होने चाहिए ।

(iv) सभी टैंकों के सेफ्टी वाल्व रिलीज को सीधे ही निष्प्रभावक स्क्रूबर से जोड़ना चाहिए ।

(v) श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज कम्पलैक्स के भीतर क्लोरीन युक्त सिलिण्डरों की अधिकतम संख्या को केवल नाम मात्र तक सीमित करना चाहिए और अन्य क्लोरीन सिलिण्डरों को दिल्ली से बाहर ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां जनसंख्या न हो ।

(vi) क्लोरीन निष्प्रभावन तरीके को किसी ऐसे बहाव को सुरक्षित ढंग से रोकने में सक्षम होना चाहिए जिसका एक से अधिक रिलीफ उपकरणों के एक साथ प्रचालन करने में यथोचित पूर्वानुमान हो सकता है ।

(vii) तरल क्लोरीन की हैंडलिंग करने वाली सभी पाइप लाइनों का छह माह में एक बार मोटाई सर्वेक्षण करना चाहिए, फ्लेंज ज्वाइंट कम से कम होने चाहिए और मरम्मत की गई किसी भी पाइप लाइन का क्लोरीन सेवा में प्रयोग नहीं होना चाहिए ।

(viii) केवल एक क्लोरीन डिटेक्टर की बजाए, प्रबंधतंत्र को सात क्लोरीन डिटेक्टर लगाने चाहिए, जो क्लोरीन भण्डारण, सिलिण्डर भराव शेड, स्क्रूबर एरिया और क्लोरीन कम्प्रेसर हाऊस में लगाए जाने चाहिए ।

(ix) प्रबंधतंत्र को एक अलग नियंत्रण कक्ष बनाना चाहिए जिसमें वाबानुकलन और दो दरवाजे की व्यवस्था हो और वाबानुकूलन वातानुकूलन के लिए हवा दूर के स्थान से ली जानी चाहिए ।

(x) प्रबंधतंत्र को छह स्वयंपूर्ण स्वसन उपकरण तथा कम्प्रेस्ड गैसों के अतिरिक्त बारह सिलिण्डर खरीदने चाहिए ।

(xi) संयंत्र में क्लोरीन संयंत्र के चारों और लगभग छह स्थानों पर एयर लाइन ब्रीथिंग प्वाइन्ट होने चाहिए और एयर लाइन ब्रीथिंग सेटों को आपातकाल में प्रयोग करने के लिए रखना चाहिए ।

(xii) प्लांट स्थल पर एक प्रशिक्षित चिकित्सा सहायक सहित चलती-फिरती अम्बुलेंस गाड़ी रात-दिन उपलब्ध होनी चाहिए।

(xiii) आपातकाल में क्लोरीन के रिसाव को हैंडल करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित ग्रुप रात-दिन उपलब्ध होना चाहिए।

(xiv) संयंत्र को भविष्य में इसकी वर्तमान संस्थापित क्षमता से अधिक जोखिमपूर्ण रसायन उद्योगों को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

**महानगरों की ओर प्रवास**

3000. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रति वर्ष अनुमानत: कितने लोग महानगरों की ओर आते हैं और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आवास तथा अन्य आवश्यकताओं में कितनी वृद्धि करनी पड़ती है; और

(ख) पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आए लोगों की तुलना में छठी योजना अवधि के अन्त तक कितने लोगों के नगरों में आने का अनुमान है और छठी योजना अवधि के अन्त तक आवश्यकता की तुलना में आवास और अन्य जरूरतें किस सीमा तक पूरी की गई ;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) प्रव्रजन सारणीकरण को जनगणना आंकड़ों के सन्दर्भ में अन्तिम रूप दिया जाता है। 1981 की जनगणना पर आधारित, केवल सात राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सारणियों को अन्तिम रूप दिया गया तथा मुद्रित किया गया है अथवा मुद्रणाधीन हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों से पिछले निवास स्थान पर आधारित दिल्ली नगर संकुलन में प्रव्रजकों की संख्या 0—9 वर्ग गणना के स्थान पर निवास अवधि सहित 629,296 है। शेष प्रमुख राज्यों के बारे में प्रव्रजन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि 20 प्रतिशत नमूना पर आंकड़ों की प्रक्रिया प्रगति पर है।

**फिलिप्स वीडियो कैमरों और ओ०बी० वैन का आयात और उपयोग**

3001. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में एशियाई खेलों के दौरान दूरदर्शन स्टूडियो में उपयोग के लिए कितने फिलिप्स कैमरों और ओ०बी० वैन का आयात किया गया था;

(ख) क्या मद्रास दूरदर्शन स्टूडियो के पास कोई भी फिलिप्स कैमरा अथवा ओ०बी० वैन नहीं है और वहां केवल ई०एन०जी० वैन का उपयोग हो रहा है जो कि निश्चय ही मद्रास जैसे शहर के आकार, जनसंख्या और महत्व के अनुरूप नहीं है;

(ग) इस समय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और जालंधर दूरदर्शन स्टूडियो के पास किस प्रकार के कैमरे हैं;

(घ) क्या कभी मद्रास दूरदर्शन स्टूडियो को फिलिप्स कैमरा और ओ०बी० वैन को आबंटन किया गया था और बाद में उन्हें अन्य स्टूडियो में भेजा गया; और

(ङ) यदि हां, तो उस स्टूडियो का नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) से (ग) फिलिप मेक के तीन टी०वी० कैमरों से सुसज्जित चार रंगीन ओ०बी० वैनों को दूरदर्शन द्वारा एशियाई खेल, 1982 से पहले हासिल किया गया था और उनको बाद में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और जलंधर के दूरदर्शन केन्द्रों में, प्रत्येक में एक-एक, लगाया गया था। दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास को पहले एक सादा ओ०बी० वैन उपलब्ध किया गया था। रंगीन में कार्यक्रमों के सीमित निर्माण के लिए इस केन्द्र को ई०एन०जी० उपकरण उपलब्ध किए गए हैं। इस केन्द्र के दो स्टूडियो में से एक के लिए रंगीन में स्टूडियो आधारित कार्यक्रमों के निर्माण के लिये आवश्यक उपकरणों के लिये भी आर्डर दे दिया गया है। दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास में एक रंगीन ओ०बी० वैन के लिए तथा शेष सादे उपकरणों को रंगीन उपकरणों से बदलने के लिए प्रावधान दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**भारतीय कपास निगम और एकाधिकार क्रय एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा**

3002. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार कपास खरीदने के मामले में भारतीय कपास निगम और कपास उत्पादक राज्यों की एकाधिकार क्रय एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि उत्पादों और अन्य नकदी फसलों के मामले में भी ऐसी प्रतिस्पर्धा की अनुमति देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी नहीं। कच्ची कपास के सम्बन्ध में एकाधिकार क्रय योजना सिर्फ महाराष्ट्र में चल रही है, जहां भारतीय कपास निगम विपणन समर्थन नहीं करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) किसी कृषि जिंस के एकाधिकार क्रय करने के लिए राज्यों का कोई प्रस्ताव नहीं है । अतः विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रश्न नहीं होता है ।

नाटू तम्बाकू बोर्ड स्थापित करना

3003. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के लिए तम्बाकू बोर्ड की ही भांति सन क्योर्ड एअर क्योर्ड तम्बाकू नाटू के लिए एक नाटू तम्बाकू बोर्ड स्थापित करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : इस समय नाटू तम्बाकू बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

राज्यों के बाल श्रमिक बोर्ड

3004. श्री राम स्वरूप राम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में बाल श्रमिक बोर्ड का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) बाल श्रमिक सम्बन्धी गुरुपदस्वामी समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश के अनुसरण में, बाल श्रमिकों की समस्या के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए केन्द्रीय बाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में बाल श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य/जिला बाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड गठित करें । कई राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने राज्य/जिला स्तर सलाहकार बोर्ड गठित कर लिए हैं ।

[अनुवाद]

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियों के कारण

3005. डा० डी०एन० रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदानों की सप्लाई, विपणन और अन्य सुविधाओं के बजाय जिनका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था ऋणों के लिए बैंकों की जिम्मेदारी पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण राज्यों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यापक रूप से विफल रहा है;

(ख) क्या संदर्शी योजनाओं पर आधारित क्षेत्रीय परियोजना पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया;

(ग) क्या पंचवर्षीय संदर्शी योजनाओं में त्रुटियां थीं और वे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विचारधारा के अनुरूप नहीं थीं;

(घ) यदि हां, तो इन गम्भीर कमियों को, जो देश से गरीबी को समाप्त करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं; किस प्रकार दूर किया जा रहा है ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (घ) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन के अनुसार 49.4% लाभार्थियों ने गरीबी की रेखा पार कर ली है, 88 प्रतिशत ने अपनी आय में वृद्धि की सूचना दी है तथा 90 प्रतिशत का विचार है कि इस कार्यक्रम से उनके पारिवारिक रोजगार में वृद्धि हुई है।

इस अध्ययन में नमूने में शामिल 33 जिलों में से 17 जिलों में संदर्शी योजनाएं तैयार कर ली गई थीं। इन योजनाओं में कुछ कमियां थी, जिनमें संदर्शी योजनाओं पर आधारित खंड परियोजनाओं का तैयार न किया जाना भी शामिल है।

इस अध्ययन में बताई गई कमियों को राज्य सरकारों के ध्यान में इस अनुरोध के साथ लाया गया था कि वे सुधारात्मक कार्रवाई करें। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

सातवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उठाये गए कदम :—

1. गरीबी की रेखा 6,400 रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय पर निर्धारित की गई है। लाभान्वित परिवारों की आय इस स्तर तक बढ़ानी है।

2. लाभार्थियों के चयन के लिए अन्तिम सीमा को 4800 रुपये प्रति परिवार निर्धारित कर दी गई है। तथापि, 3500 रुपये तक की आय वाले सभी परिवारों को इससे अधिक आय वाले परिवारों से पहले शामिल किया जाना है।

3. प्रति परिवार अधिक पूंजी निवेश देना जिसमें एक से अधिक योजनाएं शामिल हों ताकि नए लाभार्थियों को उनके निवेश पर उचित लाभ मिल सके।

4. छठी योजना के दौरान सहायता प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो उन कारणों से गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके हैं जिनके लिए वे स्वयं जिम्मेवार नहीं हैं।

5. निधियों का आवंटन समानता की पद्धति को बदल कर निर्धनता में विविधता के आधार पर किया जाना है।

6. लाभार्थियों के चयन में जन प्रतिनिधियों को और अधिक शामिल करना।

7. इस कार्य हेतु जिला स्तर पर संस्थाओं का चयन करके अथवा जिला आपूर्ति और विपणन सोसायटियों की स्थापना करके सम्पर्कों को सुधारने के प्रयास करना।

8. कार्यक्रम में 30 प्रतिशत तक महिला लाभार्थियों को शामिल करना।

9. संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्रों को स्थापित करके प्रशिक्षण प्रयासों का उपयुक्त समन्वय करने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करना। यह भारत सरकार के विचाराधीन है और मार्गदर्शिकाएं अलग से जारी की जाएंगी।

10. खण्ड, जिला और राज्य स्तरों पर आवश्यकतानुसार प्रशासनिक ढांचे को कारगर तथा मजबूत बनाना। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान प्रशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति भी नियुक्त की गई थी। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है।

11. विशेषकर नीचे के स्तर पर बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार करना।

12. लाभार्थियों में जागरूकता का अच्छा वातावरण तैयार करना और उनका उचित संगठन बनाना।

13. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) सहित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक एजन्सियों को अधिक से अधिक शामिल करना ताकि नए प्रकार की परिवारोन्मुख परियोजनाएं अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित की जा सकें।

14. कार्यक्रम की निकट से मानिटरिंग करने के लिए प्रतिमाह 36 जिलों, 72 खण्डों और 10 नये लाभार्थियों और 10 पुराने लाभार्थियों जिन्होंने 2 वर्ष पहले सहायता प्राप्त की थी, के एक ग्रुप को शामिल करने के आधार पर समवर्ती मूल्यांकन की एक नई पद्धति आरम्भ की गई है।

## जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों की बैठकें

3006. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों को मार्गनिदेश जारी किए हैं और उन्हें अपने राज्य में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकायों की बैठकों में संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को अनिवार्य रूप से बुलाने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने गत एक वर्ष के दौरान इन मार्गनिदेशों का पालन किया है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) मार्गदर्शिकाओं के अनुसार सभी संसद सदस्यों तथा विधायकों को उनके अपने-अपने जिले की जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के शासी निकाय में सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है तथा उन्हें बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शासी निकाय की बैठकें इस प्रकार आयोजित की जाएं कि संसद सदस्य और विधायक इन बैठकों में भाग ले सकें, साथ ही उनके अन्य कार्यों में बाधा न पड़े।

(ग) कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि उन्हें शासी निकाय की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया था और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि वे बैठकों में भाग लेने हेतु संसद सदस्यों तथा विधायकों को सूचनाएं अवश्य भिजवाएं तथा निमंत्रण उनके स्थानीय तथा नई दिल्ली/राज्य की राजधानी के पते, दोनों पर भेजे जायें।

## नए प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग

3007. श्री विजय एन० पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हुई है और राज्यवार उर्वरकों का कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया; और

(ख) आधुनिक विधि के अनुसार उर्वरकों की नई किस्मों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उन राज्यों का एक विवरण संलग्न है, जिन्होंने उर्वरकों की खपत की मात्रा सहित उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि का रुख प्रदर्शित किया है।

(ख) सरकार राज्य सरकारों की प्रशिक्षण का दौरा पद्धति चुनिंदा जिलों तथा विस्तार ऐजेन्सियों में गहन उर्वरक, संवर्धन अभियान तथा उर्वरक विनिर्माताओं के माध्यम से सभी किस्मों के मानक उर्वरकों के प्रयोग को लोकप्रिय बना रही है। उर्वरकों की कार्यक्षमता सुधारने के लिए बीज-व-उर्वरक ड्रिल के जरिए और मृदा परिक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से मृदा परीक्षणों के आधार पर उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया गया है।

## विवरण

उन विभिन्न राज्यों का विवरण जिन्होंने रासायनिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि का रुख प्रदर्शित किया है।

(000 मीटरी टन एन०पी०के)

| क्रम० सं० | राज्य | खपत 1983-84 | खपत 1984-85 | 1983-84 की तुलना में 1984-85 में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 980.6 | 980.3 | 7.9 |
| 2. | कर्नाटक | 487.2 | 590.7 | 21.2 |
| 3. | तमिलनाडु | 586.8 | 690.5 | 17.7 |
| 4. | गुजरात | 502.4 | 504.6 | 0.4 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 315.0 | 372.6 | 18.3 |
| 6. | हरियाणा | 326.2 | 336.6 | 3.2 |
| 7. | पंजाब | 991.7 | 1047.6 | 5.6 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 19.1 | 21.8 | 14.1 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 16.5 | 29.1 | 76.4 |
| 10. | बिहार | 292.3 | 381.6 | 30.6 |
| 11. | उडीसा | 103.0 | 114.0 | 10.7 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 369.1 | 405.7 | 9.9 |
| 13. | मेघालय | 2.8 | 2.9 | 3.6 |
| 14. | सिक्किम | 1.1 | 1.2 | 9.1 |
| | अखिल भारत | 7710.1 | 8211.0 | 6.5 |

## विलिंगडन आईलैंड, कोचीन में अमोनिया भंडारण टैंक

3008. प्रो० के०वी० थामस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा विलिंगडन आइलैंड, कोचीन में 10,000 मीटर टन अमोनिया भंडारण टैंक की सुरक्षा के संबंध में कोई शिकायत है;

(ख) यदि हां, तो इस टैंक से रिसाव रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या इस अमोनिया भंडारण टैंक को विलिंगडन आइलैंड, कोचीन से किसी ऐसे स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है जहां अमोनिया भंडारण सुरक्षित रूप से किया जा सके ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) :** (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) को जनता से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें उनके विलिंगडन आइलैंड स्थित अमोनिया भंडारण टैंक से संभावित रिसाव के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की गई है।

(ख) टैंक से कोई रिसाव नहीं हुआ है। तथापि, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टैंक को बन्द किया गया तथा उसका निरीक्षण किया गया। इसे अब विदेशी विशेषज्ञों के निरीक्षण/मार्गदर्शन के अन्तर्गत नई इन्सुलेशन के साथ पुन: आरम्भ किया जा रहा है।

(ग) टैंक को विलिंगडन आईलैंड से स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए त्रिपुरा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव**

3009. **श्री अजय विश्वास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा था और परियोजना की लागत 530 करोड़ रुपये थी;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां. तो प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) :** (क) यद्यपि, इस सम्बन्ध में त्रिपुरा सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने उर्वरक राज्य मंत्री का ध्यान दिलाया है कि उस राज्य में गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव सितम्बर, 1985 में भारत सरकार को भेजा गया था। राज्य सरकार से प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि विचारार्थ मंगाई जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

## समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के लिए मानदण्ड

3010. श्री सरफराज अहमद }
श्री मानिक रेड्डी } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों/पत्रिकाओं आदि में विज्ञापन देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को विज्ञापनों से वंचित रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान दिए गए विज्ञापनों प्रत्येक समाचार-पत्रों को अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन भारत सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार जारी किए जाते हैं जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2337/86]

(ख) और (ग) जी, हां। विज्ञापन उन समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को नहीं दिए जाते जो विज्ञापन नीति में निर्धारित पात्रता की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते। जब स्वीकृत सूची में शामिल समाचार-पत्र/पत्रिकाएं निर्धारित मानवण्डों का पालन नहीं करते या अपेक्षित ब्यौरे सप्लाई नहीं करते, तब उनका भी उपयोग करना बंद कर दिया जाता है।

(घ) 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापनों की कुल राशि इस प्रकार है :—

| वर्ष | राशि (रुपयों में) |
|---|---|
| 1983-84 | 3,90,43,826 |
| 1984-85 | 4,35,42,976 |
| 1985-86 (दिसम्बर, 85 तक) | 3,02,93,340 |

वैयक्तिक समाचार-पत्रों को भुगतान की गई राशि को प्रकट नहीं किया जाता तथा उसे गोपनीय समझा जाता है।

## अंधविश्वासों को दूर करने के लिए फिल्में/वृत्तचित्र

3011. **श्री शांताराम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश में प्रचलित अंधविश्वासों की असत्यता को दूर करने के उद्देश्य से कोई फिल्म अथवा वृत्तचित्र तैयार अथवा प्रायोजित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई अन्य उपाय कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) :** (क) और (ग) फिल्म प्रभाग ने वर्ष 1984 में "दि साइन्टिफिक एट्टीट्यूट" नामक एक डाकुमेंट्री फिल्म रिलीज की थी। इस फिल्म में अन्धविश्वासों की बुराइयों और विकासशील वैज्ञानिक रुख पर जोर दिया गया है। 1985 में फिल्म प्रभाग ने "दि फोर स्टैप्स" नामक एक अन्य डाकुमेंट्री फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म में जीवन के उन विभिन्न क्षणों का चित्रण है जहां अंधविश्वास लोगों के चिन्तन पर प्रभाव डालते हैं और इसे चार कदमों अर्थात् (1) प्रश्न, (2) कल्पना, (3) अनुभव और (4) उत्तर को लागू करके वैज्ञानिक चिन्तन द्वारा किस प्रकार बदला जा सकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## महरौली में भगवान महावीर की प्रतिमा की स्थापना

3012. **प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या महरौली में भगवान महावीर की एक प्रतिमा स्थापित की गई है;

(ख) क्या प्रतिमा की स्थापना से महरौली के आस-पास का दृश्य बदल गया है और वह वहां के प्राकृतिक दृश्य के अनुकूल नहीं है; और

(ग) क्या प्रतिमा समुचित मंजूरी से स्थापित की गई थी ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 30-8-1985 को महरौली रोड़ पर भगवान् महावीर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए भगवान महावीर अहिंसा केन्द्र को 3 करोड़ भूमि आवंटित की है। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही इस केन्द्र ने उस स्थल पर प्रतिमा स्थापित कर दी है। भूमि के आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करने पर दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 30 (1) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस केन्द्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

### लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी का आयात

3013. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों की खाद्यान्न सम्बन्धी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) खाद्यान्न सहित लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की सामग्रियों का उत्पादन, परिसंस्करण तथा उपयोग करने के लिए देश में काफी अनुसंधान किया गया है । इस प्रयोजन के लिए बड़ी मात्रा में प्रौद्योगिकी का आयात करना सरकार आवश्यक नहीं समझती है । तथापि, सरकार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाजुक अन्तराल को भरने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने पर विचार करेगी ।

### उत्तराखंड में भूस्खलन, बाढ़ और वृष्टिस्फोट

3014. **श्री आनन्द सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "उत्तराखंड काट बिटवीन नेचर एण्ड मैन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें उस क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़ और वृष्टिस्फोट बादल फटने के कारण हुई भारी हानि पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस क्षेत्र के लिए कोई विशेष विकास योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

### भूमि सुधार

3015. **श्री मुहम्मद महफूज अली खां**
**श्री कमला प्रसाद सिंह**
**श्री पीयूष तिरकी**
: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान देश में भूमि सुधार के लिए निर्धारित लक्ष्य को किस

हुब तक प्राप्त किया गया है और केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन को किस तरह आंकती है; और

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान भूमि सुधार में त्वरित प्रगति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

1. छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई थी कि काश्तकारों को भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान करने हेतु 1981-82 तक सभी राज्यों में विधायी उपचार लागू किए जाएंगे कि सीमा से फालतू भूमि के अधिग्रहण और वितरण का कार्यक्रम 1982-83 तक पूरा कर दिया जाएगा, कि भूमि अभिलेखों का अद्यतन संकलन 1984 तक चरण-बद्ध तरीके से पूरा कर दिया जाएगा और कि भूमि जोतों की चकबन्दी सभी राज्यों में इस लक्ष्य के साथ शुरू की जाएगी कि सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए इसे 10 वर्षों में पूरा किया जाये। इसके अलावा, भूमि सुधार संशोधन अधिनियमों को नवीं अनुसूची के अंतर्गत लाना था, भू-सीमा कानूनों को सिंचाई पद्धतियों वाले कमांड क्षेत्रों में स्वत: लागू किया जाना था।

2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र-नागालैण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जहां पर भूमि सामान्य तौर पर समुदाय के कब्जे में है, तथा अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, गोआ, दमन व दीव, लक्षद्वीप व मिजोरम के संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर भूमि सीमा कानून देश-भर में लागू हैं। अन्य क्षेत्रों में भूमि सीमा कानून पहले भूमि जोतों पर पांचवें तथा छठे दशक में लागू गिया गया था। बाद में, 1972 में इस विषय पर राष्ट्रीय मार्ग-दर्शिकाएं तैयार की गई थीं। प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार भूमि सीमा कानूनों के दो सेटों के अंतर्गत 72.64 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई, 57.30 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है तथा 43.30 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है। इसलिए फालतू घोषित 29.34 लाख एकड़ भूमि का अभी तक वितरण नहीं किया गया है। इसमें से 16.97 लाख एकड़ भूमि मुकदमेबाजी में फंसी हुई है तथा 3.32 लाख एकड़ भूमि कुछ विशेष सार्वजनिक कार्यों के लिए आरक्षित है। 4.12 लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं है तथा 3.15 लाख एकड़ भूमि विविध कारणों से वितरण हेतु उपलब्ध नहीं है। यह देखा जा सकता है कि वितरण करने योग्य फालतू घोषित भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकदमों के कारण रुका पड़ा है। भूमि सुधार के मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालयों का कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया गया है (उन्हें संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के कारण)। तथापि, उच्च न्यायालय और

सर्वोच्च न्यायालय के याचिका कार्यक्षेत्र वही है। संविधान के अनुच्छेद 323 ख में (42वां संशोधन) उच्च न्यायालयों के याचिका का कार्यक्षेत्र को समाप्त करने के पश्चात् भूमि अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। किन्तु इस सम्बन्ध में अभी सामूहिक कार्यवाही की जानी शेष है।

3. काश्तकारों तथा बटाईदारों को स्वामित्व के अधिकार देने के विधाई प्रावधान आंध्र प्रदेश (आन्ध्र क्षेत्र), बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाड तथा पश्चिमी बंगाल में अभी तैयार किए जाने हैं।

4. देश के 22 में से 15 राज्यों ने भूमि-जोतों की चकबन्दी के कानून लागू कर दिए हैं। वर्ष 1979-80 तक, देश में चकबन्दी क्षेत्र 462 लाख हैक्टेयर था। पंजाब और हरियाणा में चकबंदी का काम पूरा हो गया है और उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और कर्नाटक में लगभग पूरा होने वाला है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने भी चकबंदी का काम शुरू कर दिया है। छठी योजना के दौरान चकबंदी किया गया कुल क्षेत्र 63 लाख हैक्टेयर था। इस प्रकार अब तक चकबंदी किया गया कुल क्षेत्र 525 लाख हैक्टेयर है, जो देश के कुल फसल क्षेत्र का केवल 34 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट है कि इस दिशा में प्रयासों की काफी मात्रा में बढ़ाना होगा।

5. अगस्त, 1984 में 47वें सांविधानिक संशोधन द्वारा 14 भूमि कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए थे, जिससे 9वीं अनुसूची में भूमि कानूनों की कुल संख्या 202 में से 169 है।

6. भूमि सुधार के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने और 7वीं योजना के दौरान अपनाई जाने वाली नीति तैयार करने के लिए दिनांक 18.5.1985 को राज्यों के राजस्व मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। सम्मेलन में की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

7. मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

**बिचौलियों की समाप्ति**

(क) बकाया पड़े काम को शीघ्र पूरा करने के लिए इसकी 31.3.1986 तक समीक्षा कर ली जाये और कुछ अभी तक विद्यमान बिचौलियों की पट्टेदारी समाप्त करने के लिए 2 साल के भीतर विधायी कार्यवाही शुरू कर दी जाए और 7वीं योजना के अंतक तक कार्यवाही पूरी कर दी जाए।

**पट्टेदारी की सुरक्षा और अधिकार प्रदान करना**

(ख) (1) सरकारी तंत्र द्वारा 30.6.86 तक पूरा किए जाने वाला एक अभियान चलाया

जाना चाहिए जिससे पंचायतों, स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय व्यक्तियों की मदद से जबानी और असुरक्षित अनौपचारिक काश्तकारों और बटाईदारों का पता लगाया जाए और इन्हें रिकार्ड पर लाया जाए, इस बात को सोचे बगैर कि राज्य में काश्तकारी को मान्यता प्राप्त है अथवा समाप्त कर दी गई है। इस कार्य को 31.12 86 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। सभी श्रेणी के काश्तकारों और बटाईदारों की पट्टेदारी की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(2) जिन राज्यों में लगान की अदायगी कुल उत्पादन का 1/4 से 1/5 से अधिक है, उसे वहां कम किया जाना चाहिए।

(3) भू-स्वामित्व के अधिकार रिकार्डों में दर्शाने के पश्चात् काश्तकारों तथा बटाईदारों को दिए जाने चाहिए। जहां पर इस प्रयोजन हेतु विधायी प्रावधान नहीं है, वहां इन्हें दो वर्ष के भीतर तैयार कर दिया जाना चाहिए।

(4) राष्ट्रीय नीति के प्रतिकूल पट्टेदारी की अनुमति देने की अनावश्यक छूटों की समीक्षा की जाए और 31.3.86 तक विधायी या प्रशासनिक कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें और राष्ट्रीय नीति के अनुसार विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त श्रेणियों द्वारा दी गई छूटों को छोड़कर पट्टेदारी पर पाबंदी और कृषि भूमि गैर-किसानों के हस्तांतरण पर पाबंदी लगाई जा सके।

(5) राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा अवैध काश्तकारी को दूर करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत खेती की परिभाषा को और स्पष्ट किया जाना चाहिए।

**जनजातियों के हितों की सुरक्षा**

भूमि के सम्बन्ध में जन-जातियों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से जनजाति के व्यक्तियों से गैर-जनजाति के व्यक्तियों को भूमि के स्थानांतरण पर रोक लगाने तथा उनका क्रियान्वयन करने के लिए वर्तमान प्रावधानों की पुनरीक्षा की जाए तथा प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु कमियों को दूर करने के लिए 31 12.86 तक विधायी कार्रवाई कर ली जानी चाहिए।

**अधिकतम भू-सीमा का कार्यान्वयन**

(ग) (1) बकाया विवरणियों के निपटान के लिए समयबद्ध उपचारिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(2) मुकदमे वाले मामलों पर तेजी से निर्णय करवाया जाए। संविधान के अनुच्छेद 323(ख) के अन्तर्गत अधिकरणों का सृजन और भूमि की अधिकतम सीमा के मामलों के तत्काल निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में विशेष न्यायालयों/न्याय-पीठों के सृजन पर विचार किया जाए।

(3) कानून की अपवंचना और उल्लंघन की जांच करने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए, और इसके बाद दो वर्षों के भीतर ठोस उपचारात्मक कानूनी और अन्य उपाय किए जायें।

(4) सरकारी राजकोष द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं और योजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्रों में, उपयुक्त सीमा तक, भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के प्रयोग की समीक्षा की जानी चाहिए।

(5) राज्य परिवार की अधिकतम सीमा की यूनिटों के संगठन के लिए 24 जनवरी, 1971 से पूर्व-व्यापी परिवार के सदस्यों के रूप में बालिग पुत्रों को करने के लिए विचार कर सकते हैं, यह प्रावधान केवल स्वयं अर्जित सम्पत्ति के मामले में बालिग लड़कों के लिए एक पृथक परिवार यूनिट की सीमा का नियंत्रण करता है।

(6) राज्य वितरण के लिए अधिकाधिक भूमि प्राप्त करने हेतु भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने और सामान्य अधिकतम सीमाओं के क्षेत्र में धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के तहत भूमि लाने पर भी विचार करें।

(घ) **भूमि अभिलेख**

(1) 1985-86 को भूमि अभिलेख वर्ष के रूप में मनाने का अभियान शुरू करके भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाया जाए।

(2) भूमि अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन बनाने के लिए कोई प्रणाली तैयार की जाए।

(3) जिन राज्यों में भूमि अभिलेख नहीं हैं वे तेजी से भूमि और फसल रिकार्ड शीघ्र लागू करें।

(4) जहां कहीं सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य लम्बित हों, उन्हें जल्दी पूरा किया जाए।

(5) भूमि के मालिकों और पट्टेदारों को कानून द्वारा सम्मत पट्टा पास बुकें दी जानी चाहिए।

(ङ) **जोतों की चकबन्दी**

सिंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए तथा उन क्षेत्रों के चयन के आधार पर जहां छोटे और सीमान्त किसानों की जोतों वाले क्षेत्र एवं अधिकतम सीमा से फालतू घोषित भूमि के प्राप्तकर्ताओं की संख्या अधिक है तथा सेवाओं की सुविधा अधिकाधिक प्रभावी है, उन क्षेत्रों में 25%

चकबन्दी क्षेत्र को शामिल करके भूमि जोतों की चकबन्दी के कार्य को 7वीं योजना में पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(च) अधिकतम भू-सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ता

अधिकतम भू-सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता की योजना का तालमेल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ बैठाया जाए।

[हिन्दी]

गांवों में पेयजल उपलब्ध न होना

3016. श्री बनवारी लाल बेरवा
डा० के०जी० आदियोडी
श्री हन्नान मोल्लाह
कुमारी पुष्पा देवी
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 के अन्त तक राज्य-वार कितने गांवों में पेयजल सुविधा की व्यवस्था किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : वर्ष 1986-87 के दौरान शामिल किए जाने वाले गांवों के सम्बन्ध में अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी आवास का आवंटन रद्द हो जाने के बाद लाइसेंस फीस

3017. श्री के०एस० राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिए जाने के पश्चात् कब्जाधारी से कितनी लाईसेंस फीस ली जाती है;

(ख) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखली आदेश जारी किए जाने के पश्चात कब्जाधारी से कितनी लाइसेंस फीस ली जाती है;

(ग) कितने मामलों में बेदखली आदेश जारी किए जाने के बाद लाइसेंस फीस कम की गई है और इस प्रकार कम करने के यदि कोई कारण हैं तो क्या; और

(घ) न्यायालय द्वारा बेदखली कार्यवाही के स्थगन की अवधि के दौरान कब्जाधारी द्वारा कितनी लाइसेंस फीस देय है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) किसी अधिकारी द्वारा अदा की जा रही लाइसेंस फीस की मार्किट दर या लाइसेंस फीस दुगने के बराबर क्षति, इनमें से जो भी अधिक हो।

(ख) बेदखली के आदेश जारी करने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के बाद बाजार दर पर लाइसेंस फीस का तीन गुणा क्षति।

(ग) कैलेण्डर वर्ष 1985 के दौरान, 10 मामले थे। सम्पदा अधिकारी द्वारा उसके गुणावगुण पर प्रत्येक मामले को लोक परिसर (अनधिकृत दखलदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्णित किया गया था।

(घ) रोक की अनिश्चितता में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। न्यायालय के फैसले के आधार पर मांग उठाई गई है।

**उड़ीसा में स्व-रोजगार योजनाओं का कार्यान्वयन**

3018. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कौन-कौन सी विभिन्न स्व-रोजगार योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) राज्य में 1984-85 और 1985-86 में स्व-रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो 1986-87 के लिए निर्धारित किए जाने वाले संभावित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उड़ीसा सहित देश भर में दो स्व-रोजगार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनके नाम हैं समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम और ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण।

(ख) से (घ) लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

| | 1984-85 | | 1985-86 | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां |
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सहायता दल) परिवारों की संख्या | 188400 | 213000 | 114400 | 70598 (जनवरी, 86 तक) |

| | 1984-85 | | 1985-86 | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां |
| ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण (प्रशिक्षित संख्या) | 12560 | 9405 | 12290* | 4587 (दिसम्बर, 1985 तक) |

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान उपलब्धियां लक्ष्यों से अधिक थी। वर्ष 1985-86 के दौरान भी लक्ष्य पूरे कर लिए जाने की आशा है।

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में उपलब्धियों में कमी आई थी। अतः "ट्राइसेम" के कार्य में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है :—

(क) ट्राइसेम के कार्य की आवधिक निगरानी करने के लिए राज्यस्तरीय समन्वय समिति की एक उप-समिति का गठन करना;

(ख) "ट्राइसेम" से संबंधित कार्य को पूर्णरूप से संभालने के लिए एक निदेशक की नियुक्ति करना तथा उसके अधीन एक न्यूक्लियस सैल की स्थापना करना;

(ग) जिला-स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी (उद्योग) को ट्राइसेम के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाना।

*सातवीं योजना में "ट्राइसेम" के अन्तर्गत कोई कठोर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, 18—35 आयु-वर्ग के और जिन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को भी शामिल किया जा सकता है।

**विकलांगों को पट्टेदारी का अधिकार**

3019. डा० ए०के० पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों के मई, 1985 में हुए सम्मेलन में यह निर्णय किया गया गया था कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात की ओर ध्यान दिए बिना कि वहां पट्टेदारी को मान्यता प्राप्त है अथवा उसे समाप्त कर दिया गया है, सभी असुरक्षित और अनौपचारिक पट्टाधारकों और बटाईदारों का रिकार्ड तैयार करें तथा पट्टाधारियों को केवल विशिष्ट विकलांग श्रेणी तक ही सीमित करके वर्गादार सहित सभी पट्टाधारियों को स्वामित्व के अधिकार दिए जाएं; और

(ख) इस दिशा में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी प्रगति की गई है?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अब तक 9 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

## विवरण

### 1. असम

काश्तकारों को रिकार्ड पर लाने तथा स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के सभी प्रभावी उपाय किए गए हैं। अब तक 3,28,481 काश्तकारों को रिकार्ड पर लाया गया है। असम (अस्थायी तौर पर स्थापित क्षेत्र) काश्तकारी अधिनियम, 1971 में एक नई उप-धारा 54 (क) जोड़ी गई है जिसमें किसी काश्तकार को अवैध तरीके से उसकी भूमि जोतों से निकाल दिए जाने पर उसे पुन: कब्जा दिलाने हेतु राजस्व अधिकारियों को कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं। नियम 9 के अन्तर्गत काश्तकारों द्वारा स्वामित्व के अधिकार पाने के लिए दिए गए आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है।

### 2. गुजरात

काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देने का कार्य लगभग समाप्त हो गया है। दखल शुल्क की वसूली जैसी कार्यविधि औपचारिकताएं अभी शेष हैं, जिनके लिए पीछे समय-सीमा को 31.12.86 तक बढ़ा दिया गया है। न्यायालयों में कुछ मामले लम्बित पड़े हैं।

### 3. हिमाचल प्रदेश

सभी काश्तकारियों को रिकार्ड पर लाया गया है तथा ये काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णतया सुरक्षित हैं। राज्य में बटाईदारों तथा वर्गेदारों की प्रथा नहीं है। काश्तकारी अधिनियम में पर्याप्त प्रावधानों के कारण छुपे तौर पर काश्तकारी किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

### 4. महाराष्ट्र

काश्तकारी कानूनों में पर्याप्त उपाय पहले ही किए गए हैं। प्रत्येक भू-खंड पर काश्तकार अथवा अन्य रूप में खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम प्रतिवर्ष सरपंच, पंचायतों के अन्य सदस्यों तथा कृषकों के सामने फसल विवरण में दर्ज किए जाते हैं। ग्राम-वार काश्तकारी रजिस्टर भी रखे जाते हैं तथा काश्तकारियां फसल विवरण के आधार पर प्रतिवर्ष रजिस्टरों में दर्ज की जाती हैं। अब तक कुल 14.74 लाख काश्तकारो ने 15.94 लाख हैक्टेयर भूमि पर स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। तालुका-स्तर पर काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लगभग 14000 मामले लम्बित हैं।

5. उड़ीसा

तथा

6. उत्तर प्रदेश

यह मामला राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

7. पंजाब

पंजाब काश्तकारी अधिनियम, 1887 तथा पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अनुसार काश्तकारों को रिकार्ड पर लाया गया है तथा 1972 के अधिनियम के तहत स्वामित्व के अधिकार दिए गए हैं । राज्य सरकार ने असुरक्षित काश्तकारों आदि को रिकार्ड पर लाने तथा उन्हें स्वामित्व के अधिकार देने के लिए अभी तक कोई कानून तैयार नहीं किए हैं । पंजाब भूमि काश्तकारी सुरक्षा अधिनियम 1953 तथा पेप्सू काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम 1955 द्वारा वर्तमान काश्तकारों के अधिकारों की पूर्णतया सुरक्षा की गई है । काश्तकारों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का कब्जा दे दिया गया है तथा निर्धारित मुआवजा देने के बाद उन्हें स्वामित्व अधिकार भी दे दिए गए हैं ।

8. त्रिपुरा

बटाईदारों को रिकार्ड पर लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है । अब तक पता लगाए गए 5239 बटाईदारों को रिकार्ड पर लाया गया हैं । ऐसे अभिलेखनों को किए जा रहे पुनरीक्षण सर्वेक्षण के दौरान पूरा कर लिया जाएगा ।

9. पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल मे असुरक्षित अथवा अनौपचारिक काश्तकारी का चलन नहीं है । पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत बटाईदारों के लिए कई सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं । बर्गेदार यानि बटाईदारों के नामों का अभिलेखन करना एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है । 1978 में आरम्भ किए गए विशेष अभियान अर्थात् "आपरेशन बर्गा" के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के अन्त तक 13.37 लाख से भी अधिक बर्गेदारों को रिकार्ड किया गया ।

संघ शासित क्षेत्र

10. अरुणाचल प्रदेश

अधिकारों के अभिलेख अभी तैयार किए जाने हैं । भूमि पर खेती भू-स्वामियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती है, इसलिए यहां कोई काश्तकार और बटाईदार नहीं होता है ।

11. चंडीगढ़

चूंकि भू-स्वामियो के पास छोटी-छोटी भूमि जोते हैं, इसलिए काश्तकारी का कोई विवाद नहीं है ।

### 12. दादरा और नगर हवेली

दादरा और नगर हवेली भूमि सुधार विनियम, 1971 के अन्तर्गत सभी काश्तकारों और भूमि के वास्तविक कृषकों को स्वामित्व के अधिकार दे दिए गए है।

### 13. दिल्ली

केवल विकलांग व्यक्तियों के मामले को छोड़कर कोई काश्तकारी पद्धति नहीं है। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम में एक वर्ग काश्तकार का है जिसका नाम भूमिदार है और एक वर्ग उप-काश्तकार है जिसका नाम असामी है। भूमिधरों अथवा असामियों की भूमि को पट्टे पर देने पर प्रतिबन्ध है।

### 14. गोवा, दमन और दीव

काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में 1975 के काश्तकारी अधि-नियम संशोधन के खिलाफ एक अपील उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ी है।

### 15. पांडिचेरी

सभी प्रकार के काश्तकारों को आवेदन देने पर अथवा स्वैच्छिक सर्वेक्षण (स्यो मोटु सर्वे) द्वारा अभिलेखों पर लाए जाने हेतु कानून विचाराधीन है।

### सिंधु दुर्ग जिले में सिलिका सैंड के भंडार

3020. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्धु दुर्ग जिले से कांच के कारखानों के लिए अब तक कितने "सिलिका सैंड" भंडारों का प्रयोग किया गया है;

(ख) सिन्धु दुर्ग जिले में कितने कांच कारखाने चल रहे हैं; और

(ग) क्या इन कांच कारखानों की सिलिका की समस्त आवश्यकता स्थानीय भण्डारों से पूरी की जाती है ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### मुर्गी प्रजनन में आत्म निर्भरता

3021. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
**श्री चिन्तामणि जेना**
**श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुर्गियों के प्रजनन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंध किए हैं तथा लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में पूर्णतया मुर्गी प्रजनन केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य स्तर के मुर्गी पालन निगमों और संघों को अंडों तथा मुर्गी उत्पादों (पोल्ट्री) के विपणन तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता देने के बारे में ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गैर-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में शुद्ध नस्ल के कई कुक्कुट प्रजनन फार्म विद्यमान हैं और वे कुक्कुट प्रजनकों की मांग पूरा करने की स्थिति में है।

(ख) जी नहीं। इस समय किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

## राजस्थान में गांवों को पानी की सप्लाई

3022. श्री मूल चन्द डागा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन गांवों में जहां आधे किलोमीटर के घेरे में कोई निश्चित जल स्रोत नहीं है, पानी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सप्लाई 40 लीटर प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में उन गांवों की संख्या कितनी है, जहां आधे किलोमीटर के घेरे में कोई निश्चित जल स्रोत नहीं है और वहां इस समय प्रति व्यक्ति कितना पानी उपलब्ध है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनमें से कितने गांवों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रति व्यक्ति कितना पानी उपलब्ध कराया जाएगा और इस पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी राशि खर्च किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) सातवीं योजना के दौरान 40 लीटर से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल-आपूर्ति के प्रतिमान को संशोधित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राजस्थान के केवल 11 रेगिस्तानी जिलों के मामले में अपवाद स्वरूप 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर आधारित योजनाएं मंजूर की जा रही हैं।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा आधे किलोमीटर के घेरे के अन्दर बिना पेयजल वाले गांवों का पता लगाने का कोई विशेष कार्य शुरू नहीं किया गया है। सातवीं योजना के आरम्भ में राजस्थान में वर्तमान मानदंडों पर आधारित 7158 समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया गया था जिनमें

छठी योजना के आरम्भ में पता लगाए गए और सातवीं योजना में शेष लाए गए समस्याग्रस्त गांव तथा बाद में पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांव शामिल हैं।

(ग) सातवीं योजना का लक्ष्य समस्त ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराना है। सातवीं योजना के लिए राजस्थान का परिव्यय पेयजल आपूर्ति हेतु राज्य क्षेत्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 150 करोड़ रुपया है। 1985-86 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के लिए 27.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

### नैमित्तिक ठेका श्रमिकों की सुरक्षा

3023. श्री गदाधर साहा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कानूनी खामियां है जिसका लाभ उठाकर मालिक लोग नैमित्तिक, ठेका श्रमिकों की सुरक्षा की उपेक्षा करते हैं और यहां तक कि न्यूनतम मजूरी भी नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कानूनी खामियां क्या हैं;

(ग) नैमित्तिक, ठेका श्रमिकों और इमारतों, सड़क निर्माण और कोयला खानों और निम्न आय स्तर पर कार्यरत असंगठित कामगारों की कार्य दशा और मजूरी में सुधार करने हेतु उनकी सहायता करने के लिए सांविधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उनके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में, अन्य बातों के साथ-साथ, ठेका श्रम के नियोजन के विनियमन की व्यवस्था है। औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 में नैमित्तिक श्रमिकों सहित, श्रमिकों के नियोजन की शर्तों की व्यवस्था है। अन्तर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 में प्रवासी कर्मकारों के संरक्षण की व्यवस्था है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में मजदूरी और उसके भुगतान के सम्बन्ध में सुरक्षा की व्यवस्था है।

श्रम मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों द्वारा अपनाए जाने और लागू किए जाने के लिए मॉडल स्थाई आदेशों का एक सैट परिचालित किया है। इन आदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के बारे में प्रावधान है। तथापि इन स्थाई आदेशों में कोई सांविधिक बल नहीं है और यह केवल सलाहकार स्वरूप के हैं।

राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में जुलाई, 1980 में इस बात की सिफारिश की कि जब कभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंटों की वृद्धि हो या प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात, जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार तदनुसार कार्रवाई कर रही है। अन्तिम बार मजदूरी में संशोधन 12-2-1985 को किया गया था। सम्मेलन की सिफारिशें राज्य सरकारों के ध्यान में भी लाई गई हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन पत्थर खदानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

श्रम कानूनों को लागू करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण किये जाते हैं। श्रमिकों के शोषण संबंधी शिकायतों की उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है।

**कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल**

3024. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी स्थान विशेष पर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोलने के लिए क्या मानदण्ड हैं और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का वित्तीय तथा प्रशासनिक दायित्व क्या है;

(ख) इस समय देश में कर्मचारी राज्य बीमा के कितने अस्पताल चल रहे है और कितने प्रबंधकों की कुप्रशासन और अनियमितताओं के लिए जांच की जा रही है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा)** : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल में पलंगों के लिए वर्तमान मानदण्ड प्रत्येक 1000 कर्मचारियों के परिवार यूनिटों के लिये चार पलंग हैं। सामान्यत: कर्मचारी राज्य बीमा निगम उन स्थानों पर अस्पतालों का निर्माण करता है, जहां पलंगों की कुल पात्रता 50 या इसके अधिक की है। भूमि की खरीद और अस्पतालों एवं स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कुल खर्च पूर्णतः निगम द्वारा किया जाता है और उपकरणों, कर्मचारियों, आदि से संबंधित खर्च राज्य सरकार और निगम द्वारा 1:7 के अनुपात में वहन किया जाता है। दिल्ली को छोड़कर, जहां अस्पताल का प्रशासन सीधे निगम द्वारा किया जाता है, अन्य अस्पतालों का प्रशासन और संचालन राज्य सरकार करती है।

(ख) और (ग) इस समय देश में 90 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं। अस्पतालों का प्रबन्ध राज्य सरकार के अधीन होने के कारण इनके कुप्रशासन और अनियमितताओं के मामलों के संबंध में राज्य स्तर पर कार्रवाई की जाती है। अत: इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के पास कोई विशेष सूचना नहीं है।

**हड़तालों तथा तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए कार्य दिवस**

3025. श्री डी० बी० पाटिल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हड़तालों, तालाबंदियों तथा अन्य कारणों से अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान कितने कार्य-दिवस नष्ट हुए हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि की तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान कार्य दिवसों की हानि में कमी हुई है अथवा वृद्धि हुई है ; और

(ग) कार्य दिवसों की हानि कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों की सूचना केवल कैलेन्डर वर्ष के अनुसार रखी जाती है। नवीनतम अनन्तिम रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1985 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या 292 लाख थी जो कि वर्ष 1984 में नष्ट हुए, 569.3 लाख कार्य दिवसों की तुलना में कम है।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें औद्योगिक विवादों की घटनाओं में कमी लाने और कार्य दिवसों को नष्ट होने से बचाने के लिए निवारक मध्यस्थता, संराधन, विवाचन और न्यायनिर्णयन के माध्यम से प्रयास करती रहती हैं।

**राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा नारियल की गरी की खरीद**

3026. श्रीमती बसव राजेश्वरी<br>डा० के० जी अदियोंडी : } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नारियल की गरी का राज्यवार कितना उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या बाजार में नारियल की गरी की विवश बिक्री को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा नारियल की गरी की खरीद किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) प्रत्येक राज्य से अब तक कितनी नारियल की गरी खरीदी गई और वह किस दर पर खरीदी गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 के लिए देश में नारियल का कुल उत्पादन 68872 लाख नारियल (गिरि) होने का अनुमान लगाया गया है। देश में उत्पादित खोपरे की सही मात्रा उपलब्ध नहीं है, तथापि एक अनुमान के अनुसार यह सालाना लगभग 3,87 लाख मीटरी टन है।

(ख) और (ग) केरल और लक्ष्यद्वीप में, नारियल के मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए 1200 प्रति क्विंटल पर खोपरा की खरीद करने की मंडी में दखल देने की एक योजना चल रही है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नॉडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ के साथ सहकारी समितियों के माध्यम से 14 फरवरी, 86 से कार्य कर रही है। इस योजना के तहत 10 मार्च, 1986 तक 8088 मीटरी टन की खरीद की जा चुकी है, जिसमें केरल में 7576 मीटरी-टन तथा लक्ष्यद्वीप में 512 मीटरी टन की खरीद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केरल में सहकारी समितियों ने राज्य सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर 11000 मीटरी टन की खरीद की।

[हिन्दी]

## पन्ना जिले में खानों के बन्द किए जाने से बेरोजगार हुए मजदूर

3027. श्री डाल चन्द्र जैन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पन्ना जिले में हीरे की खानों के बन्द हो जाने से कितने मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें वैकल्पिक काम दिलाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) हीरों की ऊंची कीमतों को देखते हुए यदि इन खानों को आधुनिक तकनीक के साथ पुन: आरम्भ किया जाए तो क्या इनमें मुनाफा होने की सम्भावना है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नेशनल मिनरल डेवलमेंट कारपोरेशन की "पन्ना हीरा खनन परियोजना" की रामखेरिया खान के वर्ष 1979 में बन्द होने के परिणामस्वरूप रोजगार में कोई कमी नहीं हुई है। जिन्होंने कारपोरेशन द्वारा लागू की गई "स्वैच्छिक निवृति योजना" के लिए विकल्प नहीं दिया था, उन्हें उसी "खनन परियोजना" की मझगांवन खान में खपाया गया था।

(ख) बिक्री से प्राप्ति की तुलना में उत्पादन की अधिक लागत को देखते हुए रामखेरिया खान को पुन: शुरू करना आर्थिक-दृष्टि से लाभकारी नही होगा।

## राज्य भूमि उपयोग बोर्ड का गठन

3028. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने राज्य भूमि उपयोग बोर्डों का गठन किया है; और

(ख) किन-किन राज्यों में इन बोर्डों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्य भूमि उपयोग बोर्ड या कुछ वैकल्पिक निकाय, निम्नलिखित को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गठित की गई हैं और कार्य कर रही हैं :—

(1) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़

(2) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली।

राज्य भूमि उपयोग बोर्ड का गठन 1976-77 में किया गया था, परन्तु इसने 1980 में काम करना बंद कर दिया। दिल्ली प्रशासन कार्यकारी पार्षद, विकास का अध्यक्षता में राज्य-भूमि उपयोग बोर्ड पुन: गठित कर रही है।

(3) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप।

राज्य भूमि उपयोग बोर्ड 1974 में गठित किया गया था, परन्तु 1977 में इसे समाप्त कर दिया गया।

**"उनकाइ फोर्ट" और "सप्तश्रृंगहिल" पर दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना**

3029. **श्री एस॰एस॰ मोघे :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "उनकाई फोर्ट, और "सप्तश्रृंगहिल" पर दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना किये जाने की मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी॰एन॰ गाडगिल) :** (क) महाराष्ट्र के नासिक जिले के उनकाई फोर्ट/सप्तश्रृंग पहाड़ी पर दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना करने की मांगें रही हैं।

(ख) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण, सातवीं योजना अवधि के दौरान उनकाई फोर्ट/ और सप्तश्रृंग पहाड़ी के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना करना सम्भव नहीं है।

**फिल्मोत्सव 1986 में हिन्दी फिल्मों को शामिल करना**

3030. **डा॰ चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्मोत्सव 1986 में बहुत कम हिन्दी फिल्मों को शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो फिल्मोत्सव 86 में कितनी हिन्दी फिल्में दिखाई गई और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में हिन्दी फिल्मों को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) फिल्मोत्सव 86 में दिखाई गई 25 हिन्दी फिल्मों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) किसी भी एकल भाषा में निर्मित फिल्मों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिए जाते और न ही देने का कोई प्रस्ताव है। तथापि, अच्छी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार कुछ प्रोत्साहन पहले ही दे रही है। उदाहरणार्थ, हर वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं और लगभग 21 फिल्मों को भारतीय पैनोरमा की फिल्मों के रूप में चुना जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रविष्टि जैसे कतिपय लाभों की हकदार हैं।

**विवरण**

(क) मुख्य वर्ग :

1. कोशिश

(ख) भारतीय पैनोरमा वर्ग

1. आदमी और औरत
2. आघात
3. अनन्त यात्रा
4. दामुल
5. जन्म
6. नई दिल्ली टाइम्स
7. परमा
8. शर्त
9. त्रिकाल

(ग) भारतीय रिट्रोस्पैक्टिव

1. आशीर्वाद
2. छोटी सी बात
3. महल

4. नज्मा

5. कानून

6. किस्मत

7. परिणीता

8. चण्डीदास

9. काशिनाथ

10. मुक्ति

11. माई सिस्टर

12. स्ट्रीट सिंगर

13. विद्यापति

(घ) तृतीय विश्व महिला फिल्म वर्ग

1. स्पर्श

2. गंगुबाई हंगल

[अनुवाद]

### जलपूर्ति और सफाई कार्य के लिए धन की कमी

3031. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1986 में कलकत्ता में जल और स्वच्छता पर हुए मध्य दशक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह उल्लेख किया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय जलपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम (1981 से 1990) के लिए निर्धारित लक्ष्य जिनमें शत प्रतिशत ग्रामीण और शहरी आबादी को पेयजल और ग्रामीण और शहरी आबादी को क्रमश: बीस प्रतिशत तथा अस्सी प्रतिशत स्वच्छता उपलब्ध कराने की योजना थी, धन की कमी के कारण प्राप्त नहीं हो पायेंगी;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का क्या विचार है; और

(ग) राज्यवार कितने प्रतिशत ग्रामीण और शहरी आबादी को पेयजल पूर्ति और स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराई गई है और राज्य-वार कितने प्रतिशत आबादी को यह सुविधाएं उपलब्ध कराना शेष है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 6 से 9 जनवरी, 1986 तक कलकत्ता में डब्लू०ई०डी०सी०, लाबोरो, यू०के० के सहयोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों, पश्चिम बंगाल सरकार तथा इस मंत्रालय द्वारा समर्थित लोक स्वास्थ्य इन्जीनियर्स, भारत (आई०पी०एच०ई०) द्वारा आयोजित मध्य दशक अन्तर्राष्ट्रीय जल तथा स्वच्छता सम्मेलन में, सामान्यत: यह उल्लेख किया गया था कि जलपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम के दशक लक्ष्यों को पूरा न किये जाने के मामले में लक्ष्यों को कम करने के मुख्य कारणों में से पर्याप्त परिव्ययों की कमी एक मुख्य कारण होगा।

(ख) जहां तक शहरी जलपूर्ति तथा शहरी स्वच्छता का सम्बन्ध है, 7 फरवरी, 1986 को नई दिल्ली में हुए शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि बाद में समीक्षा के अध्यधीन शहरी जलपूर्ति के लक्ष्यों को जनसंख्या के 100 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक तथा शहरी स्वच्छता के लक्ष्यों को 80 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कम करना पड़ेगा।

(ग) हाल ही में आयोजित दशक कार्यक्रम की मध्य दशक समीक्षा में यथा प्रक्षेपित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

## विवरण

### मध्य दशक समीक्षा

31-3-1985 को जनसंख्या लाभान्वयन (प्रतिशतता)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | शहरी जलपूर्ति | शहरी स्वच्छता | ग्रामीण जलपूर्ति | ग्रामीण स्वच्छता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 52.1 | 10.9 | 71.4 | 1.7 |
| 2. असम | 37.5 | 15.7 | 71.4 | 0.9 |
| 3. बिहार | 59.5 | 22.9 | 77.8 | 3.7 |
| 4. गुजरात | 83.2 | 38.0 | 79.7 | 0.24 |
| 5. हरियाणा | 69.1 | 28.4 | 57.8 | — |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 89.1 | 13.7 | 59.5 | — |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 86.6 | 7.7 | 62.7 | 0.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. कर्नाटक | 81.2 | 38.4 | 82.9 | 0.17 |
| 9. केरल | 64.5 | 28.2 | 40.8 | 1.6 |
| 10. मध्य प्रदेश | 79.7 | 7.8 | 62.7 | — |
| 11. महाराष्ट्र | 87.1 | 39.8 | 51.0 | — |
| 12. मणिपुर | 51.5 | 0.8 | 67.7 | 0.09 |
| 13. मेघालय | 22.1 | — | 35.1 | — |
| 14. नागालैण्ड | 46.7 | — | 65.9 | 0.3 |
| 15. उड़ीसा | 38.1 | 9.5 | 82.0 | — |
| 16. पंजाब | 71.2 | 48.5 | 23.8 | — |
| 17. राजस्थान | 56.0 | 9.6 | 58.7 | — |
| 18. सिक्किम | 89.0 | 32.9 | 43.3 | — |
| 19. तमिलनाडु | 83.3 | 47.5 | 46.8 | 0.2 |
| 20. त्रिपुरा | 51.5 | 13.2 | 65.6 | — |
| 21. उत्तर प्रदेश | 70.1 | 14.1 | 28.3 | — |
| 22. पश्चिम बंगाल | 63.7 | 19.5 | 52.5 | 0.06 |
| योग : | — | — | — | — |
| 1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 100.00 | 55.0 | 94.7 | 7.7 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 88.5 | 38.5 | 90.2 | 0.2 |
| 3. चण्डीगढ़ | 100.0 | 100.0 | 52.6 | 52.6 |
| 4. दिल्ली | 98.1 | 73.4 | 100.0 | — |
| 5. दादर तथा नागर हवेली | 76.5 | — | 84.1 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. गोआ दमन और द्वीप | 81 9 | 13.3 | 44.2 | — |
| 7. लक्षद्वीप | — | — | 45.8 | — |
| 8. मिजोरम | 7.6 | 1·5 | 64.3 | 43.7 |
| 9. पाण्डिचेरी | 76.3 | 39.9 | 100.0 | 1.0 |
| योग : | 72.9 | 28.4 | 56.2 | 0.72 |

स्रोत : मध्य दशक समीक्षा के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना

**कोलार सोना खानों का कार्यकरण**

3032. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार सोना खानें अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रही हैं;

(ख) क्या अवैज्ञानिक खनन के कारण खानें ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं; और

(ग) क्या इन खानों में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से तथा विदेशी विशेषज्ञता से काम करने का कोई प्रस्ताव है ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोलार गोल्ड फील्ड में अयस्क की दर क्षमता एवं खान की क्षमता उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(टनों में)

| | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|---|
| दर क्षमता | 4,20,432 | 4,20,432 | 4,20,432 |
| अयस्क शोधन | 3,53,603 | 3,30,129 | 2,99,382 |
| क्षमता उपयोग प्रतिशत | 84.10 | 78.52 | 71.20 |

(ख) और (ग) इन सदियों पुरानी खानों में स्वर्ण भण्डार यद्यपि घटते जा रहे हैं, किन्तु इसका कारण अवैज्ञानिक खनन नहीं है। फिर भी, कंपनी के कार्य में सुधार हेतु 1 फरवरी, 1984 से 33 महीने का एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसके लक्ष्य व उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

1. उच्च चट्टानी दबाव दशाओं में भीतरी और क्षीण स्वर्णधारियों के खनन क्षमता में वृद्धि करना तथा उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए योजनाएं बनाना।

2. कोलार शिस्ट पट्टी की के०जी०एफ० खान में नये अयस्क भण्डारों का पता लगाना।

3. खान उपकरणों की डिजाइन में सुधार और विनिर्माण में सहायता देना : तथा

4. स्वर्ण और शीलाइट की प्राप्ति में सुधार लाने में सहायता करना।

## उर्वरक संयंत्रों के पुनर्वर्गीकरण के लिए समिति

3033. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक संयंत्रों के पुनवर्गीकरण के लिए एक समिति बनाई गई थी;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

## सातवीं योजना के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

3034. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में उड़ीसा में बालेश्वर और वारिपदा को शामिल किया गया है; और यदि हां, तो इन दोनों स्थानों पर कम/उच्च शक्ति के रिले/सम्प्रेषण केन्द्र कब तक स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त दोनों स्थानों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) और (ख) दूरदर्शन की सातवीं योजना में कवर न हुए क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिए 181

नये दूरदर्शन ट्रांसमीटर (उच्च शक्ति वाले 21 ट्रांसमीटरों सहित) स्थापित करने तथा अल्प शक्ति (100 वाट) वाले मौजूदा 22 ट्रांसमीटरों को नये स्थानों पर स्थानांतरित करने की स्कीमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा, 10 किलोवाट के चार दूरदर्शन ट्रांसमीटर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में द्वितीय चैनल सेवा के लिए इन स्थानों पर एक, एक स्थापित करने की भी परिकल्पना है।

(ग) जी, हां। तथापि, इन स्कीमों का कार्यान्वियन सातवीं योजना अवधि के दौरान धन-राशि और उपकरणों की वर्ष-वार उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## शुष्क भूमि क्षेत्रों में हरित क्रांति

3035. श्री अनंत प्रसाद सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 70 प्रतिशत से अधिक खेती योग्य भूमि शुष्क है जहां बार-बार सूखा पड़ता है जिसके कारण लोग अपना स्थान छोड़कर शहरों में जाने को बाध्य होते हैं;

(ख) क्या सरकार के पास वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के लिए ऐसी कोई उपयुक्त प्रौद्योगिकी नहीं है, जिससे शुष्क क्षेत्रों में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का शुष्क क्षेत्रों में हरित क्रांति लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) 1982-83 के भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार देश में बारानी भूमि का क्षेत्र बुवाई के कुल क्षेत्र का लगभग 72 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) विभाग बारानी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को ब्यौरेवार तैयार किया गया है और उन्हें नवीनतम जानकारी के अनुसार सुधारा जा रहा है। 7वीं योजना के दौरान बारानी भूमि वाले क्षेत्रों का विकास करने के लिए वर्षा सिंचित कृषि संबंधी राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को 1986-87 से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

## नारियल और इसके उप-उत्पादों को लोकप्रिय बनाना

3036. डा० के०जी० अदियोडी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे नारियल सहित नारियल और इसके उप-उत्पादों का विपणन करने का कोई प्रस्ताव है, जिससे कि चालू वर्ष से दौरान इसकी खपत और बिक्री को लोकप्रिय बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकबाना)** : (क) और (ख) चूंकि नारियल के बाजार मूल्य में अत्यधिक गिरावट आई है, अत: सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर खोपड़ा की खरीद करने की एक योजना शुरू की है। नैफेड भी विभिन्न राज्यों में अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम से नारियल की बिक्री करने की सम्भाव्यता का पता लगा रहा है। इनके अतिरिक्त, नारियल की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार बिक्री अन्य योजना पर विचार नहीं कर रही है।

## खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए विधान

3037. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक विधान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा)** : (क) से (ग) कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने के प्रश्न पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और मतैक्यता की अनुपस्थिति में, यह निर्णय लिया गया है कि कृषि श्रमिकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने और उनके लिए कल्याण की व्यवस्था करने के लिए राज्य पर केरल कृषि अधिनियम, 1974 और मसौदा केन्द्रीय विधेयक, जो कि उन्हें पहले परिचालित किया गया था, के समरूप विधान बनाने का प्रश्न राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाय।

## कृषि उत्पादों के लिए पिछड़े क्षेत्रों में विपणन केन्द्र खोलने की योजनाएं

3038. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में कृषि तथा खेती उत्पादों के लिए विपणन केन्द्र खोलने के लिए नई योजनाएं तथा परियोजनाएं बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हरियाणा में ऐसी कितनी योजनाएं कार्य कर रही हैं और कितनी और चलाने की योजना है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (घ) कृषि विपणन राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार का काम समन्वय तथा सामान्य मार्ग दर्शन तक ही सीमित है फिर भी, कृषि उपज हेतु विपणन पद्धति को सुधारने के सुझावों पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर समय-समय पर विचार किया जाता है। नीति तैयार करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, किसानों को विपणन सुविधाएं सरलता से सुलभ कराने के लिए यह मंत्रालय ग्रामीण बाजारों के विकास हेतु एक केन्द्रीय खण्ड योजना लागू कर रहा है। यह योजना हरियाणा सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अधीन आने वाले मान्यता प्राप्त पिछड़े इलाकों में ग्रामीण थोक बाजारों के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत की सीमा-शर्त के साथ 5.00 लाख रुपए प्रति बाजार के हिसाब से केन्द्रीय सहायता दी जाती है। हरियाणा में अब तक इस प्रकार के 4 कृषि बाजारों को 20.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है। अब तक राज्यवार निधियां निर्धारित करने की पद्धति नहीं रही है, परन्तु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त मामलों पर उनकी पात्रता के आधार पर विचार किया जाता है।

**शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन का नया चैनल**

3039. **श्री राम चन्द्र रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों तथा त्री-भाषा फार्मूले के क्रियान्वयन हेतु दूरदर्शन का एक नया चैनल खोलने का सुझाव दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के 23-24 जनवरी, 1986 को हुए सम्मेलन के दौरान स्थापित किए गए दलों में से एक दल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरदर्शन शिक्षा के लिए एक अनन्य चैनल की सिफारिश की।

(ख) शिक्षा के लिए दूरदर्शन पर एक अनन्य चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि दूरदर्शन के संजाल पर शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम पहले ही टेलीकास्ट होते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम आधारित स्कूल दूरदर्शन कार्यक्रम दिल्ली, बम्बई, मद्रास और श्रीनगर से टेलीकास्ट होते हैं। प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए उनकी अपनी-2 भाषाओं में शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम, इन्सेट-1 बी के माध्यम से, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के सभी ट्रांसमीटरों से टेलीकास्ट होते हैं। इसी प्रकार, हिन्दी में शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले

उच्च शिक्षा पर कार्यक्रमों को भी राष्ट्रीय संजाल पर प्रतिदिन 2 घंटे के लिए टेलीकास्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यक्रम निर्माण करने वाले दूरदर्शन केन्द्र अपने सामान्य कार्यीक्रमों के अंग के रूप में अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

**देश में आवास तथा विकास निगम द्वारा आवास योजनाएं**

3040. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1985 तक आवास तथा शहरी विकास निगम द्वारा स्वीकृत की गई आवास योजनाओं की संख्या क्या है; और

(ख) केरल तथा पश्चिम बंगाल के लिए कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) 31.12.1985 तक, हुडको ने सम्पूर्ण देश में 4090 योजनायें स्वीकृत की हैं। इनमें से 186 योजनायें केरल राज्य में तथा 56 योजनायें पश्चिम बंगाल राज्य में हैं।

[हिन्दी]

**पांडुखाल में दूरदर्शन केन्द्र**

3041. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मण्डल में किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन रिले केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस मण्डल में पांडुखाल में टेलीविजन रिले केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले में उत्तरकाशी और गंगोत्री में तथा चमोली जिले के गोपेश्वर में अल्प शक्ति (2 × 10 वाट) वाला एक-एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं। इन स्कीमों का कार्यान्वयन योजना अवधि के दौरान संसाधनों के वास्तविक वार्षिक आवंटन पर निर्भर करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार केवल चरणों में, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, किया जा सकता है। अतः गढ़वाल मंडल में दूरदर्शन सेवा में और सुधार करना दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजनाओं के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

3042. श्री मानिक रेड्डी
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री अजित कुमार साहा
डा० गौरी शंकर राजहंस
: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये देश गैर-सरकारी क्षेत्र को सहमत कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**प्रतिबन्धित केसरी दाल की खेती**

3043. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केसरी दाल की खेती पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कौन से राज्य अब भी केसरी दाल का उत्पादन कर रहे हैं; और

(ग) राज्यों में इस हानिकारक दाल की खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और असम में केसरी दाल की खेती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। तथापि इसका उत्पादन बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार ने इसकी खेती पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं की जांच करने के लिए केसरी दाल उगाने वाले सभी राज्यों को लिख दिया है। बिहार, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने क्रमबद्ध ढंग से इसकी खेती का प्रतिस्थापन करने के लिए उपाय किए हैं। मध्य प्रदेश में दलहन विकास संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, 1983-84 से केसरी दाल की खेती को बदलने के लिए एक विशेष घटक के साथ चल रही है। 1984-85 के दौरान, केसरी दाल के प्रति-

स्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किसानों में चने के मिनिकट भी निःशुल्क बांटे गए थे।

## सातवीं योजना में मत्स्य नौकाओं का आयात

3044. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार और डिजाइन की मछली पकड़ने की कितनी नौकाओं और डिंगियों का आयात करने का विचार है;

(ख) उन मत्स्य नौकाओं और डिंगियों की प्रस्तावित लागत क्या है;

(ग) उक्त आयात प्रस्ताव में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इन मत्स्य नौकाओं और डिंगियों का आयात किन देशों से करने का विचार है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) मछली पकड़ने के लिए किसी डोंगी का आयात करने का विचार नहीं है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति का मुख्य उद्देश्य बेड़े की शक्ति को बढ़ाना है। अत: आयात के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है।

(ख) से (घ) कम्पनियों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों का आयात उनकी परियोजनाओं के प्रकार तथा डिजाइनों और स्रोतों की उपयुक्तता पर निर्भर है और अन्त:—मंत्रालयी मत्स्यन जलयान अधिग्रहण समिति द्वारा उनकी लागत के औचित्य पर विचार किया जाता है। इस प्रकार आयात की जाने वाली मत्स्यन नौकाओं की कुल लागत तथा सन्निहित विदेशी मुद्रा का अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं है।

## हिन्दुस्तान उर्वरक निगम और भारतीय उर्वरक निगम का घाटा

3045. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक विभाग का घाटा गत अनेक वर्षों में काफी बढ़ गया है, यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल घाटा कितना था;

(ख) क्या निरन्तर घाटे के कारण निगम के किन्हीं एककों को बन्द करना पड़ रहा है;

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या भारतीय उर्वरक निगम को भी घाटा हो रहा है, यदि हां, तो कितना; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

**कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) और (घ) जी, हां। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच०एफ०सी०) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया (एफ०सी०आई०) को 31 मार्च, 1985 तक क्रमश: 360.91 करोड़ रुपए और 601.42 करोड़ रुपए की संचित हानि हुई थी।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (ङ) दोनों कम्पनियों में हानियां मुख्यत: पावर की कमी/वाल्टेज उतार-चढ़ाव और उपकरण खराबियों के कारण उनके एककों में कम क्षमता उपयोग के कारण हुई। इन कम्पनियों के एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कुछ अल्पावधि और दीर्घावधि उपचारी उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। कम्पनियों के कार्य-निष्पादन और लाभप्रदत्ता में सुधार करने के लिए कुछ और दीर्घावधि निर्णय, इस समय चल रहे व्यवहार्यता अध्ययनों के पूर्ण हो जाने के पश्चात लिये जायेंगे।

**आकाशवाणी गंगटोक द्वारा संचालित ट्रांसमिशन केन्द्र**

3046. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी गंगकोट द्वारा कितने ट्रांसमिशन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं;

(ख) क्या आकाशवाणी के गंगटोक केन्द्र के पास सामान्य तीन ट्रांसमिशन नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन सभी तीनों ट्रांसमिशनों को यथाशीघ्र चालू करने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) से (ग) आकाशवाणी, गंगटोक में इस समय 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ अन्तरिम ढांचा है। यह सीमित परिधि के साथ अस्थायी एरियल पर काम कर रहा है और इसके पास एक से अधिक प्रेषण की सुविधा नहीं है।

(घ) जी, हां। गंगटोक में 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, टाइप-I स्टूडियो, संग्रहण सुविधाओं और स्टाफ क्वार्टरों के साथ स्थायी ढांचे की व्यवस्था करने की स्कीम के सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

## भारतीय उर्वरक निगम के तालचेर यूनिट को बन्द करना

4047. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के तालचेर यूनिट को हाल में हुई अग्नि दुर्घटना में इसमें अमोनिया रिएक्टर को पहुंचे नुकसान के कारण अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या अग्नि लगने के कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया का तालचर संयंत्र 8-2-86 से 5-3-86 तक बन्द रहा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मामले की जांच करने के लिए कम्पनी द्वारा गठित समिति के अनुसार, गैस- केट की क्षति के परिणामस्वरूप अमोनिया कट्वर्टर टाप फलेंज से सिंथेसिस गैस के रिसाव के कारण आग लगी ।

## कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र पर पूंजी-निवेश करना

3048. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र पर पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसको लगाने के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) संसाधनों की समग्र कठिनाइयों के कारण विजयनगर इस्पात संयंत्र के बारे में पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लेना संभव नहीं है ।

(ख) नए इस्पात कारखानों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजनागत व्यवस्था में विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिए 10 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

## स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने के अन्तर्गत प्रशिक्षित की गई महिलाएं

3049. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के प्रत्येक वर्ष में स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने प्रतिशत महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया और उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या स्व-रोजगार के लिए इस प्रकार उपलब्ध प्रशिक्षण के उपयोग के बारे में कोई निगरानी कक्ष स्थापित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : वांछित सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार की निगरानी मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के जरिये की जाती है। छठी योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित स्वरोजगार में लगी महिलाओं का प्रतिशत 58.4 रहा है।

विवरण

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित

सन्दर्भ :— लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3049, जिसका उत्तर 17-3-86 को

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1980-81 प्रशिक्षित महिलाएं (संख्या) | 1980-81 कुल प्रशिक्षित युवाओं में प्रतिशत | 1981-82 प्रशिक्षित महिलाएं (संख्या) | 1981-82 कुल प्रशिक्षित युवाओं में प्रतिशत | 1982-83 प्रशिक्षित महिलाएं (संख्या) | 1982-83 कुल प्रशिक्षित युवाओं में प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2079 | 14.6 | 4415 | 71.0 | 5003 | 34.2 |
| 2. | असम | — | — | 3068 | 72.1 | 3875 | 78.3 |
| 3. | बिहार | 858 | 27.1 | 2087 | 12.4 | 4505 | 34.2 |
| 4. | गुजरात | 6200 | 42.7 | असूचित | — | 3737 | 30.7 |
| 5. | हरियाणा | 401 | 9 9 | 369 | 26.6 | 633 | 22.9 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 706 | 39.9 | 859 | 46.8 | 1060 | 35.0 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | — | — | 1111 | 60.5 | असूचित | — |
| 8. | कर्नाटक | 2038 | 50.3 | 3595 | 65.0 | 5122 | 61.0 |
| 9. | केरल | 582 | 34.1 | 693 | 58.4 | 2543 | 63.8 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 1787 | 20.7 | 4200 | 19.9 | 3432 | 9.5 |
| 11. | महाराष्ट्र | असूचित | — | असूचित | — | 1653 | 37.0 |
| 12. | मणिपुर | 160 | 28.5 | असूचित | — | 227 | 46.7 |
| 13. | मेघालय | शून्य | — | शून्य | — | असूचित | — |
| 14. | नागालैंड | 60 | 57.1 | 205 | 67.2 | 270 | 52.0 |
| 15. | उड़ीसा | शून्य | — | 1212 | 24.6 | 1092 | 13.9 |
| 16. | पंजाब | असूचित | — | असूचित | — | 13013 | 78.7 |

महिलाओं की संख्या तथा कुल प्रशिक्षित युवाओं में उनका प्रतिशत दिया जाता है।

| 1983-84 | | 1984-85 | | कुल (1980-85) | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रशिक्षित महिलाएं (संख्या) | कुल प्रशिक्षित युवाओं में प्रतिशत | प्रशिक्षित महिलाएं (संख्या) | कुल प्रशिक्षित युवाओं में प्रतिशत | प्रशिक्षित महिलाएं (संख्या) | कुल प्रशिक्षित युवाओं में प्रतिशत |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4194 | 41.6 | 6394 | 61.1 | 22085 | 39.7 |
| 1984 | 58.9 | 3544 | 63.9 | 12471 | 65.9 |
| 6292 | 46.5 | 4792 | 57.3 | 18534 | 33.7 |
| 1707 | 19.6 | 1862 | 17.8 | 13506 | 26.1 |
| 574 | 21.4 | 385 | 9.5 | 2362 | 15.7 |
| 972 | 34.0 | 781 | 37.5 | 4378 | 37.7 |
| असूचित | — | 641 | 28.8 | 1752 | 12.4 |
| 3792 | 50.9 | 3469 | 37.3 | 18016 | 51.9 |
| 4249 | 14.2 | 6000 | 61.5 | 14068 | 57.5 |
| 4077 | 19.0 | 3733 | 18.6 | 17225 | 16.5 |
| 2084 | 17.0 | 4461 | 35.1 | 8198 | 18.7 |
| असूचित | — | 250 | 56.6 | 637 | 29.9 |
| असूचित | — | शून्य | — | शून्य | — |
| असूचित | — | असूचित | — | 535 | 57.6 |
| 2340 | 24.8 | 2702 | 28.7 | 7346 | 20:6 |
| 13814 | 84.6 | 8020 | 67.7 | 34847 | 63.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | राजस्थान | 2069 | 19.3 | 3433 | 16.1 | 4895 | 18.3 |
| 18. | सिक्किम | शून्य | — | 10 | 100.0 | असूचित | — |
| 19. | तमिलनाडु | 12325 | 75.6 | 28493 | 46.6 | 21484 | 53.1 |
| 20. | त्रिपुरा | असूचित | — | 696 | 50.0 | 875 | 76.8 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 4179 | 14.1 | 5607 | 20.1 | 5386 | 18.7 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 128 | 32.3 | 565 | 44.4 | 765 | 22.5 |
| 23. | अंड व निको द्वीपसमूह | 5 | 35.7 | 15 | 100.0 | असूचित | — |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य | — | असूचित | — | — | — |
| 25. | चण्डीगढ़ | शून्य | — | 6 | 15.0 | — | — |
| 26. | दादरा व नगर-हवेली | अक्रियान्वित | — | असूचित | — | 2 | 2.7 |
| 27. | दिल्ली | 32 | 13.7 | असूचित | — | 740 | 77.2 |
| 28. | गोवा, दमन व दीव | 30 | 71.4 | असूचित | — | 2577 | 97.6 |
| 29. | लक्षद्वीप | अक्रियान्वित | — | अक्रियान्वित | — | अक्रियान्वित | — |
| 30. | मिजोरम | अक्रियान्वित | — | अक्रियान्वित | — | 10 | 100.0 |
| 31. | पांडिचेरी | 6 | 46.2 | 4 | 66.7 | असूचित | — |
| | अखिल भारत | 33645 | 27.1 | 62000 | 30.3 | 82893 | 34.3 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5408 | 27.8 | 64.14 | 28.7 | 22219 | 22.1 |
| 136 | 56.7 | असूचित | — | 146 | 37.9 |
| 15944 | 51.5 | 5180 | 30.0 | 83426 | 50.2 |
| 168 | 31.5 | 176 | 40.6 | 1915 | 39.0 |
| 5843 | 24.9 | 15251 | 32.5 | 36266 | 23.1 |
| असूचित | — | 1248 | 10.6 | 2706 | 11.4 |
| — | — | असूचित | — | 20 | 70.0 |
| 5 | — | 44 | 22.6 | 49 | 18.5 |
| — | — | शून्य | — | 6 | 2.2 |
| — | — | असूचित | — | 2 | 1.4 |
| — | — | 375 | 51.2 | 1147 | 40.3 |
| — | — | 2568 | 88.0 | 5169 | 49.5 |
| — | — | शून्य | — | शून्य | — |
| 722 | 65.6 | 530 | 71.1 | 1267 | 68.0 |
| 98 | 55.1 | 222 | 90.2 | 330 | 60.9 |
| 74404 | 36.4 | 79042 | 35.9 | 331984 | 33.4 |

[हिन्दी]

## गांवों में पेय जल के लिये हैंड पम्प लगाना और कुएं खोदना

3050. श्री शान्ति धारीवाल
श्री विष्णु मोदी
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लक्ष्य देश के प्रत्येक गांव में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को गांवों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये हैंड-पम्प लगाने और कुएं खोदने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और उनका राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव किन-किन स्थानों के लिये प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार प्रस्तावों पर तुरन्त निर्णय लेने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) सातवीं योजना का लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक के उद्देश्यों के अनुसार समस्त ग्रामीण जनता को पर्याप्त पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

(ख) से (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल का प्रबन्ध करना राज्यों की जिम्मेदारी है और इसलिए राज्यों को गांवों में पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हैंड-पम्प लगवाने तथा कुंए खुदवाने आदि के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ली गई ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की, राज्यों द्वारा उन्हें कार्यान्वित किए जाने से पहले, केन्द्रीय सरकार द्वारा तकनीकी जांच की जाती है तथा उन्हें मंजूर किया जाता है।

[अनुवाद]

## गुजरात में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

3051. श्री नरसिंह मकवाना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने स्था नों पर कहां-कहां लघु दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) इन नए दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के बाद भी गुजरात का कुल कितना क्षेत्र दूरदर्शन की सुविधा से वंचित रह जाएगा; और

(ग) पूरे गुजरात राज्य को कब तक दूरदर्शन सुविधा प्राप्त होने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) भुज में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर छठी योजना के अंग के रूप में कार्यान्वयनाधीन है । गुजरात में वेरावल, पालनपुर सुरेन्द्रनगर, जूनागढ़, अमरेली, बलसाद, आहुवा और गोधरा में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं ।

(ख) यह उम्मीद है कि दूरदर्शन की सातवीं योजना में सम्मिलित स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने के बाद गुजरात राज्य का लगभग 29·7 प्रतिशत क्षेत्र बिना कवर हुआ रहेगा ।

(ग) देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार केवल चरणों में ही, संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, किया जा सकता है । अत: इस अवस्था पर यह बताना संभव नहीं है कि सारे गुजरात राज्य में दूरदर्शन सेवा किस अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी ।

[हिन्दी]

**गुना, मध्य प्रदेश में एक रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना**

3052. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक रासायनिक उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है और इसकी प्राकृतिक गैस पाइप लाइन उत्तर प्रदेश के टीकमगढ़ जिले और अन्य जिलों से होकर गुजरती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र टीकमगढ़ जिले में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का है, और

(ग) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में गैस पर आधारित एक नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र निर्माणाधीन है, इस संयत्र को गैस की आपूर्ति एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन से की जाएगी ।

यह गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से हो कर नहीं जाएगी। अत: इस प्रकार इस पाइपलाइन से टीकमगढ़ जिले में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

[अनुवाद]

### पिज दूरदर्शन केन्द्र को बन्द करना

3053. डा० फूलरेणु गुहा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के नजदीक खेड़ा जिले में पिज दूरदर्शन केन्द्र को यूनेस्को/अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम विकास परिषद से पुरस्कार मिलने के बाद बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) अहमदाबाद में 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर चालू हो जाने पर पिज के 1 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर का परिचालन रोक दिया गया था, क्योंकि अहमदाबाद का 10 किलोवाट वाला ट्रांसमीटर उस क्षेत्र को पूर्णतया कवर करता है, जिसे पिज के 1 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर द्वारा पहले कवर किया जाता था। इसके अलावा दूरदर्शन ट्रांसमीटर, पिज पर पहले प्रस्तुत किए जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रम दूरदर्शन ट्रांसमीटर, अहमदाबाद से भी टेलीकास्ट किए जाते रहेंगे।

### निजी फर्मों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से मकानों का निर्माण

3054. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी फर्मों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से मकानों का निर्माण करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितनी निजी फर्मों ने मकानों का निर्माण करने की पेशकश की है; और

(घ) क्या सरकार ने निजी फर्मों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) पात्र तथा उचित श्रेणी में पंजीकृत निजी फर्में मकानों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा नोटिसों के जवाब में समय-समय पर अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। बृहद पैनल उद्योगीकृत भवन निर्माण तकनीकियों पर आधारित मध्यम आय वर्ग के पूर्व निर्मित

12000 मकानों के निर्माण के लिए हाल ही में निविदायें आमंत्रित की गई हैं। इन निविदाओं की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

**खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर**

3055. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की अनुमानित दर कितनी है; और

(ख) इस वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की अनुमानित दर 3.48 —4.06 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

(ख) खाद्यान्नों की वृद्धि की इस दर को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :—

(1) जल विभाजक प्रबंध के आधार पर उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाकर और वर्षा सिंचित कृषि प्रौद्योगिकी का प्रचार कर सिंचित और वर्षा सिंचित क्षेत्रों के अधीन विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि ;

(2) विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सम्भाव्य क्षेत्रों/जिलों में क्षेत्र दृष्टिकोण को अपनाना;

(3) प्रौद्योगिकी, बीज, उर्वरक, जल, उपकरण, कीटनाशक दवा, ऋण आदि जैसे कृषि आदानों की समय पर और पर्याप्त सप्लाई;

(4) दुहरी और बहु-फसल द्वारा शस्य सघनता में वृद्धि तथा बीच की फसल द्वारा दलहनों की फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि और रबी मौसम के दौरान शेष नमी का उपयोग करके चावल पड़ती में इन फसलों को पैदा करना;

(5) हानिकारक कीटों और रोगों तथा विभिन्न प्रतिबल अवस्थाओं के रोधी/सहने वाले स्थान के अनुकूल विशिष्ट अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र में वृद्धि ;

(6) अधिक क्षेत्र में एकीकृत पौद संरक्षण उपायों को अपनाना;

(7) किफायती और विकासक्षम उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी को उपलब्ध करवाकर अनुसंधान प्रयासों को तेज करना;

(8) किसानों को विभिन्न खाद्य फसलों की लाभकारी कीमतें आश्वस्त करना तथा समर्थन कीमतों पर खाद्यान्नों की खरीद के संगठनात्मक सहायता मजबूत करना।

## नए मत्स्य पोतों का प्रदर्शन और उनका समुद्र में परीक्षण

3056. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस्पात प्रबलीत कंक्रीट से/निर्मित नए प्रोटोटाइप मत्स्य पोतों का प्रदर्शन करने और उनका समुद्र में परीक्षण करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) "फैरो सीमेंट के बने उपतटीय मत्स्यन जलयानों की सज्जा और प्रदर्शन" की एक परियोजना खाद्य और कृषि संगठन की सहायता से शुरू की जायेगी। 28-2-1986 को इस संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) फैरो सीमेंट के बने मत्स्यन जलयानों की सज्जा और परीक्षणों में मदद करना।

(2) भारत के चुनीन्दा तटवर्ती राज्यों में मछुआरों और मछुआ संगठनों के लिये फैरो सीमेंट के बने छोटे मत्स्यन जलयानों के चलाने का प्रदर्शन करना। इस परियोजना के लिये खाद्य एवं कृषि संगठन का कुल अंशदान 1,26,000 अमेरिकी डालर होगा।

## दूरदर्शन/आकाशवाणी से उर्दू कार्यक्रमों का टेलीकास्ट और प्रसारण

3057. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में कुल कितनी उर्दू वार्ताएं, फीचर कार्यक्रम और समाचार प्रसारित किए गए और विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से कितने उर्दू कार्यक्रम और समाचार टेलीकास्ट किये गए तथा इसके लिए वर्ष 1985 के दौरान कुल कितना समय दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रीय भाषाओं तथा हिन्दी के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) :** (क) और (ख) आकाशवाणी केन्द्र तथा दूरदर्शन केन्द्र संलग्न विवरण के अनुसार उर्दू के समाचार बुलेटिन तथा वार्ताओं, रूपकों, गीतों आदि सहित मिश्रित कार्यक्रम प्रसारित तथा टेलीकास्ट करते हैं। दूरदर्शन

पर टेलीकास्ट समय सीमित होता है और इसलिए उर्दू में कार्यक्रम आवश्यक रूप से नियत बिन्दु धारों के आधार पर टेलीकास्ट नहीं किए जाते। आकाशवाणी केन्द्रों तथा दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा मिश्रित उर्दू कार्यक्रमों के लिए दिया गया वास्तविक समय संकलित रूप से नहीं रखा जाता।

आकाशवाणी केन्द्र तथा दूरदर्शन केन्द्र मुख्यतः उस भाषा में कार्यक्रम प्रसारित तथा टेलीकास्ट करते हैं जो सम्बन्धित सेवा क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली तथा समझी जाती है। हिन्दी सहित इस प्रकार की मुख्य भाषा तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित/टेलीकास्ट समय का ब्यौरा संकलित रूप में नहीं रखा जाता।

**विवरण**

**(क) आकाशवाणी**

**आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले उर्दू कार्यक्रमों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण**

| क्र० सं० | केन्द्र का नाम | आवृत्ति | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | औरंगाबाद | प्रतिदिन | 30 मिनट |
| 2. | इलाहाबाद | महीने में दो बार | 20 " |
| 3. | अहमदाबाद | सप्ताह में एक बार | 30 " |
| 4. | बम्बई | प्रतिदिन | 30 " |
| 5. | भोपाल | साप्ताहिक | 55 " |
| 6. | भद्रावती | साप्ताहिक | 45 " |
| 7. | बंगलौर | साप्ताहिक | 45 " |
| 8. | बीकानेर | साप्ताह में एक बार | 30 " |
| 9. | कलकत्ता | साप्ताहिक | 30 " |
| 10. | दिल्ली | प्रतिदिन | 40 " |
| 11. | दरभंगा | प्रतिदिन | 55 " |
| 12. | धारवाड़ | सप्ताह में एक बार | 40 " |
| 13. | गोरखपुर | सप्ताह में एक बार | 60 " |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | गुलबर्गा | साप्ताहिक | 60 मिनट |
| 15. | हैदराबाद | प्रतिदिन | 2 00 घण्टे |
| 16. | इन्दौर | साप्ताहिक | !45 मिनट |
| 17. | जम्मू | साप्ताहिक | 90 " |
| 18. | जलंधर | साप्ताहिक | 30 " |
| 19. | जलगांव | मासिक | 30 " |
| 20. | जयपुर | सप्ताह में एक बार | 30 " |
| 21. | जोधपुर | साप्ताहिक | 30 " |
| 22. | लखनऊ | प्रतिदिन | 20 " |
| 23. | नागपुर | सप्ताह में एक बार | 30 " |
| 24. | रत्नागिरि | मासिक | 30 " |
| 25. | रामपुर | प्रतिदिन | 20 " |
| 26. | रांची | साप्ताहिक | 45 " |
| 27. | शिमला | मासिक | 24 " |
| 28. | उदयपुर | साप्ताहिक | 30 " |
| 29. | विजयवाड़ा | साप्ताहिक | 14 " |
| 30. | बदोदरा | सप्ताह में एक बार | 30 " |
| 31. | पटना | प्रतिदिन | 53 " |
| 32. | मैसूर | साप्ताहिक | 30 " |
| 33. | रोहतक | महीने में एक बार | 25 " |

उर्दू के केन्द्रीय समाचार बुलेटिन रिले करने वाले केन्द्र

| क्र० सं० | केन्द्र का नाम | रिले का समय |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | दिल्ली (मूल रूप से प्रसारित) | 8.50 पूर्वाह्न<br>1.50 अपराह्न<br>9.15 अपराह्न |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | लखनऊ | 8.50 पूर्वाह्न |
| | | 9.15 अपराह्न |
| 3. | इलाहाबाद | 8.50 पूर्वाह्न |
| | | 9.15 अपराह्न |
| 4. | वाराणसी | 8.50 पूर्वाह्न |
| | | 9.15 अपराह्न |
| 5. | रामपुर | 8.50 पूर्वाह्न |
| | | 9.15 अपराह्न |
| 6. | गोरखपुर | 8.50 पूर्वाह्न |
| | | 1.50 अपराह्न |
| 7. | पटना | 8.50 पूर्वाह्न |
| | | 9.15 अपराह्न |
| 8. | भागलपुर | 8.50 पूर्वाह्न |
| | | 9.15 अपराह्न |
| 9. | राँची | 9.15 अपराह्न |
| 10. | दरभंगा | 8.50 पूर्वाह्न |
| | | 9.15 अपराह्न |
| 11. | भोपाल | 9.15 अपराह्न |
| 12. | जलंधर | 1.50 अपराह्न |
| | | 9.15 अपराह्न |
| 13. | शिमला | 8.50 पूर्वाह्न |
| 14. | श्रीनगर | 8.50 पूर्वाह्न |
| | | 1.50 अपराह्न |
| | | 9.15 अपराह्न |
| 15. | जम्मू | 8.50 पूर्वाह्न |
| | | 9.15 अपराह्न |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16. | लेह | 8.50 पूर्वाह्न<br>1.50 अपराह्न<br>9.15 अपराह्न |
| 17. | औरंगाबाद | 1.50 अपराह्न<br>9.50 अपराह्न |
| 18. | परभनी | 1.50 अपराह्न<br>9.15 अपराह्न |
| 19. | हैदराबाद | 8.50 पूर्वाह्न<br>1.50 अपराह्न<br>9.15 अपराह्न |

**उर्दू में मूल रूप से क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित करने वाले केन्द्र**

| क्र०सं० | केन्द्र | प्रसारण का समय | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्रीनगर | 9.20 पूर्वाह्न | 5 मिनट |
| | | 12.30 अपराह्न | 5 " |
| | | 7.45 अपराह्न | 10 " |
| | | 4.00 अपराह्न | 30 " धीमी गति वाला बुलेटिन |
| 2. | लखनऊ | 2.30 अपराह्न | 5 मिनट |
| 3. | हैदराबाद | 5.50 अपराह्न | 10 " |

**उर्दू में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रिले करने वाले केन्द्र**

| क्र०सं० | केन्द्र | प्रसारण का समय | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | लेह | 7.45 अपराह्न | 10 मिनट श्रीनगर से |
| 2. | जम्मू | 7.45 अपराह्न | 10 मिनट श्रीनगर से |
| 3. | रामपुर | 2.30 अपराह्न | 5 मिनट लखनऊ से |
| 4. | वाराणसी | 2.30 अपराह्न | 5 मिनट —तथैव— |

(ख) दूरदर्शन

(1) केवल श्रीनगर केन्द्र ही उर्दू में समाचार टेलीकास्ट करता है।

(2) 6 दूरदर्शन केन्द्र अर्थात् श्रीनगर, लखनऊ, जालंधर, हैदराबाद, दिल्ली और बम्बई अपने समान्य प्रेक्षण के अंग के रूप में उर्दू कार्यक्रम नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

(3) इन 6 केन्द्रों से भिन्न केन्द्र भी यदा कदा कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं।

**सोने का वार्षिक उत्पादन और आवश्यकता**

3058. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोने का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ख) अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) गत तीन वर्षों का स्वर्ण उत्पादन इस प्रकार है :—

(कि०ग्रा० में)

| | 1982-83 | 83-84 | 84-85 |
|---|---|---|---|
| भारत गोल्ड माइन्स लि० | 1369.94 | 1185.57 | 1091.21 |
| हट्टी गोल्ड माइन्स लि० | 753 62 | 821.09 | 865.12 |
| हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड | 117.00 | 71.00 | 80.00 |
| | 2240.56 | 2077.66 | 2036.33 |

(ख) सोने की वार्षिक आवश्यकता का पक्का आकलन विभाग में नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**इस्पात संयंत्रों के उत्पादन लक्ष्य**

3059. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए इस्पात संयंत्रों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग आयात द्वारा लोहे और इस्पात पर गठित कार्यकारी दल ने सातवीं योजनावधि के दौरान "सेल" के इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के उत्पादन की निम्न प्रकार से परिकल्पना की है :—

(मिलियन टन)

| इकाई | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| भिलाई इस्पात कारखाना | 2.04 | 2.27 | 2.59 | 2.88 | 3.00 |
| दुर्गापुर इस्पात कारखाना | 0.72 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.90 |
| राउरकेला इस्पात कारखाना | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| बोकारो इस्पात कारखाना | 1.72 | 2.08 | 2.08 | 2.46 | 2.56 |
| इस्को | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना | — | — | -- | 0.31 | 0.62 |
| कुल : | 5.90 | 6.61 | 6.97 | 7.97 | 8.59 |

वर्ष 1985-86 में "सेल" के इस्पात कारखानों में 59.6 लाख टन वास्तविक उत्पादन होने की सम्भावना है। वर्ष 1986-87 के लिए कार्यकारी दल द्वारा परिकल्पित उत्पादन लक्ष्य 66 लाख टन के मुकाबले 72 लाख टन है।

**हिमाचल प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित भूमपाल-नौंघी ग्राम समूह योजना**

3060. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में केन्द्र द्वारा प्रायोजित भूमपाल-नौंघी ग्राम समूह योजना लगभग तीन वर्षों से निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ की गई थी, इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च किए जाने का अनुमान है तथा इस योजना से कितने गांवों एवं जनसंख्या को लाभ होने की संभावना है; और

(ग) इसके विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना की पुष्टि की जा रही है ।

**शुष्क भूमि चारे के बारे में अनुसंधान**

3061. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश की घाटियों, जम्मू और काश्मीर, पंजाब और हरियाणा की शिवालिक पर्वत माला में शुष्क भूमि चारे के बारे में अनुसंधान करने का प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है तथा, इस प्रयोजन के लिए यदि कोई अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, तो उक्त चार राज्यों में से प्रत्येक में कितने अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सातवीं योजना के दौरान क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस क्षेत्र में चारे की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए क्या नीति तैयार की गई है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद झांसी स्थित चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, मानसबल (जम्मू व कश्मीर) स्थित इसके क्षेत्रीय केन्द्र तथा कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित अनुसंधान केन्द्रों के नेट वर्क द्वारा बारानी चारा प्रजातियों के संबंध में स्थान विशिष्ठ किस्मों तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास पर कार्य का नियोजन और आयोजन करती रही है ।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित चारा फसल अनुसंधान प्रायोजना के तत्वाधान में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर तथा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में कृष्ट तथा बारानी चारा प्रजातियों पर अनुसंधान के लिए केन्द्र स्थापित किए गए थे । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना स्थित केन्द्र स्वैच्छिक केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा । जम्मू तथा कश्मीर के शीतोष्ण तथा उपशीतोष्ण क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1973-74 में भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ने अपना क्षेत्रीय केन्द्र जम्मू व कश्मीर मानसबल में स्थापित किया था ।

(ग) प्रत्येक केन्द्र द्वारा प्राप्त परिणामों की तुलना मे विभिन्न केन्द्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं की पंचवर्षीय पुनरीक्षण दल द्वारा हाल ही में समीक्षा की गई थी । इस दल की

सिफारिशों के आधार पर इन राज्यों यानी पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रायोजना केन्द्रों को सुदृढ़ किया जायेगा। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, मानसबल को भी सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है जिससे कि नीचली पहाड़ियों की चारा एवं घास की प्रजातियों पर उद्देश्य परक अनुसंधान किया जा सके।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने के लिए कार्यक्रमों को प्रोत्साहन**

3062. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के कार्यक्रमों के संवर्द्धन हेतु कोई कदम उठाये जाने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे प्रयासों के प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस भावना का युवा पीढ़ी में संचार करने हेतु इसे स्कूल स्तर के पाठ्यक्रमों मे शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) पशु कल्याण संबंधी कार्यक्रमों पर सातवीं योजना के लिए 50 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। जबकि छठी योजना में 20 लाख रुपए की व्यवस्था थी। सातवीं योजना के दौरान शुरु किए जाने वाले कार्यक्रमों के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं कि चौथी तथा पांचवी कक्षा के पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययनों के पाठ्यक्रम में तथा छठी और सातवीं कक्षा के विज्ञान पाठ्यक्रम में इस प्रकार की संगत पाठ-सूची को शामिल किया जाना चाहिए जिससे सभी शिक्षार्थियों में सभी जीवधारियों के प्रति समादर और दया का भाव विकसित हो सके। प्राथामिक और मिडिल स्कूल के स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य घटक के रूप में भी इसे शामिल किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि बच्चों को दी गई शिक्षा के तजुर्बे इस प्रकार के होने चाहिए कि उनके सभी जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति जगाने तथा निर्दयतापूर्वक पशुओं की जान मारने के विरुद्ध भावों को जगाने में मदद मिले। इन सुझावों पर विचार किया जायेगा और उचित कार्यवाही की जायेगी।

**उड़ीसा में पेय जल की कमी**

3063. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या कृषि मंत्री उड़ीसा में पेय जल की कमी के बारे में 8

अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2016 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुएं खोदने के लिए उच्चस्तरीय राहत समिति द्वारा स्वीकृत 100 लाख रुपये की राशि उक्त राज्य को दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि खर्च की गयी है तथा कितने नलकूप लगाये गये हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने अनिर्धारित गांवों तथा निर्धारित गांवों में नलकूप लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से और अधिक धनराशि देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

**कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

**सऊदी अरब में भारतीय मजदूरों की समस्या**

3064. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सऊदी अरब में भारतीय मजदूरों की समस्याओं के सम्बन्ध में 4 जनवरी, 1986 को रियाद में भारत-सऊदी अरब संयुक्त आयोग की हुई बैठक के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा)** : (क) और (ख) भारत-सऊदी संयुक्त आयोग की 4 और 5 जनवरी, 1986 को रियाद में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई थी । नई तारीख निर्धारित नहीं की गई है ।

[हिन्दी]

**सैन्चुरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बम्बई में गैस का रिसाव**

3065. **श्री राजकुमार राय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जनवरी, 1986 को वर्ली, बम्बई में सैन्चुरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स में क्लोरीन गैस के रिसाव से 15 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, जैसाकि 19 जनवरी, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गैस रिसने के कारण क्या थे और उससे कितने लोग प्रभावित हुए और कम्पनी द्वारा प्रभावित लोगों को कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां गैस के रिसने के कारणों की जांच कराने का है; और

(घ) सरकार द्वारा कम्पनी के प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

### नई दिल्ली में सरकारी आवासों की कमी

3066. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली में सरकारी आवासों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान 31.1.86 तक टाइप I, II, III के कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया और कितने आबंटित किए जाने का विचार है;

(ग) इस समय टाइप-वार ऐसे कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं जिन्हें 1986 के दौरान आबंटित किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1985-86 के दौरान 31 जनवरी, 1986 तक निम्नलिखित क्वार्टरों का निर्माण किया गया है तथा उन्हें रिलीज किया गया है :—

| | |
|---|---|
| टाइप—ए | 145 |
| टाइप—बी | 320 |
| टाइप—सी | 1505 |
| | 1970 |

(ग)

| | |
|---|---|
| टाइप—ए | 322 |
| टाइप—बी | 789 |
| टाइप—सी | 1987 |

| | |
|---|---|
| टाइप—डी | 128 |
| टाइप—ई | 102 |
| होस्टल—फेमिली अपार्टमेंट | 184 सूट |

## समुद्री स्रोतों का उपयोग

3067 प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समुद्री स्रोतों के उपयोग का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या इन स्रोतों के पूर्ण उपयोग के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में इस समय करीब 45 लाख मीटरी टन के अनुमानित समुद्री मत्स्य संसाधनों में से उपयोग का वर्तमान स्तर 39.5 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) समुद्री मत्स्य संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए कदम उठाए गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमानित क्षमता के करीब 45 प्रतिशत का उपयोग किए जाने की योजना है।

## शहरी समुदाय आन्दोलन

3068. डा० डी०एन० रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शहरी समुदाय आन्दोलन, जैसा कि दक्षिणी कोरिया (सम्यूल उन्दोंग) जैसे देशों में है, बिल्कुल ही नहीं है; और

(ख) क्या सरकार स्वयंसेवी संगठनों को राष्ट्र निर्माण तथा चरित्र निर्माण कार्यों में प्रभावी समुदाय आन्दोलन विकास और जन-समूह की भागीदारी के लिए इस दिशा में प्रोत्साहित करेगी;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) शहरी सामुदायिक विकास आन्दोलन दिल्ली में 1955 में आरम्भ किया गया था। इस आन्दोलन को 1962 में अहमदाबाद में, 1965 में बड़ोदा में, 1966 में कलकत्ता में, तथा 1967 में हैदराबाद में बढ़ाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में शहरी मूलभूत सेवा नामक एक नई सम्पूर्ण सम्मिलित योजना आरम्भ की गई है जिसमें जनता तथा स्वैच्छिक संगठनों के शामिल होने पर तथा सहयोग पर बहुत महत्व दिया गया है।

**कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र में धातुकर्म उद्योग स्थापित करना**

3069. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र में कितने धातुकर्म उद्योग हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में क्रोमियम, मैंगनीज और लोह अयस्क भण्डार उपलब्ध होने को देखते हुए, कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र में अधिक धातुकर्म उद्योग स्थापित करने का है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) कर्नाटक में भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की नंदीदुर्ग मिल तथा मैसूर मिल हैं। कोलार गोल्ड फील्ड्स द्वारा इन मिलों में निकाले गए स्वर्ण अयस्क को मशीनों द्वारा कूट कर प्रोसेस किया जाता है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड की कर्नाटक में दो इकाइयां हैं—एक इकाई लोह अयस्क सांद्रण का उत्पादन करती है तथा दूसरी इकाई लोह अयस्क सांद्रण से पैलेट तैयार करती है।

कर्नाटक स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड विशेष तथा मिश्र इस्पात का उत्पादन करती है।

(ख) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**फर्नीचर आदि के लिए लकड़ी के स्थान पर अलुमिनियम का प्रयोग**

3070. **डा० चिन्ता मोहन**
**श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लुप्त होते जा रहे वनों की सुरक्षा के लिए भवनों में अलुमिनियम के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की सरकार की कोई योजना है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या फर्नीचर, भवनों और गृह-निर्माण की मदों आदि में लकड़ी के स्थान पर अलुमिनियम का प्रयोग करने के लिए अलुमिनियम के मूल्य आकर्षक और अधिक प्रतियोगी बनाये जायेंगे ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) :** (क) भवनों में लकड़ी के स्थान पर एल्यूमिनियम के प्रयोग की यद्यपि कोई विशिष्ट नीति नहीं है, तथापि, सरकार लकड़ी के प्रतिस्थापन हेतु सभी संभावित उपायों पर बल दे रही है।

(ख) प्राथमिक एल्यूमिनियम के मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित हैं, ताकि उपभोक्ताओं को यह धातु उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सके। पिछले कुछ वर्षों में, एल्यूमिनियम के उत्पाद शुल्क में भी शनैः शनैः कमी की गई है।

**महिलाओं को रोजगार**

3071. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1981, 1982, 1983, 1984 और 1985 के अंत में कारखानों, खानों और बागानों में काम कर रही महिलाओं की संख्या कितनी थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में काम कर रहे पुरूषों के सम्बन्ध संगत में आंकड़े क्या हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा)** : (क) और (ख) उपलब्ध नवनीतम सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

(i) कारखानों, (ii) खानों और (iii) बागानों में नियोजित महिलाओं और पुरुषों की संख्या (औसत दैनिक नियोजन)

| क्रमांक | नियोजन का क्षेत्र | वर्ष के दौरान नियोजित व्यक्तियों का संख्या 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | कारखानें | | | | | |
| | महिला | 4,97,849 (अ) | 5,31,842 (अ) | 5,20,822 (अ) | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
| | पुरुष | 47,91,452 (अ) | 48,10,225 (अ) | 47,45,877 (अ) | | |
| 2. | खानें | | | | | |
| | महिला | 74,881 | 75,195 | 71,827 | 68,381 | उपलब्ध नहीं है |
| | पुरुष | 6,74,922 | 7,04,356 | 7,02,135 | 7,13,074 | |
| 3. | बागान | | | | | |
| | महिला | 4,04,320 (अ) | 3,76,836 (अ) | 4,30,264 (अ) | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
| | पुरुष | 4,86,967 (अ) | 4,56,486 (अ) | 5,73,274 (अ) | | |

(अ) = अनन्तिम

## गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आयात संबंधी नीति

3072. श्री विजय एन० पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कितनी नौकाओं की आवश्यकता है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) देश के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में उपलब्ध मत्स्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की सरकारी नीति गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों का एक बेड़ा तैयार करना है। गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों के आयात की भी अनुमति दी जा रही है।

(ख) निकट भविष्य में करीब 350-500 गहरे समुद्र में मत्स्यन ट्रालरों का एक बेड़ा बनाने का प्रस्ताव है।

## उपयुक्त जल निकासी प्रणाली के बिना सिंचाई का विस्तार

3073. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान में फरवरी, 1986 के मध्य में हुई एक गोष्ठी में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उपयुक्त जल निकासी प्रणाली के बिना सिंचाई का विस्तार करने के विनाशकारी परिणाम होंगे;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के सिंचाई कार्यक्रमों में भविष्य में इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) बड़ी सिंचाई प्रायोजनाओं के मूल्यांकन के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में बिना समुचित जल निकास के सिंचाई पद्धतियों के फैलाव से होने वाले विनाशकारी प्रभाव की सूचना दी है यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश की तावा प्रायोजना, बिहार की गंडक और कोसी प्रायोजना और उड़ीसा की महानदी प्रायोजना जैसी कुछ प्रायोजनाओं में न केवल कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि दूसरी ओर जल-ठहराव के कारण भूमि को नुकसान भी पहुंचा है।

(ग) जी हां, श्रीमान। जल संसाधन मन्त्रालय के 7वीं योजना कार्यक्रमों में सिंचाई प्रायोजनाओं में पर्याप्त जल निकास पद्धति की व्यवस्था पर उचित ध्यान दिया गया है।

## कृषि पोलिटेक्नीक

307 . श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोई कृषि पोलिटेक्नीक है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में कितने हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान कृषि प्रशिक्षण केन्द्रों को कृषि पोलिटेक्नीक संस्थानों में बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान देश में कृषि विज्ञान केन्द्र (फार्म साइन्स सेन्टर) हैं।

(ख) कर्नाटक राज्य में पांच कृषि विज्ञान केन्द्र हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान। भारत सरकार किसानों के प्रशिक्षण केन्द्रों को कृषि विज्ञान केन्द्र में बदलने पर विचार कर रही है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इन कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों को चरण-बद्ध रूप में कृषि विज्ञान केन्द्रों में परिवर्तित करना-धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

## बंगलोर और मैसूर के बीच टी०वी० माइक्रो-वेव सुविधा

3075. श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर और मैसूर के बीच टी०वी० माइक्रो-वेव सुविधा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बंगलोर और मैसूर के बीच यह सुविधा प्रदान करने का है ताकि बंगलोर और मैसूर के बीच कार्यक्रम सीधे प्रसारित किए जा सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। यद्यपि बम्बई और बंगलोर के बीच माइक्रोवेव लिंक मैसूर से गुजरता है, मैसूर के ट्रांसमीटर को बंगलोर के दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए समर्थ बनाने के लिए मैसूर में एण्ड लिंक नहीं है।

(ख) बंगलोर के कार्यक्रमों को कर्नाटक के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जा सके इसके लिए उपग्रह लिंकेज की परिकल्पना है। दूरदर्शन की सातवीं योजना में इस प्रयोजन हेतु

बंगलौर में उपग्रह अपलिंक उपलब्ध करने की व्यवस्था है। लिंकेज की यह प्रणाली भी अतिरिक्त उपग्रह क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली में झोपड़ियों को गिराना

3077. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अवैध निर्माण गिराऊ दस्ते ने 11 जनवरी, 1986 को कमल सिनेमा घर के सामने के कुछ पक्के स्टालों सहित सफदरजंग एन्क्लेव में पक्के स्टालों और दुकानों को, जिनका दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 1979 में निर्माण और आबंटन किया गया था, गिराया था जिसके कारण आबंटियों को भारी नुकसान हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर-निगम के उप मेयर के आवास के सामने अवैध ढंग से निर्मित सैकड़ों झोपड़ियों को उपराज्यपाल के दौरे के बावजूद अभी तक नहीं गिराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 11-1-1986 को सफदरजंग एन्क्लेव में विपणन केन्द्र के 40 अतिक्रमणों को हटाया। अतिक्रमणों को हटाते समय अतिक्रमण करने वालों ने लाइसेंसी या दिल्ली नगर निगम के तहबाजारी धारक होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 5 वर्ष से अधिक समय से उपमहापौर के निवास के-12 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के सामने 125 झुग्गियां बनी हुई हैं तथा उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण से वैकल्पिक स्थल देने का अनुरोध किया था ताकि इन झुग्गियों को हटाया जा सके। तथापि इन झुग्गियों को स्थानांतरित करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

बागान क्षेत्रों में निर्मित श्रमिक आवास

3078. श्री आनन्द पाठक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अनुसार बागान क्षेत्रों में उद्योग-वार और राज्य-वार कितने श्रमिक आवास बनाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-1985 को बागान श्रमिकों के लिए कुल 39,864 मकानों का निर्माण किया गया है। इनमें

से केन्द्रीय क्षेत्र में इमदाद प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत 38565 मकानों और राज्य क्षेत्र में 1299 मकानों का निर्माण किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

| राज्य | राज्य क्षेत्र | केन्द्रीय क्षेत्र | कुल |
|---|---|---|---|
| असम | 48 | 16480 | 16528 |
| त्रिपुरा | — | 72 | 72 |
| पश्चिम बंगाल | 392 | 16514 | 16906 |
| तमिलनाडु | 211 | 1318 | 1529 |
| कर्नाटक | 38 | 1016 | 1054 |
| केरल | 182 | 3165 | 3347 |
| उत्तर प्रदेश | 428 | — | 428 |
| | 1299 | 38565 | 39864 |

## कुर्सियांग दूरदर्शन रिले केन्द्र

3079. **श्री आनन्द पाठक :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुर्सियांग दूरदर्शन रिले केन्द्र सम्पूर्ण दार्जिलिंग जिले तथा पड़ोसी जिलों के मैदानी क्षेत्रों में कार्यक्रम पहुंचाने में असफल रहा है जैसा कि सरकार ने आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मामले पर पुनर्विचार करेगी और दार्जिलिंग में टाइगर हिल पर रिले केन्द्र स्थापित करेगी ताकि इन सभी क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जा सकें ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) :** (क) और (ख) यह उम्मीद है कि कुर्सियांग का उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर जो इस समय 1 किलोवाट की घटी हुई शक्ति पर काम कर रहा है, 135 मीटर ऊंचे टी०वी टावर के मुकम्मल हो जाने पर दस किलोवाट की पूरी निर्धारित शक्ति पर चालू हो जायेगा। ट्रांसमीटर के पूरी शक्ति पर चालू हो जाने पर दार्जिलिंग तथा इसके आस पास के जिलों में दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा में और सुधार करने के विचार से दूरदर्शन की सातवीं योजना में दार्जिलिंग जिले के दार्जिलिंग तथा कालिम्पोंग और जलपाईगुडी जिले के अलीपुरद्वार में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक-एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें शामिल की गई हैं।

मत्स्य उद्योग में विदेशी सहयोग

3080. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग के विकास के लिए मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं के लिए कोई विदेशी सहयोग कियाग या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वी गोदावरी जिले के कोनी सीमा क्षेत्रों में मछुआरों के लाभ के लिए भारत-स्विटजरलैंड सहयोग योजना को पुन: आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि स्विटजरलैंड की सहायता से "आन्ध्र-प्रदेश" के तटीय क्षेत्रों में मत्स्यन उद्योग के विकास की किसी परियोजना का प्रस्ताव नहीं है।

नई बीमा उपदान योजना

3081. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की नई बीमा उपदान योजना के पक्ष में आम राय है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में कम आय वाले अधिसंख्य कर्मचारियों के उत्थान के लिए इसके कार्यान्वियन की योजना क्या है ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा)** : उपदान (ग्रेच्यूटी) का भुगतान करने के लिए नियोजकों के दायित्व के अनिवार्य बीमा/एक पृथक न्याय निधि की स्थापना के लिए उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में एक उचित उपबन्ध करने के सुझाव पर नवम्बर, 1985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार किया गया और इसे सामान्यत: स्वीकार कर लिया गया। सम्मेलन की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

शिवसागर, असम में मीजेंगा में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

3083. **श्री पराग चालिहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की शिवसागर, असम में मीजेंगा, जहां प्राकृतिक गैस का आसानी से और लाभकारी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय नामरूप-III परियोजना के नाम से ज्ञात गैस पर आधारित एक नये उर्वरक संयंत्र की स्थापना असम में की जा रही है। इसके अगस्त, 1986 तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है। नामरूप में गैस पर आधारित विद्यमान उर्वरक एककों और नये नामरूप-III एकक से होने वाला उत्पादन, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समग्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र की नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा से भी अधिक होगा। आधिक्य की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये, असम में गैस पर आधारित कोई अन्य उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**बाढ़ राहत के लिए केरल की सहायता**

3084. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए गत वर्ष कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी और कितनी स्वीकृत की गई;

(ख) कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कुछ और सहायता देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) केरल सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें बाढ़ें आने की वजह से 743.36 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी। 28 अगस्त, 1985 को केरल को 134.79 करोड़ रुपए की अधिकतम केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भेजे गए व्यय के ब्यौरों के आधार पर 108,88 करोड़ रुपए की कुल सहायता निर्मुक्त की गई है।

(ग) और (घ) बाढ़ों के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु केरल सरकार से कोई और अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**नारियल बोर्ड द्वारा शुरू की गई नारियल खेती विकास योजनाएं**

3085. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान देश में नारियल बोर्ड द्वारा नारियल खेती विकास की कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई;

(ख) उन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) पिछले वर्ष नारियल विकास बोर्ड ने नारियल की खेती के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जैसे—नारियल की खेती वाले क्षेत्र में वृद्धि करने, अच्छी क्वालिटी की नारियल पौदों के उत्पादन, जड़ मुरझान रोग से ग्रस्त पेड़ों को हटाने, अच्छी क्वालिटी की नारियल की पौदों के उत्पादन, खरीद और वितरण तथा नारियल उगाने वालों के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने संबंधी योजनाएं।

(ख) इस बोर्ड द्वारा इन स्कीमों पर 1984-85 में 157.00 लाख रुपए की रकम खर्च की गई।

(ग) इनसे प्राप्त मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| 1. नारियल की खेती वाले क्षेत्र में वृद्धि | 4,400 हेक्टार |
| 2. मजबूत की गई नर्सरियों की संख्या | 34 |
| 3. उड़ीसा में नहर के किनारों पर लगाई गई नई पौदों की संख्या और लगी हुई कितनी पौदों का रखरखाव किया गया, उसकी संख्या | 2.20 लाख |
| 4. जड़ मुरझान रोग से ग्रस्त हटाए गए पेड़ | 1.06 लाख |
| 5. नारियल के बीजों की खरीद और वितरण | 6.00 लाख |
| 6. नारियल उगाने वालों के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधाएं | 10 00 पम्प सेट दिए गए। |

**सातवीं योजना अवधि के दौरान केरल में मत्स्य पालन विकास**

3086. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मत्स्य पालन के विकास के लिए दिए गए प्रस्ताव क्या हैं;

(ख) क्या इन प्रस्तावों को मंजूर कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो केरल में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य पालन के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य पालन विकास के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में 57 योजनाएं शामिल हैं। आवास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, मछुआरा कल्याण, देशी नौका में मोटर लगाना, देशी नौकाओं तथा गेयरों की सप्लाई, मछली विपणन मत्स्यफेड, खारे पानी में मछली पालन, मत्स्यन बन्दरगाहों और मत्स्य-घाट केन्द्रों का विकास और गहरे समुद्र में मछली पकड़ना प्रमुख योजनाएं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में मत्स्य पालन के विकास के लिये 4000 लाख रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी गई है।

**दिल्ली की मंजूरशुदा कालोनियों में मकानों के निर्माण के लिए भूमि**

3087. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उन लोगों को, जिनके पास दिल्ली, नई दिल्ली की मंजूरशुदा कालोनियों में प्लाट हैं, ऋण देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) संलग्न विरण में इस प्रकार की कई योजनायें दी गई हैं जिनके अन्तर्गत प्लाट धारियों को ऋण दिया जा सकता है।

इसके अतिक्ति, सरकारी कर्मचारी तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य पात्र वर्गों को गृह निर्माण अग्रिम से लाभान्वित किया जा सकता है।

**विवरण**

सहायक आवास आयुक्त (ऋण) का कार्यालय दिल्ली प्रशासन; ए ब्लाक; विकास भवन, नई दिल्ली।

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में मकानों के निर्माण के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत ऋण देता है :

**संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का शहरी क्षेत्र**

**1. मध्यम आय वर्ग के लिए आवास योजना**

प्लाट, जिस पर मकान का निर्माण किया जाना है, के रहने पर 11.5 प्र० श० प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 33,400 रुपये का ऋण स्वीकृत किया जाता है जो बारह वार्षिक किस्तों में

वापिस किया जाना है। आवेदक को क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से अनुमोदित किया गया भवन नक्शा प्रस्तुत करना है। मकान का प्रस्तावित घिरा क्षेत्र 400 वर्ग फुट से 1000 वर्ग फुट के मध्य होना चाहिए। आवेदक की आय 601 रुपये से 1500 रुपये प्रति माह तक होनी चाहिए। यह योजनासंघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के शहरी क्षेत्र में मकानों का निर्माण करने के लिये है।

2. निम्न आय वर्ग के लिये आवास योजना

प्लाट, जिस पर मकान का निर्माण किया जाना है, के रहने पर 8 प्र० श० प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 15,300 रुपये का ऋण स्वीकृत किता जाता है, जो 15 वार्षिक किस्तों में वापिस किया जाना है। आवेदक को क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से अनुमोदित भवन नक्शा प्रस्तुत करना होता है। मकान का प्रस्तावित घिरा क्षेत्र 232 वाफुट से 600 वर्ग फुट के मध्य होना चाहिए। आवेदक की आय 351 रुपये से 600 रुपये प्रतिमाह होनी चाहिये। यह योजना संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के शहरी क्षेत्र में मकानों का निर्माण करने के लिए हैं।

3. समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना

प्लाट, जिस पर मकान का निर्माण किया जाना है, के रहने पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 8,300 रुपये ऋण स्वीकृत किया जाता है जो 20 वार्षिक किस्तों में वापिस किया जाना है। आवेदक को क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से अनुमोदित भवन नक्शा प्रस्तुत करना होता है। मकान प्रस्तावित घिरा क्षेत्र 111 वर्ग फुट से 300 वर्ग फुट के मध्य होना चाहिए। आवेदक की आय 350 रुपये प्रति माह तक होनी चाहिये। यह योजना संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने के लिए है।

संघ राज्य क्षत्र दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र

ग्राम आवास परियोजना योजना

प्लाट, जिस पर मकान का निर्माण किया जाना है, के रहने पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 5,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया जाता है जो 20 वार्षिक किस्तों में वापिस किया जाना है। आवेदक को क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णरूप से अनुमोदित भवन नक्शा प्रस्तुत करना होता है। मकान का प्रस्तावित घिरा क्षेत्र 100 वर्ग फुट से 300 वर्ग फुट के मध्य होना चाहिये। आवेदक की आय 600 रुपये प्रति माह तक होनी चाहिये। यह योजना संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए है।

रत्नगिरि में भारत एल्यूमिनियम परियोजना

3088. श्री हुसैन दलवाई : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाचवीं पंचवर्षीय योजना में रत्नगिरि में मंजूर की गई भारत एल्यूमिनियम निगम की परियोजना अब किस अवस्था में है;

(ख) सरकारी क्षेत्र की इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) क्या भारत एल्यूमिनियम निगम ने सम्पूर्ण एल्यूमिनियम परियोजना को छोड़ देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा इस परियोजना पर खर्च की गई भारी राशि के नुकसान के लिए किसको जिम्मेवार ठहराया गया है ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) से (घ) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड की रत्नगिरि परियोजना प्रस्तावित एल्यूमिना एल्यूमिनियम संयंत्र के अलाभप्रद आकार एवं पश्चिमी घाट बाक्साइट के कठिन विदोहन के कारण शुरू नहीं की गई है। परियोजना पर जनवरी, 1986 तक लगभग 194 लाख रुपये हुए हैं। इस परियोजना पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा खर्च की गई राशि, यदि कोई है, तो उसकी भारत सरकार को जानकारी नहीं है।

## रत्नगिरि जिले में "बाक्साइट" के भंडार

3089. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नगिरि जिले में बड़ी मात्रा में "बाक्साइट" के भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर हैं और कितनी मात्रा के भंडार होने का अनुमान है; और

(ग) रत्नगिरि जिले में अन्य किन खनिज भन्डारों का पता लगा है और किन-किन स्थानों पर पता लगा है ?

**खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले, जिसमें अब रत्नगिरि और सिन्धु दुर्ग है में कुछ हजार टन से 105 मि० टन तक के भंडारों वाले अनेक निक्षेपों स्थलों का पता चला है।

(ख) रत्नगिरि जिले में बाक्साइट के कुल करीब 5.23 मि० टन भंडार हैं, जिनमें 40 से 62 प्रतिशत के बीच एल्यूमिना है। ये भंडार जिले के अंजार्ले, चिकलगांव (पूर्व व पश्चिम), कबदोली, अम्बरशेट, उयाम्बेर, विलास-सखरी, अदविवादी-इनोलवाड़ी, अरोन्दा-गुलदेव इलनी, मालेवाड़ी, बनोशी, वनझाले, दभोई तथा सटेली-सतारदा क्षेत्रों में हैं।

(ग) बाक्साइट के आलावा इस जिले में प्राप्त अन्य खनिजों और उनके स्थल इस प्रकार हैं :—

| खनिज | क्षेत्र |
|---|---|
| लौह अयस्क | रेडी, बान्दा, दमोली, तलवना, अजगांव आदि |
| क्रोमाइट | कन्कौली, जनोली तथा वागदा |
| मिट्टी | कुम्भरमती, नामाले, ओटवाने, माल्वन आदि |
| इल्मेनाइट | उन्दी-रील -बरवाडे, तिवारे-मालगुंड, नेवेरे-धोकमालेवारे, आरे-काल्बादेवी । |
| टाल्क-स्टीटाइट | बिदवादी, असगनी, किलासी, कुम्बरली |
| सिलिका सैंड | माथ, वटोरा, टेन्डोली, चन्दवन, फोन्दाघाट, कसारदा, वलासाल आदि |
| मैगनीज अयस्क | फोन्डिया से नेटराटडे, पनवल-पादवे, दिगवे, मोरगांव, ससोली आदि । |
| चूना-पत्थर | कसारदा रत्नगिरि गुहागर |
| अभ्रक | कोदवाल |
| फेल्पार और क्वार्टज | कोदवाल |
| एस्बेस्टस | अखेरी |
| ग्रेफाइट/ ग्रेफाइटिक शिस्ट | कोचरा, बिदवादी |
| तांबा अयस्क | होदावाडा |

**भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा अपने उत्पादन कार्य की पुनरीक्षा करने का निर्णय**

3090. श्रीमती किशोरी सिंह
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री अमर रायप्रधान
श्री चित्त महाता
: क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने अपने उत्पादन कार्य की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है जिससे कि अधिक मांग वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके; और

(ख) क्या अलग-अलग संयंत्रों को अधिक कुशलतापूर्वक तरीकों से संगठित उत्पादन करने के लिए भी कहा जाएगा जिससे कि लाभ अर्जित किया जा सके ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख) बाजार की आवश्यकताओं की प्रभावी तौर पर पूर्ति करने हेतु सेल, के इस्पात कारखानों में मांगोन्मुख विशेष तथा आवश्यक मदों का उत्पादन करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि इन मदों के आयात को न्यूनतम किया जा सके। 'सेल" के कारखाने "अनुसंधान तथा विकास" संबंधी अपनी इकाइयों के निकट सहयोग से मितव्ययिता करने, किस्म में सुधार करने तथा जिन उत्पादों की सप्लाई कम है उन उत्पादों को विकसित करने के प्रयत्न कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप अनेक विशेष तथा आवश्यक मदों को विकसित किया गया है और उनमें सुधार लाया गया है। ऐसे उत्पादों में एल०पी०जी० चादरें, एलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेटें. डी० डी०/ई० डी० डी० गर्म बेलित और ठंडे बेलित उत्पाद माइक्रो अलाय स्टील्स जैसे "सेल-मा" आई० एस०- 2062 प्लेटें एलेक्ट्रोड क्वालिटी वायर राडस तथा ह्रास-रोधी रेल की पटरियां शामिल हैं। पिछले चार वर्षों में ऐसी मदों के उत्पादन से संबधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कार्य के नये माहौल द्वारा कुशलता में वृद्धि करने तथा अधिक उत्पादन और उत्पादिता, क्षमताओं के बेहतर उपयोग, बेहतर प्रौद्योगिकीय मानकों, ऊर्जा के उपयोग में बचत और श्रम तथा प्रशासनिक लागतों पर काबू रखकर लागत में कमी करने हेतु सेल में निगम और संयंत्र दोनों स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है।

**विवरण**

**"सेल" के कारखानों में विशेष/आवश्यक मदों का उत्पादन**

(इकाई टन)

| मदें | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| बायलर क्वालिटी प्लेटें | 6860 | 6612 | 14867 | 11661 |
| जहाज निर्माण के काम आने वाले प्लेटें | 26878 | 22400 | 24457 | 18355 |
| आई०एस० : 2062 प्लेटें | 67805 | 45963 | 57351 | 74311 |
| विक्रय गर्म बेलित क्वायलें (2.55 मि०मी० तथा इससे कम) | 140406 | 152701 | 192191 | 272897 |
| 0.63 मि०मी० तथा इससे कम साइज के ठण्डे बेलित उत्पाद | 78177 | 76520 | 84441 | 91149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4/0.5 मि०मी की जी०पी०/ जी०सी० चादरें | 7359 | 15223 | 27538 | 35408 |
| विद्युतीय इस्पात की चादरें | 20971 | 12073 | 17241 | 26576 |
| एलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेटें | 41531 | 29685 | 48076 | 72781 |
| एल०पी०जी० चादरें | 21803 | 18314 | 62388 | 63007 |
| डी०/डी०डी०/ई०डी०डी० बिलड ठण्डे बेलित उत्पाद | 11827 | 8788 | 20288 | 25303 |
| रेल की पटरियां (परीक्षित) | 211000 | 255000 | 272000 | 294100 |
| एलेक्ट्रोड क्वालिटी वायर राड्स | 8500 | 10900 | 21500 | 19481 |
| फिश प्लेटें | 2541 | 2607 | 3100 | 2950 |
| टार-स्टील | 150039 | 164231 | 144002 | 136291 |
| कुल | 795697 | 821017 | 989440 | 1144270 |

[हिन्दी]

## पीतमपुरा में टी०वी० टावर का निर्माण

3091. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीतमपुरा, दिल्ली में बनाये जा रहे टी०वी० टावर के पूरा होने में अभी कितना काम बाकी है;

(ख) देश में इस प्रकार के कितने टी०वी० टावर स्थापित करने का विचार है और उक्त टी०वी० टावरों और इन्हें कितने समय तक के लिए बनाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने पीतमपुरा में टी०वी० टावर की स्थिरता और कार्यकाल के बारे में तकनीकी पहलुओं की जांच की है;

(घ) क्या यह सच है कि पीतमपुरा क्षेत्र के उत्तरी भाग में अनेक स्थानों पर वर्षा के कारण और अन्य कारणों से जमीन धंसी है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इसका प्रभाव टी०वी० टावर की स्थिरता पर पड़ने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) 235 मीटर ऊंचे आर०सी०सी० टी०वी० टावर का निर्माण कार्य 14 :.50 मीटर की ऊंचाई तक पूरा हो गया है। चार मंजिला स्काईपोट और इस ऊंचाई से ऊपर स्टील टावर का निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।

(ख) देश में किसी भी अन्य जगह पर इस प्रकार का टावर स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार के ढांचे की औसत मियाद 100 वर्ष से अधिक होने का अनुमान है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) परियोजना के लिए आवंटित क्षेत्र के अन्दर कोई जमीन नहीं धंसी है। इसके अलावा, पीतमपुरा में जिस किस्म का ढांचा निर्माणाधीन है, जमीन धंसने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## दूरदर्शन केन्द्रों का विकास

3092. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन को अद्यतन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए देश के रिले केन्द्रों का विकास करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) राजस्थान में कितने दूरदर्शन केन्द्रों का विकास किये जाने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) उपलब्ध संसाधनों के भीतर दूरदर्शन की सातवीं योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, (1) अधिकतम कवरेज प्राप्त करने की दृष्टि से उपयुक्त स्थानों के मौजूदा दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटरों का दर्जा बढ़ाने, (2) उन बड़े राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना करने जहां ये इस समय नहीं हैं तथा (3) राज्यों के ट्रांसमीटरों को माइक्रोवेव/उपग्रह लिंकों के माध्यम से संबंधित राजधानियों के दूरदर्शन केन्द्रों से जोड़ने की व्यवस्था है ताकि राज्य की राजधानी से प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों को संबंधित राज्य के ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जा सके। इसके अलावा, महत्वपूर्ण रिले केन्द्रों में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना करने की स्कीमों को योजना में शामिल किया गया है।

(ख) जबकि जयपुर में एक पूर्ण रूपेण रंगीन दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र, पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है, सातवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में कोटा, जैसलमेर और बाड़मेर के अल्पशक्ति (100 वाट) वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले

ट्रांसमीटरों में बदलने तथा अल्प शक्ति (100 वाट) वाले 13 नए दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है। इसके अलावा, इनसेट-2 उपग्रह समूह जिसके 1990 के बाद चालू हो जाने की उम्मीद है की मदद से जयपुर में निर्मित कार्यक्रमों को राज्य में सभी ट्रांसमीटरों को जयपुर में निर्मित कार्यक्रमों को रिले करने के लिए समर्थ बनाने के लिए जयपुर में एक उपग्रह अपलिंक स्थापना करने की स्कीम को सातवीं योजना में सम्मिलित किया गया है।

[अनुवाद]

**समाचार-पत्रों में वीडियो फिल्मों की समीक्षा**

3093. **डा० डी० एन० रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात की गई वीडियो फिल्मों की देश के समाचार-पत्रों में नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है;

(ख) क्या ऐसी वीडियो फिल्मों का आयात सरकार की जानकारी और अनुमति से किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1984 और 1985 के दौरान जिन वीडियो फिल्मों के आयात की अनुमति दी गई थी उनके नाम क्या हैं और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) :** (क) से (ग) विदेशी विडियो फिल्मों की समीक्षाएं कुछ समाचार-पत्रों में अवश्य प्रकाशित होती हैं। तथापि, इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या ये सभी समीक्षाएं आयातित वीडियो फिल्मों से सम्बन्धित होती हैं।

लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल, 1984 मार्च, 1985 से, वीडियो फिल्मों (दूरदर्शन द्वारा आयात की जाने वाली वीडियो फिल्मों को छोड़कर) का आयात करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है। इसने अब तक 8.35 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च करके निम्नलिखित 19 वीडियो फिल्मों का आयात किया :—

1. डिसएपियरेंस आफ हैरी
2. ब्लेक वेक्स
3. गिरो सिटी
4. ब्लूय हवाली
5. रिटर्न आफ दि मेन फ्राम अंकल

6. स्वेंगली

7. दि फौनेक्स

8. फन्टोम आफ दि ओपेरा

9. मर्डर इन म्यूजिक सिटी

10. दि लास्ट टाइकून

11. कानक्रीट काऊब्याज

12. फन इन एकापुल्को

13. हाई नून II

14. दि अपेजिंग डोबेर मैंस

15. बैड एण्ड लव

16. केलीफोर्निया गोल्ड रश

17. एंजल आन माई सोल्जर

18. बोगी दि लास्ट हीरो

19. विवेज व्रियू

निगम ने किसी भी गैर सरकारी पार्टी को वीडियो फिल्मों का आयात करने की अनुमति नहीं दी है। ऊपर दी गई सूचना में दूरदर्शन द्वारा आयात की गई वीडियो फिल्मों तथा साधारण लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात की गई वीडियो फिल्मों अर्थात् शैक्षणिक और यथार्थ स्वरूप प्रधान वीडियो फिल्मों और शिक्षण सहायता के रूप में प्रशिक्षण संस्थानों आदि द्वारा आयात की गई वीडियो फिल्मों के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

**आंध्र प्रदेश को आवास तथा शहरी विकास निगम हुडको द्वारा उदार सहायता**

3094. **डा० डी०एन० रेड्डी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने आवास कार्यक्रमों में तेजी लाने की दृष्टि से सहायता करने हेतु आवास तथा शहरी विकास निगम से उदार सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य की राजधानी में आवास की कमी को दूर करने के लिये उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) हुडको ने वर्ष 1985-86 के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को 28.07 करोड़ रुपये की राशि नियतित की थी। इस नियतन की तुलना में, 28-2-1986 को वास्तविक स्वीकृतियां 44.38 करोड़ रुपये की हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान, 13.82 करोड़ रुपये के ऋण सहित 18.95 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से हैदराबाद शहर के लिए अब तक 27 योजनायें स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं में 5511 रिहायती एककों तथा दो वाणिज्यिक काम्पलैक्सों का निर्माण शामिल होगा।

## इस्पात पर जस्ता और अल्यूमीनियम की कोटिंग करने हेतु प्रौद्योगिकी

3095. श्री सरफराज अहमद : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का विचार भारत में इस्पात सयंत्रों के लिए जस्ता और एल्यूमिनियम कोटिंग हेतु एक नई उच्च प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये आस्ट्रेलिया के बी०एच० पी० ग्रुप के साथ संयुक्त अध्ययन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला इस्पात कारखाने और बोकारो इस्पात कारखाने में चादर उत्पादों की गल्वैल्यूम कोटिंग पद्धति शुरू करने के लिए आस्ट्रेलिया के बी०एच०पी० ग्रुप के साथ संयुक्त शक्यता अध्ययन कर रही है।

(ख) शक्यता अध्ययन से राउरकेला की वर्तमान टिनिंग लाइन तथा बोकारो की नई गैलवनाइसिंग लाइन के गल्वैल्यूम कोटिंग के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। इस अध्ययन के अप्रैल, 1986 में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

## बुन्देलखण्ड में खनिज सर्वेक्षण

3096. श्री उत्तमचन्द्र जैन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए बुन्देलखण्ड (मध्य प्रदेश) में काफी बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि सर्वेक्षण कराने की इस प्रकार की कोई योजना है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) खनिजों का सर्वेक्षण लगातार चलने वाला कार्य है। भारतीय भूवैज्ञानिक द्वारा मध्य प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के छतरपुर, सागर, ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया, दमोह जिलों के बड़े क्षेत्रों में प्राथमिक खनिज सर्वेक्षण किया गया है। आगामी फील्ड सत्र में ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में रोक फास्फेट और आधार धातुओं हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण शुरू किये जाने की संभावना है। इस समय छतरपुर, टीकमगढ़ और गुना जिलों में सर्वेक्षण चल रहा है।

[अनुवाद]

## विदेशों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा

3097. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से जनशक्ति का आयात करने वाले देशों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार ने कतार राज्य के साथ एक श्रम करार किया है जिसके तहत भारतीय श्रमिकों की भर्ती और मजदूरी की अदायगी एवं नियोजन की मूल शर्तें तथा सेवा लाभों की प्राप्ति विनियमित की जाएगी। इसमें श्रमिकों की शिकायतों का तुरन्त समाधान करने के लिए भी एक उपबंध है। सरकार श्रमिकों की मांग करने वाले अन्य देशों के साथ ऐसे ही करार करने के लिए बातचीत कर रही है।

## पत्रकारों को अन्तरिम सहायता

3098. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंतरिम सहायता देने में देरी के कारण श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों में बढ़ते हुए असंतोष की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) क्या किन्ही प्रतिष्ठानों ने अपने कर्मचारियों को अंतरिम सहायता दे दी है और यदि हां, तो उनके नाम क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,

1955 के अधीन भारत सरकार द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए, जुलाई, 1985 में गठित मजदूरी बोर्डों की मजदूरी की अंतरिम दरों के बारे में सिफारिशें अभी प्राप्त होनी है। सरकार ने मजदूरी बोर्डों से पहले ही अनुरोध किया है कि वे अपनी सिफारिशें शीघ्र दें। इन सिफारिशों के प्राप्त होते ही सरकार उन पर उक्त अधिनियम की धारा 13-क के अधीन विचार करेगी।

(ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मांगी गई है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना**

3099. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक जिले में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना करने हेतु सरकार ने क्या मानदंड बनाए हैं;

(ख) क्या ऐसे रिले केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करते समय भौगोलिक क्षेत्र और उसके प्रसारण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार महाराष्ट्र के अहमदनगर में, जो भौगोलिक दृष्टि से राज्य में सबसे बड़ा जिला है लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु निकट भविष्य में नये केन्द्र खोलने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) :** (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्रों के लिए स्थानों का चयन करने के मानदंड में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के परिणामी कवरेज की सीमा; पिछड़े दूरस्थ तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को सेवा; साथ लगे क्षेत्रों में ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन सेवा की उपलब्धता; कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों से जोड़ने की सुविधाओं की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं जैसी विभिन्न बातें शामिल हैं।

(ग) और (घ) अहमदनगर में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है। सातवीं योजना अवधि के दौरान, संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, और पुणे स्थित मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से बदलने का प्रस्ताव है। इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, अहमदनगर ज़िले में दूरदर्शन कवरेज में और सुधार होने की उम्मीद है।

## कृषि-उत्पादों पर आधारित नई एकीकृत अनुसंधान प्रयोगशालाएं

3100. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सकल राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकतम रोजगार प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार देश में गन्ना, सीरा आदि जैसे कृषि उत्पादनों पर आधारित नई एकीकृत अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है ताकि कृषि के माध्यम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या निकट भविष्य में उठाए जाने का विचार है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान। यह कुल राष्ट्रीय आय का एक मुख्य स्रोत है। इससे करीब 37% आय प्राप्त होती है और अधिकतम रोजगार भी मिलता है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) खाद्य विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहा कानपुर का राष्ट्रीय गन्ना संस्थान पहले से ही गन्ने और सीरे के अधिक उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का कार्य कर रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 7वीं योजना के दौरान एक केन्द्रीय पोस्ट हार्वेस्ट इंजिनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की भी योजना तैयार की गई है। यह संस्थान कृषि उत्पाद और उपोत्पादों के उपयोग को बढ़ाने के लिए अनुसंधान कार्य करेगा। विकसित की गई प्रौद्योगिकियों पर आधारित उद्योगों से न केवल राष्ट्रीय आय बढ़ेगी बल्कि इससे अधिक रोजगार भी प्राप्त होगा।

## कर्नाटक में शुष्क भूमि खेती

3101. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सूखा-प्रवण क्षेत्रों जिलों में शुष्क भूमि खेती में सुधार करने का है;

(ख) क्या कर्नाटक के सूखा-प्रवण जिलों में ऐसे किसी कार्यक्रम की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) परम्परागत कृषि पद्धतियों के पुनर्गठन, उपयुक्त कृषिशास्त्रीय प्रणालियों तथा भूमि और जल संरक्षण की तकनीकों को अपनाकर शुष्क भूमि पर खेती की उत्पादकता में सुधार लाना सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के मूल उद्देश्यों में से एक है, जिसे 13 राज्यों के 90 जिलों के 615 खण्डों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि और जल संरक्षण तथा शुष्क भूमि पर उन्नत कृषि प्रणालियों द्वारा वाटरशेड पर आधारित शुष्क भूमि पर खेती के विकास पर जोर दिया जाता है। शुष्क भूमि पर खेती की नवीनतम तकनीकों के बारे में ज्ञान देने के लिए इन क्षेत्रों में फसल निदर्शनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, खेती के दिनों, खेतों के दौरों और शुष्क भूमि केन्द्रों के दौरों द्वारा उन्नत कृषि-शास्त्रीय प्रणालियां और नई फसलें एवं फसल-चक्र आरम्भ किए गये हैं। किसानों के खेतों में शुष्क भूमि पर खेती की नवीनतम प्रौद्योगिकी का विस्तार करने के लिए योनजाओं को तैयार करने में कृषि वैज्ञानिकों को सम्बद्ध किया जा रहा है।

कर्नाटक में, जहां सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 11 जिलों के 71 खण्डों में लागू किया जा रहा है, भूमि और नमी संरक्षण के कार्य शुरू किए जा रहे हैं, जैसे खेतों की मेंडों, खेतों के तालाबों और रिसने वाले तालाबों का निर्माण तथा भूमि को खेती के लिए तैयार करना और नालियां बनाना। सबाबूल खेती के निदर्शनों और शुष्क भूमि के खेतों पर भूमि निदर्शन को मजबूत बनाने जैसे कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं के अतिरिक्त, 1983-84 से मैसूर जिले के शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण/फसल कटाई की प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए एक केन्द्रीय खण्ड योजना भी चल रही है। 1986-87 से, इस योजना को वर्षा पर निर्भर खेती के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम की नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना में मिलाये जाने का प्रस्ताव है, जिसे चुने हुए जिलों में लागू किया जायेगा। इस योजना के लिए चुने जाने वाले जिलों में कर्नाटक के कुछ सूखा-संभावित जिलों को भी शामिल किया जायेगा।

## केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जल पूर्ति योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को वित्तीय आवंटन

3102. *प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जल पूर्ति की सभी योजनाओं को तेजी से चालू करने और शीघ्र पूरा करने हेतु हिमाचल प्रदेश को पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित किया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में वर्ष. 1985-86 और 1986-87 की वार्षिक योजनाएं क्या हैं?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) पेय जल आपूर्ति का प्रबन्ध करना राज्यों की जिम्मेदारी है। केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के राज्यों के प्रयासों में केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान कर उनकी

मदद करता है। वर्ष 1985-86 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को 91.84 लाख रुपए दिए गए हैं। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के लिए आबंटन अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

**दूरदर्शन केन्द्रों में दूसरा चैनल शुरू करना**

3103. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य दूरदर्शन केन्द्रों में भी दूसरा चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों के नाम क्या हैं और दूसरा चैनल कब से शुरू होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) :** (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास और कलकत्ता में द्वितीय चैनल दूरदर्शन सेवा 1987 के दौरान चालू करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**केरल में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर**

3104. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में किसी नये उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्वीकृति देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं और उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) :** (क) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**तिलहनों की श्रेणी में शामिल किए गए बीज**

3105. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी किस्म के बीजों को तिलहनों की श्रेणी में शामिल किया गया है; और

(ख) किसी किस्म के बीजों को तिलहनों की श्रेणी में शामिल करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) आमतौर पर "तिलहन" के तहत हर साल उगाए जाने वाले तिलहन जैसे, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन, रामतिल, अलसी और एरेंड शामिल हैं। तथापि, कुछ अन्य ऐसे तेल वाले पौधे हैं, जिनसे तेल निकाला जा सकता है, परन्तु वे सामान्यतः तिलहनों की श्रणी में नहीं आते।

## भूमिहीन श्रमिकों को भूमि

3106. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
**श्री कमला प्रसाद सिंह**
} क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने भूमिहीन श्रमिक हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने भूमिहीन श्रमिकों को वर्ष-बार भूमि का आवंटन किया गया है; और

(ग) शेष भूमिहीन श्रमिकों को कृषि के लिये भूमि कब तक दी जाएगी ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) 1981 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में 55,499,704 खेतीहर मजदूर हैं। असम को छोड़कर जहां 1981 में जनगणना नहीं की गई थी।

(ख) कृषि जोतों की अधिकतम भू-सीमा लागू होने के फलस्वरूप प्राप्त फालतू भूमि के वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को भूमि वितरित की गई है और पिछले तीन सालों के राज्यवार, वर्षवार, आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भूमिहीन कृषकों को भूमि उपलब्ध कराना वितरण हेतु भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा लागू करने के परिणाम-स्वरूप राज्य के पास उपलब्ध 43.30 लाख एकड़ फालतू भूमि को अब तक 33.76 लाख लाभार्थियों में वितरित कर दिया गया है। लगभग 16.97 लाख एकड़ भूमि मुकदमेबाजी में फंसी हुई है तथा न्यायालय में मामलों के निपटाए जाने के पश्चात् मुक्त होने पर ही यह भूमि वितरण हेतु उपलब्ध होगी। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मुकदमेबाजी में फसे मामलों को शीघ्र निपटाने, वितरित न की गई भूदान भूमि तथा कृषि योग्य बंजर भूमि का शीघ्र आबंटन करने के लिए कदम उठाएं।

विवरण

(एकड़ में)

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | वितरित क्षेत्र | | |
|---|---|---|---|
| | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 22,500 | 13,077 | 22,169 |
| 2. असम | 8,080 | 20,327 | 11,200 |
| 3. बिहार | 8,300 | 22,678 | 20,351 |
| 4. गुजरात | 14,300 | 29,016 | 12,943 |
| 5. हरियाणा | 3,140 | 2,313 | 2,910 |
| 6. कर्नाटक | 97,620 | 6,322 | 6,671 |
| 7. केरल | 2,590 | 2,183 | 3,591 |
| 8. मध्य प्रदेश | 8,040 | 5,388 | 2,020 |
| 9. महाराष्ट्र | 2,040 | 7,382 | 13,210 |
| 10. मणिपुर | 4,20 | 271 | 345 |
| 11. उड़ीसा | 8,410 | 10,857 | 9,595 |
| 12. पंजाब | 5,540 | 2,690 | 997 |
| 13. राजस्थान | 17,800 | 24,608 | 24,086 |
| 14. तमिलनाडु | 11,960 | 11,412 | 5,067 |
| 15. त्रिपुरा | 320 | 90 | 112 |
| 16. उत्तर प्रदेश | 4,830 | 6,910 | 5,003 |
| 17. पश्चिम बंगाल | 26,070 | 24,888 | 17,764 |
| 18. संघ शासित क्षेत्र | 687 | 564 | 194 |
| अखिल भारत | 2,42,647 | 1,90,996 | 1,58,228 |

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की नीलामी

3107. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष-वार कितने भूखण्डों की नीलामी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने भूखण्डों का आबंटन किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान नीलामी और आबंटन से दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितना मुनाफा हुआ ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलाम किए गए औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा रिहायशी प्लाटों की कुल संख्या के बारे में ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

| 1983 | 1984 | 1985 | योग |
|---|---|---|---|
| 308 | 397 | 1525 | 2230 |

(ख) इसी अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित प्लाटों की कुल संख्या 27272 है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में सही सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के धारचूला, मुनस्यारी, जोशीमठ में दूरदर्शन सुविधाएं

3108. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सीमावर्ती क्षेत्र में दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में धारचूला, मुनस्यारी और जोशीमठ तहसीलों को भी उक्त योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :(क) जी, हां, ।

(ख) जी, नहीं।

**शीत जल मत्स्य अनुसंधान केन्द्र को अन्यत्र ले जाना**

3109. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में स्थित शीत जल मत्स्य अनुसंधान केन्द्र को उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो वह किस स्थान पर स्थित है; और

(घ) क्या यह सच है कि जहां यह केन्द्र आरम्भ किया गया है वहां बर्फीली धाराएं नहीं हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी, नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

**उत्तर प्रदेश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत खंडों को शामिल करना**

3110. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में कितने अतिरिक्त विकास खण्डों को शामिल किया गया है; और

(ख) इन विकास खण्डों के नाम क्या हैं तथा इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) और (ख) सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 87 खण्डों में 1985-86 से क्रियान्वित किया जा रहा है। उन खण्डों का नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम में किसी अतिरिक्त खण्ड के शामिल किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

**विवरण**

**सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल किए गए उत्तर प्रदेश के खंडों की सूची**

| | जिले का नाम | खण्डों के नाम |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| 1. | मिर्जापुर | 1. छानवे |
| | | 2. हलिया |
| | | 3. घोड़ावाल |

| 1 | | 2 |
|---|---|---|
| | | 4. रोबर्टगंज |
| | | 5. छतारा |
| | | 6. नागवा |
| | | 7. चोपन |
| | | 8. मयूरपुर |
| | | 9. दूधी |
| | | 10. बभानी |
| 2. | हमीरपुर | 1. सुमेरपुर |
| | | 2. मौधा |
| | | 3. कबारी |
| | | 4. चरखरी |
| | | 5. सरीला |
| 3. | जालौन | 1. डकोर |
| | | 2. कदौड़ा |
| | | 3. महेवा |
| 4. | बांदा | 1. कर्वी |
| | | 2. मानिकपुर |
| | | 3. मऊ |
| | | 4. पहाड़ी |
| | | 5. रामनगर |
| | | 6. नरैनी |
| | | 7. कमसदीन |
| | | 8. जसपुरा |
| | | 9. तिंदवाड़ी |
| | | 10. बवर खुर्द |

| 1 | | 2 |
|---|---|---|
| 5. | इलाहाबाद | 1. शंकरगढ़ |
| 6. | झांसी | 1. मऊरानीपुर |
| | | 2. गुरसराय |
| | | 3. बामौड़ |
| 7. | बहराइच | 1. इकौना |
| | | 2. जिलौला |
| | | 3. सिरसिया |
| | | 4. हरिहरपुर रानी, |
| | | 5. बाल्हा |
| | | 6. नवाबगंज |
| | | 7. शिवपुर |
| | | 8. महसी |
| | | 9. तजवापुर |
| | | 10. फखरपुर |
| | | 11. हुजूरपुर |
| | | 12. महींपुरवा |
| | | 13. केसरगंज |
| | | 14. जरवल |
| 8. | ललितपुर | 1. बिर्घा |
| | | 2. महावाड़ा |
| 9. | लखीमपुर खेरी | 1. बिजुवा |
| | | 2. नकाहा |
| 10. | सीतापुर | 1. बिहटा |
| | | 2. सकरान |
| | | 3. रिओसा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | गोंडा | 1. गैंसाड़ी |
| | | 2. हरिया सतपुरवा |
| | | 3. पंचपुर्वा |
| | | 4. तुलसीपुर |
| 12. | चमोली | 1. जोशीमठ |
| | | 2. नारायण बगड़ |
| | | 3. गैरसैण |
| | | 4. थराली |
| 13. | पौड़ी गढ़वाल | 1. पौड़ी |
| | | 2. लैंसडाउन |
| | | 3. कोटा |
| | | 4. खिरसु |
| | | 5. बिरोखाल |
| | | 6. पाबो |
| | | 7. कलजीखाल |
| | | 8. थैलीसैण |
| | | 9. यमकेश्वर |
| | | 10. ढांगु |
| 14. | टिहरी गढ़वाल | 1. थम्बा |
| | | 2. देवप्रयाग |
| | | 3. कीर्तिनगर |
| 15. | अल्मोड़ा | 1. टकुला |
| | | 2. लमगढ़ |
| | | 3. कपकोट |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 4. ताड़ीखेत |
| | | 5. द्वार हाट |
| | | 6. भिकियासैण |
| | | 7. स्यालदे |
| | | 8. साल्ट |
| 16. | पिथौरागढ़ | 1. पिथौरागढ़ |
| | | 2. गंगोलीहाट |
| | | 3. चम्पावत |
| | | 4. बड़कोट |
| | | 5. लोहाघाट |

कुल 87 खंड

## सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि

3111. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में वर्ष 1985-86 के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) कार्यक्रम-वार खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में वर्ष 1985-86 के दौरान अब तक 51.08 लाख रुपये व्यय किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। व्यय का खण्ड-वार ब्योरा नीचे दिया गया है : —

(लाख रुपये में)

| खंड | | जिले | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | अल्मोड़ा | पिथौरागढ़ |
| 1. | लघु सिंचाई | 0.35 | 17.00 |
| 2. | भूमि संरक्षण | 25.03 | — |
| 3. | वनरोपण | 3.68 | 3.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | पशुपालन | — | 0.50 |
| 5. | बागवानी | 0.35 | — |
| 6. | अन्य | 0.11 | 0.17 |
| | | 29.52 | 21.56 |

[अनुवाद]

## इस्पात वितरण के लिए नयी नीति

3112. श्री बनवारीलाल पुरोहित : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात वितरण के लिए एक नयी नीति घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त नीति कब तक घोषित की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) लोहे तथा इस्पात का वितरण मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित मार्गदर्शी-सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है। अन्तिम बार वर्ष 1980 में मार्गदर्शी-सिद्धान्त जारी किये गए थे तथा उनमें समय-समय पर संशोधन किया गया था। इन मार्गदर्शी-सिद्धान्तों की समीक्षा की जा रही है।

(ग) नए मार्गदर्शी-सिद्धांत मुख्य उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य सरकारी विभागों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् जारी किए जाएंगे।

## डी०डी०टी० और बी०एच०सी० कृमिनाशकों के खतरों का मूल्यांकन

3113. श्री पी०आर० कुमारमंगलम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कार्यों में डी०डी०टी० और बी०एच०सी० कृमिनाशकों का उपयोग करने से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले खतरों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने डा० एस०एन० बनर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और यदि हां, तो इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) क्या महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) इस मंत्रालय ने डी०डी०टी० तथा बी०एच०सी० के खतरों का मूल्यांकन करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है। तथापि, डी०डी०टी० और बी०एच०सी० सहित उन सभी कीटनाशकों, जिन पर अन्य देशों में प्रतिबन्ध अथवा नियन्त्रण लगाया गया है, का भारत में प्रयोग किए जाने हेतु समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। उक्त समिति ने डी०डी०टी० के संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारिश को अमल में लाने या न लाने के प्रश्न पर, इसकी जांच करने और सभी सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखने के बाद विचार किया जा सकता है।

## मूल्य निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि मूल्य विपणन आयोग

3114. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो वैगनों के पहुंचने पर दिल्ली में नारियल के तेल के मूल्यों में गिरावट आई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कृषि पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादकों और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से अन्तर्राज्यीय माल और पूर्ति के उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि मूल्य विपणन आयोग की स्थापना करने का है; और

(घ) क्या इस प्रकार का एक प्राधिकरण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भी स्थापित किया जाएगा ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) हाल ही के सप्ताहों में सप्ताहान्त में दिल्ली में नारियल के तेल की थोक कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है, परन्तु खुदरा स्तर पर ये कीमतें स्थिर रही हैं।

(ख) कृषि उत्पादों के व्यापार सहित सभी व्यापारों में सट्टे का तत्व विद्यमान है, जिसमें जिन्स के उत्पादन/क्रय और विक्रय के बीच समय का अन्तर होता है। फिर भी, जल्दी खराब हो जाने वाली कृषि जिन्सों के मामले में सट्टे की गुंजाइश घट जाती है, क्योंकि उनके उत्पादन/क्रय और विक्रय के बीच समय का अन्तर सीमित होता है।

(ग) और (घ) सरकार का राष्ट्रीय कृषि मूल्य विपणन आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## देश में बीड़ी मजदूर

3115. प्रो०के०वी० थामस : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार बीड़ी मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या बीड़ी मजदूरों के लिए एक समान मजदूरी नीति कार्यान्वित की जाएगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) बीड़ी श्रमिकों की राज्यवार अनुमानित संख्या नीचे दर्शाई गई है:—

| राज्य | संख्या लाखों में |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 2.50 |
| बिहार | 3.50 |
| गुजरात | 0.22 |
| कर्नाटक | 3.00 |
| केरल | 1.50 |
| मध्य प्रदेश | 5 00 |
| महाराष्ट्र | 2.50 |
| उड़ीसा | 1.60 |
| राजस्थान | 0.35 |
| तमिलनाडु | 2.00 |
| उत्तर प्रदेश | 4.50 |
| पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय | 4.50 |

(ख) सन् 1978-79 में श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए एक नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, बीड़ी श्रमिकों में से 22% महिलाएं और 1% बच्चे थे।

(ग) न्यूनतम मजदूरी दरों में सामान्यतः और बीड़ी उद्योग में विशेषकर, एक-रूपता के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया है। मजदूरी दरों में एकरूपता के आम प्रश्न पर जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 31वें अधिवेशन में चर्चा की गई। इस सम्मेलन में यह सहमति हुई कि हालांकि निश्चित एकरूपता संभव नहीं है, लेकिन पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्धारित

मजदूरी दरों में बहुत अधिक विषमता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे "उद्योग" एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होते हैं। तदनुसार सम्मेलन ने जोर दिया की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दरों को निर्धारित/संशोधित करते समय निर्धारित दरों से अन्य राज्य में "उद्योग" पर, विशेषकर पड़ोसी राज्यों पर पड़ सकने वाले प्रभाव पर उचित ध्यान दिया जाए।

सामान्यत: राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न पर भारतीय श्रम सम्मेलन के नवम्बर, 1985 में हुए 28वें अधिवेशन में भी चर्चा की गई। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि जब तक यह व्यवहार्य न हो, तब तक न्यूनतम मजदूरी नियत करना वांछनीय होगा।

**उड़ीसा में समुद्र मात्स्यकी को प्रोत्साहन देना**

3116. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र मत्स्यकी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में अब तक इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का सातवीं योजना में उड़ीसा में समुद्री मत्स्यकी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में इस प्रयोजन के लिए चलाई जाने वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी, हां।

(ख) समुद्री मत्स्यन विकास की महत्वपूर्ण योजनायें हैं—तट पर लगने और रुकने की सुविधाओं की व्यवस्था, समुद्री मछली के साधनों का सर्वेक्षण, यांत्रिक नौकाएं चलाना परम्परागत जलयानों का मशीनरीकरण और मछुआरों के लिए कल्याण के उपाय करना। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धमरा में 70 लाख रुपये की लागत से एक लघु मत्स्यन बन्दरगाह और चांदीपुर (14.74 लाख रुपये) सैवेलिया (2.4 लाख रुपये), पठारा (2.50 लाख रुपये) और चूड़ामणि (14.07 लाख रुपये) में चार मछली अवतरण केन्द्र पूरे हो चुके हैं। युनाइटेड किंगडम सरकार के विदेशी विकास प्राधिकरण (ओ० डी० ए०) की सहायता से 642 लाख रुपये की अनुमानित लागत से आस्ट्रांग में एक मत्स्यन परियोजना जनवरी, 1984 से कार्यान्वित की जा रही है। भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण द्वारा लगभग 40 फैदम तक मत्स्य साधनों का संरक्षण किया जा चुका है और इसके बाद के क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। लगभग 775 यांत्रीकृत नौकाएं कार्यरत हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ऋषिकुल्य में मत्स्य अवतरण केन्द्र के निर्माण के लिए बंगलौर स्थित केन्द्रीय तटीय मत्स्यकी इन्जीनियरिंग संस्थान द्वारा तैयार की गई एक परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत तट अवतरण जलयान चलाना शुरू करने और परम्परागत मत्स्यन जलयानों का मशीनीकरण करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित समूह दुर्घटना बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कल्याण निधि सोसायटी को कल्याण संबंधी उपायों का लाभ भी प्राप्त कर रही है।

## राष्ट्रीय प्रचार माध्यम

3117. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय प्रचार माध्यम नीति शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या प्रचार माध्यमों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया है और इस मामले में उनकी राय ली गई है ;

(ग) अन्य किन-किन वर्गों के लोगों के विचार आमन्त्रित किए गए हैं ;

(घ) उक्त सुझाओं की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) इस नीति के कब तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में आल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, इन्डियन फैडरेशन आफ स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स तथा कुछ व्यक्तियों के विचार प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रेस निकायों और व्यावसायिक संगठनों सहित सूचना और जन सम्पर्क माध्यम के क्षेत्र में लगे जनमत वाले सभी वर्गों का इस विषय पर अपने विचार सरकार को भेजने के लिए स्वागत है।

(घ) प्राप्त सभी विचारों को राष्ट्रीय माध्यम नीति का मसौदा तैयार करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

(ङ) कई सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों से परामर्श करने में अन्तर्निहित जटिलताओं और समय लेने वाली प्रक्रिया को देखते हुए, इस अवस्था पर यह कहना कठिन है कि राष्ट्रीय माध्यम नीति को वास्तव में कब तक अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

## तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य

3118. श्री हरिहर सोरन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में तिलहनों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1986-87 में खाद्य तेल और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985-86 के दौरान 136 लाख मीटरी टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) तिलहन फसल वर्ष 1985-86 अभी समाप्त नहीं हुआ है। अतः लक्ष्य की तुलना में तिलहन उत्पादन को बताना सम्भव नहीं है।

(घ) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1984-85 में शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को 1986-87 के दौरान भी जारी रखा जा रहा है।

## जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत मत्स्य विकास कार्यक्रम

3119. श्री हरिहर सोरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में जनजाति उपयोजना और संघटक योजना कार्यक्रम के माध्यम से मत्स्य विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में जनजाति उप-योजना क्षेत्रों और संघटक योजना कार्यक्रम क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं! और

(ग) उन राज्यों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :(क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्मशियल धारावाहिक

3120. श्री के० एस० राव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों दूरदर्शन पर अनेक कार्मशियल धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन को वर्ष 1984 और 1985 के दौरान कुल कितने धारावाहिक प्राप्त हुए और उनमें से कितने स्वीकार, अस्वीकार किए गए अथवा विचाराधीन है;

(ग) कर्मशियल धारावाहिकों के लिए प्राप्त पेशकशों के मूल्यांकन का कार्य कितने कर्मचारियों को सौंपा हुआ है ;

(घ) इन पेशकशों को किन मुख्य आधारों अथवा मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार को इन धारावाहिकों के मूल्यांकन में पक्षपात अथवा विलम्ब करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| वर्ष | वाणिज्यिक धारावाहिकों के लिए प्राप्त प्रास्तावों की कुल संख्या | उन धारावाहिकों की संकल्पनाओं/विचारों की संख्या जिन्हें स्वीकृत कर दिया है तथा अंतिम विचार के लिए पाइलेट मांग गए हैं | अस्वीकृत किए गए धारावाहिकों की सं० | विचाराधीन धारावाहिकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 51 | 23 | 28 | — |
| 1985 | 944 | 119 | 310 | 515 |

(ग) दूरदर्शन को प्रस्तुत धारावाहिक टी०वी० कार्यक्रमों की प्रायोजकता संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन दूरदर्शन महानिदेशालय के महानिदेशक, अपर महानिदेशक तथा संबंधित कार्यक्रम नियंत्रक की एक समिति द्वारा किया जाता है।

(घ) दूरदर्शन को प्रायोजित कार्यक्रम के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच विषय वस्तु विषय के प्रतिपादन, पहुंच, आलेख की गुणवत्ता, निर्माण दल के अनुभव और ख्याति आदि के आधार पर की जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में गैस का रिसाव

3121. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फरवरी मास में राउरकेला इस्पात संयंत्र के चौथे ब्लास्ट फार्नेस में गैस के रिसाव का पता लगा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात कारखाने की धमन भट्ठी नं० 4 के समीप धमन भट्ठी की अपरिष्कृत गैस के "मेन" के नेमी निरीक्षण के दौरान 25 जनवरी, 1986 को मामूली गैस-रिसाव होने का पता लगा था।

मेन पाइप लाइन के "क्लीनिंग साकेट" की वैल्डिंग कुछ स्थानों पर आंशिक तौर पर टूट गई थी, जिससे यह रिसाव हुआ। पाइप लाइन की टाप पर "एक्सप्लोजन फलैप" से कुछ रिसाव होने का भी पता चला था। पाइप लाइन पर चक्रिल दरारें होने का भी पता चला था।

निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किये गये थे :—

(i) प्रभावित क्षेत्र की घेरा-बन्दी करने के लिए कार्यवाही की गई थी और विभिन्न स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लागाए गए थे। समीपवर्ती पथ की मोर्चाबन्दी भी कर दी गई थी।

(ii) सुरक्षा के पूरे एहतियातों के साथ मरम्मत का कार्य किया गया था।

(iii) आसपास के क्षेत्रों में गैस की मात्रा के बारे में चौबीसों घंटे नियमित अंतराल पर निगरानी रखी गई थी।

अब गैस के रिसाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

गैस रिसने के परिणामस्वरूप चोट लगने अथवा गैस से प्रभावित होने का कोई मामला नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

भारतीय और पाकिस्तानी पत्रकारों पर लगे प्रतिबन्धों का हटाया जाना

3122. श्री शांति धारीवाल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एडिटर गिल्ड ने मांग की है कि भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों पर एक दूसरे के देश का दौरान करने पर लगे प्रतिबंधों को सरकार को तुरन्त हटा देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रतिबंध को कब तक हटाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल )** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आमतौर पर, व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए भारत की यात्रा करने वाले वास्तविक पाकिस्तानी पत्रकारों पर वीसा संबंधी सामान्य पाबंदिया लागू नहीं होती । सामान्यत: उनको प्रत्येक स्टाप पर पुलिस को रिपोर्ट करने से छूट दी जाती है । इसके अतिरिक्त, उनको चार से अधिक स्थानों के लिए वीसा दिया जाता है यदि उनकी आवश्यकताएं इस प्रकार की हों । जहां तक भारतीय पत्रकारों की यात्रा पर पाकिस्तानी पाबंदियों का संबंध है, यह समझा जाता है कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने भी प्राय: भारतीय पत्रकारों के लिए वीसा संबंधी पाबंदियों से छूट दी है ।

**भारत और पाकिस्तान के बीच समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की अदला-बदली**

3123. **श्री शांति धारीवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "एडीटर्स गिल्ड" से भारत और पाकिस्तान के बीच समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की अदला-बदली के बारे में कोई सुझाव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार निवासी संवाददाताओं की नियुक्ति के प्रश्न पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामले को पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर उठाया गया है । किन्तु पाकिस्तान सरकार इस बारे में अनिच्छा दिखाती रही है । तथापि, मामले में बातचीत जारी रखना मान लिया गया है ।

(ग) और (घ) दिल्ली और इस्लामाबाद में तीन-तीन निवासी संवाददाता पहले ही हैं । इस्लामाबाद में भारतीय पक्ष के जो संवाददाता हैं वे पी०टी०आई०, "टाइम्स आफ इंडिया" तथा आकाशवाणी से सम्बन्धित हैं । दिल्ली में पाकिस्तान के जो संवाददाता हैं, वे ए०पी०पी० समाचार एजेंसी, "जंग" तथा रेडियो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं । हाल ही में पारस्परिक आधार पर एक और निवासी संवाददाता नियुक्त करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति हुई है ।

क्योंकि यह पारस्परिक आधार पर किया जाना है, अत: इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा बताना कठिन है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**छतरपुर तथा टीकमगढ़ में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना**

3124. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में छतरपुर तथा टीकमगढ़ में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि छतरपुर और टीकमगढ़ में अल्प शक्ति वाला एक-एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं, तो भी इनका कार्यान्वयन योजना अवधि के दौरान धनराशि की वर्ष-वार उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

**गरीबी हटाओ कार्यक्रम सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करने की लागत**

3125. **श्री मोहम्मद महफूज़अली खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 400/- रुपए प्रति की अत्यधिक लागत पर एक विज्ञापन एजेंसी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म की सेवायें ली हैं;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट तैयार करने पर कुल कितनी लागत आती है और एक वर्ष में कितने अंक निकाले जाते हैं; और

(ग) इतनी अधिक लागत पर सूचनात्मक रिपोर्ट तैयार करने के क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (ग) ग्रामीण विकास विभाग ने "ग्रामीण विकास कार्य-निष्पादन रिपोर्ट, अप्रैल-दिसम्बर, 1985" नामक रिपोर्ट के डिजाइन' आर्ट-वर्क तथा मुद्रण हेतु एक विज्ञापन एजेंसी की सेवाएं प्राप्त की हैं। चूंकि विभाग ने केवल 250 प्रतियों का आर्डर दिया है, इसलिए एक प्रति की लागत 309 रुपये आई है। आर्डर की गई प्रतियों की कम संख्या को देखते हुए एक प्रति की लागत अधिक नहीं है। इस प्रगति रिपोर्ट में इस वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के राज्यवार लक्ष्यों तथा उप-

लब्धियों पर बहुरंगे चार्टों और टाइप-सज्जा द्वारा भली-भांति प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1985-86 के दौरान 1554 करोड़ रुपये (केन्द्रीय क्षेत्र) के परिव्यय वाले ग्रामीण विकास विभाग के सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है तथा इसे केन्द्रीय तथा राज्य-स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण माना गया है।

## भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों का विस्तार

3126. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के अन्त तक भिलाई और बोकारो के इस्पात संयंत्रों के विस्तार के काम में किस सीमा तक विलम्ब हुआ है और विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निरन्तर रुकावट आने के कारण परियोजना लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इन संयंत्रों के बारे में विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितना वार्षिक घाटा हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर इस्पात संयंत्रों को टर्न की आधार पर आधुनिक बनाने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि खर्च होगी तथा सरकार का प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए योजना को निर्धारित अवधि के भीतर किस प्रकार कार्यान्वित करने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब और इन परियोजनाओं के लागत अनुमानों में हुई वृद्धि सम्बन्धी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन कारखानों के विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित मुख्य अड़चनें रही हैं :—

(i) मुख्य संभारकों द्वारा उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब किया जाना,

(ii) मुख्य ठेकेदारों द्वारा सिविल तथा अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों के लिए संसाधनों का अपर्याप्त संचालन किया जाना; तथा

(iii) संविरचित ढांचों की सप्लाई में विलम्ब किया जाना।

मुख्यत: विभिन्न इकाइयों को क्रमिक रूप से चालू करने की अवधियों के दौरान उत्पादन की सृजित की गई क्षमताओं के आकलन में कठिनाई तथा विभिन्न उत्पादन इकाइयों में सामग्री के उत्पादन/अपक्षय के बारे में बने हुए असन्तुलनों के कारण भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों

में विस्तार की इन योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होने से उत्पादन में कमी की मात्रा के बारे में बताना मुश्किल है।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण एकमुश्त पेशकश के आधार पर अथवा कुछेक भिन्न-भिन्न एकमुश्त पेशकशों के आधार पर एक आद्योपांत धारणा अपनाकर किया जा सकता है। इस योजना पर लगभग 990 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है तथा इस योजना से कारखाने को 16 लाख टन (इस्पात पिंड) की अपनी वार्षिक निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

राउरकेला इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की 18 लाख टन की वार्षिक निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से 861 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस कारखाने में आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई थी। फिर भी स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० इस प्रस्ताव के विषय-क्षेत्र की समीक्षा और विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है।

931 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से टिस्को (बर्नपुर) के आधुनिकीकरण का एक प्रस्ताव भी बनाया गया है। यह संयंत्र को 10 लाख टन (लौह पिण्ड) की अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में मदद करेगा। परन्तु समग्र संसाधनों की अड़चनों को देखते हुए सातवीं योजना में इस योजना के लिए धन-राशि नहीं दी गई है।

**विवरण**

**बोकारो और भिलाई के इस्पात कारखानों की विस्तार योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब तथा मूल, संशोधित तथा प्रत्याशित लागत अनुमानों का ब्योरा**

(करोड़ रुपए)

| परियोजना | चालू करने की तिथि | | आधार तिथि सहित लागत अनुमान | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | मूल<br>संशोधित | संभावित | मूल | संशोधित | प्रत्याशित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **बोकारो इस्पात कारखाना** | | | | | |
| ठंडी बेलन मिल को छोड़कर 40 लाख टन तक विस्तार | जून, "79<br>———<br>नवम्बर, 1983 | दिस०" 86 | 947.24 (1974 मध्य) | 1637.55 (अप्रैल, 198[illegible]) | 1992.94 (अक्तूबर, 1985) |
| ठंडी बेलन मिल सहित 40 लाख टन तक विस्तार | दिस० "82<br>———<br>दिसम्बर, 1984 | मई, "88 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **भिलाई इस्पात कारखाना** | | | | | |
| 40 लाख टन तक विस्तार—प्रथम चरण | दिस०, 81 ——— मार्च, 84 | जून, 86 | 937.70 (वर्ष 1974 की प्रथम तिमाही) | 1600.50 (वर्ष 1981 की चौथी तिमाही) | 2256.41 (वर्ष 1985 की तीसरी तिमाही) |
| 40 लाख टन तक विस्तार—द्वितीय चरण | जून, 83 ——— दिस०, 84 | जन०, 88 | | | |

**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्य किसान विकास एजेन्सियां**

3127. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पालन (एक्वा कल्चर) के विकास के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर मत्स्य किसान विकास एजेंसियां स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1985-86 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने जिलों में ऐसी एजेंसियां स्थापित की गई हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी, हां। अधिकतर राज्यों में जिला स्तर की मछुआ विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं।

(ख) 1985-86 के दौरान 35 नई मछुआ विकास एजेंसियां स्थापित किए जाने की योजना थी।

(ग) और (घ) अब तक कुल 147 मछुआ विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। जिला स्तर की मछुआ विकास एजेसियों का ब्यौरा निम्नवत् है : आन्ध्र प्रदेश—5, असम—6, बिहार—24, गुजरात—5, हरियाणा—6, कर्नाटक—6, केरल—3, मध्य प्रदेश—9, मणिपुर—2, महाराष्ट्र—5, उड़ीसा—11, पंजाब—5, राजस्थान—6, तमिलनाडु—7, त्रिपुरा—3, उत्तर प्रदेश—26, पश्चिम बंगाल—14, और हिमाचल प्रदेश—1 (क्षेत्रीय स्तर), जम्मू और कश्मीर—2 (क्षेत्रीय स्तर) और नागालैंड—1, (राज्य स्तर)

**खारे पानी में झींगा मछली पालन विकास कार्य**

3128. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में खारे पानी में झींगा मछली पालन विकास और भूमि जलयाशित राज्यों में खारी भूमि का इस प्रयोजन के लिए उपयोग करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1985-86 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1985-86 के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नवत हैं—

| राज्य | लक्ष्य हैक्टार | उपलब्धि हैक्टार | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 500 | 75 | तकनीकी जानकारी का न होना |
| गुजरात | 500 | 52 | लगभग 500 हैक्टार क्षेत्र को मात्स्यकी के अन्तर्गत लाने के लिए केन्द्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान ने सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का कार्य पूरा कर लिया है। |
| कर्नाटक | 100 | — | तकनीकी जानकारी का न होना और सरकारी कब्जे में सीमित क्षेत्र |
| केरल | 500 | — | तकनीकी जानकारी का न होना |
| महाराष्ट्र | 50 | 42 | |
| उड़ीसा | 200 | 24 | तकनीकी जानकारी का न होना |
| तमिलनाडु | 200 | — | तकनीकी जानकारी का न होना |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 500 | — | लगभग 450 हैक्टार क्षेत्र को मात्स्यकी के अन्तर्गत लाने के लिए केन्द्रीय तटीय इंजीनियरी संस्थान ने सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का कार्य पूरा कर लिया है। |
| गोआ | निर्धारित नहीं किया गया है | 27 | |
| पांडेचेरी | निर्धारित नहीं किया गया है। | 25 | |

## राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्य बीज फार्म

3129. श्री डी० बी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में वाणिज्यिक आकार के मत्स्य बीज फार्मों का निर्माण करने की एक योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1985-86 में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना ) :**(क) जी, हां। अधिकतर राज्यों में वाणिज्यिक आकार की डिम्पौना हैचरियों का निर्माण करने की योजना है।

(ख) 1985-86 के दौरान 8 डिम्पौना फार्म हैचरियों के निर्माण का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) 4 डिम्पौना फार्म हैचरियां यथा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रत्येक में एक-एक पूरी हो चुकी हैं और अन्य 4 यथा गुजरात, महाराष्ट्र में एक एक और केरल में दो पूरी होने वाली हैं।

## आवासीय विकास के लिए पूर्व-निर्माण (प्री फैब्रिकेशन तकनीक की जानकारी)

3130. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पश्चिमी देशों में पूर्व-निर्मित सामग्री की सहायता से व्यापक आवासीय विकास हुआ है; और

(ख) क्या मकानों के निर्माण की लागत तथा उस पर लगने वाला समय कम करने के लिए इस तकनीक का हमारे देश में आयात तथा प्रयोग करने का सरकार का कोई विचार है ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह )** : (क) और (ख) पश्चिमी देशों में प्रयुक्त प्रीफैब तकनीकी के अपनाए जाने के सम्बन्ध में दिए गए विभिन्न सुझावों पर पहले ही सरकार ध्यान दे रही है।

**सिलीगुड़ी में भारतीय इस्पात प्राधिकरण का बिक्री केन्द्र**

3131. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का उत्तरी बंगाल, सिक्किम और भूटान के लिए सिलीगुड़ी में भारतीय इस्पात प्राधिकरण का एक बिक्री केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) और (ख) मुख्य इस्पात उत्पादकों द्वारा अपने वाणिज्यिक फैसले के आधार पर बिक्री केन्द्र खोलने का निर्णय लिया जाता है। सिलीगुड़ी में बिक्री केन्द्र खोलने के बारे में "सेल" का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

**मोतिया खान में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण**

3132. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या शहरी विकास मन्त्री मोतिया खान में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के निर्माण के बारे में 8 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2023 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतिया खान में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे निम्न आय वर्ग के फ्लैटों का कब्जा, जो दिसम्बर, 1985 में दिया जाना था, अभी तक नहीं दिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह घोषणा की थी कि इन फ्लैटों का कब्जा आवंटितियों को वर्ष 1982 में दे दिया जाएगा और ये फ्लैट चार वर्ष पहले से ही तैयार थे;

(ग) यदि हां, तो क्या इतने वर्षों तक इन फ्लैटों का कब्जा न दिये जाने के कारण इन फ्लैटों की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की जाएगी; और

(घ) इन फ्लैटों का कब्जा आबंटितियों को कब तक दिया जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह बात सही नहीं है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले यह घोषणा की थी कि इन फ्लैटों का कब्जा आबंटियों को दिसम्बर, 1982 में दे दिया जाएगा। वस्तुतः, ड्रा के माध्यम से इन फ्लैटों का नियतन 24-3-82 को हुआ था। फ्लैटों के पूरणता की सम्भावित तारीख दिसम्बर 1982 थी परन्तु चूंकि मूल ठेकेदारों के ठेके रद्द करने पड़े थे, अतः निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका।

(ग) इन फ्लैटों का अन्तिम बिक्री मूल्य इनके पूर्ण हो जाने पर ही निकाला जाएगा।

(घ) निर्माण दिसम्बर, 1986 तक पूरा हो जाने की आशा है तथा इसके शीघ्र बाद ही फ्लैटों का कब्जा दे दिया जाएगा।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड की अर्थ क्षमता

3133. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों के शिष्टमंडलों द्वारा अक्तूबर, 1985 में उन्हें प्रस्तुत कम्पनी की अर्थक्षमता रिपोर्ट पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या की गई है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड के कार्यक्षेत्र का विविधिकरण कर गैस इस्पात क्षेत्रों में ले जाने के लिए कोई परियोजनाएं तैयार हैं; और

(ग) कितने विभागीय कामगारों को बेरोजगार रखा जा रहा है और उन्हें "फालतू" घोषित किया जा रहा है जबकि सिविल कार्य सहित विभिन्न फैबरीकेशन और इरेक्शन कार्यों के लिए ठेकेदारों के श्रमिकों को काम पर लगाया जा रहा है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :(क) सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत "व्यवहार्यता" रिपोर्ट में सुझाये गए विकल्पों पर विचार किया है तथा कम्पनी की समस्याएं हल करने के लिए विभिन्न रण-नीतियों पर विचार कर रही है।

(ख) कम्पनी ने पिछले 4-5 वर्षों से बिजली, कोयला, सीमेंट प्रतिरक्षा आदि जैसे इस्पात भिन्न क्षेत्रों में भी कार्य करना शुरू किया है।

(ग) विभिन्न स्थानों विशेषतया इस्पात कारखानों में कार्य के क्रमिक रूप से घट जाने के कारण कामगारों की संख्या आवश्यकता से बढ़ गई है जिसके परिणामस्वरूप उनके उपयोग में कमी हो गयी है। हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० ने विभागीय कामगारों को बहु-व्यवसायिक

प्रशिक्षण देने के लिए उपाय किए हैं ताकि जहां कहीं सम्भव हो, उपठेकेदारों के द्वारा कार्य में कमी की जा सके।

### केरल में मत्स्य किसान विकास ऐजेंसियां

3134. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मत्स्य किसान विकास एजेन्सियां हैं और उनमें से केरल राज्य में कितनी हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में ऐसी कुछ और एजेन्सियां स्थापित की जायेंगी और यदि हां, तो किस राज्य में;

(ग) क्या केरल राज्य में खारे जल में अन्तरस्थलीय मात्स्यिकी के विकास के लिए एजेंसियां स्थापित की गई हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त राज्य के व्यापक जलमार्गों, लम्बे तटीय क्षेत्र और व्यापक खारा जल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए केरल में इस प्रकार की एजेन्सियों की संख्या में वृद्धि करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में कुल 147 मछुआ विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं, जिनमें से 3 केरल में हैं।

(ख) जी, हां। प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

### सऊदी अरब में भटक रहे भारतीय

3135. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मालूम है कि बम्बई के जनशक्ति का निर्यात करने वाले धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा ठगे गए अनेक भारतीय, जिनमें से अधिकांश केरल के निवासी हैं सऊदी अरब में भटक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों को भारत लौटने में उनकी मदद करने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1985-86 के दौरान ऐसे 65 व्यक्तियों ने उन्हें रिपोर्ट की।

भारतीय मिशन ऐसे व्यक्तियों को भारत वापस लौटने में सभी सम्भव सहायता करते हैं।

अशोक बिहार में एम० आई० जी० फ्लैटों का कब्जा

3136. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नवम्बर दिसम्बर, 1985 में पाकेट जे, फेज--1, अशोक बिहार में एम०आई०जी० के कुछ फ्लैट आवंटित किए हैं;

(ख) क्या किराया खरीद आधार के आवंटियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मांगी गई प्रारम्भिक राशि आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करा दी थी;

(ग) क्या आवंटितियों को अभी तक फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवंटितियों को जनवरी, 1986 से फ्लैट का कब्जा लिए बिना 696.80 रुपये प्रति मास की मासिक किस्त अदा करने के लिए कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार आवंटितियों को फ्लैटों का कब्जा कब देगी और सरकार फ्लैटों का कब्जा दिए जाने में होने वाले विलम्ब के परिणामस्वरूप आवंटितियों को होने वाले नुकसान का क्या मुआवजा देगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बहुत से आवंटियों द्वारा प्रारम्भिक धरोहर राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) जी, हां। कब्जा सौंपने के लिए फ्लैट तैयार नहीं हैं।

(घ) जी, हां। उस समय कब्जा सौंपने के लिए फ्लैट तैयार नहीं थे।

(ङ) अब फ्लैटों के जून, 1986 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है। मासिक किस्तों के भुगतान की तिथि स्थगित कर दी जाएगी तथा आवंटियों को उनकी धरोहर राशि पर तथा दी गई मासिक किस्तों पर स्थल पर फ्लैटों के पूर्ण हो जाने की तिथि तक 7 प्र० श० की दर से ब्याज दिया जाएगा।

## भारतीय फिल्मों का निर्यात

3137. **डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया है और वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी फिल्मों का निर्यात किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या भारतीय फिल्मों के निर्यात में भारी गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और भारतीय फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) 1984-85 तथा 1985-86 (जनवरी, 1986 तक) निर्यात की गई भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या क्रमश: 525 और 434 थी। यह उम्मीद है कि 1986-87 के दौरान 450 फिल्में निर्यात की जायेंगी।

(ख) जी, हां। भारतीय फीचर फिल्मों के निर्यात में कमी हुई है।

(ग) फिल्मों के निर्यात में कमी का मुख्य कारण वीडियो प्रौद्योगिकी का विस्तार होना है जिसके परिणामस्वरूप वैध तथा अवैध दोनों प्रकार के वीडियो कैसेट समुद्रपारीय बाजार में तत्परता से उपलब्ध हैं जो विदेशों में भारतीय फिल्मों को देखने के लिए थियेटरों में उपस्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

भारतीय फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निम्नलिखित उपाए किये गये हैं:—

(1) निगम विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों तथा फिल्म विकास बाजारों में भाग लेता है जहां यह उप-शीर्षित फिल्में तथा वीडियो कैसेट लेता है;

(2) यह विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजता है।

(3) भारत में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों तथा फिल्मोत्सवों के अवसर पर आयोजित फिल्म बाजारों में भाग लेने के लिए प्रत्याशित खरीदारों, व्यक्तियों तथा राज्य एजेंसियों, को आमंत्रित किया जाता है।

(4) विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को अपने-अपने देश के लिए भारतीय फिल्मों के चयन तथा खरीद हेतु उन्हें देखने के लिए भारत आने के लिए आमंत्रित तथा प्रोत्साहित किया जाता है।

(5) विदेशों में भारतीय फिल्मों के प्रति रूचि पैदा करने के लिए सांस्कृतिक

आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत या अन्यथा विभिन्न देशों में भारतीय फिल्मों के समारोह आयोजित किये जाते हैं।

(6) प्रिन्टें, आदि तैयार करने के लिए निर्माताओं को अग्रिम/ऋण दिये जाते हैं।

**जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल में उर्वरक संयंत्र की स्थापना**

3138. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 24 परगना जिले में 66,000 टन सिंगल सुपर फास्फेट प्रति वर्ष की क्षमता के साथ एक लघु उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने हेतु एक निजी एकक को एक आशयपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पूर्वी दिल्ली में भूमि पर अनधिकृत कब्जा**

3139. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी दिल्ली में भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) पूर्वी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि के भागों पर कुछ अतिक्रमण किये गए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनधिकृत दखलकारों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447 के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस तथा दिल्ली भूमि (अंतरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम

की धारा 3 तथा 4 के अन्तर्गत विशेष पुलिस कक्ष, दिल्ली प्रशासन के मामले दर्ज किये हैं। कानून के अनुसार अतिक्रमणों को हटाने के लिए उन्मूलन अभियान भी चलाये जा रहे हैं। तथापि कुछ अतिक्रमणों ने अपनी बेदखली के विरुद्ध रोका देश प्राप्त कर लिए हैं।

### खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि

3140. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में हाल ही में वृद्धि, किसानों से की जाने वाली खरीद मूल्य में वृद्धि के अनुपात में है;

(ख) क्या मूल्य वृद्धि उर्वरकों की मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप है; और

(ग) क्या कृषकों को मूल्यों में हुई वृद्धि से कोई लाभ नहीं होगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) धान (आम किस्म के) तथा गेहूं के खरीद मूल्यों में और चावल तथा गेहूं के बिक्री मूल्यों में हाल ही में वृद्धि का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

**खरीद मूल्य**

(रुपये प्रति क्विंटल)

| जिंस | फसल वर्ष | मूल्य | प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|
| धान | 1983-84 | 132.00 | |
| (आम किस्म का) | 1985-86 | 142.00 | 7.6 |
| गेहूं | 1982-83 | 151.00 | |
| | 1985-86 | 162.00 | 7.3 |

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बिक्री मूल्य**
**निम्न तारीख से प्रभावी**

| जिंस | फसल वर्ष | मूल्य | प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|
| चावल | 16-1-84 | 208.00 | |
| (आम किस्म का) | 1-2-86 | 231.00 | 11.1 |
| गेहूं | 15-4-83 | 172.00 | |
| | 1-2-86 | 190.00 | 10.5 |

धान और गेहूं के खरीद मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप समय-समय पर बिक्री मूल्यों में वृद्धि की जाती है। चावल और गेहूं के बिक्री मूल्य संशोधित किए गये हैं ताकि इससे बचने वाली धनराशि की योजना संबंधी प्रयासों को मजबूत बनाने और गरीबी रोधी कार्यक्रमों, जिनमें जन-जातीय क्षेत्रों, ग्रामीण कार्यों और महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत सस्ते दामों पर खाद्यान्न सप्लाई करना, शामिल है, के कार्यान्वयन पर और अधिक जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

(ख) और (ग) उत्पादन की लागत संबंधी मदों में से उर्वरक केवल एक मद है। खरीद मूल्य निर्धारित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों सहित आदानों की लागत के परि-वर्तनों को भी ध्यान में रखा जाता है। सरकार की नीति उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों के लाभकारी समर्थन/खरीद मूल्य निर्धारित करने की है।

**अखबारी कागज का आयात**

3141. **श्री बी०बी० देसाई**
**श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाईटी ने अखबारी कागज के आयात को रद्द करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : तिहाड़ जेल में सुरक्षा पूरी तरह से विफल रही है। यह जानना मुश्किल है कि जिस तरह से छः अपराधियों के साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी फरार हुआ है, तो क्या वहां कोई सुरक्षा व्यवस्थित थी। आपको इस पर स्थगन की अनुमति देनी चाहिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : आपको स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देनी चाहिए...

**प्रो० मधु दंडवते** : वॉलकट के इस प्रकार फरार होने पर नाथ पाई का स्थगन प्रस्ताव इस सभा में गृहीत किया गया था। कुख्यात तस्कर वॉलकट के हवाई जहाज द्वारा फरार होने पर उनके

स्थगन प्रस्ताव को इसी सभा में गृहीत किया गया था। यह स्थगन प्रस्ताव भी गृहीत किया जाना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था के असफल होने का यह एक गंभीर मसला है। क्या आप इसे सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण विफलता मानते हैं।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : एक सुओमोटो स्टेटमेंट आ रहा है। प्रो० साहब एक बात तो साफ हो गई। ऐसा है, दो बजे सुओमोटो स्टेटमेंट आ रहा है।

[अनुवाद]

तब हम इस पर चर्चा करेंगे।

**प्रो० मधु दंडवते** : महोदय, इस बारे में एक पूर्वोदाहरण है। (व्यवधान)...चॉलकट के फरार होने पर...(व्यवधान) मैं आपको पूर्वोदाहरण दूंगा। चॉलकट के फरार होने पर नाथ पाई का स्थगन प्रस्ताव इसी सभा में गृहीत किया गया था। आप इसकी जांच करा सकते हैं।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : देख लिया, प्रिसिडेंट जो भी है।

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दंडवते** : कुख्यात तस्कर चॉलकट के हवाई जहाज द्वारा फरार होने पर नाथ पाई के स्थगन प्रस्ताव को इसी सभा में गृहीत किया गया था और उस पर चर्चा की गई थी...

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : एक सुओमोटो स्टेटमेंट आ रहा है, फिर डिसकस कर लेंगे।

...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : एक और देखेंगे, मैम्बर साहेबान...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दंडवते** : महोदय, कृपया इस पर चर्चा की अनुमति दें।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो आपकी च्वाइस है। जो आप लिख कर दें।

[अनुवाद]

आप सूचना दे सकते हैं।

**प्रो० मधु दंडवते :** वस्तुतः इस मामले पर सरकार की निन्दा की जानी चाहिए। यह राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण विफलता का मामला है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** आप दे दें। मैं देख लूंगा। आप लिखकर दे दीजिए। एकार्डिंग टू रूल्स चल जाएगा।

[अनुवाद]

आप सूचना दे सकते हैं। बस इतनी ही बात है।

**प्रो० मधु दंडवते :** आप मुझे वह कारण बता सकते हैं कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा क्यों नहीं की जा सकती ?

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** यह एडजार्नमेंट मोशन की बात नहीं है।

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दंडवते :** क्यों नहीं है ? मैं आपको पूर्वोदाहरण दूंगा।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** प्रिसिडेंट तो हमने बनाया है; कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

**श्री एम०बी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर) :** भारत सरकार श्री लंका की तमिल समस्या का राजनैतिक समाधान चाहती है परन्तु श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उस समस्या के राजनैतिक समाधान से इन्कार कर दिया है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** वह भी आपका आ रहा है।

[अनुवाद]

आप विदेश मामलों पर वाद-विवाद के दौरान इसे उठा सकते हैं।

**प्रो० मधु दंडवते :** मैंने आपको पूर्वोदहारण दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उस पूर्वोदाहरण को नहीं मानता।

**प्रो० मधु दंडवते** : वॉलकट के फरार होने के मामले पर नाथ पाई के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पूर्वोदाहरणों की रचना करता हूं। बैठ जाइये।

**प्रो० मधु दंडवते** : आप बिना किसी तर्क के इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस चर्चा की अनुमति दूंगा। आप मुझे बाद में इसे दे दें।

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** (कन्नानौर) : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। कतिपय समाज विरोधी तत्वों द्वारा कर्नाटक के कुर्ग जिले में मलयालियों का दमन एवं उत्पीणन किया जा रहा है। यह एक अत्यन्त गंभीर मसला है । मातृभूमि, मलयाला मनोरमा, इंडियन एक्सप्रैस, हिन्दू—सभी समाचार-पत्रों ने इसकी खबर छापी है। यह एक अत्यन्त गंभीर मसला है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो उनकी बात है।

[अनुवाद]

इसे राज्य विधान सभा में उठाया जा सकता है। बैठ जाइये। मैं राज्य के विषय में चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री अब्दुल गफूर।

12.02 म० प०

## सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

### आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

**शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(एक) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—2252/86]

**हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा**

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—2253/86]

**शिक्षुता संशोधन नियम, 1986**

**ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन अध्यादेश, 1986 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण।**

**श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिक्षुता संशोधन

[श्री पी०ए० संगमा]

नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 18 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 54 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल०टी० संख्या—2254/86]

(2) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) संशोधन अध्यादेश, 1986 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2255/86]

**आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचनाएं**

**राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और हरियाणा-कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा, आदि**

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उर्वरक (लाने ले जाने पर नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1985, जो 1 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा०का०नि० 78(अ), जो 30 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उर्वरकों के मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में हैं।

(तीन) सा०का०नि० 93 (अ), जो 6 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उर्वरकों के पात्रों के चिन्हांकनों के बारे में है।

(चार) उर्वरक (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1986 जो 14 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 201 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2256/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2257/86]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 198182 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०2258/86]

———

(व्यवधान)

**प्रो० मधुदण्डवते :** खड़े हुए।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको चर्चा में भाग लेने से मना नहीं कर रहा हूं। आप इसे इस स्वत: वक्तव्य के बाद मुझे दे सकते हैं।

**प्रो० मधुदण्डवते** (राजापुर) : आप कुछ कहते क्यों नहीं ? क्या आप इसे गम्भीर मामला नहीं मानते हैं ? आप गृह मंत्री को निदेश क्यों नहीं देते ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक गम्भीर मामला है। इसीलिए मैं उन्हें एक वक्तव्य देने को कह रहा हूं और एक वक्तव्य दिया जा रहा है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वे आज ही वक्तव्य देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, वे 2 बजे वक्तव्य देंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य** : खड़े हुए।

**अध्यक्ष महोदय** : आप पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हैं ? मुझसे क्यों पूछते हैं ? यह आपका अधिकार है।

**श्री थम्पन थामस** (मवेलिकरा) : केरल सरकार ने काली सूची में रखे गए दो विदेशी राष्ट्रिकों का स्वागत किया है। इस मामले में एक जांच आवश्यक है। मैं यह मामला आपके ध्यान में ला रहा हूं। यह बहुत गम्भीर मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे कुछ लिखकर दीजिए। मुझे नहीं पता कौन-सा मामला क्या है। मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूं। मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं। आप मुझे लिखकर दीजिए और मैं मामले की जांच करवाऊंगा।

**श्री थम्पन थामस** : मैंने लिखित रूप में दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले को यहां मत उठाइये। अनुमति नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सोमू, आप सुनते क्यों नहीं हैं ? अभी-अभी विदेश मामलों पर वाद-विवाद आरम्भ होने वाला है। आप इस मामले को तब उठाना।

[हिन्दी]

**श्री वी० तुलसी राम** (नगरकुरनूल) : मैंने नोटिस दिया है कि तिहाड़ जेल से सोबराज और 6 आदमी भाग गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : वह बात तो खत्म हो गई है।

**श्री वी० तुलसी राम** : जेल में अगर इस तरह से हुआ, तो कहां रक्षा हो सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर स्टेटमेंट आ रहा है। आप कम-से-कम बाहर मिठाई न खाइए। सारे मेम्बरों को यह हिदायत है।

12.06 म०प०

## भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन करने के सम्बन्ध में याचिका

[अनुवाद]

श्री पी०आर० कुमार मंगलम (सलेम) : मैं सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन करने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश माकन, संरक्षक, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के राष्ट्रीय महासंघ, नई दिल्ली और 5 करोड़ अन्य नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : 5 करोड़ लोगों ने याचिका पर हस्ताक्षर किए—यह एक विश्व रिकार्ड है।

---

12.07

## नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

### (एक) उड़ीसा के 200 मील लम्बे समुद्र तट पर तट रक्षक केन्द्रों की एक श्रृंखला स्थापित करने की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उड़ीसा के बालेश्वर और गंजाम समुद्र तटों पर बालेश्वर जिले में चांदपुर में प्रूफ एण्ड एक्स पेरीमेंटेशन जोन और गंजाम जिले में मिसाइल्स प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र जैसे सामरिक महत्व की रक्षा संस्थापनाएं स्थित हैं। समुद्र तटीय क्षेत्र अधिकांशत: अरक्षित हैं और खाड़ी के आर-पार अन्तर्राष्ट्रीय जल में खुले हुए हैं।

बंगला देश युद्ध के समय इन अरक्षित समुद्र तटों की रक्षा करना एक समस्या बन गई थी। इसलिए 200 मील लम्बे समुद्र तट के साथ-साथ, जहां आई०आर०ई० लिमिटेड जैसे महत्वपूर्ण उद्योग स्थित हैं, तट रक्षक केन्द्रों की स्थापना करना आवश्यक है। इन तट रक्षक केन्द्रों में से प्रत्येक को सीमा सुरक्षा बल तथा राडार केन्द्र से सम्पर्क बनाए रखना चाहिए। इससे बंगाल की खाड़ी में चलने वाले विदेशी पोतों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। इस परियोजना की जांच की जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(दो) बोइंग 747 विमानों की उड़ानें बन्द करने और उनके संरचनात्मक दोषों का पता लगाने के लिए आवश्यक परीक्षण करने की आवश्यकता

**श्रीमती किशोरी सिंह** (वैशाली) : जापानी एयरलाइन्स के अपने सभी बोइंग 747 विमानों की जांच करने के लिए उनकी उड़ानें बन्द करने के बाद बोइंग कम्पनी ने यह स्वीकार किया है कि इन विमानों में कई संरचनात्मक त्रुटियों का पता चला है। एयर इण्डिया भी बोइंग 747 विमान उड़ाता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि इन विमानों की उड़ानें तत्काल बन्द की जाएं और उनके ढांचे को यह पता लगाने के लिए परीक्षण किये जायें कि क्या उनमें कोई संरचानत्मक त्रुटियां हैं, जैसा कि समाचार प्राप्त हुआ है। यद्यपि इससे एयरलाइन्स को भारी घाटा होगा, परन्तु यह कदम उठाना यात्रियों की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(तीन) एम्प्रेस मिल्स, नागपुर, का प्रबन्ध-ग्रहण करने की आवश्यकता

**श्री बनवारी लाल पुरोहित** (नागपुर) : यह बात केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आई होगी कि 111 वर्ष पुरानी एम्प्रेस मिल्स, नागपुर शहर में टाटा बन्धुओं की प्रथम औद्योगिक इकाई ने महाराष्ट्र सरकार से इसे 5 मई, 1986 से बन्द करने की अनुमति मांगी है। इस मिल में लगभग 7,000 कर्मचारी हैं और उसका मासिक मजूरी बिल 70 लाख रुपये है।

इसको बन्द करने के निर्णय की घोषणा इसके प्रबन्धकों द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ते हुए घाटे के कारण की गई थी। मिल के प्रबन्धकों ने इसके बन्द होने से प्रभावित होने वाले 50,000 से अधिक लोगों के हित और भविष्य का जरा भी ध्यान नहीं रखा है। इस मिल के बन्द हो जाने के कारण 7,000 कर्मचारियों के परिवारों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा।

1978 से 1982 तक एम्प्रेस मिल्स, नागपुर ने 3.84 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया था, परन्तु 1982 के बाद अचानक इसे 4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। ऐसा लगता है कि प्रबन्धकों ने 1982 के बाद जान-बूझ कर घाटा दिखाया है और मिल के कार्यकरण के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जानी चाहिए। मिल के प्रबन्धकों को कड़े-से-कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं केन्द्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं और यह अनुरोध भी करता हूं कि एम्प्रेस मिल्स के 7,000 कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार को उक्त मिल का प्रबन्ध ग्रहण कर लेना चाहिए।

(चार) दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता जिससे कि रक्षा कार्मिक सेवा निवृत्ति से पूर्व अपने मकानों पर पुनः कब्जा प्राप्त कर सकें

**श्री अजय मुशरान** (जबलपुर) : मैं सभा का ध्यान एक अविलम्बनीय और लोक हित के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

12.10 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

55 हजार से भी अधिक रक्षा कार्मिक प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उनके पुनर्वास की तत्काल आवश्यकता है। उन व्यक्तियों को भी, जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं, अपना आश्रय अन्य स्थानों पर ढूंढ़ना पड़ता है क्योंकि दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके द्वारा वे कभी किराये पर दी गयी अपनी आवासीय सम्पत्ति को तुरन्त पुन: अपने कब्जे में ले सकें। अनेक राज्यों, उदाहरणार्थ महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु में अपने मकानों पर पुन: कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को कारगर विधान द्वारा सरल बनाया गया है।

अत: दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम में उपयुक्त विधान द्वारा तत्काल संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से कम-से-कम एक वर्ष पूर्व या उससे कम समय में अपने मकानों पर शीघ्रता से विधित: पुन: कब्जा प्राप्त कर सकें।

## (पांच) भारतीय वातावरण पर हैली धूमकेतु के प्रभाव का अध्ययन किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : हैली का धूमकेतु आसमानों की सैर करता हुआ 75 वर्षों के पश्चात् वापस आता है और यह धीरे-धीरे पृथ्वी के कक्ष के नजदीक आता जा रहा है जिसके कारण पृथ्वी की खगोलीय एवं जलवायु-संबंधी परिस्थितियां प्रभावित हो रही हैं। यह बीसवीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक घटना है। धूमकेतु के इस समय दिखने का विशेष महत्व है। वर्षों तक दूर से अध्ययन करने के पश्चात् मनुष्य उन्नत प्रौद्योगिकी का आभार मानता है कि वह आज इसके रहस्य को सुलझाने में समर्थ होगा। विश्व के वैज्ञानिक हैली के धूमकेतु के बारे में दिन-रात अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। हमारे वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, वेधशालाओं तथा उपग्रह प्रणाली को भी भारतीय जलवायु पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए। पृथ्वी के कक्ष में इसकी उपस्थिति के कारण अनियमित वर्षा, ओला-वृष्टि हो सकती है, हिमपात हो सकता है तथा मानसून का आगमन रुक सकता है। अत: मैं अन्तरिक्ष तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में सभा में एक वक्तव्य दें।

## (छ:) तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने तथा तम्बाकू पर अनुसंधान के लिये और अधिक धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : पूरे देश में तम्बाकू उत्पादक सर्वाधिक पीड़ित व्यक्ति है। यद्यपि खेती की लागत में काफी वृद्धि हो गई है तथापि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रति एकड़ उपज में गिरावट आयी है। केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष फ्लु अधिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि नहीं की है जिससे काफी परेशानी

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

हो रही है। सरकार को अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिये और न्यूनतम समर्थन मूल्यों में इतनी वृद्धि करनी चाहिये जो किसानों के लिये लाभकारी हो। सरकार को यह देखना चाहिये कि विदेश निर्यात क्रयादेशों पर शीघ्र निर्णय किये जाये ताकि किसानों को ऊंची कीमतें प्राप्त हो सकें। सरकार को बीड़ी तम्बाकू, नाटू तम्बाकू तथा सनक्योर्ड तम्बाकू पर विचार करने के लिए तम्बाकू बोर्ड जो एफ०सी०वी० तम्बाकू पर विचार करता है, की तरह एक तम्बाकू निगम भी स्थापित करना चाहिये। सरकार को बीड़ी तम्बाकू के साथ-साथ सिगार के लिए प्रयोग किये जाने वाले सनक्योर्ड तम्बाकू का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहिये तथा किसानों को तुरन्त भुगतान हेतु आवश्यक उपाय करने चाहिये। यद्यपि तम्बाकू से राजकोष में सबसे अधिक अंशदान आता है, फिर भी सरकार तम्बाकू की खेती का विस्तार करने तथा इससे संबंधित अनुसंधान पर पर्याप्त धन व्यय नहीं कर रही है। सरकार किसानों को राजस हायता के रूप में तकनीकी कार्यक्रमों पर बहुत ही नाम मात्र की राशि खर्च कर रही है। अत: सरकार को इन मदों पर समुचित धन-राशि खर्च करनी चाहिये तथा तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करनी चाहिये साथ ही, प्रति एकड़ उपज में वृद्धि भी लानी चाहिए।"

**(सात) बिहार में हाल ही में फैली महामारी में और जो पशुओं के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा देने और बीमार पशुओं को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री काली प्रसाद पाण्डेय** (गोपाल गंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं—

"सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार की राजधानी एवं विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं के बीच फैली महामारी के भीषण प्रकोप हो जाने से कम से कम दस हजार पशुओं की मृत्यु पिछले फरवरी माह में हो गई है। मैं उस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मृतक पशुओं में अधिकांश गाय, बछड़े और भैंसें हैं। जिन लोगों का गांव घर पहले ही गंगा के व्यापक कटाव में नष्ट हो चुका है, उनकी जीविका का अब कोई आधार नहीं बचा है। पटना की कई खटाले जहां पूर्व में सैकड़ों की तादाद में मवेशी रहते थे अब सुनसान हो गई हैं। हजारों मवेशी विभिन्न निजि एवं सामूहिक खटालो में बीमारी की अवस्था में हैं और मरने वाले मवेशियों की कीमत तीन करोड़ से पांच करोड़ है। इस पर किया गया उपचार व्यय अलग है। पटना एवं इसके पूर्वी क्षेत्रो में किसान एवं खटाल संचालन अब भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।

विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं ने इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों की अकाल मृत्यु के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार से कार्यवाही करने हेतु स्मरणपत्र दिए हैं अभी तक संकटग्रस्त लोगों की न तो कोई सहायता की गई है और न ही मवेशियों के कारगारउपचार के लिए कोई व्यापक कार्यवाही की गई है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि तत्काल सुनसान खटालों को आबाद करने, मरे हुए कीमती मवेशियों के लिए मुआवज़ा दिलाने, बीमार पशुओं के तत्कालिक समुचित उपचार तथा दूध उत्पादकों की जीविका से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।"

———

12.17 म०प०

## अनुपूरक अनुदानों की मांगें—सामान्य
## और
## अतिरिक्त अनुदानों की मांगें—सामान्य (—जारी)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम मद संख्या 7 और मद संख्या 8 पर एक-साथ आगे चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री कालीप्रसाद पाण्डेय :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष जी, पूर्व में इसी सदन में, पुजारी जी बैठे हैं, मैंने बहुत जोरों से मांग की थी कि आई० आर० डी० पी० या जितनी सुदूर क्षेत्रों में चलने वाली योजनाएं हैं, उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की निश्चित रूप से मंशा थी कि शहरों में जो बैंक हैं, उनकी शाखाएं गांवों में खोलकर ग्रामीणों को फायदा दिया जाए। कुछ राज्यों में लोग इससे लाभान्वित भी हुए। लेकिन बिहार राज्य एक प्रकोप का शिकार हुआ और वह प्रकोप यह था कि जितने बैंक मैनेजर, खासकर उत्तरी—बिहार में स्थित हैं, जो पहले साइकिल पर चलते थे, जिन्हें वक्त पर दो रोटियां नहीं मिलती थीं, आज करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं। सरकार संसाधन जुटाने की बात करती है, अगर सरकार निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के जो ग्रामीण बैंक हैं, उन पर अंकुश रखे तो संसाधन का एक जरिया, बहुत अच्छा मार्ग ये ग्रामीण बैंक हो सकते हैं। आज हर इलाके में आप देख सकते हैं, खासकर मैं गोपाल गंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, श्योहर आदि के बारे में बता सकता हूं, जहां गांधी ने पश्चिमी चंपारण से आन्दोलन शुरू किया था, आज पश्चिमी चंपारण में आप देखेंगे कि जो हमारी योजनाएं थीं कि ग्रामीण बैंकों के माध्यम से गरीब तबके के लोगों का स्तर ऊंचा उठाएं, उसमें हम असफल ही रहे हैं। आज आप देखेंगे कि ग्रामीण बैंक से लाभ कुछ परिवार तक ही सीमित रह गया है। ग्रामीण बैंक में नियुक्ति के मामले में आप देखेंगे कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं, जो एक बार ग्रामीण बैंक का चेयरमैन जिले में बन गया है उसने अपने संबंधी और अन्य लोगों की नियुक्ति की, इसके बारे में आपने आश्वासन भी दिया था कि पाण्डे जी मैं इस मामले की सी० बी० आई० से जांच कराउंगा।

[श्री काली प्रसाद पाण्डेय]

मेरे प्रश्न के आरोप में आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पांडेय जी लाखों के घोटाले का मामला है इसलिए सी०बी०आई० को केस दे दिया है। वह केस बधना कुटी ग्रामीण बैंक का है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी मैनेजर फिएट कार में सब तरफ घूम रहा है और कह रहा है कि जांच से क्या होगा। लेकिन चार-पांच माह पूर्व इसी सदन में मुझे आश्वासन दिया गया था। मैंने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर पुजारी जी मेरे आरोप गलत हों तो लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा। आपने चुनौती देते हुए सी० बी० आई० को जांच का आदेश दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि करोड़ों रुपए का घोटाला है और सी० बी० आई० पांच माह से अपने कान बंद करके बैठी है। सबूत नष्ट हो सकते हैं और आरोप की सत्यता दूर चली जा सकती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर कोई भी केस ग्रामीण बैंक में लूट का आता है कि ग्रामीणों के साथ ठगी हुई है तो तुरन्त यह इन्स्ट्रक्शन्स दी जाए कि दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की अविलम्ब की जाए, जिससे दूसरे मैनेजर यह देख सकें और महसूस करें कि दूसरे की सम्पत्ति लूटने वालों की सम्पत्ति भारत सरकार अपने अधीन ले लेगी। इन शब्दों के साथ मैं इन ग्रान्ट्स का समर्थन करता हूं।"

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** . अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

**श्री मूलचंद डागा** (पाली) : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं और मुझे आज बोलने के लिए कहा गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : डागा जी, समय समाप्त हो चुका है। मन्त्री महोदय ने उत्तर देना है। आप किसी दूसरे दिन बोल सकते हैं।

**श्री मूलचंद डागा** : मैं सारे दिन इस आशा से प्रतीक्षा करता रहा कि मेरा नाम पुकारा जाएगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे काफी प्रसन्नता है कि आप बोलने के लिये हमेशा उत्सुक रहते हैं, परन्तु आप किसी अन्य दिन बोल सकते हैं।

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : महोदय इस वाद-विवाद में तेरह माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। उन्होंने बहुत ही मूल्यवान विचार व्यक्त किये हैं और मैंने उनके सभी सुझावों को नोट कर लिया है। उनके द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दे अन्य प्रशासनिक मन्त्रालयों से संबंधित हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं उन मुद्दों के बारे में जो हमारे मन्त्रालय से संबंधित नहीं है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को लिखूंगा और उनसे कहूंगा कि माननीय सदस्यों के मुद्दों पर विचार करने के पश्चात् वे उन्हें पत्र लिखें।

अनुपूरक बजट पर विचार करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुपूरक बजट की आलोचना इसलिए की गयी है कि घाटे में वृद्धि की गयी है और यह भी कहा गया है कि कुछ राज्यों को पर्याप्त सहायता विशेषरूप से सूखा सहायता के रूप में नहीं दी गयी है। उन्होंने यह भी कहा है कि निर्धन वर्गों की उपेक्षा की गयी है तथा निर्धन वर्गों को कुछ भी नहीं दिया गया है; केवल धनी वर्ग पर ध्यान दिया गया है। इन आलोचनाओं की जांच करने से पूर्व, मैं सरकारी सहायता की एक खास विशेषता से आपको अवगत कराना चाहता हूं। इस सदन के माननीय सदस्य भी सरकारी सहायता के मूलतत्व को जानने के इच्छुक होंगे। सरकारी सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि 5,349.96 करोड़ रुपये है। मैं आपको ब्योरा देकर बताऊंगा कि इसे किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। हम चावल पर इस बात का ध्यान रखते हुए 72 पैसे प्रति किलो की सरकारी सहायता देते हैं कि यह निर्धन वर्गों को कम दर पर प्राप्त हो। गेहूं के मामले में, हमने 62 पैसे प्रति किलो की सरकारी सहायता दी है। मिट्टी के तेल पर हम 71 पैसे प्रति लीटर तथा खाने पकाने वाली गैस पर 13.05 रुपये प्रति सिलिंडर की सरकारी सहायता दे रहे हैं। हम हथकरघा जनता कपड़े पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मिल निर्मित धोतियों और साड़ियों पर 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर मिलनिर्मित लट्ठे पर 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा मिल निर्मित रूई-मिश्रित पोलिस्टर कपड़े पर 3.70 रुपये प्रति वर्ग मीटर की सरकारी सहायता दे रहे हैं। आर० एल०ई०जी०पी० तथा एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत हम गेहूं पर चालीस पैसे तक की सरकारी सहायता दे रहे हैं। महोदय जैसा कि आपको पता है हम इन योजनाओं के अन्तर्गत 1.50 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं दे रहे हैं।

चावल के मामले में यह सरकारी सहायता 37 से 39 पैसे प्रति किलो है। यूरिया उर्वरक के मामले में यह 50 किलो के प्रति बैग पर 47.50 रुपए है। डाक-सेवाओं के मामले में हम एक पोस्टकार्ड की कीमत 15 पैसे लेते हैं। इसकी उत्पादन लागत तथा उठाई-धराई प्रभार 65.17 पैसे आता है। हम प्रति पोस्कार्ड 30.17 पैसे की सरकारी सहायता देते हैं। अन्तर्देशीय पत्र के मामले में हम इसकी कीमत 35 पैसे लेते हैं। इसकी कुल उत्पादन और उठाई-धराई लागत 70.63 पैसे है। हम 35.63 पैसे की सरकारी सहायता दे रहे हैं। यह सरकारी सहायता हम एक अन्तर्देशीय पत्र के लिए दे रहे हैं और महोदय, मैं समाचार पत्रों के बारे में भी आंकड़े दूंगा। आपको समाचार पत्र प्रात: काल वितरित किए जाते हैं। समाचार पत्रों के मामले में पंजीकृत समाचार पत्र के प्रति समाचार पत्र पर हम 67 53 पैसे की सरकारी सहायता देते है। रजिस्टर्ड डाक के मामले में, प्रति वस्तु हम 1.91 रुपए की सरकारी सहायता देते हैं। मनीआर्डर के सम्बन्ध में, प्रति मनीआर्डर हम 2.08 रुपए की सरकारी सहायता देते हैं। महोदय, हम आवश्यक वस्तुओं को रेल से भेजते हैं। रेल विभाग आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई भाड़े की रियायती दर पर करता है। खाद्यानों के लिए हम 90.39 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता दे रहे हैं। अन्यथा खाद्यानों की लागत इस सीमा तक और अधिक बढ़ जाती। खाने के नमक के मामले में, हम 21.46 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता दे रहे हैं। फलों और सब्जियों के मामले में यह सरकारी सहायता 11.84 करोड़ रुपए की है। चारे के मामले में, यह 14.86 करोड़ रुपए है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए हमें निर्यात पर

[श्री जनार्दन पुजारी]

सरकारी सहायता देनी होती है। इसलिए हम 555 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता दे रहे हैं। इस प्रकार यदि आप इन सभी बातों पर विचार करें तो यह सरकारी सहायता 5349.96 करोड़ रुपए की होगी। प्रश्न यह है कि इसे स्थगित कर दिया जाए अथवा हम इसे देश के निर्धन वर्गों तथा आम जनता को दे दें। इसी को हमें बजट में से पर्याप्त रूप से उठना होता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वित्तीय संस्थाएं तथा बैंक प्रभावीरूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। एक बात यह भी उठाई गई है कि कमजोर वर्गों के लोगों को बैंक थोड़ा-थोड़ा करके ऋण बांट रहे हैं और इससे उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यदि आप वर्ष 1984 में हुए लाभ पर विचार करें तो आपको पता चल जाएगा कि यह लाभ 82 करोड़ रुपए का था इस वर्ष यह लाभ बढ़कर 109 करोड़ रुपए हो गया है। इस प्रकार 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब मैं आपको वित्तीय संस्थाओं आदि के आंकड़े दूंगा। जहां तक एन० ए० बी० ए० आर० डी० का संबंध है इसने वर्ष 1984-85 में 185 करोड़ रुपए लाभ अर्जित किया है। जीवन बीमा निगम के मामले में 2 वर्ष में एक बार मूल्यांकन किया जाता है। 1983 में जब यह मूल्यांकन किया गया था तो उस समय 783.13 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। अब जब वर्ष 1985 में मूल्यांकन किया गया तो 31.3.1985 को 1849.65 करोड़ रुपए का अतिरेक लाभ हुआ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के मामले में वर्ष 1984-85 के लिए यह लाभ 79.91 करोड़ रुपए था। वर्ष 1983-84 में 64.39 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।

भारतीय खाद्य निगम में वर्ष 1983-84 में 23.89 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। वर्ष 1984-85 में यह लाभ बढ़कर 29.31 करोड़ रुपए हो गया। अतः वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित वित्तीय संस्थाओं द्वारा ये लाभ अर्जित किए गये हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते है कर वसूली अथवा राजस्व वसूली में भी वृद्धि हुई है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह किसी भी प्रकार की उपलब्धि नहीं है। विपक्ष के तथा सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य सभी बातों के लिए केन्द्रीय बजट से और अधिक धन राशि की मांग भी कर रहे हैं। वे केन्द्रीय सरकार से और अधिक धन राशि चाहते हैं। ऐसा कैसे किया जा सकता है ? जब हम कर अथवा शुल्क लगाते है तो वे कहते हैं कि हम लोगों पर कर लगा रहे हैं। इसके विपरीत वे ये भी कहते है कि और अधिक करना पड़ेगा। इसके लिए एक तर्क तो यह है कि प्रशासन में कार्य कुशलता होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या यह सुनिश्चित की गई है। अब लोग यह बता रहे हैं कि कोई भी दल कोई भी सरकार चाहे वह कांग्रेस की है, चाहे भारतीय कम्यूनिट पार्टी की है चाहे जनता की है अथवा वह किसी की भी सरकार क्यों न हो, कोई भी अमीर लोगों को, अत्यधिक अमीर उद्योगपतियों जो कर अपवंचन करते हैं, जो कुछ लोगों की समान्तर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, को छोड़ नहीं सकती। हम यह नही कहते कि हरेक सरकार के मामले में ऐसा होता है कि सभी

उद्योगपतियों और सभी अमीर लोगों के पास यह काला धन है। जब भी कभी हमने अमीर लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है, उनके घरों पर छापे मारे हैं तो कुछ समाचार पत्रों ने तथा कुछ लोगों ने भी इसका विरोध किया, कि ऐसा करने से समूची अर्थ व्यवस्था चरमरा जायेगी। देश का कानून चाहे साधारण लोगों के लिए हो या अमीर लोगों के लिए हो या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हो और चाहे वह अमीरलोगों के लिए न हो। कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है। हमारे छापे किसी उद्योग अथवा व्यापार-समुदाय के विरुद्ध नहीं हैं हमारे छापे काले धन के विरुद्ध तथा कर अपवंचकों के विरुद्ध हैं जो अपराध करते आ रहे हैं।

इस बात पर आते हुए कि क्या यह करना चाहिए था नहीं, क्या देश को इसकी आवश्यकता है अथवा नहीं, अब मेरा निवेदन यह है कि यह तो सभा निर्णय ले सकती है, यह सभा ही है जो नियन्त्रण रखती है।

अब, मान्यवर, मैं केवल एक बात आपके ध्यान में ला रहा हूं। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों तथा इस ओर के सदस्यों ने यह बात कही है कि हमें प्रभावी होना चाहिए, समस्त देश में प्रभावी प्रशासन होना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा यह किया गया है या नहीं। यदि आप इस बात पर विचार करें तो देखेंगे कि हम कर वसूली के रूप में लगभग 2500 करोड़ रुपये अधिक देश को देने में सफल रहे हैं और यह राजस्व वसूली है। प्रश्न यह है कि क्या इससे देश के लोगों को सहायता मिल पायेगी अथवा नहीं। जब यह हो जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम उन लोगों को नाजायज तंग कर रहे हैं जिनके घरों पर छापे मारे गये हैं। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को तंग नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में सरकार को बहुत सतर्क और सावधान भी रहना चाहिए। जब कार्यवाही कर दी जाती है तो शोर-शराबा किया जाता है, कि पुलिस राज होने जा रहा है। आप जानते हैं, कि एक महान अर्थ-शास्त्री, जो बम्बई के हैं एक बात कहते चले आ रहे हैं—वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी गए हैं, मैं नहीं जानता कि उन्होंने वहां क्या कहा, और वे देश-भर में यही बात कहते आ रहे हैं। माननीय सदस्य श्री दण्डवते जी ने पिछली बार एक बात कही थी कि 'जब भी कभी तीसरा आदमी श्रेय देता है तो आपके लिए यह बदनामी की बात होगी।' अब इस बार वे बदनाम कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह हमारे लिए प्रमाण-पत्र है, अब यह बदनामी है।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : मन्त्री महोदय, कृपया एक मिनट मुझे माफ कीजिए। मेरी बात कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित की जाये कि मैंने पिछली बार यह कहा था कि मैं इन छापों का स्वागत करता हूं परन्तु छापे सही तरीके से मारे जाने चाहिए। किर्लोस्कर का उदाहरण देते हुए मैंने कहा था कि झूठी संख्या दी गई थी और अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से उनकी उपस्थिति में यह कहा था कि हमने 'झूठी संख्या दी थी' और इससे उन्हें आपसे यह कहने का रास्ता मिल गया कि छापे गलत ढंग से मारे गए थे। गलत रास्ता मत सुझाइये और हां वैसे आप

[प्रो० मधु दण्डवते]

छापे मरवाइये और काले धन का पता लगाइए। मैंने तो केवल मजाक में ही ऐसा कह दिया था कि आप काले धन का इस्तेमाल उत्पादन माध्यमों के लिए कीजिए, इसका प्रयोग शताब्दी समारोह के लिए न कीजिए बस यही सब मैंने कहा था।

श्री जनार्दन पुजारी : नहीं, नहीं। मेरे विचार से माननीय सदस्य मेरी बात समझ नहीं पाए। पिछले बजट भाषण में उन्होंने जो कहा था वह मेरे पास है। पिछले बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहीं यह बात कही थी। जब श्री पालखीवाला, माफ कीजिए, मुझे उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए। और जब उन्होंने यह कहा था कि—

प्रो० मधु दण्डवते : पालखीवाला और मैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में हैं। वे अमीरों के समर्थक हैं और मैं गरीबों का हम दोनों के बीच केवल यह ही अन्तर है।

श्री जनार्दन पुजारी : आपने जो रुख अपनाया है उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। इसीलिए मैंने ऐसा कहा था कि आप मेरी बात समझ नहीं पाए ? मैंने कहा है कि आपने कहा था कि 'जब वह आदमी आपको सरकार को प्रमाण-पत्र देता है, तो आपको, बहुत सावधान रहना चाहिए।' आपने यह कहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ? मैं वही बात कहना चाहता था। मैं यहां यह कह रहा हूं कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। श्री दण्डवते जी भी यही कह रहे हैं कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और हमें निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही चाहे किर्लोस्कर हो या वोल्टास हो या अन्य कोई 'क', 'ख' या 'ग' हो यदि वह कानून का उल्लंघन करता है तो उसे बख्शा न जाए। इसके बारे में देश को अति सावधान रहना चाहिए। यदि कोई गरीब आदमी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि वह कानून का उल्लंघन नहीं करता, और वह निर्दोष है तो हम भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें परेशान न किया जाएं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : क्या यह एक सामान्य वाद-विवाद है ? यहां कोई वाद-विवाद नहीं हुआ। केवल एक सदस्य बोला है और उसने एक बात कही है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह भूतलक्ष से प्रभावी है।

श्री जनार्दन पुजारी : भूतलक्षी नहीं। //अब मैं केवल आपको बता रहा हूं। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। जो लोग अधिक पैसा (धन) इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हैं, अर्थात् प्रशासन को शाबाशी देनी चाहिए। संसद और सरकार यह चाहती है कि ये लोग कार्य करें। इन्होंने कार्यवाही

की है/और अधिक पैसा इकट्ठा करने में ये सफल हो गए हैं। क्या यह सरकार का फर्ज नहीं है, क्या यह संसद का फर्ज नहीं है कि जब कभी भी ये लोग अच्छा कार्य करें उन्हें बधाई दे, शाबाशी दे इसके साथ ही, संसद का/फर्ज है और सरकार का भी यह फर्ज है कि यदि वे कोई शरारत करें तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करे। वहां भी हमने कार्यवाही की है। जब हमें यह पता चला कि कुछ लोग शरारत कर रहे हैं और उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है तो/वहां भी हमने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। यहां मैं यही बात कह रहा हूं। माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी मेरी बात समझेंगे। मेरे विचार से उनकी अपनी पार्टी के सदस्य ने एक बात कही है कि सूखा तथा अन्य चीजों के प्रयोजन/के लिए अधिक पैसा दिया जाना चाहिए। हां, हमने दिया है। परन्तु हम कहां से देंगे। प्रशासन को मजबूत बनाना चाहिए। प्रशासन में सुधार लाना चाहिए। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो यह केवल सरकार का ही फर्ज नहीं है, केवल तेलगू देशम पार्टी|के संसद सदस्यों का ही फर्ज नहीं है यह फर्ज औरों का भी है। जब आपके अधिकारी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। इस तरह की भावना होनी चाहिए। यह बात उस समय माननीय सदस्य को कहनी चाहिए थी|जब वे इस विषय पर बोले थे। बजट पर जब उन्होंने वाद-विवाद शुरू किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं श्री माधव रेड्डी से यह आशा कर रहा था कि वे ऐसा करेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैं यह बात यहां कह रहा हूं क्योंकि|वे यहां उपस्थित हैं। यदि कोई बात गलत है तो हमें उसकी निन्दा करनी चाहिए। यदि कोई बात गलत है तो हमें उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। यहां मैं केवल अपने राजस्व अधिकारियों को बधाई देता हूं क्योंकि वे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। इसके साथ/ही मैं यह भी चेतावनी दे रहा हूं कि यदि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं यदि वे केवल संसद ही नहीं बल्कि सरकार को भी बदनामी करवा रहे हैं तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं।

यहां/कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय सदस्यों ने बैंकों के कार्य-करण के बारे में बताया है। मैंने यह बताया है कि हमारे बैंकों ने क्या-क्या किया है। माननीय सदस्य श्री एन०सी० पराशर ने हमें बताया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में शाखाएं खोलने/के लिए मानदण्डों में छूट दी जानी चाहिए। हां, हम इसे कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में छूट पहले से ही है। इन्होंने अन्य विभागों के बारे में भी कतिपय अन्य मुद्दे उठाए हैं। यदि मुझे सही याद है, श्री बी०एन० रेड्डी/ने यह बात कही थी कि आन्ध्र प्रदेश के सूखा पीड़ितों के लिए और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। इसके लिए हम कुछ-न-कुछ करते रहे हैं। वित्त आयोग तथा अन्य सभी समितियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हम संबंधित राज्यों को सूखा-सहायता/देते रहे हैं। इस बारे में, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए एक बात कहना चाहता हूं। हमें और सड़कें चाहिए और सुविधाएं चाहिए और हस्पताल चाहिए, हमें और रेल लाइनें चाहिए पर हमें कोई घाटा नहीं चाहिए। हमें कोई कर नहीं चाहिए। हम/राज्यों के लिए अधिक धनराशि चाहते हैं। सूखा-सहायता के लिए भी हमें अधिक धन चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या स्थिति है? विपदाओं के लिए सहायता के रूप में हमने 2800 करोड़ रुपये दिए हैं। इसी एक वर्ष में हमने अब तक लगभग 1,013

[श्री जनार्दन पुजारी]

करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की है। बजट प्रावधान में केवल 270 करोड़ रुपये की राशि थी। हम कहां से और धन प्राप्त कर सकते हैं ? यह धन विदेशों से नहीं मिलेगा। न ही हमें आकाश से धन वर्षा होगी। इस संबंध में प्रावधान की राशि केवल 2 0 करोड़ रुपये है यह सीमा 1,000 करोड़ या इसके आस-पास थी। हमें यह धन देना है। प्रत्येक को यह बात समझनी चाहिए। यह हम सबका साझा दायित्व है। यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

यदि हम यह नहीं देते तो हम पर आरोप लगाये जाते हैं। घाटा होने पर या कर लगाने पर भी आन्दोलन किये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अधिक की मांग करता है। यदि हमारी जेबों से कुछ जाता है तो यह कहा जाता है कि "नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अधिक वेतन चाहिए। अधिक भत्ते चाहिए।" प्रत्येक व्यक्ति अधिक की मांग करता है। देश की चिन्ता कौन करेगा ? चाहे इस पक्ष के हों या दूसरे पक्ष के, सभी यह कहते हैं कि हमारे देश को प्रगति करनी चाहिए। हम कहते हैं कि जहां तक प्रगति का संबंध है, हमारा देश मजबूत होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए तथा हमारी जनसंख्या में कमी की जानी चाहिए। ये सभी बातें राष्ट्रीय हित में कही जाती हैं। परन्तु साथ ही, हमें अपने पूर्वजों, विशेष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों का भी ध्यान रखना है। इनमें से कुछ आज भी हमारे बीच हैं। ये हमारे सम्मुख हैं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। इन्होंने हमें राजनैतिक स्वतंत्रता प्रदान की है। इसकी रक्षा करनी है। हम इन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी है। चाहे हम इस पक्ष के हों या दूसरे पक्ष के, आज हमें देश के लिए कुछ सीमा तक त्याग करना है।

मैं कह चुका हूं कि मूल्य वृद्धि के बाद भी हम मिट्टी के तेल के मामले में राज सहायता दे रहे हैं। हमने केवल 14 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की थी। आप कृपया मेरी इस बात को समझने का प्रयास करें। यदि कोई गरीब व्यक्ति एक मास में 5 लीटर तेल लेता है तो हमने जो 14 पैसे की वृद्धि की थी उससे यह राशि एक मास में 70 पैसे होती है। हम उसे 71 पैसे की राजसहायता दे रहे हैं। गैस सिलण्डर के मामले में लगभग 13 रुपए की राजसहायता दी जाती है। यह जिम्मेदारी सरकार की है। चावल के मामले में भी हम लगभग 71 या 72 पैसे की राज सहायता दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इसका उल्लेख नहीं करता (साथ ही हम यह भी कहते हैं कि और अधिक दिया जाना चाहिए।

हमने वित्त मंत्रालय में बहुत हिसाब लगाया है। सरकार को तथा दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों को भी इससे बहुत आशायें थी। इसका क्या प्रभाव पड़ा ? हम राज्यों को और धन देने में सफल रहे हैं। इस सीमा तक राज्य केन्द्र से अधिक धन प्राप्त कर पाने में सफल हुए हैं। लघु बचतों के मामले में लघु बचत बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हम इसकी निगरानी करते रहे हैं।

इसका क्या परिणाम निकला है। हम और धन देने में सफल रहे हैं। कर्नाटक के मामले में भी हम अधिक धन दे सके हैं। यह साझा प्रयास है। इसके लिए हमें अधिक ब्याज दर भी देनी पड़ी है पर हम इसे कर पाने में सफल रहे हैं।

हैदराबाद, बम्बई तथा कलकत्ता तीनों की टकसालों के मामले में हमें सिक्कों की कमी महसूस हो रही है। हमने किसी प्रकार काम चलाया है। हम निगरानी कर रहे हैं। हमने 20,000 लाख सिक्कों का आयात किया है। मैंने टकसाल के लोगों से भी यही कहा कि "नहीं, यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा "यह संभव नहीं है। हम इससे अधिक नहीं कर सकते।" मैंने कहा, "यह संभव है।" क्या हुआ ? प्रति सप्ताह का उत्पादन 420 लाख सिक्के हुआ। आज दो महीनों में ही यह प्रति सप्ताह 570 लाख सिक्कों तक पहुंच गया है। इस प्रकार हम निगरानी कर रहे हैं। हर रोज हम निगरानी कर रहे हैं और हमें निगरानी करनी है। यही यह सभी हमसे आशा करती है। हमें काम करना चाहिए। अब हमें कार्य करने की पद्धति में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। देश हमसे यही आशा करता है। इस उद्देश्य के लिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे निष्पक्ष होकर राष्ट्र की कठिनाई को समझें। हमें आगे बढ़ना है। हां, कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं कि हम 21वीं सदी में जाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। चाहे हम भागें या नहीं, 21वीं सदी अवश्य आएगी। हमें आगे जाना ही है तथा हम 15वीं या 18वीं सदी में वापस नहीं जा सकते। हमें जाना ही है। अब हमें कुशलतापूर्वक जाना है। हमसे यही अपेक्षा··· (व्यवधान) यदि आप आलोचना करेंगे तो यही बात आप पर भी लागू होगी। अन्यथा मैं इसका उल्लेख नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कहता। यदि आप ऐसा मानते हैं कि यह आपकी आलोचना है तो ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं आप पर यह आरोप लगा रहा हूं। मैं केवल यही कह रहा हूं कि चाहे हम इसे पसन्द करें या न करें, चाहे पुजारी इसे पसन्द करें या न करें अथवा चाहे श्री सैफुद्दीन चौधरी इसे पसन्द करें या न करें, हमें 21वीं सदी में जाना ही है। इसे लौटाया नहीं जा सकता। मैं यही बात आपसे कहता रहा हूं।

हम अपनी शक्ति नहीं जानते। हम अपने को कम आंकते हैं। हम भारतीयों विशेषरूप से कुछ भारतीयों की यही त्रासदी है। मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा योजना परिव्यय 97,500 करोड़ रुपये का था। पहले चार वर्षों में हमने लगभग 80 हजार करोड़ रुपये खर्च किये थे। पांचवें वर्ष में हमने लगभग 30 हजार करोड़ रुपये खर्च किए। छठी पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय की राशि 110,000 करोड़ रुपये थी। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें विदेशी सहायता सम्मिलित थी। विदेशी सहायता क्या थी ? यह केवल 7 प्रतिशत ही थी। 93 प्रतिशत हमारे देश में से ही जुटाया गया था।

अब कुछ कह सकते हैं कि आप इसकी तुलना विश्व के विकास से करें। मैंने यह भी किया था। मैं पहले संसद में इस बारे में कह चुका हूं और 1984 को समाप्त हुए 3 वर्षों के आंकड़े दे चुका हूं। अब मैं 1980 से 1985 तक के नवीनतम आंकड़े दे रहा हूं। ये हमारे पास उपलब्ध हैं। विश्व की विकास दर कितनी है। विकासशील देशों की विकास दर कितनी है ? विकसित देशों

[श्री जनार्दन पुजारी]

की विकास दर कितनी है ? भारत की विकास दर कितनी है ? आइये देखें । हम भारतीय इस पर गर्व कर सकते हैं । यदि आप भारत की विकास दर पर ध्यान दें और विश्व के आंकड़ों तथा अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा जापान जैसे विकसित देशों के साथ इसकी तुलना करें तो देखेंगे कि 1980 से 1985 के 5 वर्षों में उनकी विकास दर का औसत 2.19 प्रतिशत था । विकासशील देशों के संबंध में यह विकास दर 2.45 प्रतिशत थी इन पांच वर्षों में विश्व की विकास दर की प्रतिशतता 2.37 थी और भारत के संबंध में यह आंकड़े 5.2 प्रतिशत…………

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : चीन की विकास दर कितनी है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उसका उल्लेख भी करूंगा । तो क्या हम भारतीयों को इस पर गर्व नहीं है ?

कारखानों में काम करने वाले हम लोग खेतों में काम करने वाले हम लोग सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले हम लोग संसद से बाटा काम करने वाले हम लोग क्या हम लोग इससे प्रसन्न नहीं हैं ? क्या हम यह कह सकते है, भारतीय अक्षम लोग होते है ? ऐसी राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए ।

जैसा मैंने पहले कहा था, कुछ लोग यह कह सकते हैं—मैं आपके साथ किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं । यदि मैं आपको छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपके कार्य-निष्पादन के विषय में बताऊं—आप इस पर अनावश्यक रूप से आरोप लगा रहे हैं तो आप स्वयं देख सकते हैं । मैं आपके राज्य कार्य निष्पादन के विषय में उल्लेख नहीं करना चाहता हूं···

(व्यवधान)

हमें इस बात को नहीं लेना चाहिए । परन्तु हमें इस उद्देश्य के लिए अखिल भारतीय कार्य-निष्पादन देखना चाहिए । मैं कहा है कि भारत की स्वतंत्रता और गणतन्त्र की रक्षा के लिए आज हम सबको स्वतंत्रता सेनानी बन जाना चाहिए । देश के आर्थिक विकास के लिए, इस देश के गरीब लोगों के लिए, हमें स्वतंत्रता सेनानी बनना चाहिए । हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो निश्चय ही एक दिन इतिहास हमें दोषी ठहरायेगा । हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वे तो अब भी आरोप लगा रहे हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : इसके लिए मैंने उत्तर दे दिया है । यदि वे आरोप लगा रहे हैं तो यह मेरा कर्तव्य है, यह आपका कर्तव्य है और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह यह

सुनिश्चित करे कि कुछ सुधार हो। इसके लिए आइए हम मिल कर काम करें। आइए हम सब राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य का एक अभिन्न अंग बन जाएं। तब ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं 1985-86 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं: —

मांग संख्या 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 97, 98, 99, 101 और 105."

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**लोक सभा द्वारा स्वीकृत 1985-86 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य)**

| मांग संख्या | मांग का नाम | सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय** | | | |
| 1. | कृषि और सहकारिता विभाग | 6,43,000 | ... |
| 2. | कृषि | 8,59,61,000 | ... |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय | | | |
| | रसायन और उर्वरक मंत्रालय | 151,02,29,000 | 98,26,00,000 |
| वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय | | | |
| | 10. वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय | 12,73,000 | ... |
| | 11. विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन | 2,000 | ... |
| | 12. वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग | 27,44,34,000 | 9,06,53,000 |
| | 13. पूर्ति और निपटान | 35,00,000 | ... |
| संचार मंत्रालय | | | |
| | 16. डाक सेवाएं | ... | 1,58,00,000 |
| | 17. दूर संचार सेवाएं | ... | 36,00,00,000 |
| रक्षा मंत्रालय | | | |
| | 18. रक्षा मंत्रालय | 42,17,24,000 | 37,74,00,000 |
| | 19. रक्षा पेंशनें | 4,38,50,000 | ... |
| | 20. रक्षा सेवाएं-सेना | 153,89,90,000 | ... |
| | 22. रक्षा सेवाएं-वायु सेना | 38,34,50,000 | ... |
| | 23. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | ... | 13,92,00,000 |
| शिक्षा मन्त्रालय | | | |
| | 25. शिक्षा | 6,000 | ... |
| पर्यावरण और वन मंत्रालय | | | |
| | 26. वन तथा अन्य जीवन विभाग | ... | 1,08,00,000 |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| **विदेश मन्त्रालय** | | | |
| 28. विदेश मंत्रालय | | 17,64,94,000 | 10,83,00,000 |
| **वित्त मंत्रालय** | | | |
| 29. वित्त मंत्रालय | | 1,04,14,000 | ... |
| 30. सीमा-शुल्क | | 8,71,32,000 | 29,50,000 |
| 32. आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर | | 7,38,10,000 | ... |
| 33. स्टाम्प | | 74,59,000 | ... |
| 34. लेखा परीक्षा | | 6,97,98,000 | ... |
| 35. करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल | | 57,99,07,000 | 13,32,63,000 |
| 36. पेंशनें | | 28,71,73,000 | ... |
| 38. राज्य सरकारों को अन्तरण | | 259,44,25,000 | ... |
| 40. सरकारी सेवकों आदि को उधार | | ... | 48,79,00,000 |
| **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय** | | | |
| 41. खाद्य विभाग | | 10,48,32,000 | 1,000 |
| **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** | | | |
| 43. स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय | | 1,75,000 | ... |
| 44. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य | | 5,000 | 12,83,88,000 |

| 1 2 | 3 | |
|---|---|---|
| | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| गृह मंत्रालय | | |
| 46. गृह मंत्रालय | 41,92,000 | ... |
| 47. मन्त्रिमण्डल | 1,56,99,000 | ... |
| 48. पुलिस | 60,0?,38,000 | ... |
| 49. अन्य प्रशासनिक और सामान्य सेवाएं | 45,74,70,(00 | 5,63,86,000 |
| 51. गृह मंत्रालय का अन्य व्यय | 17,98,49,000 | 10,27,23,000 |
| 52 दिल्ली | 5,88,00,000 | 30,66,66,000 |
| 53. चण्डीगढ़ | 9,01,99,000 | 8,83,43,000 |
| 54. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 6,97,07.000 | ... |
| 56. लक्षद्वीप | 54,30,000 | 25,93,000 |
| उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय | | |
| 57. उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय | 3,00,(00 | ... |
| 58. उद्योग | ... | 50,25,00,000 |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय | | |
| 60. सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 16,41,000 | ... |
| 62. प्रसारण | 27,53,24,000 | 5,18,01,000 |
| सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय | | |
| 63 सिंचाई विभाग | 1,000 | ... |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व<br>रुपए | पूंजी<br>रुपए |
| | **श्रम मंत्रालय** | | |
| 65. | श्रम मंत्रालय | 3,11,000 | ... |
| | **विज्ञान तथा प्रौद्योगिक मंत्रालय** | | |
| 73. | विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग | 1,000 | ... |
| 76. | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग | 36,00,000 | 1,30,00,000 |
| 77. | गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग | 4,35,01,000 | ... |
| | **नौवहन और परिवहन मंत्रालय** | | |
| 78. | नौवहन और परिवहन मंत्रालय | 29,47,000 | ... |
| 79. | सड़कें | 14,96,24,000 | 4,11,82,000 |
| 80. | पत्तन, दीप स्तम्भ और नौवहन | 38,23,84,000 | 95,78,19,000 |
| 81. | सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन | ... | 1,64,00,000 |
| | **समाज तथा महिला कल्याण मंत्रालय** | | |
| 82. | समाज तथा महिला कल्याण मंत्रालय | 8,90,52,000 | ... |
| | **इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय** | | |
| 83. | इस्पात विभाग | 63,17,92,000 | 45,13,50,000 |
| 84. | खान विभाग | ... | 9,43,46,000 |
| | **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय** | | |
| 87. | विमानन | ... | 17,05,60,000 |
| | **निर्माण और आवास मंत्रालय** | | |
| 89. | निर्माण और आवास मंत्रालय | 7,56,000 | ... |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| | 90. लोक निर्माण | ... | 3,000 |
| | 92. आवास और नगर विकास | 1,000 | 1,000 |
| | 93. लेखन सामग्री और मुद्रण | 8,22,46,000 | ... |
| | **संस्कृति विभाग** | | |
| | 97. संस्कृति विभाग | 1,000 | ... |
| | 98. पुरातत्व | 55,80,000 | ... |
| | **इलेक्ट्रोनिकी विभाग** | | |
| | 99. इलेक्ट्रोनिकी विभाग | 64,81,000 | .. |
| | **कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग** | | |
| | 101. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग | 1,27,29,000 | ... |
| | **संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग** | | |
| | 105. राज्य सभा | 22,50,000 | ... |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं 1983-84 की अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य) सभा के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि को पूरा

करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

मांग संख्या 17, 20, 22 23, 34, 40, 57, और 78 ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत 1983-84 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य)

| मांग संख्या | मांग का नाम | सदन द्वारा स्वीकृत मांग की राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रुपए |
| I राजस्व खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय | | |
| 20. | रक्षा सेवायें-नौ सेना | 15,67,57,204 |
| 22. | रक्षा सेवायें-पेंशनें | 15,26,44,781 |
| 40. | पेंशनें | 3,51,01,906 |
| 57. | चण्डीगढ़ | 7,01,44,453 |
| 78. | सड़कें | 33,36,832 |
| II. पूंजी खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय | | |
| 17. | डाक-तार पर पूंजी परिव्यय | 4,81,28,839 |
| 23. | रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | 28,06,91,426 |
| 34. | सीमा शुल्क | 72,70,828 |
| 57. | चण्डीगढ़ | 5,34,21,491 |

12.53 म०प०

## विनियोग विधेयक

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय अब 1985-86 के लिए विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव कर सकते हैं।

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :** महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित-निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री जनार्दन पुजारी :** महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा 3 अनुसूची विधेयक का अंग बनें।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**श्री जनार्दन पुजारी :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

12.56 म०प०

## विनियोग संख्यांक-2 विधेयक

[अनुवाद]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :** महोदय, मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मार्च, 1984 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1984 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों

का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री जनार्दन पुजारी** : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मार्च, 1984 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1984 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**श्री जनार्दन पुजारी** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

12.59 बजे

## प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा कार्यसूची की मद 13 और 14 पर एक साथ चर्चा करेगी।

**श्री अजय विश्वास** (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 जनवरी, 1986 को प्रख्यापित प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का अध्यादेश संख्या-1) का निरनुमोदन करती है।"

मैं यह प्रस्ताव इसलिए करता हूं क्योंकि सरकार ने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है तथा वह प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के लिए विधेयक भी ला रही है। मुख्य आपत्ति यह है।

1.00 म० प०

जब मैं मुख्य विधेयक पर बोला था, तो मैंने सरकार को यह सुझाव दिया था कि मूल विधेयक में अनेक खामियां हैं और कहा था कि सरकार को उक्त विधेयक को जल्दीबाजी में पारित नहीं करना चाहिए।

अब हम देखते हैं कि मूल विधेयक के पारित होने के पश्चात् एक वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है, किन्तु केन्द्रीय सरकार अभी तक प्रशासनिक अधिकरण का गठन नहीं कर पायी है। अब सरकार मूल विधेयक में संशोधन करना चाहती है। मैंने उस समय यह सुझाव भी दिया था कि चूंकि यह विधेयक राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कम से कम 80 से 90 लाख कर्मचारियों के भाग्य से संबंधित है, इसलिए कर्मचारियों के संगठनों से सम्पर्क किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने मेरे इस सुझाव पर भी ध्यान नहीं दिया।

महोदय, मेरा सम्बन्ध राज्य कर्मचारियों से है। सामान्यत: सरकारी कर्मचारी तथा

[श्री अजय विश्वास]

विशेष रूप से राज्य कर्मचारी इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकरणों का विरोध कर रहे हैं। अब, मैं समझता हूं कि सरकार विधेयक में संशोधन करने के लिए आगे आई है तथा सरकार के तीन लक्ष्य हैं।

एक लक्ष्य उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, क्योंकि मूल अधिनियम में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता समाप्त कर दी गयी थी। संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सरकार ऐसा कर सकती है। किन्तु, डा० अम्बेडकर के अनुसार, जब संविधान का निर्माण करते समय उन्होंने इस अनुच्छेद पर विचार किया था — उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिकों, विशेष रूप से कर्मचारियों तथा कर्मकारों के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए, अनुच्छेद 32 को उन्होंने बहुत महत्व दिया था। मैं समझता हूं कि सरकार अब उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहती है। किन्तु इसके बावजूद, कर्मचारियों तथा कर्मकारों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा क्योंकि उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों की अधिकारिता समाप्त कर दी गई है। श्रेणी-तीन तथा श्रेणी-चार के कर्मचारियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटायें। मन्त्री महोदय को यह पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय तक पहुंचना इतना खर्चीला है कि श्रेणी-तीन तथा श्रेणी-चार के कर्मचारियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय तक पहुंच पायें।

इसलिए आप उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बनाए रख रहे हैं। वस्तुतः वही मुख्य बात है। उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। आप उन्हें समाप्त करने जा रहे हैं। यह स्पष्ट है। कोई भी कर्मचारी अपने लाभ के लिए उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायलयों में जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह कुछ नहीं बल्कि एक ढोंग है कि सरकार लोगों को यह दिखाना चाहती है कि वह लोकतान्त्रिक है और इसलिए वह कर्मचारियों तथा कर्मकारों के लिए यह विकल्प खुला रख रही है कि वे न्यायिक क्षेत्र, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा।

दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक अधिकरण तथा न्यायिक दृष्टिकोण को चिन्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले यह बाध्यता थी कि न्यायिक व्यक्तियों को ही अधिकरणों का सदस्य होना चाहिए। अब सरकार मूल विधेयक में संशोधन करना चाहती है जिससे कि एक न्यायिक व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकरण में शामिल किया जाए। अध्यक्ष तथा सचिव सहित अधिकरण के अन्य सदस्यों की केवल प्रशासनिक पृष्ठभूमि है। महोदय, अधिकरण में

एक न्यायिक व्यक्ति नियुक्त कर देने से ही प्रशासनिक अधिकरण के स्वरूप में परिवर्तन नहीं आ जाएगा। वास्तव में आप जो कर रहे हैं वह है कि आप न्यायिक प्रणाली के स्थान पर प्रशासनिक अधिकरण ला रहे हैं। न्यायिक प्रणाली का विकल्प प्रशासनिक अधिकरण नहीं हो सकता। इसलिए, जो संशोधन यहां लाया गया है वह महत्वपूर्ण नहीं है और इससे मूल विधि के मौलिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अधिकरण के सदस्य या तो सचिव हैं या संयुक्त सचिव जिन्होंने प्रशासक का कार्य किया है। प्रशासक के रूप में कार्य करने तथा अफसरशाही दृष्टिकोण रखने के कारण जब वे कर्मचारियों के मामलों पर विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका दृष्टिकोण एक प्रशासक का होगा न कि एक न्यायविद् का। इस कारण कर्मचारियों को अधिकरण से न्याय नहीं मिल सकता। मुझे विश्वास है कि अधिकरण कर्मचारियों के बुनियादी हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा।

1.09 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

और यह कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन न्यायालयों की अधिकारिता को पूर्ववत् रखा जाएगा।

जो कर्मचारी उपक्रमों में कार्यरत हैं और जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अधीन न्याय मांगने का अधिकार है, उनका औद्योगिक अधिकरण में जाने का अधिकार बनाए रखा जाएगा। इसके साथ-साथ प्रशासनिक अधिकरण भी कार्य करेगा। जो कर्मचारी औद्योगिक अधिकरणों में जा सकते हैं वे प्रशासनिक अधिकरणों का भी लाभ उठा सकेंगे। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि यह असंगति है। यह अस्पष्टता है। इसलिए मैं मूल विधेयक तथा इस संशोधनकारी विधेयक, दोनों का विरोध करता हूं। वास्तव में सरकार देश में कर्मचारियों तथा कामगारों के वर्तमान न्यायिक अधिकारों को छीनना चाहती है। लगभग 80-90 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी देश के संगठित कामगारों का 60-65 प्रतिशत होते हैं। इसलिए आप 60-65 प्रतिशत संगठित कामगारों के न्यायिक अधिकारों को छीन रहे हैं। यह एक गम्भीर बात है; स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जाने वाली यह गम्भीर कारंवाई है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है ?

केवल यही कारंवाई ऐसी नहीं है। यदि 1980 से अब तक हम सरकार के कार्यों पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि सरकार एक के बाद एक ऐसी कारंवाई कर रही है जिससे जनता के ट्रेड यूनियन तथा लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक सेवायें बनाए रखने का अधिनियम पारित किया और इनके पारित किये जाने से कामगारों तथा कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन संबंधी तथा लोक-

[श्री अजय विश्वास]

तांत्रिक अधिकार छीन लिए गए और अब कामगारों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार किसी भी समय हड़ताल पर रोक लगा सकती है। यदि कामगार कार्य के घंटों के बाद प्रदर्शन करना चाहें तो उन पर जुर्माना किया जा सकता है तथा कारावास की सजा भी दी जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है सरकार योजनाबद्ध रूप से धीरे-धीरे कामगारों के लोकतांत्रिक तथा न्यायिक अधिकारों को छीन रही है। इसलिए प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का प्रयास इतने तक ही सीमित नहीं है। यह सरकार के, देश के कामगारों के ट्रेड यूनियन, लोकतांत्रिक तथा न्यायिक अधिकारों के छीनने के सम्पूर्ण प्रयास, सम्पूर्ण योजना से जुड़ा हुआ है।

सरकार के सामने आर्थिक तथा अन्य संकट हैं और वह इन संकटों से उबरने के लिए सारा भार कामगारों पर, आम जनता पर डालना चाहती है।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह न केवल इस संशोधन को वापिस लें बल्कि इस विधेयक को पूर्णरूपेण वापस किया जाए ताकि केन्द्र तथा राज्य दोनों के कर्मचारियों के न्यायिक अधिकार बने रहें। आपको चाहिए कि कर्मचारियों को पूर्ण न्याय पाने हेतु उच्च न्यायालयों तथा छोटे न्यायालयों में जाने की अनुमति दी जाए।

मैं केन्द्रीय सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की वामपंथी सरकारें कामगारों के ट्रेड यूनियन तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। इस विधेयक के पारित हो जाने पर भी पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा की वामपंथी सरकारें इन अधिकरणों में भागीदार नहीं होंगी। हम कर्मचारियों को निचले न्यायालयों में या उच्च न्यायालय में जाने से नहीं रोकेंगे। मैं इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करता हूं।

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्रीमान्, जिन माननीय सदस्यों ने इस सांविधिक संकल्प की सूचना दी थी, उनमें से केवल श्री अजय विश्वास संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए यहां उपस्थित हैं। मेरा यह समझना

गलत नहीं होगा कि अन्य सदस्यों ने सांविधिक संकल्प पर पुनर्विचार किया है और वे मोटे तौर पर इस संशोधन विधेयक का स्वागत करते हैं।

वास्तव में जब मूल विधेयक पुरःस्थापित तथा पारित किया गया था तब इस सभा में तथा राज्य सभा में इस पर विस्तृत वाद-विवाद हुआ था। अब हमने कतिपय उत्तरवर्ती घटनाओं पर ध्यान दिया है और मेरा यह कहना है कि संशोधनकारी विधेयक पूर्णतः विवाद रहित है और इसलिए इस संशोधन विधेयक के बारे में कोई विरोध या शंका नहीं होनी चाहिए।

हमने इस संशोधन विधेयक में क्या किया है ? मैं संशोधन विधेयक के प्रमुख उपबन्धों के संबंध में बहुत संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

प्रथमतः, हमने निर्णय किया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त करना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 323क के अधीन हम ऐसी विधि बना सकते हैं जिससे अनुच्छेद 226 और 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त किया जा सकता है। लेकिन पुनर्विचार करने से सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम करना आवश्यक नहीं है। इतना पर्याप्त होगा कि अनुच्छेद 226 और 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों का सम्बन्धित क्षेत्राधिकार उनसे हटाकर अधिकरण को दे दिया जाए।

जहां तक गठन का सम्बन्ध है, मैं सम्माननीय सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई रिट याचिकाओं में तथा उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालयों को अन्तरित की गई रिट याचिकाओं में उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीशों ने यह टिप्पणी की है कि उनके विचार में न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होना चाहिए। सरकार ने इस पर विचार किया तथा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। हमें भी विश्वास है न्यायपीठ में तीन सदस्यों के बजाय, प्रत्येक न्यायपीठ में दो सदस्य पर्याप्त होंगे अर्थात, एक न्यायिक सदस्य तथा एक प्रशासनिक सदस्य। माननीय सदस्य जानते हैं कि आज भी उच्च न्यायालयों में सेवा संबंधी अधिकतर मामलों की सुनवाई एक ही न्यायाधीश करते हैं। किसी असाधारण मामले में ही मूल रिट याचिका पर दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा सुनवाई की जाती है। केवल ऐसे जटिल मामलों में, जिनमें सांविधानिक विधि सम्बन्धी गम्भीर विषय अन्तर्विष्ट हों, तीन न्यायाधीशों की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा प्रारम्भिक चरण में मामले की सुनवाई की जाती है। इसलिए हमने अब यह उपबन्ध किया है कि अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य तथा एक प्रशासनिक सदस्य शामिल होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसी पद्धति अन्य अधिकरणों में नहीं है। उदाहरणार्थ, आयकर अपीलीय अधिकरण में दो

[श्री पी० चिदम्बरम]

सदस्य हैं, एक न्यायिक सदस्य तथा एकलेखाकार सदस्य और लोग आयकर अपीलीय अधिकरण के पास अपील करते हैं उन्होंने इस व्यवस्था को बहुत संतोषजनक पाया है। हम समझते हैं कि एक न्यायिक सदस्य तथा एक प्रशासनिक सदस्य रखने की यह व्यवस्था बहुत संतोष जनक होगी। इस न्यायपीठ के द्वारा सेवा संबंधी मामलों का निर्णय किए जाने में न्यायिक अनुभव, न्यायिक ज्ञान यथा विधि की समझ, प्रशासनिक अनुभव तथा सरकारी प्रणाली के कार्यकरण का ज्ञान, नियमों के ज्ञान तथा व्यावहारिक जटिलताओं का ज्ञान सहायक होगा।

इस उपबन्ध के द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त मंच प्राप्त होगा जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्थान्तिर्गत कर्मकार भी हैं। मेरे विचार में माननीय सदस्य श्री अजय विश्वास ने इस उपबन्ध के कार्य-क्षेत्र का समझने में गलती की है। मूल उपबन्ध के अनुसार, कोई सरकारी कर्मचारी, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्थान्तिर्गत कर्मकार भी है, ऐसे मामलों में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम से नियंत्रित नहीं होता जिन मामलों में वह औद्योगिक विवाद अधिनियम से नियंत्रित होता है।

श्रीमान्, मैं मानता हूं कि उस उपबन्ध की भाषा कुछ अस्पष्ट थी। यह तर्क दिया जा सकता था कि जो मामले इससे इतर रखे गए थे। वे ऐसे थे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2क के अन्तर्गत आते थे। यह अर्थ भी लगाया जा सकता था कि ऐसा हरेक मामला, जिसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, इसके कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया था।

श्रीमान्, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि किसी विवाद को श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पास भेजने की प्रक्रिया कितनी जटिल है। मेरे विचार में जिस राज्य से माननीय सदस्य अजय विश्वास आते हैं उसमें भी यह प्रक्रिया कम जटिल नहीं है। अब हमने एक अतिरिक्त मंच उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारी, जो अधिकारत: कर्मकार भी है, अपने विवाद को अधिकरण में ले जा सकता है। उसे समाधान-अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे सरकार द्वारा मामले को भेजे जाने तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उसे यूनियन द्वारा अपना समर्थन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित सैंकड़ों बातें करने की आवश्यकता नहीं है। उसका विवाद अधिकार-पूर्ण ढंग से अधिकरण द्वारा हल किया जाएगा। मेरे विचार में यह उपबन्ध व्यापक है—मूल अधिनियम से बहुत बेहतर है और श्री अजय विश्वास जैसे कर्मकारों के अधिकारों की रक्षा करने वालों को इसका दिल से स्वागत करना चाहिए।

अन्त में, हमने देखा है कि कुछ छोटे राज्यों के लिए अलग अधिकरण स्थापित करना कठिन है।

वास्तव में, केन्द्रीय सरकार के लिए यह बहुत खर्चीली योजना होगी कि वह हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में केन्द्रीय अधिकरण की न्याय-पीठ स्थापित करें। उस राज्य के लिए यह भी पूर्णतः अमितव्ययी होगा कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए अपना राज्य-अधिकरण स्थापित करे। अतः हमने केन्द्रीय अधिकरण की न्यायपीठ के सदस्यों को, राज्य सरकार की सहमति से, राज्य-अधिकरण के सदस्यों के रूप में नामित करने, और यदि वे चाहें, तो राज्य-अधिकरण के सदस्यों को केन्द्रीय अधिकरण के सदस्यों के रूप में नामित करने की शक्ति ग्रहण करने का निश्चय किया है। इससे धन की बचत होगी; इससे अधिकरण को कार्रवाई करने हेतु वर्ष भर में पर्याप्त मामले मिल सकेंगे, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार, दोनों के कर्मचारी दोनों अधिकरणों के उन्हीं सदस्यों के पास जा सकेंगे।

श्रीमान्, न्यायालयों में लम्बित कुछ विवादों से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए कुछ छोटे व्याख्यात्मक संशोधन किए गए हैं। उदाहरणार्थ, क्या शब्द "संघ" में "संघ-राज्य क्षेत्र" शामिल है। स्पष्टतः शामिल है। हमने इसे स्पष्ट किया है।

नई बम्बई में न्यायपीठ स्थापित करने के संबंध में प्रश्न यह था कि "बम्बई" में "नई बम्बई" शामिल है या नहीं; "दिल्ली" में "नई दिल्ली" शामिल है या नहीं। हमने स्पष्ट कर दिया है। मेरे विचार में इस संशोधन विधेयक पर कोई मतभेद नहीं है और मैं इस पर विचार करने तथा इसकी स्वीकृति हेतु सिफारिश करता हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि यह विधेयक सभा द्वारा बिना किसी विरोध या आपत्ति के पारित किया जाएगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"यह सभा 22 जनवरी, 1986 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का अध्यादेश संख्या-1) का निरनुमोदन करती है।"

"कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**श्री शान्ताराम नायक** (पणजी) : सभापति महोदय, श्रीमान् प्रारम्भ में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तावित संशोधन वास्तव में अपेक्षित है और इससे विधान में काफी सुधार होगा जिससे मुख्य अधिनियम और कारगर हो जाएगा।

तत्कालीन प्रभारी मंत्री श्री के० पी० सिंह देव ने उस समय लोक सभा में कहा था कि

[श्री शान्ताराम नायक]

"ऐसा अनुमान है कि इस समय 63,000 से अधिक—सही माने में 63,880 मामले केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं जो देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं।" केवल कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों के निर्णयन हेतु प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना से न केवल न्यायालयों पर वर्तमान कार्यभार कम होगा, जिससे वे अन्य मामलों पर अधिक समय लगा सकेंगे बल्कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा-संबंधी शिकायतें दूर हो जाने से उन्हें भी शीघ्र राहत मिलेगी।

असम में मुख्य अधिनियम का उद्देश्य यही है। परन्तु, इस संदर्भ में क्या मैं संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दिव के मामले का उल्लेख कर सकता हूं? आप जानते हैं कि बम्बई उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ पणजी में है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत मामलों पर वह न्यायपीठ तेजी से कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है कि देश के अन्य उच्च न्यायालयों में उनके पास लम्बित पड़े मामलों को निपटाने में समय लग जाता हो। लेकिन गोवा में कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी शिकायतों को 6 महीने या अधिकाधिक एक वर्ष की अवधि में दूर करवा सकता है।

इस अधिकरण के बारे में, अब हम बम्बई से जुड़े हुए हैं और यदि सरकारी कर्मचारियों को अपने आवेदन दाखिल करने तथा कार्रवाई को शीघ्र चालू करवाने के लिए बम्बई जाना पड़ेगा तो उन्हें बहुत परेशानी होगी। आप समझ सकते हैं कि गोआ में सरकारी कर्मचारियों को इससे कितनी कठिनाई होगी।

इस संदर्भ में, मैं अनुरोध करता हूं कि किसी एक अधिकरण की न्यायपीठ पणजी में स्थापित की जाए जिससे यह समस्या हल हो सके। यदि ऐसा करने में अधिक समय लगे तो जब तक कि यह अधिकरण काम करना शुरू करे तब तक बम्बई की न्यायपीठ के अधिकार क्षेत्र को बहाल रखा जाए। अन्यथा, प्रक्रिया संबंधी मामलों के परिणामस्वरूप इसमें 6 महीने से एक वर्ष तक का समय लग जाएगा और सरकारी कर्मचारियों के हितों की हानि होगी।

जैसा कि आप जानते हैं, कतिपय पदों पर नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं। संघ लोक सेवा आयोग ही गोआ में नियुक्तियां करता है। संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए उम्मीदवारों को दिल्ली आना पड़ता है। इस प्रकार सेवा के मामलों में गोआ में कुछ नहीं होता। अपनी शिकायतों के हल के लिए भी यदि उन्हें मीलों दूर जाना पड़ेगा तो यह एक समस्या हो जाएगी। इस संबंध में विचार किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में पुर्तगालियों के समय से ही

गोआ में प्रशासनिक अधिकरण विद्यमान है। पहले यह कुछ और मामलों पर कार्रवाई करता था लेकिन अब उस अधिकरण का पुनर्गठन किया गया है और यह अभिधृति और किराए के मामलों को निपटाता है। मेरा सुझाव है कि इसी अधिकरण में पर्याप्त संख्या में और सदस्य देकर इसका पुनर्गठन किया जाए; या एक पृथक प्रशासनिक अधिकरण गठित किया जा सकता है। गोआ का अधिकरण स्थानीय संविधियों के अन्तर्गत भिन्न क्षेत्राधिकार तथा भिन्न शक्तियों सहित कार्यरत है।

यदि किसी प्रशासनिक अधिकरण को प्रभावी बनाना है तो सरकारी कर्मचारियों के भर्ती नियमों में भी सुधार करना होगा। मैं जानता हूं कि इस संबंध में आप काफी काम कर रहे हैं। लेकिन कतिपय राज्यों में, यदि आप किसी सरकारी मुद्रणालय में जायें तो आपको सरकारी कर्मचारियों के भर्ती नियमों की कोई पुस्तिका भी नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों तथा अपनी सेवा से संबंधित नियमों से अवगत नही है। अत: यदि सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम उपलब्ध होंगे तो उन्हें इन अधिकारों की जानकारी रहेगी और यदि इन अधिकारों की जानकारी ठीक से दे दी जाए और इसे लोगों में व्यापक रूप से परि-चालित किया जाए तो इससे अनावश्यक मुकदमे बाजी से बचा जा सकेगा।

मैं चाहता हूं कि प्रशासनिक अधिकरणों के सम्पूर्ण ढांचे को मजबूत किया जाए। राज्य सरकारें चरित्र-पजिकाएं तथा गोपनीय रिपोर्टें रखती हैं क्योंकि पदोन्नतियां चरित्र-पंजिकाओं के आधार पर की जाती हैं। मैं समझता हूं कि अधिकतर राज्यों में चरित्र-पजिकाएं लिखने के बारे में कोई नियम नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर शेष सेवाओं में ऐसे कोई नियम नहीं हैं कि सरकारी कर्मचारियों की चरित्र-पजिकाएं किस प्रकार लिखी जाएं। इससे सेवा के मामलों में बहुत मुकदमे बाजी होती है।

यदि ये नियम आसानी से सुलभ करवाए जायें और उन्हें सरकारी कर्मचारियों को अच्छी तरह समझाया जाए तो इससे मुकदमेबाजी कम होगी। कभी-कभी उच्च अधिकारियों को भी यह ज्ञात नहीं होता कि चरित्र-पंजिका कैसे लिखी जाएगी। उदाहरणार्थ, एक बार एक अधिकारी अपने अधीन कार्यरत एक कर्मचारी की चरित्र-पत्रिका लिखना चाहता था। वास्तव में वह कर्मचारी बहुत मेहनत से काम करता था।

वस्तुत: वह चाहता है कि इस बात को चरित्र-पंजिका में नोट किया जाना चाहिए; वह कहना चाहता था कि वह कार्य अच्छी तरह से कर रहा है। किन्तु अधिकारी ने वहां लिख दिया कि श्रीमान् वे मुश्किल से कार्य करते हैं, उसके कहने की मंशा थी कि वह कठिन श्रम करने वाला है किन्तु चरित्र-पंजिका में उसने लिख दिया कि वह मुश्किल से कार्य करता है। मैं इस बात को केवल यह दिखाने के लिए आपकी निगाह में ला रहा हूं कि विभिन्न अधि-

[श्री शान्ताराम नायक]

कारियों द्वारा चरित्र-पंजिका में लिखे गये विभिन्न प्रकार के टिप्पण किस प्रकार अलग-अलग अर्थ प्रकट करते हैं जिसके बारे में अलग-अलग सरकारी कर्मचारी अलग-अलग अर्थ लेते हैं और जिसकी व्याख्या न्यायालयों द्वारा अलग प्रकार से की जाती है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि चरित्र-पंजिका लिखने की प्रक्रिया सरल और कारगर बनाई जाए। मुझे पता है कि आप इस क्षेत्र में काफी कार्य कर रहे हैं और आपने इस सम्बन्ध में अनेक प्रयास किए हैं। जब तक कि इस पहलू को मजबूत नहीं बनाया जाता अधिकरण का हमारा सम्पूर्ण ढांचा कारगर नहीं हो पाएगा।

आपने नियम भी बनाए हैं और उनमें अन्तरिम आदेश की व्यवस्था की है। जहां तक इस अधिकरण के समक्ष आवेदनों को दायर करने का संबंध है, नियमों में कहा गया है, वस्तुत: कानून यह स्वयं ही कहता है कि कुछ आवेदनों को सभी दस्तावेजों के साथ एक पूरे आकार के लिफाफे के साथ भेजना आवश्यक है। कौन अधिकरण अथवा विधि न्यायालय याचिका के साथ एक लिफाफा भी भेजने के लिए कहेगा ? यह संभव है, किन्तु यह इसलिए आवश्यक है कि इसका इस विधान में उल्लेख किया जाना चाहिए कि पत्रों के साथ एक पूरे आकार का खाली लिफाफा संलग्न किया जाए। आप इस पर विचार करें क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें हैं और अन्त में अधिकरण को ही इनकी इसकी जांच करनी होगी।

सामान्यत: प्रवृत्ति यह है कि न्याय को सस्ता बनाया जाए। उच्च न्यायालय में 2 रुपए के स्टाम्प पेपर पर याचिका दायर की जा सकती है। अब, ये मामले सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं, उनमें से कुछ अति निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारी हैं। जब कोई रिट याचिका उच्च न्यायालय में 2 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दायर की जा सकती है, तो अधिकरण के समक्ष आवेदन करने के लिए 50 रुपए क्यों प्रभारित किया जाता है तथा पूरे आकार के एक खाली लिफाफे के साथ कागज देने के लिए क्यों कहा जाता है। हम न्याय को सस्ता बनाना चाहते हैं। आजकल 2 रुपए और 50 रुपए मायने रखते हैं। सरकारी कर्मचारियों की तो अन्य प्रकार से भी काफी खर्च करना पड़ता है, किन्तु इस अर्थ में इस बात में बहुत अन्तर है कि आपने उच्च न्यायालय की अधिकारिता छीन ली है जो नाममात्र का शुल्क प्रभारित करता है और यह अधिकारिता विशेष अधिकरण को देने जा रहे हैं जो 50 रुपए का शुल्क प्रभारित करके सरकारी कर्मचारियो के मामलों पर विचार करता है; यह न्यायोचित दिखाई नहीं देता। आप इस पहलू की भी पुनरीक्षा करें।

अनेक ऐसे मामले हैं जो सेवा-संबंधी मुकदमों से सम्बद्ध हैं। इस अधिकरण के समक्ष अत्यन्त निर्णायक मामले आ रहे हैं। यदि अधिकरण किसी मामले को अत्यन्त निर्णायक पाता है या कोई ऐसा मामला है, जहां कोई अति महत्व का संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा होता है, तो

मैं समझता हूं कि मूल अधिनियम में इस बात का उपबन्ध किया जाए कि मामला भारत के उच्चतम न्यायालय को भेजा जाएगा, क्योंकि सेवा मामलों में अधिकतर संवैधानिक मामले अन्तर्ग्रस्त होते हैं, और इसलिए, सर्वोच्च अधिकरण को अपने समक्ष आने वाले ऐसे मामलों को सुरक्षित रखना चाहिए जिनमें संवैधानिक तथा अति महत्व के प्रश्न इसके समक्ष आते हों। और इसके बाद इसके परिणामस्वरूप कुछ वित्तीय बोझ पार्टी, विशेषकर सरकारी कर्मचारियों पर आएगा। इन परिस्थितियों में, मेरा यह सुझाव है कि यदि मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजा जाता है और यदि अधिकरण के समक्ष पार्टी, जो कि सरकारी कर्मचारी है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी-संबंधी व्यय का वहन करने में असमर्थ है, तो उसे विधिक सहायता विशेषतया उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए दी जानी चाहिए; उसे मामले मे कानूनी सहायता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री के० एन० प्रधान** (भोपाल) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है, निश्चय ही स्वागत-योग्य है। इसकी जितनी तारीफ की जाये, उतनी कम है। इसीलिये इसमें केवल इम्प्रूमैंट्स किए गए हैं। यह आपत्ति करना कि इस सैशन से पहले क्यों आर्डिनेन्स लाया गया, निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट के विशेष रूप से कुछ सुझाव थे। एक सुझाव यह भी था कि जुडिशियल मेम्बर होना चाहिए। अच्छी चीज को जितनी जल्दी हो सके, लागू कर दिया जाये। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। यह एक स्वागत योग्य बात है कि उसमें जुडिशियल मेम्बर होगा क्योंकि इससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। मुझे उस समय दुख हुआ जब माननीय अजय विश्वास बोल रहे थे। उन्होंने इसका पूरे तरीके से विरोध किया।

जहां तक कर्मचारियों और मजदूरों के हितों की सुरक्षा और उनको अधिकार देने की बात है, दुनिया के किसी भी देश में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि जहां पर सरकार ने स्वयं उन कर्मचारियों और मजदूरों को इतने अधिकार दिए हों और उनके हितों की इतनी अधिक सुरक्षा की हो।

इस बिल का विरोध करने वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी से आप बिलांग करते हैं, वहां की शासन व्यवस्था आपकी तरह हो जाये तो यह राइट्स जो कि हमारे यहां दिए गए हैं, वह नहीं रहेंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य** : वहां ऐसी समस्या नहीं है।

**श्री के० एन० प्रधान** : वहां कोई जादू तो नहीं है। कोई बोल ही नहीं सकता है तो

[श्री के० एम० प्रधान]

अपनी समस्यायें कहां से बतलायेगा। आपने अपना धर्म ही बना लिया है कि हर अच्छी चीज का भी हमने विरोध करना है।

अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि कुछ वर्ग के कर्मचारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के तहत अपनी समस्याओं को ले जा सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है, वह बहुत पेचीदा है। साथ ही साथ एक ही तरह के सैट आफ फैक्ट्स पर दो तरह के जजमेंट होंगे तो बड़ी ऐनामली होगी। यह सही है कि आपने बड़ी अच्छी सुविधा दी है, और उनको काफी मुश्किलात से बचाया है जिससे आसानी के साथ उनकी जो समस्यायें हैं वह सुलझ जायें और जो अधिकार हैं जो न्याय चाहिए, उसको ले लें, लेकिन उसी के साथ-साथ कोई ऐनामली न रह जाये, इसको भी देखना होगा।

इसी प्रकार आपने अभी कुछ खंडपीठ स्थापित की और कुछ और करने वाले हैं। इसमें आपने बुनियादी सिद्धांत यह रखा है कि जहां पर हाईकोर्ट की परमानेंट बैंचिज होंगी अभी वहां पर ही यह खोलेंगे, लेकिन कई जगहों पर जहां पर स्थायी खंडपीठ भी है वहां आप नहीं खोलेंगे जैसा कि पंजीम में आपने खंडपीठ स्थापित नहीं की है। इन सबके लिए सबसे बेसिक चीज यह है कि सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना और इन पीठों की ओर जगहों पर भी स्थापना करने का विचार करना आवश्यक है।

मैं मिसाल देना चाहता हूं। इत्तफाक से इस देश में एक मध्य प्रदेश भी एक राज्य है जिसकी राजधानी में न हाई-कोर्ट है और न ही हाई-कोर्ट की बैंच है। जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट जरूर आ गई है। मुझे विश्वास है कि सरकार निश्चय ही इस बात को ध्यान में रखेगी कि शासन और न्याय की सीट एक ही होनी चाहिए। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट इनवाल्व होती है और अफसरों को फाइलें लेकर जाना पड़ता है, उन सबसे बचने के लिए भोपाल में खंडपीठ स्थापित करने का फैसला करना होगा। जब तक हाई-कोर्ट की खंडपीठ स्थापित हो, तब तक के लिए आप इस सिद्धांत को ध्यान में रखें कि भोपाल जैसे एक सबसे बड़े प्रदेश राजधानी और उसके आसपास के उन कर्मचारियों को भी आसानी के साथ न्याय मिल सके। तो इस शर्त को अभी फिलहाल न रखें या कम से कम एक्सेप्शन करें कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को उससे फायदा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूं मन्त्री जी को कि उन्होंने जो आवश्यक संशोधन थे उनको बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया क्योंकि जितनी जो अच्छी चीज होती है उसको जितनी जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा होता है। यों करने को तो अगर आप इसके बाद में करते तो भी कोई खास बात नहीं थी लेकिन कर्मचारियों को जल्दी न्याय मिल सके, जल्दी उनको सुविधा मिल सके,

जो एनामलीज हैं वह दूर की जा सकें जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ा सकें, यह एक अच्छी चीज आपने की है। इसके लिए निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री रामसंगल पांडे** (देवरिया) : महोदय, यह उपाय अत्यन्त ही स्वागतयोग्य है। इससे उच्च न्यायालयों में लम्बित हजारों मामलों को तेजी से निपटाने में सहायता मिलेगी।

मैं समझता हूं कि यहां पर उपस्थित सभी सदस्य इस तथ्य से अनभिज्ञ होंगे कि यह निम्न आय-प्राप्त कर्मचारी ही हैं जो सर्वाधिक पीड़ित होता है जब उसकी सेवा-शर्तें प्रभावित होती हैं तथा अनेक वर्षों तक उसे कोई राहत नहीं मंजूर की जाती है। इस उपाय के द्वारा, हम आशा करते हैं कि वह यथासम्भव कम-से-कम समय में राहत प्राप्त कर लेगा तथा यह देखकर प्रसन्न होगा कि उसके तथा उसके बच्चों के सामने एक सुखद भविष्य है।

यह कोई एकदम नई बात नहीं है। पहले से ही एक अधिनियम बना हुआ था और इस अधिनियम के प्रति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मन में कुछ गलत धारणाएं थीं। उन्होंने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए जाने का सुझाव दिया था। अभी तक यह प्रथा बनी हुई थी कि यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को कोई शिकायत अथवा तकलीफ है, तो वह संशोधन के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकरण अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष या संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा सकता था। ये तीनों रास्ते उसके सामने थे जिसका परिणाम यह होता था कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास वस्तुत: यह विकल्प होता था कि वह न्याय के लिए किसी भी न्यायालय में जा सकता था। अब इस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकरणों के पास जाना आवश्यक है। जब तक कि वे सभी प्रक्रियाओं से गुजर नहीं जाते, तब तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उनकी किसी तकलीफ अथवा शिकायत को नहीं सुनेगा। संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता छीन ली गयी है। मुझे निश्चित रूप से यह पता है कि उच्च न्यायालय में सेवा-संबंधी मामले पांच से छ: वर्ष तक लम्बित पड़े रहते हैं। यहां तक कि 700 रुपये या 800 रुपये पाने वाले श्रेणी-तीन या श्रेणी-चार के कर्मचारियों को लगभग 10,000 से 15,000 रुपये खर्च करना पड़ता था। फलस्वरूप उनकी पुनर्नियुक्ति तथा उनका वेतन वापस मिलने के बाद भी वे सामाजिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से बरबाद हो जाते थे। अत: मैं संबंधित मन्त्री महोदय के प्रति कृतज्ञ हूं जो यह सुनिश्चित करने के लिए यह स्वागत-योग्य उपाय लाए हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए जो अत्यधिक पीड़ित रहे हैं। अब वे

**[श्री राजमंगल पांडे]**

राहत की सांस लेंगे कि उनके सामने एक सुन्दर भविष्य है।

विधेयक में छोटे परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है। पहले यह निगम था। अब वे इसमें सरकार द्वारा नियन्त्रित निगमों तथा समितियों को सम्मिलित कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त न्यायिक सदस्य एवं गैर-न्यायिक सदस्य के बारे में कतिपय अन्य परिवर्तन हैं। यह सुझाव दिया गया है कि न्यायिक सदस्य की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी और गैर-न्यायिक सदस्य अतिरिक्त सचिव, जिसे दो वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त हो या संयुक्त सचिव, जिसे तीन वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त हो, से कम दर्जे का अधिकारी नहीं होगा। अतः इससे उन व्यक्तियों, जिनके मन में किसी प्रकार की शंका है, यह गारन्टी मिलेगी कि सेवा सम्बन्धी मामलों में न्यायिक सदस्य होने से उन्हें वह राहत नहीं मिलेगी जो उन्हें अब मिल रही है हालांकि वे इस बात से प्रायः सन्तुष्ट हैं कि उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्यथा राहत मिल सकती है। इसलिए मैं मन्त्री का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक को पेश किया है। इस विधेयक पर और विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सभा से इसे पारित करने का अनुरोध करता हूं।

**[हिन्दी]**

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : सभापति जी, यह सवाल पैदा क्यों हुआ? यह कानून बनाने की जरूरत क्यों पैदा हुई? जब सारे चीफ सेक्रेटरी, यहां पर इकट्ठा हुए थे तब हमारे प्रधान मन्त्री जी ने एक बात कही थी :

**[अनुवाद]**

"प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने गुरुवार को यहां कहा कि हमारा प्रयास न केवल जनता की वर्तमान शिकायतों को दूर करना है अपितु इस समस्त पद्धति का इस रीति से संशोधन करना है कि भविष्य में ऐसी कठिनाईयां पुनः उत्पन्न न हों।"

**[हिन्दी]**

इसका कारण क्या है? क्योंकि आपकी सरकार के अन्दर रूल्स ऐंड रेग्युलशंस बनाने की काबिलयत नहीं है। अभी अभी आपने एक ऐक्ट बनाया लेकिन कुछ महीनों में ही आपको उसमें संशोधन लाना पड़ता है। रूल्स ऐंड रेग्युलेशंस जो गवर्नमेंट बनाती है उसके बारे में संसद की कमेटी आन सबार्डिनेट लेजिस्लेशन अपनी रेकमेंडेशन्स देती रहती है।

[अनुवाद]

परन्तु वह इनका उत्तर देने में कई वर्ष लगा देती है। सरकार इस बात की चिन्ता नहीं करती कि ये नियम तथा विनियम इस अधिनियम के अनुसार हैं भी या नहीं।

[हिन्दी]

सरकार में यह रूल्स ऐंड रेग्युलेशंस कौन तैयार करता है? एक यू०डी०सी० उन सारे रूल्स ऐंड रेग्युलेशंस की कापी कर देता है जो कि पहले से बने हुए हैं। मैं जब यह आर्टिकल पढ़ रहा था तो इसमें लिखा हुआ है : यह लेख उस समय लिखा गया था जब सभी मुख्य सचिव दिल्ली आए हुए थे। इस लेख में कहा गया है : "भाग लेने वालों ने नियमों तथा प्रक्रिया को सरल बनाने और नियंत्रणों एवं विनियमों की समीक्षा करने की मांग की ताकि अधिकारियों और स्वीकृति लेने वालों के आचरण की समीक्षा की जा सके।"

[हिन्दी]

यह जो डिफरेंट ऐंड रेग्युलेशंस बने हुए हैं इनको ठीक करने के लिए क्या कोई रास्ता नहीं निकाल सकते हैं? आप करते यह हैं—

[अनुवाद]

आप पहले नियम बनाते हैं फिर विधि विभाग द्वारा उनकी जांच के पश्चात् उन्हें सभा पटल पर रखा जाता है।

[हिन्दी]

कभी-कभी रूल्स ही नहीं बनते हैं।

[अनुवाद]

यहां तक कि अधिनियम पारित हो जाता है परन्तु नियम तैयार ही नहीं होते।

[हिन्दी]

कभी-कभी रेग्युलेशंस फ्रेम नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं ब्यौरा नहीं देना चाहता और आप मुझे इसकी अनुमति भी नहीं देंगे। मैं केवल इस अधिनियम को पढ़ रहा हूं। यह आयात और निर्यात

[श्री मूल चन्द डागा]

नियंत्रण अधिनियम, 1947 है। सभापति महोदय, आपको यह जानने में रुचि होगी कि इस अधिनियम में क्या कहा गया है और सरकार द्वारा कौन से नियम बनाए गए हैं। मैं केवल एक या दो उदाहरण दूंगा। अधिनियम में परिभाषा इस प्रकार दी गई है। 'अधिनियम' से 'आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 अभिप्रेत है। अधीनस्थ अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधीनस्थ अधिकारी कौन हैं? इसकी परिभाषा निर्यात नियंत्रण आदेश, 1977 में दी गई है। मैं इसमें से पढ़कर आपको सुनाता हूं। इसमें यह कहा गया है—

> "आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक में आयात एवं निर्यात के अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात कार्यालय में निर्यात आयुक्त, आयात एवं निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के सहायक मुख्य नियंत्रक और आयात एवं निर्यात के नियंत्रक शामिल हैं।"

महोदय, इनको शक्तियां किसने प्रदान की हैं? हमने इन्हें कभी ये शक्तियां प्रदान नहीं की हैं। अटर्नी जनरल कहते हैं कि आप अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। परन्तु आप ऐसा करते हैं आप इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं।

[हिन्दी]

सरकार जब कान्स्टीचूशन के अनुसार रूल्स-रेगुलेशन्स, बाइलॉज नहीं बनाती है, तो मुकदमें ज्यादा होते हैं। इसके अन्दर एक ही कई डेफिनिशन्स हैं।

[अनुवाद]

मैं 1982 में समिति का सभापति था। मैं कुछ पंक्तियां पढ़नी चाहूंगा। समिति संसद का लघु रूप है।

[हिन्दी]

एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स के हमारे जो नए मिनिस्टर आए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे रूल्स रेगुलेशन्स, प्रोसीजर और बाइलॉस को ठीक करें। यह बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में कमेटी ने एक सुझाव दिया है।

[अनुवाद]

समिति विश्वास करती है कि मंत्रालय पदोन्नत अधिकारियों की निराशा तथा कठिनाई को दूर करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा। समिति आशा करती है कि

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी अधिकारी जनता और देश के लाभ के लिए प्रसन्नता-पूर्वक कार्य करें।

[हिन्दी]

सरकार के जो बड़े-बड़े कर्मचारी हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है कि वे काम जल्दी कर दें। इसके लिए बड़ी ताकत चाहिए और मजबूत आदमी बिठाया जाएगा तो ये काम कर सकते हैं, अन्यथा यह सम्भव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं।

**श्री राज कुमार राय** (घोसी) : मिल नहीं रहा है।

**श्री मूलचन्द डागा** : ठीक है, एक मिनट और लग जाएगा, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

**श्री राज कुमार राय** : मान्यवर, हम सुनना चाहते हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है—

[अनुवाद]

—आप नियमों में कोई संशोधन क्यों नहीं करते ?

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन के पृष्ठ 38 पर कहा गया है :

"उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के सन्दर्भ में समिति की यह राय है कि सरकार को नियमों में संशोधन करने संबंधी वैकल्पिक सुझाव पर विचार करना चाहिए ताकि किसी अधिकारी को उसकी कुशल एवं ईमानदार सेवा की निश्चित अवधि यथा प्रत्येक 5 से 10 वर्षों के पश्चात अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत करने हेतु एक समयबद्ध पदोन्नति का प्रावधान किया जा सके और ऐसी पदोन्नतियां कोटे या सूची या परिणामत: रिक्तियों आदि पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।"

[हिन्दी]

उसकी रिकमेंडेशन करने के बाद आप ने कोई जांच की।

[अनुवाद]

यह रिपोर्ट 1982 की है। उसके बाद चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

**[श्री मूल चन्द डागा]**

**[हिन्दी]**

सरकार उस पर कोई काम नहीं करती है और सरकार के रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स ठीक से न बनने के कारण ये ज्यादा मुकदमे होते हैं। इसलिए मैं आप से कहता हूं कि आप ठीक कानून बनाएं ताकि उसमें सबको लाभ हो सके।

एक चीज और है। ये जो ट्रिब्यूनल होंगे ये कितने महीने में अपने फैसले दे देंगे। क्या इसके लिए कोई टाइम लिमिट है। ये रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बनने के बाद हजारों मुकदमे आ जाएंगे और कोर्ट में भी लोग जाएंगे। अब कोर्ट में कौन जाते हैं। वे कर्मचारी जाते हैं, जो कुछ न कुछ ऊपर का पैसा कमाते हैं और दूसरे ज्यादा लोग कोर्ट में नहीं जाना चाहते।

**श्री राज कुमार राय** (घोसी) : यह आप ठीक नहीं कह रहे हैं कि सारे भ्रष्ट और खराब कर्मचारी ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाते हैं। उसमें वे अच्छे लोग भी जाते हैं, जिनकी कोई ग्रिवान्स होती है और उसको खत्म कराने के लिए वे कोर्ट्स में जाते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : भ्रष्ट लोग तो फंसते ही नहीं है।

**श्री मूल चन्द डागा** : वे फंसते ही नहीं हैं। अब क्या हो रहा है कि जो आफिसर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया ही नहीं जा सकता। उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो क्या वह सस्पेंड हो सकता है ?

**[अनुवाद]**

दिनांक 16 फरवरी, 1985 के '**कामर्स**' के पृष्ठ संख्या 293 पर यह कहा गया है :

"भारतीय जन प्रशासन के विचार-विमर्श में इस अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाती। कोई भी मुख्य मंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी की सेवा-निवृत्त तो क्या, निलंबित भी नहीं कर सकता। रोजगार छूट जाने का भय, जिसके कारण सामान्य व्यक्ति जीवन में समझौते करने को बाध्य होता है, देश के सर्वोच्च सिविल अधिकारियों में अनुपस्थित है। फिर भी सर्वोच्च सिविल सेवा में जितना भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।"

[हिन्दी]

एक कलक्टर कोई गलत काम कर रहा है, तो चीफ मिनिस्टर को यह पावर नहीं है कि वह उसको सस्पेंड कर दे। आप कितने अधिकार आफिसर्स को देना चाहते हैं। आप उनको मोटर के लिए एडवान्स देते हैं, कन्वीयेंस के लिए एडवांस देते हैं, मकान बनाने के लिए एक लाख रुपए से ज्यादा का एडवांस देते हैं और उनके लिए टेलीफोन है और गाड़ी की सुविधा है। हम कहते हैं कि आप उनको और सुविधायें दे दीजिए मगर मेरा कहना यह है कि वे ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश का काम करें।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : श्री डागा, आप मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद अपना भाषण जारी रखेंगे।

---

3.58 म० प०

## तिहाड़ जेल से कैदियों के फरार हो जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

**संचार राज्य मन्त्री और गृह राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : 16 मार्च, 1986 को अपराह्न लगभग 2.50 बजे जेल नं० 3 के प्रभारी उप-अधीक्षक, जेल द्वार अधीक्षक, सेण्ट्रल जेल को सूचित किया गया कि जेल नं० 3 से कुछ कैदी बचकर भाग गए हैं। अधीक्षक, सेण्ट्रल जेल के कुछ अधिकारियों के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और अलार्म बजाया गया। अधीक्षक ने पाया कि जो व्यक्ति जेल नं० 3 के गेट पर ड्यूटी पर थे, अर्ध-मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। इनमें, ड्यूटी पर सहायक अधीक्षक, जेल, 2 वार्डर, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 2 कांस्टेबल थे। एस०एच०ओ० जनकपुरी और पुलिस कण्ट्रोल रूम तथा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। कैदियों की गिनती भी की गयी और यह पाया गया कि निम्नलिखित 7 कैदी गुम हैं और बचकर भाग गए हैं :—

1. चार्ल्स शोभ राज सुपुत्र होथ चन्द (विचारणाधीन)

2. लक्ष्मी नारायण सुपुत्र गोमान सिंह (विचारणाधीन)

3. अजय सिंह सुपुत्र विजय सिंह (विचारणाधीन)

4. बृज मोहन सुपुत्र लोकमान (विचारणाधीन)

5. बजरंग लाल सुपुत्र राम गोपाल (विचारणाधीन)

[श्री राम निवास मिर्धा]

6. भोला राम सुपुत्र रतीराम (दोष सिद्ध)

7. दिनेश कुमार सुपुत्र जीवन सिंह (दोष सिद्ध)

2.00 म०प०

जेल नं० 3 मुख्य द्वार पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी जो अर्ध-मूर्छा की विभिन्न अवस्थाओं में थे, को जेल अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया। अब ये व्यक्ति कोई बयान देंगे तो मामले से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी होगी।

सूचना प्राप्त होने पर पुलिस कण्ट्रोल रूम द्वारा अन्य सभी राज्यों को तुरन्त सन्देश भेजे गए और एक रेड-एलर्ट घोषित किया गया और भागे गए व्यक्तियों की तलाश शुरू की गयी। इण्टरपोल के माध्यम से सूचना अन्य देशों को भी भेज दी गयी है।

सात जेल अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें एक सहायक अधीक्षक, जेल, चार वार्डर तथा तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 2 कान्स्टेबल शामिल हैं। आठ जेल कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है जिनमें जेल नं 3 का एक उप-अधीक्षक, और एक सहायक उप-अधीक्षक, चार वार्डरों के अतिरिक्त तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के दो कान्स्टेबल शामिल हैं। पुलिस ने भी एक मामला दर्ज किया है और जांच-पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने भी जेल का दौरा किया और जांच करने का आदेश दिया है जो दिल्ली प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी, श्री एस० डी० लाखड़ जो सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के इस समय अध्यक्ष हैं, करेंगे। उनकी सहायता श्री वी० एल० आनन्द, अपर जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। जांच के दिशा निर्देश इस प्रकार हैं :—

(क) उन घटनाओं और परिस्थितियों को निर्धारित करना तथा जांच करना जिनके परिणाम-स्वरूप 16 मार्च, 1986 को अपराह्न नई दिल्ली तिहाड़ सेण्ट्रल जेल नं० 3 से चार्ल्स शोभराज तथा 6 अन्य कैदियों का बचकर भागना हुआ।

(ख) जेल में तैनात इन अधिकारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों की लापरवाही अथवा भूल-चूक, यदि कोई हो की जिम्मेवारी निश्चित करना।

(ग) जेल प्रशासन की कमियों तथा कमजोरियों को निर्धारित करना तथा उसके उपचारी उपायों का सुझाव देना।

(घ) कोई अन्य विषय जो जेल की सुरक्षा से सम्बन्धित है।

जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

---

2.03 म० प०

## प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** (श्री सोमनाथ रथ) : श्री मूलचन्द डागा अपना भाषण जारी रखेंगे।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है।

**सभापति महोदय** : वक्तव्य के बारे में कोई निवेदन नहीं किया जा सकता।

**प्रो० मधु दण्डवते** : पहले इसी प्रकार के मामले में जब वॉल्कर करार हुआ था तो स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था। मेरा केवल यही सुझाव है कि इस वक्तव्य पर चर्चा होनी चाहिए। हमने इस बारे में एक सूचना पहले ही दे रखी है।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य ने सुबह इसका उल्लेख किया था। इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे। पर अब मंत्री जी के वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

**प्रो० मधु दण्डवते** : परन्तु आप मंत्री महोदय को सूचित कर दें कि वे चर्चा के लिए तैयार रहें। अन्यथा वे भी सभा से उठकर बाहर चले जाएंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति दी जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : इस बारे में निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे। श्री मूलचन्द डागा, आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि क्या आप यह बतायेंगे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल इतने महीने में अपना जजमेंट दे देगा? क्या इसके लिए आप कोई लिमिटेड पीरियड रखेंगे? या इस प्रकार से ही होता रहेगा जिस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस पैंडिंग रहते हैं, उसी प्रकार से यहां भी केस पैंडिंग रहेंगे? क्या इसका प्रोसीजर भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरह का होगा या आप इसका प्रोसीजर सिम्पली-

[श्री मूल चन्द डागा]

फाई करेंगे ? क्या लोगों को वकील रखने का हक होगा या नहीं होगा ? ये सारी बातें मुझे बतायें।

मैं फिर अपील करूंगा कि आप इन ट्रिब्युनल्स में आफिसर्स अपाइन्ट कर देंगे, इससे आपके ट्रिब्युनल सही फैसले नहीं दे सकेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन ट्रिब्युनल्स में आपके ज्वाएन्ट सेक्रेटरी होने से हाईकोर्ट की तरह के फैसले नहीं हो सकेंगे। इनमें हाई कोर्ट के जजिज होने चाहियें। वही ये फैसले करें। आपके प्रशासनिक अधिकारी इनमें नहीं रहने चाहिए।

[अनुवाद]

**श्री थम्पन थामस** (मवेलिकरा) : श्रीमान्, यह प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक लाना इसलिए आवश्यक हुआ है कि पहले आपने इस अधिनियम की कमियों पर ध्यान नहीं दिया था। अब फिर से इसमें समस्याएं होंगी। देर से न्याय मिलना तो न मिलने के बराबर है और इस प्रक्रिया में भी, जो हम प्रशासनिक अधिकरणों के सम्बन्ध में बना रहे हैं, कोई उपबन्ध होना चाहिए जिसके अधीन न्यायालय मामले का निर्णय करने के बारे में एक निर्धारित समय के अन्दर निर्णय करने के लिए बाध्य हों।

जहां तक इस अधिकरण के गठन का सम्बन्ध है, आप प्रशासनिक वर्ग से संयुक्त सचिव के रैंक के व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं। सरकार के पदोन्नति नियमों के अनुसार वह व्यक्ति भी संयुक्त सचिव बन सकता है जिसे न्यायिक कार्य का कोई अनुभव नहीं है। परिणामस्वरूप, यदि ऐसे व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकरण में शामिल किया जाता है और वह उस मामले का निर्णय करता है तो उसका ऐसे निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अत: इस बात की बहुत सम्भावना है कि प्रशासनिक अधिकरण का न्यायिक निर्णय में कमी की सम्भावना बनी रहेगी।

दूसरी बात यह है कि आप अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के इस मामले का निर्णय करने संबंधी अधिकार को उससे छीन कर इसे प्रशासनिक अधिकरण को दे रहे हैं। इसलिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे तथा अधिकरण में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे संयुक्त सचिव के रूप में प्रशासनिक पक्ष से आए हों, न्यायिक अनुभव होना चाहिए। जो व्यक्ति सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति द्वारा आए हैं। उन्हें ऐसा अनुभव नहीं भी हो सकता है। मेरा कहना यह है कि यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकरण में काम करने वाले व्यक्ति को न्यायिक अनुभव होना जरूरी होगा।

अब मैं प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार के बारे में कहना चाहूंगा कि वह किस प्रकार कामगारों को सामान्यत: लागू होने वाले देश के अन्य मुख्य कानूनों, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम या अन्य कानूनों के साथ मेल नहीं खाता। यह कहा गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम से हम किसी प्रकार प्रभावित नहीं होंगे। अधिनियम और यह संशोधन औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है।

2.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह कहना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम मुख्यत: सामूहिक सौदेबाजी पर पहुंचने वाला औद्योगिक कानून है। जहां ट्रेड यूनियन होती है और दूसरों के लिए सामूहिक सौदा करती है, वहां कामगारों की ताकत के बल पर किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। आपने रेलवे को प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत रखा है जबकि रेलवे में सामूहिक सौदेबाजी प्रचलित है, वहां ट्रेड यूनियनों का संगठन है, वहां पर पी० एन० ओ० नामक एक स्थायी तंत्र है जिसमें अधिकारियो तथा कामगारों के प्रतिनिधि होते हैं और वे बातचीत के द्वारा फैसले करते हैं। अब इस विभाग को आपने प्रशासनिक अधिकरण के अधीन रखा है, अत: यह प्रत्यक्षत: कामगारों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार से मेल नहीं खाता। रक्षा सेवाओं तथा रेल सेवाओं को इस अधिकरण के अंतर्गत लाया जा रहा है। जबकि सिविल तथा रक्षा सेवाएं, दोनों भी प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत आती हैं। उन्हें भी ट्रेड यूनियन के अधिकार प्राप्त हैं। अत: ट्रेड यूनियन के अधिकार तथा प्रशासनिक अधिकरण के कार्य क्षेत्र के परस्पर मतभेद की जांच करने की आवश्यकता है और कामगारों के संगठन बनाने तथा सामूहिक सौदे के अधिकार की भी सुरक्षा करनी होगी।

प्रशासनिक अधिकरणों का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। इतना बड़ा है कि शायद अधिकरण अपने काम के साथ न्याय न कर पाए। कई राज्यों को एक प्रशासनिक अधिकरण के अन्तर्गत रखा गया है। ऐसे मामलों में इन अधिकरणों की बैठकें करना सम्भव नहीं है। आपका विचार इन अधिकरणों की केवल कैंप बैठक करवाने का ही है। इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं। कोचीन में इस अधिकरण की बैठक कभी-कभार ही होती है जबकि वहां बहुत मामले लम्बित पड़े हैं। भारत में जिन उच्च न्यायालयों में सेवा संबंधी सर्वाधिक मामले लम्बित पड़े हैं, उनमें से एक केरल उच्च न्यायालय है तथा इन मामलों की संख्या इसलिए कम दिखती है कि अनुच्छेद 226 के अधीन इन मामलों को प्रशासनिक अधिकरण को सौंप दिया गया है। लेकिन अधिकरण की बैठकें कोचीन में लगातार नहीं होती हैं और उसके द्वारा मामले की सुनवाई न किए जाने से निर्णय में विलम्ब होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अधिकरणों द्वारा निर्णय देने में और विलम्ब

[श्री बम्बम पामल]

होगा तथा कथित व्यक्तियों को इन मामलों में देर से न्याय मिलेगा।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भर्ती तथा सेवा शर्तों तथा इनके अंतर्गत और कई बातों को अधिकरण के अंतर्गत ला रहे हैं। हम अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालय में आमतौर पर निकाय के नीति संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय में जाते हैं। संस्थाओं, आपने सहकारी समितियों, विभागों, रेलवे तथा अन्य संस्थाओं के स्थान पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत निगमों, समितियों को प्रशासनिक अधिकरण के कार्य क्षेत्र में रखा है जबकि पहले अनुच्छेद 226 के अधीन जब किसी नीति संबंधी मामले में किसी विभाग के प्रशासक या किसी निगम के निदेशक मंडल के असद्भावपूर्वक किए गए कार्यों को चुनौती दी जा सकती हो, तो कोई कर्मचारी अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता था। परन्तु अब चूंकि प्रशासनिक अधिकरण है और कर्मचारी अधिकरण के पास ही जा सकते हैं तथा अधिकरण को केवल सेवा-शर्तों तथा भर्ती सम्बन्धी मामलों को देखने का ही अधिकार है इसलिए अब नीति सम्बन्धी मामलों को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। अतः दुर्भावनापूर्ण कारंवाई तथा नीति निर्माताओं द्वारा सांविधिक उपबन्धों के उल्लंघन को प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप कामगारों के उच्च न्यायालय में जाने के अधिकार को छीन कर आप उसके अन्य आधारों पर चुनौती देने के अवसरों को कम कर रहे हैं। यह अधिकरण सेवा-शर्तों तथा भर्ती संबंधी मामलों को तो सुनेगा परन्तु क्षेत्राधिकार तथा अन्य संवैधानिक वैधता के अभाव में दुर्भावनापूर्ण कारंवाई के मामलों को प्रशासनिक अधिकरण में नहीं ले जाया जा सकेगा। अतः सरकार को ऐसे मामलों के सम्बन्ध में पर्याप्त सुरक्षोपाय रखने चाहिए। हालांकि मैंने देखा है कि आप अब भी परीक्षण के पश्चात कमियों का पता लगाने की पद्धति अपना रहे हैं। पहले आप इसे लाए फिर आप उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण इसमें पुनः संशोधन कर रहे हैं। आगे भी ऐसे और मामले होंगे और आपको फिर संशोधन करने पड़ेंगे और हम ऐसी ही स्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री जैनुल बशर** (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह जो बिल पेश किया गया है, प्रशासनिक अधिकरण संशोधन विधेयक-86, इसका मैं समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में कुछ बातें आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रशासनिक सुधार की तरफ सरकार का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत से कर्मचारी जो हमारे प्रशासन तन्त्र में काम करते हैं उनकी बहुत-सी शिकायतें जायज होती हैं। मेरे पास और मेरी तरह इस सम्मानित सदन के बहुत-से

सदस्यों के पास अक्सर अधिकतर प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक की ऐसी शिकायतें आती हैं जिनमें उनके साथ न्याय नहीं किया जाता। अक्सर हम लोग मन्त्रियों को चिट्ठियां भेजते रहते हैं लेकिन उन चिट्ठियों का हश्र यह होता है कि वहां से उनको सीधे उस जगह भेज दिया जाता है जहां कि उस कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है, जिस डिपार्टमेंट के हैड ने उस कर्मचारी के साथ ज्यादती की है। चिट्ठी आने पर वे अपने ढंग से उत्तर बनाकर भेज देते हैं और उस उत्तर को मन्त्री जी हम लोगों के पास भिजवा देते हैं। बस यही होता है कि उस पर मन्त्री जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं लेकिन उस कर्मचारी को न्याय नहीं मिल पाता। यदि हर मन्त्रालय में कोई ऐसी प्रक्रिया हो, जहां कि ऐसे एग्रीव्ड कर्मचारियों के साथ, सताये हुए लोगों के साथ, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनकी सीनियरटी की उपेक्षा करके, उनसे जूनियर लोगों को तरक्की दे दी गई है या उन्हें गलत तरीके से दण्ड दिया गया है, कोई ऐसा सैल स्थापित कर दिया जाए, जो एग्रीव्ड लोगों की शिकायतों को ही सुने और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयत्न करें तो मैं समझता हूं कि उससे सभी को लाभ हो सकता है। वह सैल डिपार्टमेंट में ही होना चाहिए। मुझे मालूम है, कई डिपार्टमेंट में ऐसा सैल पहले से काम कर रहा है, लेकिन वहां भी इफैक्टिवली काम नहीं हो रहा है और वहां कर्मचारियों को अपनी बात कहने का ठीक प्रकार से अवसर प्रदान नहीं किया जाता, वहां उनकी बात ठीक प्रकार से सुनी नहीं जाती। यदि उनकी सही और जायज शिकायतों को वहीं पर दूर कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के ट्रिब्यूनलों में बहुत कम मामले आ पायेंगे और जिन ट्रिब्यूनलों को हम बना रहे हैं, उनका बोझ बहुत हल्का हो जाएगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे केन्द्रीय प्रशासन तन्त्र में ये ट्रिब्यूनल अब बनाये जा रहे हैं लेकिन बहुत से राज्यों में वहां की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस प्रकार के ट्रिब्यूनल पहले से ही बना रखे हैं। मैं समझता हूं कि जब मैं मन्त्री जी से कुछ निवेदन कर रहा हूं तो वे कृपया मेरी बात पर ध्यान दें। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और हमारे यहां इस प्रकार का ट्रिब्यूनल बहुत समय से काम कर रहा है। लेकिन होता यह है कि जब कोई कर्मचारी उस ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं तो चार-चार, पांच-पांच या छः-छः साल तक उनके मामले का निपटारा नहीं हो पाता, उनके मामले में फैसला नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि ट्रिब्यूनल में प्रेजाईडिंग आफिसर या मैम्बर के रूप में जो लोग बैठते हैं, साल-दो-साल के बाद वे वहां से चले जाते हैं और उनके स्थान पर नये लोग आ जाते हैं। वे मामले को फिर नये सिरे से सुनते हैं। फिर वे भी चले जाते हैं और तीसरे लोग आ जाते हैं। और वे भी मामले को नये सिरे से सुनवाई करते हैं। इस तरह हर कर्मचारी के मामले में फैसला लेने में कम-से-कम 5-5 या 6-6 साल लग जाते हैं।

जबकि कर्मचारी न्याय की आशा में, कुछ रिलीफ की आशा में उन ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। यह बात मैं उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के तजुर्बे के आधार पर कह रहा

[श्री जैनुल बशर]

हूं। मैं समझता हूं कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति होगी, जहां ऐसे ट्रिब्यूनल पहले से बने हुए हैं वहां भी ऐसी ही शिकायतें मिलती होंगी।

इसलिए मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारा जो केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बन रहा है, उसमें कम-से-कम एक टाइम लिमिट आप अवश्य रखिए कि कितने दिनों के भीतर किसी भी कर्मचारी को न्याय मिल जाएगा, उसको रिलीफ मिल जाएगी। कुछ भी हो उसके मामले का निपटारा इतने समय में अवश्य हो जाएगा। इस तरह का प्रावधान आप बिल के जरिए कर दें या किसी प्रशासनिक आदेश के जरिए कर दें, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। इन ट्रिब्यूनल्स में ज्वाइन्ट सैक्रेटरी स्तर तक के लोगों को रखने की बात कही गई है लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वे रिटायर्ड होंगे या सर्विंग आफिसर्स होंगे। यदि सर्विंग आफिसर्स होंगे तो मैं समझता हूं कि दो-तीन साल तक वे काम करके दूसरी जगह चले जाएंगे, उनका स्थानान्तरण हो जाएगा। स्थानान्तरण होने पर, उनकी जगह दूसरे आफिसर आयेंगे और वे फिर मामले की नये सिरे से हियरिंग करना चाहेंगे, फिर से सारे मामले को सुनना चाहेंगे और इस तरह फिर लम्बा-चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप इनमें ज्वाइंट सैक्रेटरी स्तर या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को रखिए क्योंकि कई प्रशासनिक अधिकारी अच्छे होते हैं...

प्रशासनिक अधिकारी भी अच्छे होते हैं, भले होते हैं, ईमानदार होते हैं। उनमें भी न्याय की क्षमता होती है। लेकिन फिर जो आदमी इस पद पर आप भेजिए उसको कम से कम पांच या दस साल के लिए भेजिए या रिटायर्ड लोगों को भेजिए। किसी भी प्रकार से ऐसा न हो कि किसी अधिकारी को किसी वजह से दो या तीन साल के लिए शण्ट-आउट करना हो, तो उसे ट्रिब्यूनल में भेज दें और जब उसका कोई आदमी आ जाए, तो फिर उसे वहां से हटाकर ऊपर किसी अच्छी पोस्ट पर भेज दें। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। राज्य सरकारों में ऐसा ही होता है, यह हमारा तजुर्बा राज्य सरकारों के बारे में है। जब कभी कभी किसी अफसर से इनकन्विनियेंस महसूस करते हैं, तो उसको ट्रिब्यूनल में भेज देते हैं और जब उसका कोई आदमी ऊपर आ जाता है, तो फिर उसको ट्रिब्यूनल से हटाकर अच्छी जगह पर पोस्ट कर दिया जाता है, यह राज्य सरकारों में होता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी अधिकारी पर्सोनल का प्रजाइडिंग आफिसर ट्रिब्यूनल का रखें, उसको एक निश्चित अवधि तक के लिए रखें, उतने समय तक वह उस जगह पर काम कर सके।

उपाध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। सौभाग्य से हमारे रक्षा राज्य मन्त्री जी

भी यहां पर उपस्थित हैं। इसमें आपने डिफेंस सर्विसेज को शामिल नहीं किया है। आपने केवल सिविल सर्विसेज के लोगों को शामिल किया है। हमारे रक्षा राज्य मंत्री जो जानते होंगे कि बहुत से मामले डिफेंस पर्सोनेल के देश के हाईकोर्टों और सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन हैं। हालांकि आप नहीं चाहते हैं कि वे मामले कोर्ट में जायें, प्राविजन भी नहीं है। लेकिन संविधान के आर्टिकल 126 के द्वारा वे कोर्ट में गए हैं और ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर इस ट्रिब्यूनल के द्वारा यह काम नहीं हो सकता है, तो कम से कम डिफेन्स पर्सोनेल के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें डिफेन्स पर्सोनेल के लोग ही चेयरमैन वगैरह, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के लोग ही रहें। अगर ऐसा होगा, तो जो डिफेन्स के कर्मचारी और अधिकारी हैं, वे महसूस करेंगे कि उनके प्रमोशन में, उनकी तनख्वाहों में और दूसरे कामों में उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ जो ज्यादती हुई है, उसमें उनको न्याय मिल सकेगा और ऐसे लोग न्याय पाने की आशा में ऐसे ट्रिब्यूनल के दरवाजे खटखटा सकेंगे। अत: उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं इस अवसर का लाभ उठाकर, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि डिफेन्स पर्सोनेल के लिए एक ट्रिब्यूनल के लिए ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है। इसलिए उनके लिए भी एक ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्रशासनिक-तंत्र है, इसी पर यह सारा ढांचा खड़ा है। चाहे यह जिला स्तर का हो या केन्द्रीय स्तर का हो। हमारी सभी नीतियों का कार्यान्वियन यह प्रशासनिक-ढांचा ही करता है। यह हमारे विकास की एक मशीनरी है, जिसके द्वारा हम इस देश में विकास कर सकते हैं और यही हमारी शासन-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था की देखभाल करता है। इसलिए इसमें निरन्तर सुधार की आवश्यकता है। जहां भी कोई ऐसी बात बताई जाए, इसमें हर जगह सुधार करने की आवश्यकता है। जो मशीनरी कहीं से खराब है, जो मशीनरी ठीक काम नहीं कर रही है, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आज यह बात सभी जानते हैं कि हमारी जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस प्रकार से उसको काम करना चाहिए, वह उस प्रकार से काम नहीं कर रही है। जिस प्रकार से उसको देश के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के प्रति, उनको ऊपर उठाने के लिए कमिटेड होना चाहिए, जिस प्रकार से उनका उत्थान करने के लिए, उनके विकास के लिए, काम करना चाहिए, उस प्रकार से वह काम नहीं कर रही है। आज हमारी प्रशासनिक सेवा के उच्च पद हैं, उनमें ऐसे लोग अधिक संख्या में आ गए हैं जिन्होंने गरीबी नहीं देखी है, जिन्होंने गांवों के जीवन को नहीं समझा है, और हिन्दुस्तान का जो रहन-सहन है, जो हमारे रस्मो-रिवाज हैं, उनमें वे नहीं पले हैं। ज्यादातर अंग्रेजी स्कूलों, पब्लिक स्कूलों में पढ़े-लिखे लड़के आज इन सेवाओं में आ रहे हैं और वे भारत की असलियत से वाकिफ नहीं हैं, उससे वह जानकारी नहीं रखते। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें प्रशासनिक

[श्री अंकुश बकर]

सेवाओं में गांव के लोगों, गरीब लोगों के लड़के अधिक संख्या में आ सकें, प्रतिनिधित्व पा सकें।

अंग्रेजी स्कूलों, पब्लिक स्कूलों को तोड़ने की मांग मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं, अब मैं हताश हो गया हूं, शायद पब्लिक स्कूल नहीं तोड़े जा सकेंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक स्कूल नहीं तोड़ सकते हैं, सबको इक्वल अपोर्चुनिटी नहीं दे सकते हैं, तो सबको समान अवसर दिया जाए एक लड़का पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, एक गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में पढ़ता है जिसमें छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ता है तो इन दोनों में बराबर अवसर कहां है। मुकाबले में इम्तहान के कम्पीटीशन में पब्लिक स्कूल वाला लड़का बेहतर करेगा या गांव का गरीब लड़का बेहतर करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो लड़का ऊपर है, वही ठीक प्रकार से विकास की जिम्मेदारी में योगदान दे सकता है। इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को अवसर दिया जाए जो गांव के रहने वाले हैं, गरीब घरों से आते हैं, गरीब परिवारों में पले हैं। उनको जब तक प्रशासन में सही जगह नहीं दी जायेंगी, जब तक उनको ऐसे स्कूलों में रखने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, यह कैसे करेंगे, यह आप जानें कि किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था होगी, आप प्रशासनिक सुधार के मन्त्री हैं, आप इसका तरीका खोज निकालें, लेकिन यह व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि जो मशीनरी प्रशासन में है, जो नौकरशाही है, वही हमारा धन सही मंजिल पर नहीं पहुंचने देता है।

आज हम ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। इस वर्ष इसमें रिकार्ड कायम हो गया है इतना प्रावधान भारत में गरीबी हटाने के लिए पहले कभी नहीं किया गया था, लेकिन क्या वह उन लोगों को ठीक प्रकार से पहुंच पा रहा है, जिनके लिए यह पैसा रखा गया है? आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है?

हम तो पैसा देते हैं, इस सम्मानित सदन में सदस्य हाथ उठाकर आपका बजट पास कर देते हैं, पैसा पास कर देते हैं, लेकिन जब फील्ड में, गांव में, तहसील में पैसा जाता है तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं होता है, फिर उसका मालिक कलैक्टर है, अफसर है। हम उसको कुछ नहीं कह सकते, हम पूछ भी नहीं सकते कि क्या काम हो रहा है, कहां हो रहा है और वह पैसा किस प्रकार से खर्च हो रहा है?

आज सारी की सारी शिकायतें इस सदन में सुनाई गई। सारे लोग जानते हैं कि जो पैसा गरीबी उन्मूलन के लिए रखा गया है, अगर वह पैसा ठीक प्रकार से गरीबों तक पहुंच

जाए तो जो निशाना सरकार ने बनाया है, उससे दुगुना टारगैट हम एचीव कर सकते हैं, लेकिन यह हो नहीं रहा है।

मैं एक मिसाल उत्तर प्रदेश की देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो इन्स्टीट्यूशन है, आज वह शायद हिन्दुस्तान का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में ला एण्ड आर्डर है, डिस्ट्रिक्ट प्लान है, वह इंचार्ज है, वह प्रेजीडेंट हैं. हम एम०पी० और एम० एल० ए० मेम्बर हैं। वह डी०आर०डी०ए० का चेयरमैन है, म्युनिसिपल कोर्ट और टाउन एरिया का चेयरमैन है। जितनी भी को-आपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स हैं, सहकारी संस्थायें हैं, सबका वह चेयरमैन है, सारे फाइनेन्शियल पावर्स उसके हाथ में आ गए हैं। एक हाथ में उसके पैसा है और एक हाथ में डंडा है। इस तरह से कैसे काम होगा ? पैसा उसके हाथ में, डंडा उसके हाथ में। मास-इन्वाल्वमैंट कुछ है ही नहीं। वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है, नगरपालिका नहीं है, को-आपरेटिव के चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है वहां।

केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है एक हाथ में पैसा लेकर दूसरे हाथ में डंडा लेकर। अब बताइए, कैसे काम होगा ? अभी जी० के० बी० आर० राव ने ठीक रिपोर्ट दी है प्लानिंग कमीशन में कि कम से कम गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जूरिस्डिक्शन से अलग रखा जाय, उसके लिए अलग अफसर मुकर्रर किए जायें जो उससे ऊपर के रैंक के हों। उसके नीचे का होगा तब तो वह चलने ही नहीं देगा। वह करीब करीब कमिश्नर के रैंक का होना चाहिए जिसकी 14-15 साल की नौकरी होनी चाहिए। यह ठीक उन्होंने सुझाव दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। इस प्रकार से प्रशासन की जो मशीनरी है यह ठीक प्रकार से काम करे तभी हम अच्छे से अच्छे नतीजे इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पा सकते हैं.।

प्रशासन तन्त्र में जहां बहुत सुधार की आवश्यकता है वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि प्रशासन तंत्र में जो लोग काम करते हैं उनको भी हम सम्मान दें, उनकी जो जायज शिकायतें हैं उनको भी हम सुलझायें, जो कमियां हैं उनको दूर करें। कह तो दिया जाता है कि प्रशासन तन्त्र सब बेईमान है, अभी डागा जी कह रहे थे, लेकिन यह बात नहीं है। सब लोग बेईमान नहीं हैं। बहुत अच्छे काम करने वाले लोग भी उसमें हैं, बहुत ही कमिटेड लोग भी उसमें हैं, अच्छा काम करने की उनकी ख्वाहिश भी है, वह गरीबों में काम करना भी चाहते हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं। लेकिन जब तक उनको शिकायत रहेगी और वह यह समझेंगे कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके प्रोमोशन में, ट्रांसफर में, ट्रांसफर में, उनकी पोस्टिंग में उनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है तो उनका दिल टूट जाएगा, उनका मनोबल गिर जाएगा। इसके लिए आप यह जो प्रशासनिक अधिकरण संशोधन विधेयक लाए हैं और यह जो ट्रिब्यूनल बनाया है वह एक अच्छा कदम है, इसका मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन मन्त्री जी को यह देखना है कि ऐसे ऐग्रीव्ड लोगों को जल्दी न्याय मिल सके—जस्टिस डिलेड इज

**[श्री बंगुल बशर]**

जस्टिस डिनाइडा—अगर देर में उनको इन्साफ मिलेगा तो कितने चांसेज उनके प्रोमोशन के खत्म हो चुके होंगे और कितनी परेशानी उसमें उनकी होगी ?

दूसरी बात यह है कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अन्दर भी ऐसे सेल बनाए जाने चाहिए, एफैक्टिव सेल, केवल नाम मात्र के लिए नहीं, अखबारों में निकालने के लिए नहीं, बल्कि एफैक्टिव सेल उनके लिए बनाए जाने चाहिए जो प्रभावकारी हों जिससे कि कर्मचारी की शिकायत उसी जगह दूर की जा सके तो उसको इस ट्रिब्यूनल में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करगत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी जो अभी नौजवान हैं एनर्जेटिक हैं, वह हमारे गांवों की और गरीबों की असलियत को जानते हैं, उनकी वाकफियत उनको है और प्रशासन तंत्र का भी उनको अनुभव है, तो वह इस प्रशासनिक सुधार के मामले में और प्रभावकारी कदम उठायेंगे और इसमें और भी सुधार लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

**[अनुवाद]**

**श्री हरूभाई मेहता** (अहमदाबाद) : महोदय, मैं इस विधेयक का अनेक कारणों से स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम, इसमें न केवल सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्य करने वाली समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को बल्कि उन कर्मचारियों को भी, जो अन्यथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, सम्मिलित करने से अधिकरण के क्षेत्राधिकार का कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। यह सही कहा गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम अधिकांशतः सामूहिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 क में वैयक्तिक विवादों के लिए भी उपबन्ध किया गया है परन्तु औद्योगिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक कर्मचारी को न्याय प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों, जिन्हें उसमें से निकाल दिया गया था, को इसमें सम्मिलित करके स्थिति सुधार ली गई है। यह एक स्वागत योग्य उपाय है।

**2.34 म० प०**

**[श्री बंगुल बशर पीठासीन हुए]**

दूसरा अपील करने का उपबन्ध है। जब मूल अधिनियम में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निकाल दिया गया था, तो निचले न्यायालय, जिसने पहले ही किसी मामले में निर्णय दिया हो, के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई उपबन्ध नहीं रह गया था। अब, अपील

करने का एक उपबन्ध उपलब्ध है, अधिकरण में अपील की जा सकती है।

तीसरा महत्वपूर्ण पहलू बेंचों के बारे में है। अधिकांशतः सभी राज्यों में आयकर कार्यालय, डाक और तार कार्यालय, महालेखाकार का कार्यालय, आदि हैं, परन्तु अधिकरण केवल दिल्ली और कुछ अन्य स्थानों पर कार्य कर रहा था। अब संशोधन में अधिक शाखाएं खोलने का उपबंध किया गया है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। गुजरात में भी अन्तरिम आदेश के उद्देश्य के लिए कार्य कर रही बेंच से जोड़ने की बजाय एक स्थायी बेंच स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता थी। वहां पर आय-कर कार्यालय, डाक और तार कार्यालय, महालेखाकार का कार्यालय है; वहां पर रेलवे कर्मचारी भी हैं और अन्य अनेक केन्द्रीय सरकारी संस्थाएं भी हैं। जब अधिकरण की स्थापना की गई थी, तो उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमों की संख्या गुजरात में बहुत अधिक थी। अतः यदि सरकार गुजरात में गांधीनगर या अहमदाबाद में, कहीं भी और विलम्ब किए बिना उचित समय पर एक स्थायी बेंच स्थापित करती है, तो यह न्यायसंगत और उचित होगा।

इस सम्बन्ध में, कतिपय अन्य पहलुओं का भी उल्लेख करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। सर्वप्रथम, जहां तक अनुच्छेद 32 के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित संशोधन का सम्बन्ध है, इस पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अधिकरण अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है। उच्च न्यायालय के समक्ष उस कार्यवाही के दौरान, ऐसा लगता है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के क्षेत्राधिकार को बहाल करने के लिए सहमत हो गई है। यह वास्तव में आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 323क में यह प्रावधान है कि संसद खण्ड (1) में उल्लिखित विवादों अथवा शिकायतों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अलावा सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को निकालने में सक्षम होगी। संविधान ने संसद को प्रशासनिक अधिकरणों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निकाल देने की शक्तियां दी हैं, जो अनुच्छेद 323क के अन्तर्गत है। मूल अधिनियम में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को जारी रखने का उपबन्ध किया गया है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 323क के अन्तर्गत परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अधिकरणों के सभी निर्णयों के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अपील की जा सकती है। यह मानते हुए कि 1965 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मुकदमें में कुछ सार है और न्यायिक पुनरीक्षा संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है और इसलिए इसे एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता है।

मेरा इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मतभेद है। संसद प्रभुता-सम्पन्न है और संविधान का कोई भी भाग अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति

[श्री हरूभाई मेहता]

से परे नहीं है। अतः केशवानन्द भारती मुकदमें के उस भाग को देखते हुए, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के मूल ढांचे में से संशोधन नहीं किया जा सकता है, अब समय आ गया है जब संसद उस पर आपत्ति करे और हम संसद की संशोधनकारी शक्तियों की तुलना में इसकी प्रभुता बहाल करने के लिए कार्यवाही करें। किसी भी अन्य देश में संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि किसी संवैधानिक संशोधन की विषय-वस्तु को न्यायालय में चुनौती दी जाती हो। ऐसा केवल भारत में ही हुआ कि गोलकनाथ और केशवानन्द भारती मुकदमों में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के आधार पर संसद की विषय-वस्तु की न्यायिक जांच करने की शक्ति ग्रहण की। जहां तक संविधान में संशोधन करने की शक्ति का संबंध है अब समय आ गया है जब संसद की प्रभुता बहाल की जाए। हम गोलकनाथ मुकदमें के बाद संसद की प्रभुता बहाल करने के लिए स्वर्गीय श्री नाथ पाई द्वारा संसद के समक्ष रखे गए विधेयक को याद कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को स्वीकार करने के बजाय, कि संविधान का मूल ढांचा अथवा कोई भाग संसदीय शक्तियों से परे हैं, अब केशवानन्द भारती मुकदमें के बाद संसद को प्रभुता बहाल करने के लिए वैसे ही प्रयास किए जाने चाहिए। अतः, मैं इस विषय पर सहमत नहीं हूं। जब उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दे दिया था कि इसे अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत शक्तियां पुनः प्रदान कर दी जाएं, तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की क्या जरुरत थी। हमें यह कहना चाहिए था कि संसद प्रभुता-सम्पन्न है और और अनुच्छेद 323क में यह उपबन्ध है कि संसद उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र को निकाल सकती है। अपील का उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 136 को बनाए रखा गया है। एक बार न्यायिक पुनरीक्षा बनाए रखी जाती है, तो क्या अनुच्छेद 32 को भी खुला रखा जाना आवश्यक है? इससे केवल एक ही धारणा बनती है कि हम संविधान द्वारा हमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने को तैयार नहीं हैं। संविधान हमें अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार निकाल देने की शक्तियां देता है, परन्तु हम ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

एक और पहलू है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं विचलित हो गया हूं। हमें संसदीय लोकतंत्र बहाल करने में रूचि क्यों नहीं लेनी चाहिए?

कार्यकारी प्रशासनिक अधिकरण स्वभावतः सरकार का भाग है। उन्हें कभी भी अधीनस्थ न्यायपालिका नहीं माना जाएगा। इंगलैंड और यहां पर भी, प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना के ठीक समय से अधिकरणों की नियुक्ति कार्यपालिका के अनन्य क्षेत्राधिकार में थी। यह एकान्तिक रूप से कार्यपालिका की शक्ति के भीतर है। अब, यहां पर उच्चतम न्यायालय इस बात पर बल देता है और हमारी सरकार तुरन्त मान जाती है कि न्यायपालिक

सदस्य की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा। अत: यहां पर भी सरकार न्यायपालिका की बेदी पर शक्ति का समर्पण कर देती है। क्या हमें इस बात पर बल नहीं देना चाहिए कि जहां तक प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का संबंध है न्यायिक सदस्य की नियुक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति के भीतर ही है। मैं नहीं समझता कि इस विषय पर कोई समझौता आवश्यक है। जहां तक अधिकरणों की नियुक्ति की नीति का संबंध है, यह सम्भवत: सरकार द्वारा इससे हटने वाली बात होगी। आज, यह प्रशासनिक अधिकरण है। कल, यह राजस्व अधिकरण हो सकते हैं और उच्चतम न्यायालय इस बात पर निश्चित रूप से बल दे सकता है है कि अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाए। फिर सामाजिक कार्यवाही अधिकरण भी हैं। यहां भी, यदि हमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ा, तो मैं इस विषय में आपसे सहमत नहीं हूं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन दो मामलों पर पुन: विचार करे। क्या संविधान के मूल ढांचे में संशोधन न किये जा सकने संबंधो उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आपत्ति करके संसद की प्रभुता को बहाल करने का समय आ गया है।

दूसरे, अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। आखिर, हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कर नहीं रहे हैं। जब भी हम ऐसी नियुक्तियां करते हैं, उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। यह अत्यन्त खतरनाक प्रवृत्ति है और मेरा विचार है कि कम से कम इसे यहां पर स्पष्ट रूप से रोका जाना चाहिए।

सरकार द्वारा इस अधिनियम का संशोधन करते समय कतिपय अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, रक्षा कर्मचारियों को इस विधेयक के उपबंधों से अलग रखा गया है ताकि इसके बारे में कोई कानूनी विवाद न हो। मैं इस प्रयोजन का स्वागत करता हूं परन्तु मैं नहीं समझता कि अभी जो प्रस्ताव किया गया है, उसमें बहुत अधिक सार है। इनके लिए रक्षा अधिकरण बनाया जाना चाहिए अन्यथा ये लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। अनुच्छेद 227 में कोर्ट मार्शल को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की व्यवस्था है। मैं इस संबंध में एक विसंगति का यहां उल्लेख करूंगा। अनुच्छेद 227 में यह कहा गया है :

> "इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय की सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली नहीं समझी जाएगी।"

इसलिए, अनुच्छेद 227 में कोर्ट मार्शल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। पर अनुच्छेद

[श्री हंसभाई मेहता]

226 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने ऐसी याचिकाएं देखी हैं जो कोर्ट मार्शलों के निर्णय को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं और उच्च न्यायालयों ने कोर्ट मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध उन याचिकाओं पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विचार किया है। अतः इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। सशस्त्र सेनाओं के सदस्य उच्च न्यायालयों एवं सिविल न्यायालयों में जाएंगे। अतः यदि उनके लिए अलग अधिकरण गठित कर दिया जाए तो उनके विवादों को सामान्य न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जा सकेगा। एक अधिकरण सेना अधिनियम के अधीन स्थापित किया जाना चाहिए। ताकि विवादों को निपटाया जा सके।

अभी कुछ मिनट पूर्व यह आशंका व्यक्त की गई थी कि यह अधिकरण दुर्भावना आदि के मामले में निर्णय नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं है। बात यह है कि यह केवल संवैधानिक उपबंधों और किसी अधिनियम या नियम या विधान को अवैध घोषित नहीं कर सकेगा। किसी अधिनियम या नियम की अधिकारिता को अधिकरण चुनौती नहीं दे सकेगा। अधिकरण को अधिनियम के अधीन गठित किया गया है और इसे इस अवधारणा के अनुसार कार्य करना होता है कि अधिनियम वैध है और इसे अन्य किसी अधिनियम की किसी धारा को अवैध घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस परिसीमा के अध्यधीन अधिकरण को अनुच्छेद 14 और 16 के आदेशात्मक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए दुर्भावना, क्षेत्राधिकार या भेदभावपूर्णता आदि के आधार पर सरकार के किसी आदेश को रद्द घोषित कर सकेगा। अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आशंका गलत है कि सदभावपूर्ण कार्यकारी कार्यवाही की चुनौती के मामले में अधिकरण का क्षेत्राधिकार सीमित है। यह अधिकरण की क्षेत्राधिकारिता में है कि वह दुर्भावना, भेदभाव अथवा क्षेत्राधिकारिता के प्रश्नों की जांच कर सकेगा किन्तु इसकी एक ही परिसीमा है कि वह किसी अधिनियम या नियम की वैधता की जांच नहीं कर सकेगा। इन टिप्पणियों के साथ मैं सरकार द्वारा अधिकरण अधिनियम में संशोधन के प्रयास का स्वागत करता हूं।

**श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** (विशाखापत्तनम): महोदय, यह संसद का अधिवेशन बुलाने की घोषणा 1 फरवरी को की गई थी और इससे कुछ दिन पूर्व ही यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। सरकार ने यह सोचा था कि इस अध्यादेश को प्रख्यापित करना बहुत सरल एवं सुविधाजन होगा।

महोदय, यह विदित था कि संसद का अधिवेशन फरवरी मास में बुलाया जाएगा। यह उचित नहीं है कि सरकार इस मामले पर इतने लम्बे समय तक चुप बैठे रहकर संसद का अधिवेशन शुरू होने से कुछ समय पूर्व एक अध्यादेश जारी कर देती है। सरकार को संसद की लगातार उपेक्षा करके कार्यकारी आदेशों के माध्यम से देश का प्रशासन चलाने की

आदत पड़ चुकी है। हम ऐसी ही सामान्य-रीति के अभ्यस्त हो चुके हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि छोटी उमर के, गतिशील एवं नए होने के कारण वे इसके पश्चात् किसी भी मामले में ऐसी कार्यवाही न करें।

महोदय, आइये हम इसके अन्य पहलू पर भी विचार करें। उच्चतम न्यायालय के समक्ष कुछ रिट-याचिकाएं लंबित थीं और उन पर चर्चा होने वाली थी। वस्तुत: 31.10.1985 को अंतरिम आदेश भी जारी किये गये थे और उस समय सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कुछ आश्वासन भी दिए थे। इसलिये इसका अर्थ यह हुआ कि अक्तूबर के आरम्भ में सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को कुछ आश्वासन अवश्य दिए गए थे। दिसम्बर मास में संसद की बैठक हुई थी। अत: यह कैसी बात है कि दिए गए आश्वासन के अनुसरण में सरकार कार्यवाही करने में असफल रही और जनवरी में, जब कि ये मामले उच्चतम न्यायालय में लिए जाने वाले थे तो सरकार ने अचानक यह कार्यवाही कर दी ? मैं यहां उद्देश्यों और कारणों के कथन के संगत वाक्य को उद्धृत करता हूं :

> "चूंकि उन रिट याचिकाओं पर जिनके बारे में उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिए गए थे, जनवरी, 1986 में सुनवाई की जाती थी, आवश्यक संशोधन करके आश्वासनों को पूरा करना जरूरी हो गया क्योंकि उच्चतम न्यायालय में उन पर विचार होना था, उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की पुन: सुनवाई शुरू किये जाने एवं उसके द्वारा निन्दा करने और प्रतिकूल टिप्पणियां जारी किए जाने की संभावना थी।"

यह कैसी बात है कि आप कोई आश्वासन देकर भी उसे पूरा नहीं करते ? अब आप अपने दायित्व पूरे करें। क्या यह न्यायालय की अवमानना नहीं है ? इसलिए इसके परिणामों की आशंका में सरकार ने अचानक अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया है। अत: स्थिति केवल यही नहीं है कि सरकार संसद को महत्व नहीं देती अपितु यदि सम्भव हो तो न्यायालयों के समक्ष दिये गये आश्वासनों को भी जब तक उस पर दबाव न पड़े, अंतिम समय तक लम्बित रखने का प्रयास करती है। हम सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में सरकार क्या काम कर सकती है। मंत्री महोदय जो कि मामलों को शीघ्र सुलझाने, जन सुविधाओं के सभी संगत मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक सुधारों के प्रभारी हैं, इन्हें भी यह देखना चाहिए कि उनका स्वयं का प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। मैं ऐसी बातों का समर्थन नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त, यह सच है कि संसद को अभिकरण गठित करने, लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के सेवा मामलों पर विचार करने की शक्ति प्राप्त है परंतु प्रश्न यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को रिट के क्षेत्राधिकार से वंचित रखना अनुमत्य तथा उचित है ? विचाराधीन मुद्दा यही है। निर्णयक मामला यही है। एक समय सरकार ने

**[श्री भट्टम श्रीराममूर्ति]**

एक सिफारिश की थी जिसमें संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार को निकालने का उपबन्ध किया गया था, अत:, उसके अनुपालन में उन्होंने ऐसा किया है।

अब स्थिति क्या है? सरकार ने यह स्थिति आंकी है कि न्यायालयों में पहले से ही अत्यधिक काम है। पिछला काम बकाया पड़ा है। अत: अनेक मामले लम्बित पड़े हुए हैं और यदि सभी मामले आवश्यक रूप से न्यायालयों के समक्ष लाए जाते हैं तो अनेक मामलों को निपटाना उनके लिए सम्भव न होगा। अत: प्रशासनिक अधिकरणों का गठन किया गया और वे आवश्यक भी हैं। स्थिति को इस तरह आंका गया है।

यह एक दु:खदायी समस्या है जो लम्बे समय से साल-दर-साल चली आ रही है। वे सुधार लाने के विषय में क्यों नहीं सोचते हैं? यहां तक कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में विद्यमान रिक्त स्थानों को नहीं भरा जा रहा है। न्यायिक सुधार का प्रश्न पीछे छूट गया है। ऐसा किस कारण हुआ?

संविधान के उस पहलू पर विचार करने की बजाय वे कहते हैं: "उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का आश्रय क्यों लें? इस उद्देश्य के लिए हमारे पास पृथक अधिकरण है।" यह अत्यधिक खेद जनक बात है कि स्वयं सरकार को भोपाल गैस त्रासदी संबंधी मामले में अमरीका के फेडरल कोर्ट के समक्ष जाना पड़ रहा है। फिर वे यह दलील देते हैं कि हमारे लिए भारत के न्यायालयों में शीघ्र, त्वरित समाधान पाना सम्भव (व्यवधान) नहीं है। हम एक बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंच गए है। हम विश्व समुदाय के लिए हास्य के पात्र बन गए हैं।

इस मामले में पुन: यह कहा गया कि यह सभी लोगों के लिए सम्भव नहीं है कि वे समाधान हेतु विभिन्न न्यायालयों में जाएं। मैं मंत्री जी से इस बात की पुन: जांच करने का आग्रह करता हूं कि क्या दिए गए आश्वासनों को शीघ्र कार्यरूप देना और कुछ न्यायिक सुधार लाना सरकार के लिए सम्भव नहीं है ताकि स्थिति की अपेक्षाओं और इस समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रतिबन्ध लगाना कोई हल नहीं है। इस पर आपत्ति है। यह वही मामला है जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की संवैधानिक वैधता की जांच की जा रही है। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष कतिपय आश्वासन दिए गए थे।

अत:, मैं मन्त्री जी से इस बात की जांच करने के लिए पुन: आग्रह करता हूं कि क्या

राज्यों में उन लोगों को जब और जहां वे चाहें उच्च न्यायालयों में जाने के लिए समान सुविधाएं देना उनके लिए सम्भव नहीं है। इस तथ्य के कारण कि प्रशासनिक अधिकरण वहां विद्यमान हैं, वे पहले अधिकरण में जाते हैं और निर्णय प्राप्त करते हैं और जैसे और जब आवश्यक हो वे उच्च न्यायालयों से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वे उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। इस संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को बहाल किया जा रहा है। ऐसा उच्च न्यायालयों के विषय में क्यों नहीं किया जाता ? वहां भी यही स्थिति लागू होनी चाहिए। न्याय के लिए यह आवश्यक है। मैं अन्त में सरकार से इसी मुद्दे का आग्रह करता हूं।"

सरकार ने अत्यधिक असाधारण स्थिति अपनायी है। मैं यहां पर सम्बद्ध वाक्य पढ़ता हूं :—

"अत: अध्यादेश में सम्मिलित कतिपय उपबन्धों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की तारीख से, प्रभावी बनाने हेतु कुछ व्याख्यात्मक संशोधनों को विधेयक में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

अत: कतिपय संदेहों के कारण वे इसे भूतलक्षी प्रभाव से वैध बनाना चाहते थे। इसलिए वे स्थिति को भूतलक्षी प्रभाव से स्पष्ट करना चाहते थे अर्थात् विभिन्न अधिकरणों और सरकार द्वारा भी पहले की गई कार्यवाही को वैध बनाने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से स्पष्टीकरण देना चाहते थे। अत: यह एक बहुत असाधारण स्थिति है जिसका उन्होंने आश्रय लिया है; यह दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछित बात है; इससे यथा सम्भव बचना चाहिए।

अत: अब मुझे एक और बात कहनी है। अधिकरण का क्षेत्राधिकार उन व्यक्तियों पर भी लागू कर दिया गया है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों से शासित होते हैं, अर्थात अब से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी अधिकरण और उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी; अत: उन्हें यह सुविधा दे दी गई थी, पुन: दे दी गई थी; और मैं यहां पर पेश किए गए संशोधन की भावना से पूर्ण रूप से सहमत हूं और यह भावना अच्छी भावना है, परन्तु जिस तरह से सरकारी तंत्र काम करता है और जिस तरह से इसे वैध बनाया जा रहा है, वह स्वयं ही बहुत गलत है और यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। और इसलिए मैं इसका उस दृष्टि से विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस दृष्टि से मंत्रालय इस पूरे प्रकरण पर पुनर्विचार करें।

[हिन्दी]

**श्री राजकुमार राय** (घोसी) : मान्यवर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे

**[श्री रामकुमार राय]**

एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अमेंडमेंड बिल पर बोलने का अवसर दियौ ।

मान्यवर, जहां तक इस बिल का सवाल है, कोई भी व्यक्ति जिसको कानून की थोड़ी सी जानकारी है, वह इन्कार नहीं कर सकता कि जिन भावनाओं से यह बिल लाया गया है और जो बातें इसके बारे में बताई गई हैं, वे उचि। हैं, सभी के लिए ग्राह्य हैं और स्वागत योग्य हैं और मैं इनका समर्थन करता हूं । इसके साथ ही साथ मैं दो-तीन बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ।

मं उन माननीय सदस्यों की राय से इत्तफाक नहीं कर पा रहा हूं जिन्होंने कहा है कि जल्दी में यह आर्डिनेन्स लाया गया था और अब उसको अनडेमोक्रेटिक तरीके से बिल में कन्वर्ट किया जा रहा है और यह सब जल्दबाजी में किया जा रहा है। मान्यवर कोई भी चुनी हुई सरकार हो, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कुछ संकल्प होते हैं और उसने जनता को कुछ आश्वासन दिए होते हैं, जिनको उसे पूरा करना होता है । उनको पूरा करने के लिए कायदे-कानून बनाना जरूरी होता है और अगर पार्लियामेंट सेशन में न हो तो आर्डिनेन्स के जरिए उस चीज को लाना उसका धर्म है, उसका कर्त्तव्य है । इस तरह से अगर कोई सरकार करती है तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मान्यवर एक चीज जो अनुभव बताता है, आपका भी बहुत लम्बा अनुभव है कि जल्दबाजी में जो कानून लाए जाते हैं, उनमें इतने डिफेक्ट्स रह जाते हैं, कुछ टेक्नीकल डिफेक्ट्स और कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं जब वे अदालतों में जाते हैं तो उनके चिथड़े उधड़ते हैं, नुक्ता-चीनी होती है, जो सरकार के खिलाफ जाती हैं ,और कानून बनाने वाला असहाय हो जाता है कि क्या किया जाए और सरकार के खिलाफ साजिस होती है । एक और बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मन्त्री जी नए हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, अगर सारी चीजों को एक बार सोच लिया जाए तो अच्छा हो । ज्यूडिशल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रेफार्म्स हैं, एड-मिनिस्ट्रेटिव रेफार्म्स क्या होने चाहिएं, सारी बातें किस तरह से होनी चाहिए, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, सारी चीजों को ध्यान में रखकर कंसालीडेटेड एक्ट लाया जाए तो बहुत अच्छा हो । बहुत सारी रूलिंग आ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, जिनसे हम नाइत्तेफाकी करते हैं और उन पर गुस्सा करते हैं, ठीक है हम यहां बैठे हैं, हमारा अधिकार है, लेकिन इस बात से कतयी इन्कार नहीं किया जा सकता कि कायदे-कानून जल्दबाजी में बनाने से कमियां रह जाती हैं और सुप्रीमकोर्ट या हाई कोर्ट भी आखिर देश में इंस्टीट्यूटेड ला के आधार पर ही चलते हैं । जब वे कुछ कहते हैं तो हमें तकलीफ होती है । इन कानून में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं ।

मान्यवर आप देखेंगे कि यह बिल है एक तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए, चाहे

स्टेट के हों या सेन्टर के हों, उनको इससे लाभ मिलेगा, स्पीडली रेमिडी मिलेगी, लेकिन यह नहीं है कि समयबद्ध, टाइमबाउन्ड तरीके से, इसमें क्या करें। आपकी मूल मंशा यह है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामले इतने दिनों से लंबित हैं, उनकी संख्या इतनी अधिक है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

3.00 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इसलिए "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड", उनको जो न्याय करना चाहिए वह नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें करना चाहिए।

[अनुवाद]

न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि वाकई न्याय किया गया है।

[हिन्दी]

हम वह कर रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

यदि न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभिन्नता है, तो उस मुद्दे पर निर्णय बहुमत द्वारा किया जायेगा। यदि बहुमत हुआ, किन्तु सदस्यों का विभाजन बराबर-बराबर होता है, तो वे उस मुद्दे का या मुद्दों का उल्लेख करेंगे जिन पर उनके बीच मत भिन्नता है और वे चेयरमैन को इसका विनिर्देशन करेंगे जो मुद्दे अथवा मुद्दों की स्वयं सुनवाई करेगा या ऐसे मुद्दे अथवा मुद्दों से संबंधित मामले को सुनवाई के लिए अधिकरण के एक या एक से अधिक अन्य सदस्यों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा ऐसे मुद्दे या मुद्दों का निर्णय मामले की सुनवाई करने वाले अधिकरण के सदस्यो के बहुमत द्वारा किया जाएगा जिसमें पहले सुनवाई करने वाले सदस्य भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

जो कोई सरकारी कर्मचारी एग्रीव्ड है।

[अनुवाद]

दुखी व्यक्ति ही न्यायालयों में जाते हैं।

[श्री राजकुमार राय]

[हिन्दी]

उनको कोई तकलीफ है और उनकी तकलीफ किसी निश्चित एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर से ही है तो ऐसा कोई कानून लाते जिसमें कि आइ० ए० एस० आफिसर का कोई सेन्ट्रल एड. मिनिस्ट्रेशन होता और आप जहां चाहे भेजते। उनके वेस्टेड इन्टरेस्ट हैं। आपने प्रदेशों में काडर बना दिया है, और वह बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

**श्री अजय मुशरान** : 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' से अभिप्राय है 'मैं सुरक्षित हूं।

**श्री राजकुमार राय** : मेरे मित्र का कहना है कि 'भारतीय प्रशानिक सेवा' का तात्पर्य है "मैं सुरक्षित हूं" और उन्हें राज्य का संवर्ग भी प्राप्त है।

[हिन्दी]

उसको आप पक्का करने जा रहे हैं। उन्हीं की मार से चाहे सेन्ट्रल का कर्मचारी हो या प्रान्तीय कर्मचारी हो, वह मारा जाता है। उन्हीं को ट्रिब्युनल में रख दिया और यही नहीं उसमें वोट करा दिया बराबर-बराबर, उसके बाद तीसरा या चौथा, तो यह कैसे होगा। ज्युडिशियरी के बारे में आप कुछ भी कहें, ज्युडिशियल सर्विस के लोग अपने कलीग्स के बारे में इतनी एक-तरफा भावना नहीं रखते हैं जितना कि आपने एडमिनिस्स्ट्रेटिव लोगों को इसमें लाकर रख दिया है। उनके वेस्टडे इन्टरेस्ट हैं और अपने कलीग्स के बारे में गलत से गलत काम करने में उन्हें परहेज नहीं है। जिस भावना से नुकसान पहुंचा है, अगर उस भावना को रहने दें तो इसमें आश्चर्य नहीं है, प्रावधान ऐसा होना चाहिए था कि उनका आप्शन होता।

[अनुवाद]

कर्मचारियों के पास अपना विकल्प होना चाहिए था।

[हिन्दी]

हमारे यहां एक कहावत है "धामे का बेरा कुकुर रखवार", जिससे तकलीफ हो उसी के सामने कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यह मामला ज्युडिशियल सर्विस के लोगों के द्वारा होना चाहिए था, उनसे ज्यादा लाभ मिलता। इण्डस्ट्रीयल डिस्प्युट एक्ट आपके यहां है। वहां भी इस किस्म की एनोमलीज हैं। इतने दिनों के बाद भी उसका अमेंडमेंड नहीं हुआ है, फार एण्ड अगेन्स्ट रूलिंग होती जा रही है और मैटर एज इट इज पड़ा हुआ है। एडमिनि-स्ट्रेशन को भी नए सिरे से देखने की जरूरत है। आज की भावनाओं के अनुरूप नहीं है।

एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स के बारे में मैं कह रहा था। वे, बहुत बड़ी परीक्षा पास करके इतने बड़े लोग हैं और उनकी इस किस्म की बिरादरी है कि उनसे तो इस सदन में भी नहीं कह सकते कि कोई गलती उनसे होने वाली है। आज हम भारत की पार्लियामेंट में बैठे हैं जिसका संबंध गरीब, फटेहाल और मुफलिस लोगों से है, इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि सारे अधिकार आपने कमेटी या ट्रिब्युनल, डी०आर०डी०ए० या जिला परिषद का चेयरमैन बनाकर इन आइ०ए०एस० आफिसर्स को दे दिए हैं। जहां जाइए, लाख मर्ज की एक ही दवा है और वह है आइ०ए०एस० आफिसर और जो आप करते जा रहे हैं। इससे देश को लाभ नहीं पहुंचेगा। आपके, इस अधिकार देने के नाते, उनकी जी-हूजूरी करने के लिए आपके मैम्बर-पार्लियामेंट मजबूर हैं। अगर वे नाखुश हो गए तो आप भी नहीं सुनते और सरकार भी नहीं सुनती। प्रोटोकोल चाहे जितनी चीज का दे दें, हैसियत चाहे आप संविधान में लिख दें लेकिन कार्यक्रम का जो भी इम्पलीमैंटेशन या दूसरी चीजें होनी हैं, वे उनके जरिए होनी हैं। इसलिए मैं चाहूंगा और आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि अभी आपको बहुत कुछ करना है, आप इस प्रवृत्ति से बाज आयें। आई०ए०एस० आफिसरों को इस तरह का मौका देकर, सारी जनता को उनके हाथ में छोड़कर काम करवाने की जो वर्तमान प्रवृत्ति है, उससे आप बाज आयें। आप ज्यादा हद तक उन लोगों पर निर्भर करें जो जुडीशियल सर्विसेज के हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे कोई गलती नहीं करेंगे या वे बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, लेकिन उनमें कोई आदमी मुश्किल से ही ऐसा मिलेगा जब कि आई०ए०एस० अधिकारियों में आपको खोजने पर बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो जनता के कामों से सहानुभुति रखता हो, जो अपने कोलीग्स के प्रति लीनियेंट व्यू रखता हो। इसलिए मैं आपको इस विषय में आगाह कर देना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

**[अनुवाद]**

**श्री ए० चार्ल्स** (त्रिवेन्द्रम) : मैं प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं जिसे इस गरिमामय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

मूल अधिनियम 1985 में पारित किया गया था जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-संबंधी मामलों से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए केन्द्र में एक प्रशानिक अधिकरण, तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने के लिए राज्य अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उक्त विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 323(क) के अधीन अधिनियमित किया गया।

मैं विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दी गई कुछ दलीलों को सुन रहा था। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जब संसद का सत्र शुरू होने जा रहा था, तो अध्यादेश

[श्री ए० चार्ल्स]

प्रख्यापित करना उचित नहीं था और उनके मतानुसार, इससे इस गरिमामय सदन की अवमानना होती है। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि माननीय सदस्य ने इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़ा नहीं है। सदन ने 1985 में इस विधेयक को पारित किया था और प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया जा चुका है। अनेक मामले इसके पास लम्बित भी थे। तब उच्चतम न्यायालय में शंकाएं की गईं। यह सरकार का कर्तव्य था कि उन लोगों की मदद की जाए जिनकी याचिकाएं अधिकरण के समक्ष लम्बित थीं। माननीय मन्त्री महोदय ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और इस अध्यादेश को प्रख्यापित करके बिल्कुल समय पर कार्रवाई की है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने अनेक सेवारत लोगों, जिनकी याचिकाएं अधिकरण के पास लम्बित पड़ी हैं, की कठिनाई को दूर किया है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि अध्यादेश के कतिपय उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव देना उचित नहीं है किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसे विधि-शास्त्र के बारे में थोड़ी-भी जानकारी है, यह जानता है कि ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है, तो अनिवार्यतः इसका अभिप्राय होता है कि कुछ उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाए। मुझे इस अध्यादेश को लाने में कोई असाधारण बात दिखायी नहीं देती। यह तो समय पर ही लाया गया है। यह केवल यही दर्शाता है कि मन्त्रालय कर्मचारियों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में बहुत सावधान और सतर्क है। मुझे प्रसन्नता है कि अध्यादेश का स्थान लेने वाला आवश्यक विधान भी सत्र के प्रारम्भ में ही लाया गया है।

अधिकरण के संविधान के संबंध में, मैं खंड 6(3) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें न्यायिक सदस्य के रूप नियुक्ति हेतु अर्हता पर विचार किया गया है। यह एक बहुत-ही लचीला उपबन्ध है। मैं महसूस करता हूं कि उच्च न्यायालय के आसीन न्यायधीश को ही अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता होनी चाहिए। यदि ऐसा करने में कोई कठिनाई हो, तो जिस प्रकार अधिकरण के सदस्यों की सेवा-निवृत्ति आयु निर्धारित की की गयी है, उसी प्रकार किसी सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को उस आयु-सीमा तक नियुक्त किया जा सकता है। "न्यायधीश बनना है" कहना एक बात है किन्तु "न्यायाधीश बनने के लिए अनिवार्य अर्हताएं रखना" एक बिल्कुल ही अलग बात है। माननीय मन्त्री महोदय स्वयं एक विधिवेत्ता है...... (व्यवधान)

मन्त्री महोदय एक विख्यात विधिवेत्ता हैं और उन्हें यह पता है कि हर एक विधिवेत्ता इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यालय का उत्तरदायित्व वहन नहीं कर सकता। उसे प्रशासनिक तरीकों का कुछ अनुभव होना चाहिए। यह प्रशासनिक सदस्यों के लिए निर्धारित अर्हताओं से

स्पष्ट है। उस व्यक्ति को, जिसने अपर सचिव के रूप में कार्य किया है, प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, किन्तु इस तथ्य के बावजूद कि धारा 6(3) के अधीन प्रशासनिक सदस्य की अर्हताओं पर विचार किया गया है, यह शर्त लगायी गयी है कि व्यक्ति को प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस खंड का लोप किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 'उपयुक्त' शब्द भी बिल्कुल अस्पष्ट है। मैं समझ नहीं पा रहा कि 'उपयुक्त' शब्द को किस प्रकार विधित: स्पष्ट किया जाता है। कोई बात मन्त्री महोदय के लिए उपयुक्त हो सकती है किन्तु वही बात न्यायलय के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। इसलिए, इसे विधान में विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उस खण्ड को जिसमें यह कहा गया है कि उस व्यक्ति को जिसे सरकार से स्थानान्तरित किया जाता है, उस व्यक्ति को जो भारत सरकार के अपर सचिव के पद पर कार्य कर चुका है अथवा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर रह चुका है, उसे आवश्यक प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि यदि कोई प्रशासनिक अनुभव निर्धारित किया ही जाना है, तो यह न्यायिक सदस्य के लिए होना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि धारा 6(3)(क) के अधीन "होने के लिए अर्हित है" पद का लोप किया जाना चाहिए क्योंकि जब हम किसी न्यायाधीश की अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति करते हैं, तो न्यायपालिका में रिक्त हुए इस स्थान को उस व्यक्ति की नियुक्ति करके अच्छी तरह भरा जा सकता है जो उस पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हित है, किन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि न्यायिक सदस्य को आवश्यक प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। केवल किसी न्यायाधीश की अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की ही इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए।

जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में पहले ही कहा गया है, यह स्पष्ट है कि इस विधेयक को अब उच्चतम न्यायालय के पास लम्बित रिट याचिकाओं का निपटान करने में होने वाली कुछ कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए लाया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता अभी तक बनी हुई है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपील करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास जाना चाहता है, तो वह बड़ी आसानी से जा सकता है। अत:, मैं महसूस करता हूं कि यह विधान बिल्कुल समय पर लाया गया है और मैं इस संशोधन विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

~~प्रो० अजय मुशरान (जबलपुर)~~ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1986 का समर्थन करता हूं। मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वे इस विधेयक को लेकर आए हैं जो न केवल समय के अनुकूल है बल्कि समुचित भी है।

यह केवल पिछली रात की ही बात है कि माननीय मन्त्री ने टी०वी० पर एक बात कही थी कि जिन पर देश का प्रशासन सम्भालने की जिम्मेदारी है उन्हें केवल अपने सोचने और

[अजय मुशरान] 6

प्रशासन करने को रास्ता ही नहीं बदलना पड़ेगा बल्कि जो व्यथित महसूस करते हैं उन्हें न्याय भी देना पड़ेगा। इस बात पर विचार करना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक को उस सन्दर्भ में पूरे सदन का समर्थन मिलना ही चाहिए। उन्होंने बहुत-सी बातें उठाई हैं जो बहुत ही तर्क संगत हैं। केवल उचित ही नहीं बल्कि मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उनमें से कुछ सुझावों और विचारों को इस विधेयक के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस विधेयक का एक और पहलू भी है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि रक्षा सेवा में कार्यरत लोगों को भी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में आने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से उन माननीय मित्रों के साथ इस बात पर सहमत नहीं हूं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो वर्दी में सेना में, नौसेना में अथवा वायुसेना में सेवारत है उसे जांच न्यायालय अथवा साक्ष्य न्यायालय और फिर 'कोर्ट मार्शल' में जाने का अधिकार है। अब, सेना में इन प्रक्रियों के लिए सर्वाधिक समतथ्यपद प्रशासनिक न्यायाधिकरण हो सकता है। यहां तक कि कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को उस प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित करना पड़ता है जिसे कोर्ट मार्शल का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। अब इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुये मेरे विचार में यह बहुत गलत बात है अथवा यह एक बहुत गलत बात होती यदि इस वरदीधारी श्रेणी को इस प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक के उपबन्धों के अधीन शामिल कर लिया जाता। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि रक्षा सेवायें अनुशासन की कुछ परम्पराओं और सिद्धांतों पर आधारित हैं।

जहां तक उन लोगों का सम्बन्ध है जो वर्दी में नहीं होते, जिन्हें उनकी सेवाओं की भाषा में सिविलियन कहा जाता है, उन्हे इस विधेयक के अधीन शामिल किया गया है, वे अपनी शिकायतें दूर करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में जा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री जी से मेरा केवल यह सुझाव है कि इसमें कुछ थोड़ा सा भ्रम है। मैं महसूस करता हूं कि जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है तीन प्रकार के सिविलियन होते हैं। एक तो सिविलियन स्टाफ हैं जो स्थल सेनाध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष अथवा वायुसेनाध्यक्ष के अधीन प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं; दूसरे सिविलियन वे होते हैं जो उन प्रतिष्ठानों के अधीन कार्य करते हैं जो महानिदेशक, आयुध कारखाना, रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन प्रतिष्ठानों में कार्य करते है; तीसरे सिविलियन वे होते हैं जो इन प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे होते हैं अथवा जो गैर-सैनिक होते हैं परन्तु जिनका सन्निविष्ट दायित्व होता है और चौथे सिविलियन कर्मचारी वे हैं जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं परन्तु जिनका आरक्षित दायित्व होता है। इसका मतलब ऐसे सेवानिवृत्त सैनिकों से है जिन्हें आपात स्थिति में अथवा युद्ध छिड़ जाने पर पुन: सेवा में बुलाया जा सकता है। उनकी स्थिति को विनिर्दिष्ट शब्दों में स्पष्ट नही किया गया है क्योंकि मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय उन श्रेणियों को और विशेषरूप से ऐसी श्रेणियों को जो

सेवानिवृत हो चुके हैं श्रेणीबद्ध करना चाहेंगे। ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिनमें ये व्यक्ति उच्च न्यायालयों तक गए हैं। ऐसा व्यक्ति जो सेवानिवृत हो रहा है इस आधार पर उच्च न्यायालय में गया है कि उसे अनुचित रूप से सेवानिवृत्त किया गया है।

परन्तु भगवान न करे, यदि उसे सक्रिय सेवा में बुलाने का अवसर मिले अथवा इसकी आवश्यकता पड़े और यदि मामला न्यायाधिकरण में चला जाता है तो उस स्थिति में मामले का क्या होगा और उस आदमी के मामले पर कार्यवाही करनी पड़े तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ? मेरा सुझाव है कि ऐसी श्रेणी को ऐसे सिविलियनों की श्रेणी में शामिल न किया जाए जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जा सकते हैं और जब तक एक व्यक्ति पुन: सेवा में बुलाने जाने के लिए आबद्ध हो तब तक उसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वह उच्च न्यायालय में जा सकता है क्योंकि यह विधेयक ऐसे सिविलयन के बारे में मूक है जो श्रम अधिनियम के अधीन आते हैं, वह श्रमिक न्यायाधिकरण अथवा प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जा सकता है। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जो सेवा में पुन: बुलाए जाने के लिए उत्तरदायी है, वह रक्षा मंत्री के पास जा सकता है या उच्च न्यायालय में जा सकता हैं। उसके पास अपनी शिकायतें दूर करने और न्याय मांगने का माध्यम है परन्तु उसके लिए इस तीसरे माध्यम के भी खुले रहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह रक्षा सेवाओं में सुचारु रूप से तथा अनुशासात्मक ढंग से कार्य करने में केवल बाधक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या में अनावश्यक रूप से और वृद्धि कर देंगे क्योंकि उनके समक्ष पहले ही काफी मामले पड़े हैं। इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि हमारे पास कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसमें इस किस्म के मामलों पर कार्यवाही हो सके जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा अथवा फिलहाल उच्च न्यायालय के अधीन निपटाए जा सकें। भारी संख्या में लम्बित पड़े मामलों के कारण इन न्यायधिकरणों के बनाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि ये उच्च न्यायालय की तरह ही कार्य करेंगे और लोगों को शीघ्र ही न्याय दिया जाएगा क्योंकि, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि आजकल श्रम जीवी वर्ग को न्याय मिलने में विलम्ब होता है जिसका अर्थ है न्याय न मिलना और यदि उच्च न्यायालों में भारी संख्या में लोग हैं तो एक मामला 20 वर्ष तक लम्बित रह सकता है, यहां तक कि वे लोग सेवानिवृत भी हो जाते हैं, परन्तु उनकी पदोन्नति, अथवा पद-स्तर में वृद्धि, स्थायित्व आदि के मामलों का निपटारा नहीं हो पाता यद्यपि उच्च न्यायालय में जाने वाला व्यक्ति सेवानिवृत भी हो जाता है। इन मामलों का निपटारा करने में उच्च न्यायालय द्वारा इतना अधिक सपय लिया जाता है।

दूसरा पहलू यह है कि, यदि सही रूप में देखा जाए तो रक्षा मन्त्रालय के अधीन रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले लोग श्रम अधिनियम के अधीन नहीं आते। उन्हें श्रमिक संघ

[श्री अजय मुशरान]

बनाने की अनुमति तो होती है परंतु अन्य सभी प्रयोजनों के लिए वे सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। चाहे उन्हें यह अधिकार प्राप्त है अथवा केवल प्रचलन के कारण उन्हें इस विशेषाधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है परन्तु इस श्रेणी की स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि यदि यह स्पष्ट नहीं की गई तो बाद में उनके प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में जाने को चुनौती दी जा सकती है, जबकि इन्हें न्याय प्राप्त हो सकता था क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि इन्हें श्रम अधिनियम के अधीन अधिकार और विशेषाधिकार तक प्राप्त नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस पहलू पर या तो विचारकर चुके हैं या विचार करना बेहतर समझेंगे।

विधेयक के बारे में भी मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पृष्ठ 4, खण्ड 7, धारा 6 की उपधारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् एक अन्तः स्थापन सुझाई गई है जो इस प्रकार है :—

"निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख ख) जो, भारत सरकार के ऊपर सचिव अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे अन्य पद पर तैनात रहा हो, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान् से कम न हो।"

विधेयक के उक्त खण्ड 7 के ही अधीन एक अन्य स्थापन, अर्थात 3क भी है जो इस प्रकार है :—

'कोई व्यक्ति प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्पित नहीं होगा जब तक वह—भारत सरकार के अपर सचिव अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे अन्य पद पर तैनात रहा हो, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो।"

प्रथमतः, सामान्य धारणा यह है, जैसा कि कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि इन अन्तः स्थापनों से यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य अथवा न्यायायिक सदस्य के पद के लिए सर्वाधिक अर्हित होंगे, वे भारतीय प्रशासनिक के अधिकारी ही होंगे।

**श्री पी० चिदम्बरम्** : न्यायायिक सदस्य नहीं।

**श्री अजय मुशरान** : ठीक है, प्रशासनिक सदस्य ही सही। यदि ऐसा ही है तो भारतीय

प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को छोड़कर यहां अन्य अधिकारियों की श्रेणी को श्रेणीबद्ध क्यों नहीं किया जा सकता। इसमें भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। परन्तु सामान्य तौर से आप यदि प्रशासनिक अन्याय के मामलों को देखें तो वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अपने अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव अवर सचिव आदि के सेवाकाल के दौरान जारी किए गए कुछ प्रशासनिक अनुदेशों के विरुद्ध हैं और यदि वे उनके द्वारा जारी नहीं किए गए तो उनके परिचितों या बिरादरों द्वारा जारी किए गए। हम सभी को कार्य के प्रति उनको पूर्ण गहन निष्ठा के बारे में पता है और मुझे यह विश्वास है कि इस गरिमामय सदन के अधिकांश माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि साधारणत: ऐसा पाया गया है कि जब भी कोई जांच या न्याय आयोग बैठता है और यदि उस जांच आयोग का कोई सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है तो वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को किसी प्रकार की जिम्मेदारी या अन्याय से या तो पूर्णत: मुक्त कर देगा या मामले को इस सीमा तक कम कर देगा अथवा दबा देगा कि फंसा हुआ अधिकारी बरी हो जाए। मेरा नम्र निवेदन यह है कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़कर अधिकारियों की कुछ अन्त श्रेणियां हैं...... (व्यवधान)

**श्री पी० चिदम्बरम** : यह केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा तक ही सीमित नहीं है।

**श्री अजय मुशरान** : मेरे मस्तिष्क में सर्वप्रथम यही चित्र उभरता है। यह अंत:-निर्मित है।

**श्री पी० चिदम्बरम** : यह भारतीय प्रशासनिक सेवा तक ही सीमित नहीं है। चूंकि मेरे विद्वान मित्र गलत धारणा बना कर चल रहे हैं, अत: मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। ये उपबंध बिल्कुल स्पष्ट हैं : कोई भी व्यक्ति जिसने किसी विशेष स्तर पर यह पद धारण किया है — चाहे वह भारतीय प्रशासनिक सेवा या किसी अन्य केन्द्रीय सिविल सेवा का अधिकारी है—वह सदस्य बनने का पात्र है। वे अलग-अलग स्तरों पर नियुक्त हैं। हमने अधिकरणों में अन्य सेवाओं से भी अधिकारी नियुक्त किए हैं। अपने उत्तर में मैं इनके नाम बताऊंगा।

**श्री अजय मुशरान** : मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के लिए उनका आभारी हूं। मेरा एक और सुझाव यह है कि बेहतर यही होगा कि इस अधिकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बिल्कुल ही न लिया जाए।

**श्री पी० चिदम्बरम** : मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा।

**श्री अजय मुशरान** : उन्हीं दो उप-खण्डों पर मुझे यह भी कहना है। जब तक कोई व्यक्ति अतिरिक्त सचिव के पद-मान पर पहुंचता है या पांच वर्ष तक अतिरिक्त सचिव का पद

[श्री अजय मुशरान]

धारण किए रहता है तब तक उसकी उम्र काफी हो जाती है। अतः पीढ़ी का अंतर बहुत अधिक है। जो लोग प्रशासनिक अधिकरण के पास न्याय पाने के लिए आते हैं, जिनके साथ पहले अन्याय किया गया है, वे चतुर्थ श्रेणी के, तृतीय श्रेणी या कम-से-कम द्वितीय श्रेणी के निचले स्तर के होते हैं। अधिकरण में बैठने वाला अधिकारी अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार जैसे ऊंचे पद का नहीं होना चाहिए क्योंकि वह निम्न श्रेणी के लोगों की विभिन्न प्रशासनिक कठिनाइयों व समस्याओं से अनभिज्ञ होगा। अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, अधिकरण में नियुक्त किए जाने से पूर्व 10 वर्ष तक नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक में रहा होगा। मेरे विचार में इस अधिकरण में कुछ नीचे के पद के युवकों को रखा जाना चाहिए ताकि वह उन लोगों की समस्याओं तथा कठिनाइयों से अपरिचित न हों जो अपनी शिकायतें लेकर उनके पास आएंगे। हमारे माननीय मंत्री इस बात को समझेंगे कि एक युवा मंत्री और एक वृद्ध मंत्री में कितना अंतर होता हैं।

दूसरे, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में, कुछ माननीय साथी कह रहे थे कि विधि का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी कुछ बातों पर उनसे सहमत होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं यह समझता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति की राय, जिसे सेना-विधि के अथवा किसी अन्य विधि का ज्ञान नहीं है, यह है कि ऐसे अधिकरणों के काम के घंटे, चाहे वह प्रशासनिक या श्रमिक अधिकरण हो या वह छोटा या बड़ा कोई भी न्यायालय हो, अधिक होने चाहिए। दिन भर में 2-3 घंटे काम करना और शेष समय केवल विचार-विमर्श करते रहना पर्याप्त नहीं है।

अभी उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय की देश में काफी चर्चा हुई और इस मामले को इस देश समाचार-पत्रों में काफी प्रचारित किया गया और इस पर जनमत में भी हलचल हुई। यदि आप इस निर्णय को पढ़ें तो देखेंगे कि इसका प्रथम भाग विधिक है। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। निर्णय का दूसरा भाग उपदेश मात्र है। उपदेश देना हमारा विशेषाधिकार है। जो विधि हम यहां बनाते हैं उसकी व्याख्या करना बड़ी बात है। प्रशासनिक अधिकरण में भी नियमों तथा विनियमों में इसका उपबंध किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि विधेयक के अधिनियमित हो जाने के बाद नियम-विनियम बनाए जाएंगे। इस प्रशासनिक अधिकरण की प्रक्रिया के संबंध में कुछ नियम-विनियम होंगे। यह भी स्पष्टतः तय किया जाना चाहिए कि निर्णय 2 या 3 या 4 पृष्ठ से अधिक का नहीं होना चाहिए और वह भी केवल न्यायिक मामलों से संबंधित हो, उन्हें यह बात नहीं कहनी चाहिए कि आज समाज की मांग क्या है तथा गरीब वर्ग के लोगों की मांग क्या है। यह तो हमारा काम है।

इस दृष्टिकोण से कोई निर्णय विवादास्पद तथा परस्पर विरोधी हो जाता है। उन्होंने

दूसरे भाग पर ही अधिक समय लगाया है। यदि आप इसे देखेंगे तो मुझ से सहमत होंगे। बाद में बनाए जाने वाले नियमों तथा विनियमों में यह निर्धारित होना चाहिए कि निर्णय का कौन-सा भाग कितना बड़ा होना चाहिए। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें साक्ष्य कम पृष्ठों का है और निर्णय उससे अधिक पृष्ठों का है।

पृष्ठ 7 के पैरा 25 में एक और खण्ड है "किसी एक पक्षकार के आवेदन पर या सूचना के पश्चात्,—यह धारा 25 और 26 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें यहां कथित है कि कोई भी पक्ष किसी न्यायपीठ के समक्ष लंबित वाद को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी न्यायपीठ होगी जिसमें कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा। ऐसा प्रशासनिक अधिकरण नियुक्त ही क्यों किया जाए जिसमें लोगों को संदेह हो। यह संबंधित पक्ष की तुलना में काम को टालने का प्रशासनिक तरीका है। इसे पक्षकार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा खण्ड रखा ही क्यों जाए जिससे विलम्ब करने के तरीके सफल हों—चाहे वे किसी भी पक्षकार के हों। मैं समझता हूं कि यदि एक न्यायपीठ निश्चित की गई है तो उस न्यायपीठ को उस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि जैसा मंत्री महोदय ने कहा है इस न्यायपीठ में शामिल होने वाले लोग निष्पक्ष होंगे। सम्भवत: वे भारतीय प्रशासनिक सेवा से नहीं होंगे और न्यायिक सेवा के अन्य लोग भी वे होंगे जिनके बारे में किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होगा। अत: मेरा विश्वास है कि ऐसे विलम्बकारी खण्ड पर मंत्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रशासनिक अधिकरण संशोधन विधेयक इस सही विचार से लाया जा रहा है कि दु:खी लोगों के साथ यथासंभव अल्प समय में न्याय किया जा सके। मुझे विश्वास है कि अब मामलों को निपटाने में विलम्ब नहीं होगा। इससे इस विधेयक को लाने की हमारी मंशा पूरी हो जाएगी। बकाया मामले होने से हमारे इरादे तथा इस विधेयक को लाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

अन्त में मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी माननीय मंत्री और ऐसे विधेयक लाएंगे जहां 30 वर्ष की सेवा कर चुके व्यक्तियों को प्रशासनिक सदस्य बनने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन न केवल हमारे मंत्री युवा होने चाहिए बल्कि प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य भी युवा होने चाहिए। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : मैं इस विधेयक, प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1986 का समर्थन करता हूं। वास्तव में, यह एक साधारण विधेयक है और इसमें

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

कोई भी बात आपत्तिजनक नहीं है। केवल उच्चतम न्यायलय के सुझाव, जिसे सभी उद्देश्यों के लिए निदेश माना जाना चाहिए, को अधिकांशतः या प्रभावतः इस संशोधन विधेयक में स्थान दिया गया है और जब इस सुझाव को इस विधेयक में स्थान दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि नजर में आई कुछ अन्य त्रुटियों को भी दूर किया जाना अपेक्षित है और कुछ स्पष्टीकरण करने वाले संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

न केवल इस संशोधन विधेयक बल्कि मूल अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर काफी चर्चा की गई है। बोलने वाले माननीय सदस्यों तथा सभा द्वारा इसके कार्यकरण की पुनरीक्षा की गई है और मेरे बोलने लायक कोई बात शेष नहीं रह गई है।

जैसा कि मुझे ज्ञात है, यह विधेयक 1975 में लाया गया था। 1975 में स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी कि न्यायालयों पर सेवा संबंधी मामलों का भार डालने की बजाय सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कठिनाइयों का तत्काल निपटान, शीघ्र सुनवाई अथवा शिकायतें दूर करने के लिए ऐसे अधिकरणों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यह उसी का परिणाम था कि संविधान में 42वां संशोधन करके सरकार को अनुच्छेद 323 में संशोधन द्वारा ऐसे अधिकरणों की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 323ख के अन्तर्गत इन अधिकरणों का गठन किया गया है।

जैसा कि आप जानते हैं अधिकरण स्थापित किया जा चुका है। इसने 1 नवम्बर, 1985 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है और इसके कार्य करने के दौरान भी कुछ कर्मचारी विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में भी गए थे और स्वयं उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया था कि एक दो सदस्यीय अधिकरण होना चाहिए और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रत्येक खण्डपीठ में एक की बजाय दो सदस्य होने चाहिये और उन दोनों में से एक न्यायिक सदस्य होगा। वास्तव में यह एक अच्छा सुझाव है और मैं यह समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय के रवैये के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए तदनुसार इस अधिनियम में संशोधन करके निश्चय ही इन अधिकरणों की छवि और विश्वसनीयता बढ़ेगी। हमारे देश के समाज के विभिन्न वर्गों को न्यायिक अधिकारियों पर निश्चय ही विश्वास है। यद्यपि, प्रशासनिक अधिकारी अपने रवैये में निष्पक्ष हो, यह साधारण बात है लोगों का उसमें उतना विश्वास नहीं होता है जितना कि न्यायिक अधिकरण में केवल प्रशासनिक अधिकारी न होकर न्यायिक अधिकारी भी होगा, तो स्वाभाविक है कि अधिकरणों की विश्वसनीयता या छवि बढ़ेगी ही। इससे अधिकरणों में जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में विश्वास की भावना बढ़ेगी। हमारे पास राज्यों में भी औद्योगिक अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण और श्रमिक अधिकरण जैसे विभिन्न प्रकार के अधिकरण हैं।

केन्द्रीय स्तर पर इस व्यवस्था को लागू किए जाने से पूर्व, पहले कुछ राज्यों में वहां काम कर रहे ऐसे प्रशासनिक अधिकरण थे। ऐसे अधिकरण स्वरूप में अर्ध-न्यायिक हैं और जब हम उच्च न्यायालयों की शक्तियां वापस ले लेते हैं और ऐसी शक्तियां ऐसे अर्ध-न्यायिक निकायों को सौंप देते हैं, तो हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास आने वाले दुखी कर्मचारियों अथवा सरकारी अधिकारियों को पूरा-पूरा न्याय प्राप्त हो। कभी-कभी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो जाता है और इसे समय बर्बाद किए बिना तत्काल रोका जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, केवल दुःखी कर्मचारी ही हताश होंगे क्योंकि इन अधिकरणों द्वारा स्थगनादेश या निषेधादेश दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

**श्री पी० चिदम्बरम** : अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था है।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : महोदय, तब यह बिलकुल ठीक है। आगे इसकी एक अतिरिक्त विशेषता यह होगी कि कुछ श्रमिकों या कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिकरणों और श्रम न्यायालयों में जाने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। मेरे विचार से यहां एक भ्रम पैदा हो जाएगा क्योंकि एक संगठन के कुछ कर्मचारी अधिकरणों में अपने मामले ले जाना पसन्द करेंगे और उसी संगठन के कुछ कर्मचारी श्रम न्यायालयों में जाना पसन्द करेंगे और यदि इन दोनों निकायों द्वारा परस्पर निर्णय दे दिए जाते हैं तो तब क्या होगा ? आज इस सभा में यह विधेयक हमारे विचाराधीन है, इसके तत्काल बाद हम ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) संशोधन विधेयक पर विचार आरम्भ कर देंगे।

हम देखते हैं कि एक अध्यादेश का स्थान लेने के लिए इस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है और कारणों के वक्तव्य में दिए मंत्री के स्पष्टीकरण के अनुसार इस अध्यादेश का उद्देश्य श्रम क्षेत्र में समान दृष्टिकोण अपनाना, पूरे देश में समान दृष्टिकोण अपनाना, पूरे देश में समान औद्योगिक संबंध स्थापित करना है, वे ठेका श्रम समाप्त करने के मामले में राज्यों को पहले दिये गये कुछ अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यह अच्छी बात है, परन्तु होगा क्या। एक अधिनियम के संबंध में हम यह पाते हैं कि भारत सरकार एक अध्यादेश लायी है और अब उस अध्यादेश के स्थान पर एक संशोधन विधेयक लाती है। समान श्रमिक कानून या श्रमिक संबंध बनाने के लिए ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने हेतु राज्य सरकारों को दिये गए अधिकारों को वापस लिया जा रहा है और अब वे केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रित होंगे। यह अच्छी बात है; एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए। परन्तु फिर भी हम देखते है कि सरकारी कर्मचारियों की वही श्रेणी – उन्हें औद्योगिक कर्मचारी कहा जा सकता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं—वे श्रमिक न्यायालय में जा सकते हैं और फिर उनके पास अधिकरण में जाने का विकल्प भी है। इन दोनों संगठनों, श्रमिक न्यायालय और अधिकरण, द्वारा दिए गए भिन्न या परस्पर विरोधी निर्णयों अथवा व्यक्त किये

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

गये विचारों के मामले में क्या होगा। इसका पता लगाया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्त किये जा रहे इस संदेह का निवारण करें।

जैसा कि मैंने कहा था, हमारे पास अनेक अधिकरण हैं। अच्छा है, हम अधिकरण बना रहे हैं। न्यायालयों के पास अत्यधिक काम है। महोदय, आपको मालूम है—आपको बार का अनुभव है आप बार के सामाननीय सदस्य हैं—न्यायालय से न्याय मिलने में लम्बा समय लग जाता है और एक अधिकरण होना सदैव सुविधाजनक होता है। हम अधिकरणों की स्थापना का स्वागत करते हैं। इस नए विधेयक में उन अधिकरणों के नवम्बर से उनके कार्यकरण में देखी गई त्रुटियों को दूर करने वाली कतिपय अच्छी विशेषताएं हैं। उन्होंने अच्छा प्रशंसनीय कार्य किया है; उन्होंने फरवरी के एक महीने में अधिकतम 266 मामले निपटाए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। अपील आदि के बारे में फिर यह कि यह संघ राज्य क्षेत्र पर कैसे लागू होगा जैसे संदेह अब बिलकुल स्पष्ट हो गए हैं। परन्तु अधिकरण के कार्य निष्पादन या कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का कोई उपबन्ध नहीं है। ऐसी अनेक खण्डपीठ होंगे; क्या वे उपयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, क्या उनमें सुधार की कोई संभावना है, क्या उनकी कोई शिकायत है इन सब बातों को देखने के लिए पुनरीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन में अधिकरण प्रणाली संतोषजनक सब से कार्य कर रही है। उनके यहां अधिकरण लें और उनके काम की पुनरीक्षा करने के लिये तथा उन्हें उचित मार्ग दर्शन न देने के लिए परिषद है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई परिषद् बनाने का कोई प्रस्ताव है। मैं अनुभव करता हूं कि अधिकरणों के कार्यकरण की ध्यानपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए और जब भी यह अनुभव किया जाए कि ऐसी पुनरीक्षा की जानी आवश्यक है, तो इस कार्य के लिये एक परिषद् का गठन किया जाना चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं है कि इन अधिकरणों के दिन-प्रति-दिन के कार्यकरण में उनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

किन्तु सम्पूर्ण सुधार इत्यादि के लिए, तथा उनका मार्ग दर्शन करने के लिये, यदि आवश्यक हो, समय-समय पर केन्द्रीय स्तर पर एक परिषद् का गठन किया जाना चाहिए।

हमने इसे पांच न्यायपीठों से प्रारम्भ किया। इसकी संख्या बढाकर आठ की जा रही है जिसकी तीन न्यायपीठें गुवाहाटी, चंडीगढ़ और बंगलौर में स्थापित की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि भारत एक बहुत विशाल देश होने के कारण और साथ ही, चूंकि हम उच्च न्यायालयों की शक्तियां छीन ले रहे हैं इसलिए हमें यथा सम्भव अधिक-से-अधिक स्थानों पर न्यायपीठें स्थापित करनी चाहिए। वास्तव में प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्यालय जिस स्थान पर स्थित हैं वहां ऐसी न्यायपीठ के लिये स्थान का पता लगाने का प्रस्ताव है, इसमें तीव्रता लाई जानी चाहिए। कटक सहित पांच स्थानों पर शीघ्र स्थापित की जाने वाली पांच न्यायपीठों

का विस्तार या प्रसार करने का प्रस्ताव है। महोदय, जैसाकि आपको पता है, न्याय में विलम्ब का अर्थ न्याय का न मिलना है। इसलिये हमें यह देखना है कि न्याय यथासम्भव शीघ्र तथा इन कर्मचारियों के गृह-शहर में किया जाए, उसे प्रदान किया जाए। वे सभी सरकारी कर्मचारी हैं और हमें वित्तीय स्थितियों का पता है। यदि उनके साथ कोई अन्याय किया जाता है और वे महसूस करते हैं कि उनकी कुछ शिकायतें हैं, तो वे ऐसे अधिकरणों के समक्ष जाना चाहते हैं। हमें यह देखना है कि उन्हें इस सम्बन्ध में बहुत अधिक व्यय करने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए विभिन्न राज्यों में ऐसी न्यायपीठें स्थापित की जानी चाहिए।

इन सुझावों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आपत्ति करने लायक कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, विपक्ष के मित्रों की विरोध करने की तो परम्परा ही रही है। जब भी कोई अध्यादेश जारी किया जाता है, वे अपने विरोध का औचित्य जतलाने के लिए कोई-न-कोई त्रुटियां ढूंढने लग जाते हैं। यह अध्यादेश के रूप में क्यों आया ? भारत के राष्ट्रपति ने 21 जनवरी को इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया। उस समय तक संसद के इस सत्र को बुलाने के लिए सम्मन इत्यादि जारी नहीं किये गए थे। इसलिए इसमें आपत्ति का कोई कारण नहीं है।

पुन: यह एक तकनीकी विषय था और मामले पहले से ही उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े थे।

इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उच्च न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होने के कारण यह एक पेचीदा मामला बन गया तथा और पेचीदगियों से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक से एक सुन्दर सुझाव दिया कि अधिकरण की सभी न्याय पीठों में एक न्यायिक सदस्य नियुक्त किया जाए और सरकार उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायिक निकाय द्वारा दिये गए सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त तत्पर हो गयी। उसमें गलत बात क्या है। इसमें आपत्ति योग्य कोई बात नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने भी अपने हाल के एक-दो निर्णयों में यह स्वीकार किया था कि ऐसे अधिकरणों से संबंधित सेवा विधियों के साथ लोगों का परिचित होना आवश्यक है। उन्होंने स्वयं ही अभी कहा है कि कभी-कभी न्यायाधीश भी, सभी न्यायाधीश नहीं, सेवा विधियों से परिचित नहीं होते हैं। सेवा विधियां समय के अन्तराल में काफी पेचीदी हो गई हैं तथा इसकी जांच की आवश्यकता है।

सेवा विधियों के संबंध में कुछ विशेषज्ञता विकसित किये जाने की आवश्यकता है। यह एक अच्छी बात है कि हमारे पास इस प्रकार के अधिकरण हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा बताई

[श्री वल्लभ पाणिग्रही]

गयी खामी अथवा दिये गये सुझाव को, जो इसके कार्य-निष्पादन के दौरान सामने आई, इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया है।

इसके साथ, मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं तथा माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे मेरे द्वारा उठाए गये कुछ मुद्दों पर भली प्रकार विचार करें और विभिन्न न्याय पीठों को जिसमें कटक भी शामिल है, स्थापित करने में तीव्रता लायें क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से वे स्थान अति दूरस्थ माने जाते हैं और यदि लोगों को इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा, तो स्वभावतः उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और अकारण वित्तीय व्यय भी करना पड़ेगा।

**श्री भोलानाथ सेन** (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, किन्तु मेरे मन में थोड़ी दुविधा है, दुविधा किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाईयों एव दिये गये सुझावों के कारण है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के अधीन दी गयी याचिका के अन्तरण की अनुमति नहीं दी है किन्तु अनुच्छेर 226 के अधीन उच्च न्यायालय को दी गई याचिका के अन्तरण पर रोक नहीं लगाई है। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के पास कम शक्तियां है जबकि वे शक्तियों का प्रयोग अधिक करते हैं। अनुच्छेद 32 में कहा गया है :

> "उच्चतम न्यायालय को, अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये ऐसे निदेश या आदेश या रिट, जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित हो, जारी करने की शक्ति होगी।"

अब मैं अनुच्छेद 226 को पढ़ता हूं :

> "अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन राज्यों क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिये उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश, आदेश या रिट जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश' प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं या उनमें से कोई जारी करने की शक्ति होगी।"

इसलिये, जैसा कि मेरे पूर्ववक्ताओं द्वारा ध्यान दिलाया गया है, उच्चतम न्यायालय

को शक्ति नहीं प्रदान की गयी है, किन्तु वे अभी भी इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे अवसर आए हैं जबकि पहले की न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णयों में उससे बड़ी न्यायपीठ द्वारा यह कहकर परिवर्तन किये गये कि पहले की न्यायपीठ अधिकारिता से बाहर चली गयी थी।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : यह कैसे हुआ कि इस मुद्दे को किसी व्यक्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय में नहीं उठाया गया।

**श्री भोलानाथ सेन** : उच्चतम न्यायालय ने स्वयं इस तथ्य को अनेक अवसरों पर स्वीकार किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि कहां उन्होंने पिछले निर्णय के विपरीत निर्णय दिया है, विशिष्ट बातें कही हैं तथा असहमति व्यक्त की है। मैं ऐसे अनेक निर्णय आपको दिखा सकता हूं। यह मुद्दा 1975 में भी सामने आया था जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मामले के इस पहलू पर विचार कर रही थी।

अनुच्छेद 14 'विधि के समक्ष समानता' है। श्रीमती मेनका गांधी के मामले में न्यायमूर्ति अय्यर ने कहा कि अनुच्छेद 14 की पूरे भारत में व्यापिता है। अब इसे चुनौती दी जा रही है। आंध्र प्रदेश का मामला लें जहां सेवा निवृत्ति की आयु को मनमाने ढंग से कम कर दिया गया है। अब, यह मौलिक अधिकार है या नहीं है। यदि उस आदेश को रद्द करने का मौलिक अधिकार है जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया गया है, तो आप कहां जायेंगे। क्या आप इस प्रयोजनार्थ अधिकरण अथवा उच्च न्यायालय के पास जायेंगे? किन्तु अधिकरण उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की तरह आदेश को रद्द नहीं कर सकता अथवा मौलिक अधिकारों को परावर्तित नहीं करा सकता। अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि इसे निदेश, आदेश या रिटें जारी करने की वैसी ही शक्तियां प्राप्त हैं। मान लीजिये कि रेल कर्मचारियों के लिये कोई नियम बनाया जाता है जिसे असंवैधानिक मानते हुए रद्द किये जाने की आवश्यकता है, ऐसा सीमा शुल्क नियमों या रेल नियमों के संबंध में अनेकों बार हुआ है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये गये, तो रद्द करने की शक्ति किसके पास है। अधिकरण को रिटें इत्यादि जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर आदमी कहां जायेगा? संवैधानिक अधिकार किसे प्रात है? उस विधि की वैधता के बारे में वह कहां शिकायत कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध पारित किया गया है।

4.00 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

दूसरी स्थिति यह है जब उस कानून के द्वारा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। यह पेचीदा मामला है। वह कहां जाएगा? क्या वह अधिकरण के पास जाएगा? अधिकरण को परमादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। इस संबंध में सांविधिक उपबंध क्या है?

[श्री भोलानाथ सेन]

आज भारत में अधिकांश मामले कर्मचारियों द्वारा अपने मौलिक अधिकारों तथा विधि के समक्ष समता के अनुरक्षण के उद्देश्य से दायर किए जाते हैं। यही मुख्य बात है। यदि कतिपय नियमों का अनुपालन नहीं किया है तो आप कहीं भी राहत प्राप्त कर सकते हैं परन्तु आज भी कई प्रशासकों के हाथों विधि के समक्ष समता के सिद्धांत को खतरा है। वे किसी एक को चाहते हैं तो दूसरे को नापसन्द करते हैं और बिना किसी सुनवाई के कार्यवाही करते हैं। स्वयं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले कार्य शून्य हैं। उसे शून्य घोषित करना ही होगा; उस आदेश को उस आधार पर अधिकरण द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता।

**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** (औरंगाबाद) : परन्तु इस शून्यता से कौन प्रभावित होगा ?

**श्री भोलानाथ सेन :** कर्मचारी को को राहत नहीं मिलेगी।

**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या आप यह कहना चाहते हैं कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश शून्य माना जाएगा ?

**श्री भोलानाथ सेन :** हो सकता है...... **(व्यवधान)** इस आदेश को शून्य घोषित करना पड़ेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नैसर्गिक न्याय का अनुपालन न करने का अर्थ शून्यता है।

अब अनुच्छेद 21 के संबंध में एक नई अवधारणा बनती जा रही है जहां यह कहा जा रहा है कि मनुष्य को जीवन तथा जीवनयापन का मौलिक अधिकार है। बम्बई गंदी बस्तियों के एक मामले में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में न केवल जीवन अपितु जीवनयापन का संरक्षण भी सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है परन्तु मैं अधिकरण के पास जाकर यह नहीं कह सकता कि "इस आदेश को रद्द घोषित करो क्योंकि इससे मेरी रोजी रोटी छिनती है।"

मैं छोटो पहलुओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता, माननीय मंत्री स्वयं सक्षम हैं और इस मामले की जांच करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत आदर करता हूं।

कृपया अनुच्छेद 227 देखें। अनुच्छेद 226 का संशोधन नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय के पास शक्ति है पर किसी नागरिक को उस शक्ति से वंचित किया गया है क्योंकि वह उसके सेवा-आचार मामलों से संबंधित है। कलकत्ता में एक अधिकरण है। अनुच्छेद 227

में कहा गया है :

"प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके सम्बन्ध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा।"

अब क्या वे केन्द्रीय अधिकरण में अपील करेंगे या विधि-संबंधी किसी गलती पर क्या वे उच्च न्यायालय में जाएंगे ? इस कानून में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसमें नहीं होगा।

अब किसी औद्योगिक पंचाट के समय क्या होता है ? विधि संबंधी त्रुटि होने के कारण उच्च न्यायलय उस पंचाट को रद्द घोषित कर देता है, यद्यपि सामान्यत: तथ्यों के आधार पर नहीं। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसी ही बात करी है। अनुच्छेद 227 (2) के अधीन अधीक्षण क्या है ? इसमें कहा गया है :

"पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायलय—

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा;

(ख) ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवादियों के विनियमन के लिए साधारण नियम बना सकेगा और जारी कर सकेगा तथा प्ररूप विहित कर सकेगा; और

(ग) किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररुप विहित कर सकेगा।"

इसके पश्चात् अनुच्छेद 227 (3) :

"उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शेरिफ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि व्यवसाय करने वाले अटर्नियों, अधिवक्ताओं और वकीलों को मिल सकेगी..."

इसके पश्चात् 227 (4) :

"इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायलय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली नहीं समझी जाएगी।"

[श्री भोलानाथ सेन]

अत: उच्च न्यायालय नियम बना सकता है केवल उच्च न्यायालय ही इसे नियंत्रित कर सकता है और इस पर अधीक्षण कर सकता है और अनुच्छेद 227 में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि अधिकरण ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है या किसी कानूनी मुद्दे पर अपना निर्णय नहीं दिया है तो वह अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालय में जा सकता है।

अब पुन: मैं समझता हूं इसके बारे में थोड़ा-सा सोचने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है कि श्रमिकों को औद्योगिक न्यायालय (जिसका उत्सादन नहीं किया गया है) और प्रशासनिक अधिकरण में जाने का अधिकार है। ऐसे सरकारी उपक्रम हैं जहां के कर्मचारी औद्योगिक न्ययालयों में जा सकते हैं और इसके अतिरिक्त यदि वे किसी न्यायाधीश के समक्ष जाना पसन्द न करते हों, तो वे प्रशासनिक अधिकरण में जा सकते हैं। परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो उद्योग जैसे किसी संगठन से संबंध नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति, जो सरकार का एक कर्मचारी ही है, वह औद्योगिक न्यायालय में नहीं जा सकता है और वह उच्च न्यायलय में नहीं जा सकता है। वह केवल अधिकरण में ही जा सकता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय का योगदान इतना ही है कि दो सदस्यों की एक खण्डपीठ होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को अभी स्वीकृत नहीं किया है। यदि खण्डपीठ का गठन भिन्न है तो बनाए गए कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यहां मुझे लगता है कि अनुच्छेद 14 का व्यापक रूप से उल्लंघन होता है। यह कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी अथवा सरकारी उपक्रम का कर्मचारी अपने सेवा नियमों आदि संबंधी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। परन्तु सरकारी औद्योगिक उपक्रम में काम करने वाला कर्मचारी अपने मौलिक अधिकारों अथवा संवैधानिक विधि के उल्लंघन के लिए न केवल उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है बल्कि अधिकरण और औद्योगिक न्यायालय में भी जा सकता है। ये न्यायालय उसके लिए खुले हैं। यदि अब उच्च न्यायालय का प्रावधान समाप्त कर दिया जाता है, तो भी उसके लिए तीन न्यायालय बच जाते हैं। यहां आप कहते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा नियम बनाये जाने के बजाय केन्द्रीय सरकार नियम बनाएगी। जब तक संविधान में उपबन्ध हैं, तब तक उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति कैसे छीनी जा सकती है? मैं जानता हूं कि इसका उद्देश्य प्रशंसनीय है और इसमें कोई संदेह भी नहीं हैं।

परन्तु वास्तविक बात यह है। उच्च न्यायालयों में काम बहुत है। उनके पास त्वरित उपचार नहीं है और लागत भी अधिक आती है। जरा देखिए कलकत्ता में क्या हो रहा है। मैंने एक-दो दिन पहले इस पर ध्यान दिया था। वहां पर लगभग 3000 मामले उच्च न्यायालय

द्वारा अन्तरित कर दिए दिए गए हैं। वहां पर केवल चार न्यायाधीश हैं। और मुझे बताया गया कि एक महीने में 1000 और मामले आने वाले हैं। चार न्यायाधीशों द्वारा कितने मामले शीघ्रतापूर्वक निपटाए जा सकते हैं ? इसकी अधिक संभावना नहीं है। अब, यदि लागत का प्रश्न इसमें अन्तर्ग्रस्त है, तो लागत को कम कैसे किया जाएगा ? इसकी भी संभावना नहीं है। उच्च न्यायालयों या अन्य न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की बजाय ऐसा किया गया। और सरकार की ओर से भी खर्चे कम नहीं किए जाएंगे।

परन्तु मूल मुद्दा शेष रह जाता है। क्या हम उन व्यक्तियों में भेदभाव करने जा रहे ? जो सभी कर्मचारी हैं उनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी हैं; कुछ सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी हैं। जिन्हें कम वेतन मिलता है वे औद्योगिक न्यायालय और अधिकरणों में जा सकते हैं। जो 'कर्मकार' की परिभाषा में नहीं आते हैं वे उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। वे इसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय या अधिकरण में जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। परन्तु आप उच्च न्यायालय में जाना चाहें तो, आप नहीं जा सकते। उच्च न्यायालयों से यह शक्ति हटा ली गई है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है और शीघ्र न्याय देने की प्रक्रिया ढूंढी जानी चाहिए। संभवत:, माननीय मंत्री न्यायाधीशों अथवा खण्डपीठों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि विलम्ब न हो पाए। मैं एक अनुरोध करूंगा।

आपसे एक अनुरोध है। यदि कोई कर्मकार या कोई कर्मचारी अधिकरण में मामले में जीत जाता है, तो राज्य अथवा नियोक्ता को उच्चतम न्यायालय या केन्द्रीय अधिकरण आदि में अपील नहीं करनी चाहिए। ऐसा इंगलैंड में, आपराधिक मामलों में संभव है, जहां सरकार कोई अपील नहीं करती है। अत: इस मामले विशेष में, हमारी कल्याणकारी सरकार होने के नाते, अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए। सरकार में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में, बड़े घरानों में, संगठित उद्योग आदि में से यदि कोई कर्मचारी अधिकरण में मामले में जीत जाता है, तो उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की जानी चाहिए। उन्हें उच्चतम न्यायालय तक मत घसीटो। ऐसा न होने दें। औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या है ? किसी व्यक्ति को 30 वर्ष तक न्याय नहीं मिल पाता है और उसका नियोक्ता उच्च न्यायालय में मामला ले जाता और यदि वह अधिकरण में जीत जाता है, तो वे कहते हैं कि इस प्रक्रिया या उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अन्ततोगत्वा, उच्चतम न्यायालय कहता है, ऐसे मुद्दे पर, किसी रीति को छोड़कर, विचार नहीं किया जाएगा। अब, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात का स्मरण कराता हूं कि कोई अपील नहीं की जानी चाहिए, यद्यपि मैं उनके लाभ के लिए बोल रहा हूं अन्यथा उन्हें ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा जो आपके मन में है। कृपया प्रयास कीजिए और उस मामले के बारे में विचार कीजिए। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम संभावित त्वरित

[श्री भोलानाथ सेन]

उपचार और त्वरित न्याय के प्रशंसनीय उद्देश्य के कारण मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***कुमारी ममता बनर्जी** (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं इस प्राशसनिक अधिकरण विधेयक का समर्थन करती हूं। मैं इसका समर्थन मेरे से पूर्व के वक्ता, इस सभा के माननीय सदस्य श्री भोलानाथ सेन द्वारा दिए गए कारणों से करती हूं। मैं उनकी कुछ बातों से पूर्णत: सहमत हूं। मेरा विचार है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के श्रमिक, कर्मकार और अन्य कर्मचारियों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा और उन्हें इस विधेयक के माध्यम से अपने विधि पूर्ण अधिकार मिल जाएंगे। मुझे बोलने से पूर्व कुछ विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम, सत्ताधारी पक्ष के लोग, कुछ कहने का प्रयास करते हैं, तो विपक्षी सदस्य हमें चुप कराने का प्रयास करते हैं। वस्तुत:, विपक्ष के सभी नेता नहीं, परन्तु ऐसे कुछ विपक्षी नेता हैं जो वास्तव में हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें उनसे पितातुल्य व्यवहार मिलता है। हम उनका बहुत आदर करते हैं।

परन्तु कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जो भारत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो हमारे देश में किसी अच्छाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उसे मान्यता नहीं दे सकते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, भारत की संस्कृति, सामाजिक जीवन आदि का भला न करना है, महात्मा गांधी, सुभाष बोस, क्रांतिकारी कवि काजी नजरूल इस्लाम रवीन्द्र नाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस देव आदि जिनसे आदर्श नहीं हैं। वे लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि उनके पथ प्रदर्शक केवल कार्ल मार्क्स और लेनिन हैं। वे जो भारत माता को अपनी माता नहीं मान सकते हैं, वे तो इस देश में हर अच्छी बात का बस विरोध करने का प्रयास करते हैं। महोदय, हमें पता है कि विपक्ष का काम विरोध करना है। परन्तु उन्हें रचनात्मक तरीके से विरोध करना चाहिए। उन्हें हर अच्छी बात का केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। उनके विरोध में रचनात्मक सुझाव होने चाहिएं। उन्हें लाभकारी परिणाम उत्पन्न करने चाहिएं।

उसका परिणाम देश को पीछे ले जाना नहीं होना चाहिए। उन्हें हमारे गतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों की सदैव आलोचना नहीं करनी चाहिए, उन्हें सदैव हमारे मंत्रियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्हें हमारी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और यदि उनके पास रचनात्मक सुझाव हों, तो वे देने चाहिए। मैं उनसे देश को आगे ले जाने के कार्य में हाथ बंटाने का अनुरोध करती हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह विधेयक श्रम जीवी वर्गों की भलाई के लिए बहुत प्रभावी सिद्ध

*बंगला में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

होगा। सरकारी कर्मचारियों को उच्च न्यायालयों के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार, दोनों के कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। केन्द्र और राज्यों में अधिकरण की खण्डपीठ प्राथमिकता निर्धारित करने के बाद कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने में सफल होंगे। जैसा कि श्री भोलानाथ सेन थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उच्च न्यायालयों में 10 या 15 वर्षों से मामले लम्बित पड़े हुए हैं। औद्योगिक अधिकरणों में भी हमने देखा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत मामलों को वर्षों तक लम्बित रखा जाता है। उनके पास शिकायत लेकर जाने वाले कर्मकार को न्याय के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परन्तु इस प्रशासनिक अधिकरण के परिणामस्वरूप इस विलम्ब में काफी कमी होगीम होदय, मैं अपने देश की न्यायपालिका की कोई निन्दा नहीं करना चाहती हूं। मैं हमारे न्यायाधीशों और न्यायिक प्रणाली की बहुत आदर और सम्मान करती हूं। परन्तु एक कहावत है कि न्याय पैसे से ही मिल सकता पैसा है तो अच्छा वकील मिल जाता है पैसा है तो अच्छा न्याय मिल जाता है' जिसके पास साधन है उसे न्याय मिल जाता है, परन्तु जिसके पास कुछ नहीं है, उसे न्याय नहीं मिलता है। किसी को न्याय मिलेगा और किसी को नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। समानता और समान न्याय ही मुख्य बात है। मेरा विश्वास है कि इस विधेयक के माध्यम से कर्मकारों को वह न्याय मिल जाएगा। माननीय मंत्री स्वयं एक अनुभवी वकील और एक गतिशील युवा नेता हैं। मैं उन्हें कुछ बातें बताना चाहती हूं। केन्द्र में प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष, जो अखिल भारतीय स्तर पर होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। परन्तु मैं समझती हूं कि इस बात पर हमारे बीच कुछ मतभेद है कि प्रशासनिक स्तर पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। राज्य स्तर पर स्थापित किए जाने वाले अधिकरण का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। केवल तब ही लोगों को न्याय मिलेगा। प्रशासनिक स्तर पर नियुक्ति करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे किस प्रकार का अनुभव प्राप्त है। फिर भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी अच्छी प्रतिष्ठा बनी हुई है। क्या उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत मामले निपटाने का पिछला कोई अनुभव हैं। महोदय बंगला में एक कहावत है :

"आपन वेदना सेई जन बोझे,
जे जन मुक्तभोगी; रोग
अंत्रणा कोभू ना बोझे हयनी
जे कांभू रोगी।"

वह व्यक्ति जिसे श्रमिकों के मामलों का अनुभव है और जिसके दिल में श्रमिकों के प्रति सहानुभूति है, केवल वही उपयुक्त रीति से उनके मामलों को निपटा सकता है। उसे श्रमिकों

[कुमारी ममता बनर्जी]

के कष्टों, दु:ख और परेशानी की भाषा आनी चाहिए। एक और कहावत है :

"दण्डितेर साथे दण्डदाता
कण्डे जबे सेमन आघाते
सर्व श्रेष्ठ से बिचार।"

अत: श्रमिकों को उचित न्याय देने के लिए, प्रशासनिक स्तर पर अधिकरण में नियुक्त किया जाने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त अनुभव और श्रमिकों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया होना चाहिए। इसके साथ ही उसकी पूर्व प्रतिष्ठा अच्छी होनी चाहिए। मुझे इस संबंध में थोड़ी-सी आशंका है क्योंकि 'दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है।' मुझे पता है सरकार कतिपय स्तर पर नियंत्री कम्पनियां स्थापित करने की कोशिश कर रही है। परन्तु ऐसी कम्पनियों की अध्यक्षता के लिए कुछ ऐसे नाम आए हैं जो अपने पिछले कारनामों के कारण जाने जाते हैं, जिनके कुप्रबन्ध के कारण एक के बाद एक कम्पनी रूग्ण होती गई, जिनके कुप्रबन्ध के कारण पीछे हजारों श्रमिक आज फुटपाथ पर पड़े है। मुझे भय है कि उन लोगों को इन अधिकरणों में नियुक्त किया जाएगा और वास्तव में उनके कारनामों के लिए दण्डित किए जाने की बजाय पुरस्कृत किया जाएगा। आपको इस प्रकार की बातों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। आपको इसके विरुद्ध कड़ी निगरानी रखनी होगी।

महोदय, अब मैं अनुच्छेद 311(2)(ग) के विषय में कुछ कहना चाहती हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आप प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने जा रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, इसके साथ ही अनुच्छेद 311(2)(ग) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी राष्ट्र-विरोधी अथवा देश-द्रोहात्मक गतिविधियों में लिप्त होता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारियों को उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा। उसे कोई कारण बताए बिना सरकारी सेवा से निकाला जा सकता है। मैं इस बिचार का समर्थन करती हूं।

यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कार्य करता है या देश के अहित में जासूसी करता है तो उसे पदच्युत किया जाना चाहिए। मेरे विचार में सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे। लेकिन मुझे डर है कि इस शक्ति का कहीं दुरुपयोग न किया जाए। यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी को किसी कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप में चिढ़ हो या वह उससे खुश न हो तो वह इस अनुच्छेद के उपबन्धों का दुरुपयोग करके उस कर्मचारी को पदच्युत कर सकता है और उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। आप यह सुनिश्चित करें कि जिस कर्मचारी को अनुच्छेद 311(2)(ग) के अन्तर्गत दण्ड दिया जाना हो, उसे बाकायदा आरोप-पत्र दिया जाए और उसे कारण बताने तथा

अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाए। कम से कम उसे यह ज्ञात हो कि उसे किन कारणों से सेवा से पदच्युत किया जा रहा है। किसी भी अधिकारी को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा किसी कर्मचारी का भविष्य बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चूंकि इस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायलया क निर्णय घोषित किया गया था इसलिये राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारी अत्यन्त अनिश्चितता में अपने दिन काट रहे हैं। उनके जीवन में निराशा छा गई है। उन्हें डर है कि किसी भी समय प्रशासन या प्रबन्धक उनके प्रति प्रतिकूल रवैया अपनाकर उन्हें सेवा से हटा सकते हैं। सरकार को चाहिए कि इस भय को अवश्य दूर करे। इसके अलावा इस कानून का उचित कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जाए। संसद ने कितने ही कानून बनाए हैं लेकिन उनका कार्यान्वियन ठीक से नहीं हुआ है। कानूनों में कई कमियां हैं। संसद द्वारा पारित दहेज विरोधी अधिनियम पारित किया गया जिसमें स्पष्टत: यह कहा गया है कि कोई भी दहेज नहीं ले सकता और न दे सकता है। दहेज लेने और देने वाले, दोनों ही दण्ड के भागी होंगे। मुस्लिम विधि में उपबन्ध है कि चोर के हाथ काट दिए जाएं। लेकिन क्या ये कानून वास्तव में लागू किए जाते हैं? ऐसे कई कानून हैं जो लागू नहीं किए जाते। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहती। इस प्रशासनिक विधेयक के पारित होने पर इसे यथा शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। तभी कामगारों तथा कर्मचारियों को शीघ्र न्याय मिलेगा।

ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि कर्मचारी सरलता से अधिकरणों के पास जा सके। किसी भी स्तर पर उनके मार्ग में रुकावटें नहीं होनी चाहिए, न ही इसके लिए उनसे भारी फीस लेनी चाहिए वरना इसका प्रयोजन ही विफल हो जाएगा और कामगारों को न्याय नहीं मिल पाएगा।

अब श्रीमन् मैं राज्यों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। आप राज्यों में अधिकरण की न्यायपीठ स्थापित करने जा रहे हैं। इस बारे में राज्य सरकारों से भी राय लेनी चाहिए क्यों कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। किन्तु श्रीमन् क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में क्या हो रहा है? विशेषरूप से त्रिपुरा में राज्य सरकार के जो कर्मचारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के काडर के नहीं हैं या जो उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते, उन्हें तंग किया जा रहा है। जो फेडरेशन के या 'इन्टक' के या 'एम्पलाइज एक्शन कमेटी' के सदस्य हैं उन्हें थोड़े-थोड़े समय में किसी-न-किसी बहाने स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि वे कोई और पार्टी न बना सकें और कामगारों के अधिकारों के लिए या उनके राजनीतिक अधिकारों के लिए न लड़ सकें। उन्हें एक स्थान से दूसरे पर स्थानांतरित करके उनका पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त किया जा रहा है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि जो लोग सी०पी०आई०(एम०) के समर्थक नहीं हैं या जो उनकी हां में हां

**[कुमारी ममता बनर्जी]**

मिलाने को तैयार नहीं हैं उन्हें 311(2)(ग) के उपबंधों के अंतर्गत नौकरी समाप्त हो जाने का खतरा बना रहता है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय अधिकरण की पूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह उनकी जांच करे और अन्तिम निर्णय दे।

**श्री अजय विश्वास** (त्रिपुरा पश्चिम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** (सलेम) : नहीं वे व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

**सभापति महोदय (श्री वक्कम पुरुषोत्तमन)** : कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। आप इससे क्यों चिंतित हैं ? व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? इससे पहले कि मैं आपकी बात पर आऊं, कौन से नियम का उल्लंघन हुआ है ? **(व्यवधान)**

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : नियम 376।

**सभापयि महोदय** : वह नियम 376 तो व्यवस्था के प्रश्न के बारे में है। आप अपनी बात जारी रखिए।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : कृपया बैठ जाइए।

**श्री अजय विश्वास** : वह अनुच्छेद 311 का संदर्भ दे रही हैं।

**सभापति महोदय** : मैं आपको कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति की अनुमति के बिना कही गई कोई भी बात कार्यवाही-वृत्तांत में दर्ज नहीं की जाएगी।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : उन्होंने जो भी कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज किया जाना चाहिए।

**सभापति महोदय** : मैं किसी प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं दूंगा।

**कुमारी ममता बनर्जी** : श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देती हूं क्योंकि मैं उनकी दुखती रग को ठेस पहुंचाने में सफल हुई हूं। बंगाली में एक कहावत है कि "चोर का दिमाग हमेशा सामान पर ही रहता है'। क्योंकि मैंने सही जगह पर चोट की है इसलिए माननीय सदस्य को बुरा लगा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। श्रीमन्, कामगार अपनी भाषा में ही बोलता है। वह 'वन्दे मातरम' की, मार्क्सवाद की भाषा नहीं हो सकती है। उसकी भाषा उसकी भूख, जीवित रहने तथा उसके अधिकारों की भाषा होती है। वे अपने न्यायोचित अधिकार चाहते हैं।

यहां कम्युनिस्ट या कांग्रेस का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन, श्रीमन्, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा की राज्य सरकारें सम्पूर्ण शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं और कामगारों को परेशान कर रही है। जो उनके काडर के नहीं हैं, जो सी० आई० टी० यू० के या समन्वय समिति के सदस्य नहीं हैं उन्हें रातों-रात सूदूर स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। श्रीमन्, ऐसा सरकारी नियम हैं कि यदि पति तथा पत्नी एक ही स्टेशन पर कार्य करते हैं तो उनमें से किसी एक को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा ही करती है और पति-पत्नी को अलग कर देती है। प्रशासनिक अधिकरण महत्वपूर्ण है। वहां जो भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के खण्ड विकास अधिकारी हैं वे निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर सकते। यदि कोई खण्ड विकास अधिकारी ऐसा करने का प्रयास करता है तो सी० पी० आई० (एम०) उस पर सी० पी० एम० के समर्थथकों के अनुसार कार्य करने के लिए दबाव डालती है। वहां की यह स्थिति बहुत खतरनाक है। आज ही सत्र में एक प्रश्न था कि एन०बी०सी०सी की गतिविधियां क्यों रुकी हुई हैं ? कुछ ही दिन पहले सी० पी०एम० के गुण्डों ने एन०बी०सी०सी० पर हमला करके काम करके ठप्प करवा दिया था। केवल एन०बी०सी०सी० में ही नहीं, मेट्रो रेलवे और सरकुलर रेलवे का सारा काम तथा हल्दिया कम्पलेक्स का सारा काम सी०पी०आई० (एम०) के गुण्डों द्वारा रुकवा दिया गया है। इस प्रकार के गुण्डावाद से एक दिन तो राजनीति चल सकती है लेकिन कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया जा सकता। मेरा नम्र निवेदन यह है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी केन्द्रीय सरकार की है। प्रशासनिक अधिकरण का यह कर्त्तव्य है कि वह श्रमिक कल्याण समितियों के कार्यों पर निगरानी रखे। क्या राज्य श्रमिक कल्याण समितियां श्रमिकों का कल्याण करती हैं या किसी एक व्यक्ति विशेष का ? वे पार्टी का कल्याण कर रहे हैं या श्रमिको का ? कुछ समय पहले पश्चिमी बंगाल में श्रमिक कल्याण समितियों का गठन किया गया था। यहां उपस्थित ऐसे लोग जो श्रमिक संघों में शामिल है, जो श्रमिक के शुभ चिन्तक हैं और उनसे सहानुभूति रखते हैं, उन्हें यह सुनकर धक्का पहुंचेगा कि श्रमिक कल्याण समितियों में किसी भी श्रमिक प्रतिनिधि को नहीं रखा गया है। सी० पी० एम० के चुने हुए कामरेडों को ही श्रमिक कल्याण समितियों में रखा गया है। इस स्थिति में श्रमिकों और कामगारों को कैसे न्याय मिल सकता है। मैं इस प्रशासनिक अधिकरण का समर्थन कर रही हूं। परन्तु इसके साथ-साथ में यह भी कहूंगी कि केन्द्र और राज्यों के बीच लगातार सम्पर्क और सहयोग की आवश्यकता है। न्याय देने में समानता होनी चाहिए। यह भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सरकारी उपक्रमों को भी इसके कार्यक्षेत्र और अधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत लाना चाहिए। सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को भी इन अधिकरणों में शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगी। मैं एक बार फिर तहदिल से प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का समर्थन करती हूं

[कुमारी ममता बनर्जी]

और मैं सुझाव दूंगी की कुछ सेवा निवृत अधिकारियों को इस अधिकरण का सदस्य बनाया जाये। यह एक अच्छा कदम होगा क्योंकि ऐसे मामलों में उचित कार्यवाही करने का उन्हें पर्याप्त अनुभव है। महोदय मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए मैं, आपका धन्यवाद करती हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

**डा० गौरीशंकर राजहंस** (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। वैसे इस बिल में कहने लायक बहुत बातें हैं और जो बातें कहने लायक हैं उनमें बहुत सारी ममता जी ने भी कही हैं।

लेकिन जब आपने मुझे मौका दिया है तो मैं दो-एक बातें कहना चाहूंगा। कभी आप इससे भी हटकर देखें कि जहां आप इन ट्राइब्युनल के मेम्बर जुडिशियरी से बनावें, ज्वाएंट सेक्रेटरी और एडीशनल सेक्रेटरी को बनावें वहां आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी प्रोफेसर को इसका मेम्बर क्यों नहीं बना सकते जो कि एक नया एन्थ्युजियाज्म इस क्षेत्र में लायेंगे।

मैं आपको एक बात बताऊं। दो-तीन दिन पहले, या पिछले बुधवार को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज के इम्तिहानों के लिए 28 वर्ष से 26 वर्ष आयु करने की बात पर यहां एक स्वर से सदस्य कह रहे थे कि यह बहुत बड़ा अन्याय है। सभी सदस्यों का यह विचार था कि गरीब तबके के बच्चों या देहात में रहने वाले लोगों के बच्चों का सर्विसिज में आना कठिन होता है। शायद आपको पता नहीं कि हिन्दी स्टेट्स में तीन-तीन, चार-चार साल तक रिजल्ट ही नहीं निकलता है। सम्भवतः मन्त्री जी इस बात को नहीं जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की ब्योरोक्रेसी ने एक षड्यंत्र किया है, एक कांस्पिरेसी की है कि हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स के बच्चे सेन्ट्रल सर्विसिज में न आ पाएं।

क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि एक आई० ए० एस० का बच्चा आई० ए० एस० क्यों होता है, एक आई० पी० एस० का बच्चा आई० पी० एस० क्यों होता है? (व्यवधान) समाज का धनाढ्य वर्ग अपने बच्चों की पढ़ाई के माध्यम से कराता है। वही वर्ग अपने बच्चों को आई० ए० एस० बना लेता है। लेकिन एक देहात में रहने वाला, गरीब आदमी जिसे दोनों समय रोटी नहीं मिलती है, कपड़ा पहनने को नहीं मिलता है, जो साल में 6 महीने नौकरी की तलाश में दर-दर भटकता है, क्या उसका लड़का कभी आई० ए० एस० या आई० पी० एस० में आने के स्वप्न देख सकता है? मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कहता हूं कि यह मुल्क दो भागों में बंटा है। एक का नाम है "इंडिया" जहां के लोग सोफेस्टीकेटेड हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, 5 स्टार कल्चर में जीते और दूसरे भाग का नाम है

"भारत" जहां के लोग रोजी-रोटी की तलाश में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से राजधानी में आते हैं, जो हिन्दी बोलते हैं, जिन्हें आप भैय्यन कहते हैं और जिसका आप मजाक उड़ाते हैं। क्या समानता के नाम पर, इक्वेलिटी के नाम पर, जो संविधान में आपने इक्वल अपाचुंनिटीज दी है, क्या वह इक्वल अपाचुंनिटी उन गरीब लोगों को मिल सकती है, कभी मिल पाएगी ? एक व्यवस्था है जिसके हम शिकार बनते जा रहे हैं और उस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास होना चाहिए। एक गरीब लड़का जो देहात में रहता है, वह कभी 22-23 वर्ष में बी० ए० पास नहीं कर सकता है, वह 24-25 वर्ष में बी० ए० पास करता है और उसे 3-4 वर्ष का समय मिलना ही चाहिए कि वह कम्पीट करे सेन्ट्रल सर्विसिज में। प्रोटेक्शन की पुरानी थ्यूरी है, एक पहलवान और एक बच्चे को अगर लड़ाना है तो उसे तब तक इन्तजार कराएं जब तक वह बच्चा खा-पीकर पहलवान हो जाए और उस पहलवान से लड़ सके। यह इन्टर-नेशनल ट्रेड की थ्यूरी है, इसको आप इण्डियन कांटेक्स्ट में लीजिए।

सभापति महोदय, बात बहुत गम्भीर है और आप उस लाचार तबके को यह कह कर नहीं बिठा सकते कि उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, या उसकी तकदीर में आई० ए० एस०, आई० पी० एस० होना लिखा हुआ नहीं है। आज के समय में आई० ए० एस०, आई० पी० एस० भगवान का स्वरूप है। मुझे याद है एक राज्य में, हिन्दी भाषा-भाषी राज्य में एक मुख्यमन्त्री किसी स्वतन्त्रता सेनानी को देखने गए, बहुत बूढ़े थे बेचारे उनकी पत्नी ने जाते-जाते उस मुख्यमन्त्री को आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम कलेक्टर बनो, मुख्यमन्त्री को कहा कि बेटा भगवान करे तुम कलेक्टर हो जाओ। इस तरह से ये कलेक्टर या डी० एम० या डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ऐसा हौवा बने हुए हैं, जो सारी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किए हुए हैं। अभी हमारे साथी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के हाथ में, आई० ए० एस० के हाथ में डंडा भी है, पैसा भी है, कलम भी है और वह हजारों हजार की तकदीर एक सेकण्ड में इधर की उधर कर सकता है।

लोग राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कभी आपने सोचा है कि ये ब्यूरोक्रेट्स हर स्टेट में महल और अट्टालिकाएं बनाते हैं, कहां से पैसा लाते हैं, कभी किसी ने इसकी इन्क्वारी करने की कोशिश की है। दिल्ली में भी ऐसे लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उसका वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है, वो डंके की चोट से कहता है कि राजनीतिज्ञ तो चला जाएगा, मैं यहां हमेशा बैठूंगा और उन ब्यूरोक्रेट्स की बिरादरी में जितनी एकता है, जितना अपनापन है, उतना अपनापन राजनीतिज्ञों की बिरादरी में नहीं होता है।

इसलिए मैं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेफार्म्स की ओर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है और ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। यह आपको करना

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप लाख कानून बना लीजिए, आपकी एक भी पालिसी को ब्यूरोक्रेट्स चलने नहीं देंगे। आप बताइए, हम सब लोगों का अपना-अपना एक्सपीरिअंस है, अपना-अपना अनुभव है, हम अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का बर्ताव करते हैं। वे समझते हैं कि पता नहीं यह बूढ़ा हमें तंग करने के लिए कहां से चला आया है। अगर उसे बताया कि इस देश की सरकार जनता से चलती है और जनता के असली प्रतिनिधि हम हैं और हमारे प्रति आप उत्तरदायी हैं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। हम चाहे ट्रेजरी बेंच में हों या अपोजिशन में, हम अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें कि ब्यूरोक्रेसी ने आजादी के 38 वर्ष बाद भी हमें किस तरह से बेवकूफ बनाया है और आज भी हम उनके हाथों में खेल रहे हैं और बेवकूफ बनते जा रहे हैं। डवलपमेंट का जो पैसा खर्च हो रहा है, वह कहां जा रहा है। समय आ गया है कि आप समूची ब्यूरोक्रेसी के बारे में नए सिरे से सोचें। चाइना में बेअर-फूट सिविल सर्वेन्ट्स हैं। वे पैदल जाते हैं और उन्हें किसी जीप या गाड़ी की आवश्यकता नहीं होती। एक कलेक्टर के डिस्पोजल पर यहां छः-छः गाड़ियां होती हैं। उनके बच्चे कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ते हैं और जब भी कोई उनके यहां से स्टेशन पर आता या जाता है तो गाड़ी उनको लेने के लिए जाती है। एक एस० पी० या कलेक्टर के पास बीस-बीस नौकर रहते हैं। क्या किसी और आदमी के पास साऐ होता है। एक नए तरीके की बिरादरी पैदा हो गई है जो बाकी आदमियों को गुनाह की दृष्टि से देखती है। वे समझते हैं कि देश हम ही चलाते हैं बाकी लोग बेकार हैं। आपको गम्भीरता से सोचना होगा कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं। यदि आपने समय रहते हुए नहीं चेता तो ये ब्यूरोक्रेट्स आपके किसी काम को नहीं चलने देंगे।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : इन ब्यूरोक्रेट्स के स्थान पर कौन होना चाहिए।... **(व्यवधान)** असल में लोगों को यह बताना होगा कि देश की जनता ने जिसे चुना है, असल जवाबदेही उसी की है और ब्यूरोक्रेट्स की जवाबदेही देश के चुने हुए जनता के प्रतिनिधि के प्रति है। यह भावना आपको फैलानी होगी।

जब आप अपने जिले में जाते हैं तो कलेक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतना काम होना चाहिए। कलेक्टर शान से कहता है कि फण्ड नहीं है इसलिए यह काम नहीं होगा जबकि आपको पता है कि वह कलेक्टर क्या-क्या काम करता है। यदि वह प्रोमोटी कलेक्टर हुआ तो उसके कहने ही क्या।... **(व्यवधान)**

**श्री अजय मुशरान** : एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा।

**डा० गौरी शंकर राजहंस** : अब वक्त आ गया है जबकि सारे मसले पर बहुत ही गौर से विचार करना होगा···(**व्यवधान**)

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय (श्री वक्कम पुरुषोत्तमन)** : जब नौकरशाह राजनीतिज्ञ बन जाते हैं तो क्या होता है ?

**एक माननीय सदस्य** : तब वे उत्तरदायी बन जाते हैं।

**डा० गौरी शंकर राजहंस** : मेरी बात साधारण नहीं नहीं समझनी चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि नौकरशाह को इस देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। नौकरशाहों के दिल में जन कल्याण की बात होनी चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, यह नहीं कि वे पांच सितारा संस्कृति में जीए, यह नहीं कि वे पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थियों की तरह व्यवहार करें।

**[हिन्दी]**

मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको इस सारे मसले पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। आपने देखा कि एक आई० ए० एस० का लड़का बड़े आराम से आई० ए० एस० हो जाता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसान का लड़का आई० ए० एस० हो जाता है जो होने वाला होता है, उसको भी रोक लिया जाता है। सारी समस्ताओं को आपने बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा क्योंकि यह देश गरीबों का देश है, यह देश किसानों का देश है और इस देश में ये ब्यूरोक्रेट्स सही अर्थों में आपकी आर्थिक नीतियों को, सोशलिस्ट पॉलिसी को चलने नहीं देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वक्त आ गया है जब आपको सारी समस्याओं पर गहराई से विचार करना पड़ेगा।

इस बिल में वैसे कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत-सी बातें हमारे साथियों ने कह दी हैं और मैं उनको फिर दोहराना नहीं चाहता। वैसे हमारे मन्त्री जी बहुत कुशल और अनुभवी व्यक्ति हैं, काफी पढ़े-लिखे हैं, सिविल सर्विस के बारे में इन्हें काफी अनुभव प्राप्त है क्योंकि काफी अच्छी जगह ये पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप कोई प्रॅक्टिकल अप्रोच लें, इस बात को समझें क्योंकि एक नौजवान मिनिस्टर को, एक नौजवान प्रधानमन्त्री के अन्दर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है और आपको समझना चाहिए कि यह देश गरीबों का है, यह देश खेतिहरों का है, यह देश किसानों का है और ब्यूरोक्रेट्स को गरीबों और खेतिहर का अनुसार बनना होगा और सारे कानून उसी के मुताबिक बनाए जाएं, नहीं तो इस देशों के भविष्य सुधर नहीं पायेगा। इतना ही कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** (सलेम) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि चूंकि यह विधेयक सरकारी कर्मचारियों को सरल तरीके से राहत देने के उद्देश्य से है, अतः मैं इस विधेयक में कुछ धाराओं एक या दो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों के बारे में कहूंगा। प्रथम, मुझे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि इस अधिकरण में प्रशासन से प्रतिनिधि रखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि स्पष्टतः जो मामले अधिकरण के समक्ष जाते हैं वे मामले ऐसे होते हैं जो किसी प्रशासन के किसी ऐसे अधिकारी के आदेश के विरुद्ध होते हैं जिनका पद स्पष्टतः संयुक्त सचिव से ऊपर ही होता है। इसीलिए, स्पष्टतः, संयुक्त सचिव सथवा अपर सचिव अथवा विभाग का सचिव जो अधिकरण में बैठता है उसे एक प्रकार से अपने सहयोगी के आदेश की वैधता, न्यायिकता और औचित्यता की जांच करने को जाता है। उससे यह अपेक्षा करना असम्भव है कि वह इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा और उस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह आदेश उसके साथी द्वारा दिया गया था। अधिकरण में बैठा प्रशासन का सदस्य वास्तव में निष्पक्ष होगा, यह आशा नहीं की जा सकती। वास्तव में न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए। क्या हम प्रशासनिक अधिकरण में इस बात की आशा कर सकते हैं ? और यदि आप प्रशासन से प्रतिनिधि रख ही रहे हैं तो कर्मचारियों की ओर से भी क्यों नहीं रखते ? इस अधिकरण में केवल प्रशासन का प्रतिनिधि ही क्यों होना चाहिए ? कर्मचारी क्यों नहीं हो सकते ? यदि आवश्यक हो तो उनका चुनाव गुप्त मतदान द्वारा कर्मचारियों में से किया जा सकता है और वे प्रशासन के सदस्य हो सकते हैं। फिर मैं कहूंगा कि 'हां' अब वे बराबर हैं; एक न्यायिक सदस्य है, एक प्रशासन का प्रतिनिधि है और एक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु प्रशासन से एक सदस्य और कर्मचारियों की ओर से कोई भी नहीं। ऐसा क्यों ? क्या यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें प्रशासन और नौकरशाही के हक में न्याय का पलड़ा भारी हो ? मेरे अच्छे मित्र, डा० राजहंस ने अभी स्पष्ट रूप में कहा है कि नौकरशाहों को उत्तरदायी बनाया जाए। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। किसी का भी नाम न लेते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने ऐसे नौकरशाह देखे हैं, जो जब नौकरशाह थे तब उनका व्यवहार कैसा था और जब उन्हें लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया तो उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया था। ऐसी स्थिति में परिवर्तन होता है।

**शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : और जब वे मन्त्री बन जाते हैं, तब ?

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : वे बेहतर बन जाएंगे क्योंकि तब वे अधिक उत्तरदायी होंगे। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति ही नहीं, अपितु इस सभा के प्रति भी उत्तरदायी होंगे।

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : श्री पटेल स्वयं को दोषी महसूस करेंगे।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : वे दोषी क्यों महसूस करेंगे, महोदय ? (**व्यवधान**)

**श्री पी०आर० कुमार मंगलम** : सभापपि महोदय, यदि मैं यह नम्र निवेदन करूं कि पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इस विधेयक के अन्तर्गत प्रशासनिक सदस्य रखकर वास्तव में सेवा कर्मचारियों को न्याय देना चाहते हैं ? मैं यह समझता हूं कि विधेयक का उद्देश्य, निसन्देह बहुत प्रंससनीय है। सेवा के क्षेत्र में कर्मचारियों और कामगारों को ऐसे अवसर देने की आवश्यकता है जहां उन्हें शीघ्र राहत मिल सके। वास्तव में मैंने एक वकील की हैसियत से यह प्रायः महसूस किया है कि न्यायलयों में विलम्ब होने से मुवक्किल को कितना दुःख होता है। परन्तु अब मुद्दा यह है कि बहुत अधिक अधिकरण तो स्थापित किए नहीं जा रहे। वास्तव में उनकी संख्या उच्च न्यायान्यों से भी कम है क्योंकि कुछ स्थानों में उच्च न्यायालयों की खण्ड पीठों की संख्या अधिक है। क्या अधिकरणों में भी मामले लम्बित नहीं हो जाएंगे ? क्या वहां भी लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी ? क्या हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम वास्तव में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिसमें हम यह सुनिश्चित कर सकें कि एक सेवा के कर्मचारी अथवा सदस्य को जो अधिकरण में जाता है सांविधिक दृष्टि से छः महीने के भीतर परिणाम मिल जाए ? क्या इसे प्रवर्तनीय नहीं बनाना चाहिए, बजाय अन्य ऐसा न्यायालय बनाने के जिसमें नौकरशाही द्वारा कुछ दबाव डाला जा सकता है ?

सभापति महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न यह उठता है कि जब हम सेवा कानूनों अथवा नियमों की बात करते हैं तो निःसन्देह हमारा ध्यान मूलाधिकारों और अनुच्छेद 310, 311 और यहां तक कि अनुच्छेद 309 की ओर भी जाता है जिनके अन्तर्गत नि:सन्देह सिविल सेवा से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों का ध्यान सही चीज पर जाता है।

जब कभी किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तब वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केवल अनुच्छेद 32 के द्वारा ही वह राहत प्राप्त कर सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय में जाना सरल नहीं है। इसमें हजारों रुपये खर्च होते हैं। क्या आप किसी राज्य सरकार में कार्यरत किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को, उदाहरणार्थ मेरे राज्य तमिलनाडु से इस बात के लिये विवश करेंगे, कि वह दिल्ली आकर अनुच्छेद 32 के तहत किसी नियम, जो कि उसके अनुसार अनुच्छेद 14 या 15 या 16 या किन्हीं अन्य मौलिक अधिकारों का हनन करता है, को चुनौती दे। उसे उच्चतम न्यायालय में अच्छे अधिवक्ता को अत्यधिक फीस देनी होगी तथा अधिवक्ता के लिपिक को भी अत्यधिक फीस देनी होगी और अन्ततः उसे यह सिद्ध करने के लिये कि अमुक नियम मौलिक अधिकारों का हनन करता है अपनी सम्पत्ति तथा पत्नी क जेवरात बेचने पड़ते हैं। यहां पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम यदि माननीय मन्त्री जी अधिकरण

[श्री पी०आर० कुमार मंगलम]

से प्रशासनिक सदस्य को हराना चाहते हैं तो यह अनुछेद 32 (3) के तहत सम्भव है जिसके द्वारा किसी अधिकरण सहित किसी अन्य न्यायालय को कानून के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अन्तंगत इस्तेमाल करने के लिये शक्तियां या अनुच्छेद 32(2) के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अन्य शक्तियां स्वीकृत की जा सकती हैं। अत: उनको यह सोचना चाहिए कि क्या अधिकरण को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना सम्भव है, क्योंकि इस प्रश्न को इस सदन के एक वरिष्ठ विधिक सदस्य श्री भोला नाथ सेन ने उठाया है। अनुच्छेद 32 के खण्ड (3) के तहत विधि के द्वारा अधिकरणों को अपने कार्य क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अन्तंगत इन शक्तियों के प्रयोग के लिये सक्षम बनाना संभव है। बेशक "न्यायालय" की परिभाषा पर विचार किया जा सकता है। यदि ऐसा सम्भव नहीं है तब मैं यही कहूंगा कि जहां तक मूल अधिकारों के उल्लंघन का सम्बध है, कम से कम उच्च न्यायालयों को ये शक्तियां दी जानी चाहियें। यदि आप महसूस करते हैं कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा अधिकरणों को न्यायालय का दर्जा दिया जा सके और इसके केवल अधिकरण होने के कारण ही आप इसे निम्न स्तर देने के लिए विवश हैं, तो उस स्थिति में आप यह अनुभव करते हैं कि यह किसी विशेष नियम, जो कि मूल अधिकारों का हनन करता है, को रद्द नहीं कर सकता, तब हम अपने को उसी स्थिति में पाते हैं जहां पर पहले थे।

अभी भी विधि निर्माण संबंधी शक्ति का प्रयोग विधायी प्रक्रिया द्वारा सदन में नहीं किया जाता है बल्कि अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत नियमों राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के द्वारा किया जाता है। इसलिये अन्तत:, नौकर शाही द्वारा बनाये गये नियमों से ही शासन चलता है और पिछले छत्तीस वर्षों से बिना किसी शर्म के उन्होंने हर समय मूल अधिकारो का उल्लंघन करने वाले नियम बनाये हैं जो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा अक्सर रद्द किये जा चुके हैं। यह बात माननीय मन्त्री जी जानते हैं। वह इस क्षेत्र में काफी लम्बे अर्से से रहे हैं और सेवा संबंधी विधि का अच्छा ज्ञान है। वह जानते हैं कि कितने कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण न्यायालयों द्वारा रद्द किया गया है। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो बेचारा नौकरी करने वाला गरीब कर्मचारी कहां जायेगा क्या उसको सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ेगा ? तब इस अधिनियम के होने का क्या उद्देश्य है ? जब आप अनुच्छेद 16 और यहां तक कि अनुछेद 311 की बात करते हैं और हर समय यह कहते हैं कि अमुक नियम का उल्लंघन हुआ है, जो कि अकसर होता है, तो आपको हर बार यहां पर संशोधन लाना पड़ता है। क्या हालात बन गये हैं ?

यह विधेयक अन्त: उद्देश्य को ही विफल कर देगा। क्या हम सेवारत कर्मचारियों को त्वरित न्याय देना चाहते हैं या अन्तत: उन्हें निलम्बित, पक्षपात पूर्ण तथा पूर्वाग्रह युक्त न्याय देना चाहते हैं ?

आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि मूल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मुद्दे पर वह विचार करें और इस बात के हल करने का प्रयास करें कि वे एक सरकारी कर्मचारी के किसी वैधानिक या अन्य प्रकार के नियम या किसी अधिनियम विशेष जो कि मूल अधिकारों का हनन करता है, को चुनौती देने में होने वाले व्यय को किस प्रकार कम कर सकते हैं। मेरा यह विचार है कि उत्प्रेषण की रिट अधिकरण में दायर नहीं की जा सकती है।

इसके पश्चात् आइये अब हम अनुच्छेद 227 पर विचार करें। यदि आप अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दें तो कैसी स्थिति होगी ? अन्यथा अनुछेद 227 में यह व्यवस्था है —

"प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके सम्बन्ध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा।"

मान लो कि मद्रास में स्थित अधिकरण पूरे तमिलनाडु राज्य में अधिकारता का प्रयोग करता है। क्या मद्रास में स्थित उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत इस अधिकरण पर अधीक्षण की अधिकारिता रखता है। यदि ऐसा है तो यह ऐसी परिस्थिति है जो कि बहुत ही उलझी हुई है और यदि ऐसा नहीं भी तो भी है यह एक उलझी हुई स्थिति है। यह स्थिति 'दिल्ली के लड्डू' की तरह है। यदि आप इसे खाते हैं तो यह नुकसान करेगा और यदि नहीं खाते हैं तो भी यह नुकसान करेगा। स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। इसमें यदि उच्च न्यायालय का अधिकार है तो यह बात अगर 150 प्रतिशत नहीं तो यह निश्चित रूप से 100% अवश्य है कि ऐसा प्रत्येक मामला जो सरकारी कर्मचारी अधिकरण में जीतेगा, पहले उच्च न्यायालय में जायेगा और अगले 10 वर्षों तक वहां लम्बित रहेगा और तब उच्चतम न्यायालय में पहुंच कर 20 वर्षों तक लम्बित रहेगा। आखिर पैसा तो आई०ए०एस० नौकरशाही की जेब से खर्च होता नहीं है। यह हमारी जेब से तथा भारत की संचित निधि से खर्च होता है जबकि सरकारी कर्मचारी समाज में अपनी प्रतिष्ठा किसी तरह से बचाये रखने के लिये अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचने पर विवश होता है। सरकारी कर्मचारी को जो आर्थिक लाभ होगा वह उसके द्वारा न्यायालय में खर्च किये गये धन का आधा भी नहीं होगा।

यदि वह उच्च न्यायालय में नहीं जा सकता है तो प्रश्न यह उठता है कि यदि प्रशासनिक अधिकरण मनमानी करता है तब क्या उपाय है। तब एक बार पुनः सर्वोच्च न्यायालय ही एकमात्र उपाय है और इस बात की सम्भावना है कि अधिकरण मनमानी कर सकता है क्योंकि इसमें प्रशासन का सदस्य होता है, दो सदस्यों वाली खण्डपीठ में एक सम्माननीय न्यायिक सदस्य होता है और दूसरा उस आदेश, जो कि विवाद का विषय है, को जारी करने वाले का साथी होता है। यह बहुत सम्भव है कि न्यायिक सदस्य, प्रशासनिक सदस्य जैसी बात करेगा। उस स्थिति में क्या दशा होगी ?

**श्री अजय मुशरान (जबलपुर)** : वह कहते हैं कि वह एक गैर-आई०ए०एस० अधिकारी होगा।

**श्री पी०आर० कुमार मंगलम** : हमें यह अभी देखना है। वह किस प्रकार का आई०ए० एस० प्रशासन होगा ? यह केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा की ही बात नहीं है अपितु यह एक वर्ग की बात है।

चाहे वे आई०ए०एस० हो या अन्य कोई, वे सभी एक दूसरे का पक्ष लेते हैं। एक बार जब वे प्रशासन का भाग बन जाते हैं और अत्यन्त व्यापक प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तब निश्चित रूप से उनमें वर्ग चेतना की भावना पैदा हो जाती है और वे वर्ग III, IV, II और I के कर्मचारियों को अपने से हेय व्यक्तियों के रूप में देखते हैं।

**श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज)** : यह एक वास्तविकता है।

**श्री पी०आर० कुमार मंगलम** : मुझे विश्वास है कि सदन के अधिकांश सदस्य इससे सहमत होंगे। आइये हम केवल इस पर विचार करें। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। 13 वर्ष पहले सरकारी कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता देने सम्बधी नियमों को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

5.00 म०प०

लेकिन आज तक कोई नया नियम नहीं बनाया गया है ऐसा क्यों ? यह इसलिये है क्योंकि नौकर शाही मे कुछ लोगों के लिये यह बहुत ही सुविधाजनक है कि ये नियम न बनाये जाये इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम लोगो तथा मजदूर वर्ग के मध्य कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो नौकरशाही के साथ बैठते है उनके साथ खाते पीते हैं और उन्हीं जैसे हो जाते हैं। इसलिये तीसरा मुद्दा यह उठता है कि जब केवल मित्रता के द्वारा वे मान्यता देने के सम्बन्ध में सरकार को 13 वर्ष तक नियम बनाने से रोक सकते हैं, तो माननीय सभापति जी, और मुझे विश्वास है कि सदन के सदस्य मुझसे सहमत होंगे, वे इस बात की शत प्रतिशत सुनिश्चित कराने में भी अवश्य सक्षम होंगे कि अधिकरण द्वारा दिये गये फैसले या आदेश पक्षपात पूर्ण हों।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि मैं इस समय कहना चाहूंगा वह यह है कि आज सुबह 5 करोड़ से भी अधिक भारतीय नागरिकों के हस्ताक्षर वाली एक याचिका प्रस्तुत की है जो कि अनुच्छेद 311 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सें सेवा संबंधी सुरक्षा को समाप्त किये जाने के बारे में है। अब तीसरा प्रश्न यह है कि क्या आप देश को 21वीं शताब्दि में ले जाना चाहते हैं ? यदि आप इस देश को इक्कीसवीं सदी के एक खुशहाल युग में ले जाना चाहते हैं जहां पर कि उत्पादकता हो और हम लोग विकसित कहे जाने वाले देशों में से हों, तो क्या बिना मजदूर वर्ग को विश्वास में लिये हुये ऐसा करना सम्भव है या कि केवल नौकरशाही को विश्वास में लेकर ही ऐसा किया जा सकता है।

यह प्रशासनिक अधिकरण संशोधन विधेयक जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, एक संशोधन विधेयक है। परन्तु क्या ये संशोधन पर्याप्त हैं ? क्या इससे वास्तव में लाखों कर्मचारियों

को ऐसा प्रतीत होगा कि हां उन्हें न्याय मिलेगा, शीघ्र न्याय मिलेगा ? नहीं । यदि इसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो दूसरी ओर जब उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को बेहद और मनमानी शक्तियां दी हुई हैं तो क्या आप यह कहेंगे कि नहीं, हम स्थिति में सुधार कर लेंगे, हम वैसा ही सुनिश्चित करा देंगे जैसा कि संविधान निर्माता चाहते थे और सरकारी कर्मचारी शक्तियों का इस्तेमाल ईमानदारी और बिना डर अथवा पक्षपात के करेंगे ? फिलहाल हमे इसके कोई आसार दिखाई नहीं पड़ते इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने तुलसीराम पटेल के मामले के निर्णय में यह कहा है—जिसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी को अच्छी तरह से है--कि आप किसी भी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिए बिना ही सेवा से हटा सकते हैं और कोई अवसर दिए बिना ही, यह जरूरी नहीं है कि जब वह दंगे में शामिल होता है अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध ही कार्य करता है, केवल इतना ही पर्याप्त है यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध यह आरोप है कि किसी विशेष कार्यालय में अधिकारियों की आज्ञा का सामूहिक रूप से पालन नहीं किया गया है, चाहे उसमें हिंसा हुई हो या नहीं उस व्यक्ति को आप सेवा से हटा सकते हैं । उसके बाद उसका क्या होता है ? उसे क्या होने जा रहा है ? आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने यह स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसके निसन्देह असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है और मेरे विचार से इस विधेयक से जब तक आप प्रशासनिक सदस्य को नहीं हटायेंगे इस प्रशासनिक अधिकरण संशोधन विधेयक से यह असुरक्षा की भावना और बढ़ेगी ।

मैं समाप्त करने से पूर्व एक बात और कहना चाहूंगा । कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो उच्चतम न्यायालय के अनुसार सेना तथा सिविल सेवाओं दोनों की ही अभिन्न अंग है । यह बहुत ही अजीब स्थिति है । मैं सीमा सड़क संगठन का उल्लेख करता हूं । यह एक ऐसा संगठन है जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सेना का अभिन्न अंग होना चाहिए परन्तु इसमें सिविल सेवा प्रक्रिया अनुशासन और आचरण नियम लागू होते हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कर्मचारियों का क्या होगा । एक ओर तो ऐसे कर्मचारियों का सेना अधिनियम के अन्तर्गत कोर्ट-मार्शल होता है और दूसरी ओर क्या उसको प्रशासनिक न्यायाधिकरण संशोधन विधेयक के अन्तर्गत कोई उपचार प्राप्त है ? यह एक प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने सीमा सड़क संगठन का ही उदाहरण दिया है परन्तु सेनाओं के ऐसे बहुत से विभाग और अनुभाग हैं जो इस देश के लिए बहुत कार्य करते हैं परन्तु उन्हें दूसरी श्रेणी के नागरिकों का दर्जा दिया जाता है । यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रयास को एक छोटा न समझें । वे सरकारी कर्मचारियों के वकील रह चुके हैं उन्हें यह समझने में सफल होना चाहिए और मुझे यह विश्वास है कि वे इस तथ्य को समझते हैं कि आज श्रमिक व कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति बहुत चिन्तित हैं । यह आवश्यक है कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाय जिससे वे अपने को कुछ और सुरक्षित महसूस करें और अधिकारी वर्ग कर्मचारियों को इसी प्रकार परेशान न करते रहें और अत्याचार न करते रहें जैसा कि वे करते रहे हैं । धन्यवाद ।

**श्री हुसैन दलवाई** (रत्नगिरि) : महोदय, हम उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़े मुकदमें से उत्पन्न एक संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं। यह विधेयक पिछले वर्ष ही पारित किया गया था। मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया था और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। कि यह अनुच्छेद 32 और 226 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है। हम संसद सदस्यों के लिये यह बहुत गंभीर बात है कि सदन में जो हम विधान पारित करते हैं उसे न्यायालय रद्द कर देते हैं अभी यह विवाद चल रहा है कि दोनों में सर्वोच्च कौन है। जहां तक विधायी शक्तियों का सम्बन्ध है संसद सर्वोच्च है। हमें यह देखना है कि जब भी हम कोई कानून पारित करें तो वह संविधान के उपलब्धों का उल्लंघन न करे। आज हम यह महसूस करते हैं कि हमें एक वर्ष के अन्दर ही ऐसा अध्यादेश जारी करना पड़ा है और उसे आज ही नियमित किया जाना है। वह संशोधन मुकदमेबाजी में किया गया एक ऐसा समझौता है जिसमें हमने यह निर्णय लिया है कि हम उच्चतम न्यायालय के सुझावों के अनुसार इस सदन में गत वर्ष पारित किए गए अधिनियम के उपलब्धों में संशोधन कर लेगें।

जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है, हम यह कानून केवल इसलिए लाए हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं के अनेक मामले न्यायालयों में काफी समय से लम्बित पड़े हैं और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए हम यह कानून लाए हैं।

5.08 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रयोजन बहुत ही प्रशंसनीय है और ऐसे लम्बित मामलों पर शीघ्र निर्णय देने के लिए, हम चाहते हैं कि इस प्रकार के अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए और इस प्रकार के अधिकरणों की स्थापना करने के लिए सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। अब इन अधिकरणों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अधिकरणों के कार्यकरण में कोई रुकावट न आए, हम ने यह समझौता किया और ऐसा करने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया गया और अब हम उस अध्यादेश के स्थान पर इस विधेयक को ला रहे हैं। परन्तु मैं यहां एक सुझाव देना चाहूंगा कि मूल अनुच्छेद, जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय यह महसूस करता है कि जिसके अन्तर्गत उसके अधिकार क्षेत्र को छीना जा रहा है, वह अनुच्छेद 32 है। वास्तव में यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन करने की अन्तर्निहित शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता। इसके विपरीत, हम जो कर रहे हैं वह देश और लोगों के अधिक हित में है ताकि सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाने में विलम्ब से बचा जा सके। परन्तु उच्चतम न्यायालय को इससे आघात पहुंचा है कि इस उपबन्ध के द्वारा इसकी पुनर्विलोकन करने की शक्ति को छीना जा रहा है। इस अधिनियम में यह एक मूल उपबन्ध किया गया था कि अधिकरण के तीन सदस्य होंगे तथा उनमें से एक उसका अध्यक्ष होगा। अब इस संशोधन के अन्तर्गत अधिकरण के दो

सदस्य होंगे —एक प्रशासनिक सेवा से तथा दूसरा न्यायिक सेवा से। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि इसमें दो सदस्य होने चाहिएं, अर्थात एक प्रशासनिक सदस्य और एक न्यायिक सदस्य। भारत के न्यायाधीश के साथ परामर्श किए बिना किसी भी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा न्यायिक सदस्य की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस प्रस्तावित संशोधन से हमने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम से उत्पन्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़े मामले की कार्यवाही का पहले से ही पता लगने के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों को स्वीकार कर लिया है। वास्तव में राष्ट्र के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए हमें एक-न-एक दिन इस बारे में हमेशा के लिए निर्णय लेना ही होगा कि यदि हम इस सदन में किसी कानून को एक बार पारित कर दें तो क्या न्यायालय को इस बात का अधिकार होगा कि वह इस पर अपना विमत टिप्पणी दें और क्या इसकी न्यायिक व्याख्या द्वारा इसमें कोई रुकावट आएगी। दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता था वह उन सदस्यों के बारे में है जो प्रशासन से नियुक्त किए जाते हैं—क्या वे वास्तव में ही उन सेवा मामलों को निपटाने हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी हैं जो उनके समक्ष पड़े हैं। अधिकरणों के अध्यक्ष ऐसे अधिकारी वर्ग से नहीं होने चाहिए जो कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं करेंगे। अधिकरणों का उद्देश्य सेवा सम्बन्धी मामलों में शीघ्र निर्णय करने का ही है।

यदि न्यायिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति अधिकरण में की जाती है, तो मामले पर निष्पक्षतापूर्वक निर्णय किया जा सकता है। ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिए था। अधिकरण के सभी सदस्यों का थोड़ा न्यायिक आधार होना चाहिए। अन्यथा, प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप करेंगे और अफसरशाही पुनः कर्मचारियों के प्रति अन्याय करने का प्रयास करेंगी, तथा जिस उद्देश्य के लिए यह विधान लाया गया है, वह पूरा नहीं हो पायेगा।

जहां तक अधिकरण के निर्णय करने की शक्ति का संबंध है, मैं समझता हूं कि जब तक न्यायिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक ऐसा करना संभव नहीं है। यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे जो उपबन्ध करने जा रहे हैं उस पर विचार करें; कि क्या यह त्रुटिहीन हो जायेगा अथवा नहीं। मैं इस संबंध में अपने विद्वान् मित्र श्री पी०आर० कुमार मंगलम के विचारों का समर्थन करता हूं। कृपया इस पर पुनः विचार करें ताकि आपको इस सदन के समक्ष पुनः किसी संशोधन के साथ न आना पड़े। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय प्रशासनिक अधिकरणों के गठन-सम्बन्धी इस प्रस्ताव पर विचार करें। इन शब्दों के साथ मैं, इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री पी० नामग्याल** (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि मैं ब्रिफ ही रहूं, इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

[श्री पी० नामग्याल]

पहला सुझाव तो यह है कि ट्रिब्यूनल में जाने से पहले हर एक डिपार्टमेंट में सैल होना चाहिए, डिपार्टमेंट लैवल पर कोई कमेटी बनी हो, जो सर्विसमेंटर की प्राब्लम को उस लैवल पर देख सके। कई ऐसे केसेज होते हैं, तो उस लैवल पर हल किए जा सकते हैं, ताकि आगे जाने में वक्त और पैसा खर्च न हो। यदि उन सैल मे इन्साफ नहीं मिलता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टिब्यूनल में जाने का प्रोवीजन है। क्योंकि उनको इन्साफ मिलना चाहिए, इसलिए आपने ट्रिब्यूनल में दो मैम्बर रखने का प्रोवीजन किया हुआ है, एक मैम्बर एडमिनिस्ट्रेशन की कैडर से और एक जुडिशियल मैम्बर्स सर्विस कैडर को रखने के लिए कहा है। मैं समझता हूं कि यह जरूरी होना चाहिए। क्योंकि नान-जुडिशियल मैम्बर को वहां के माहौल का पता होता है, उन्होंने हर डिपार्टमेंट में काम किया होता है और मुलाजिम पेशे की प्राब्लम को वे अच्छी तरह समझ पायेंगे और उनको ज्यादा इन्साफ मिल सकेगा। रही बात सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का तो सुप्रीम कोर्ट में हर कोई नहीं जा सकता है। आमतौर पर हर मैम्बर साहेबान ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। हर कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि हर एक हियरिंग पर हजारों रुपया खर्च होता है। इसलिए हर केस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लैवल पर फैसला हो जायें, तो ज्यादा इन्साफ होगा। सर्विस मैटर के ग्रिवान्सैस खासकर पोस्टिंग, ट्रांसफर, एप्वाइंटमेंट्स के बारे में होते हैं। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट या सैन्ट्रल गवर्नमेंट और खास-तौर से स्टेट गवर्नमेंट्स जो एपाइन्टमेंट करती हैं, उनको रिव्यू करने की पावर होनी चाहिए। खास कर कुछ स्टेट्स में जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि वैस्ट बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, यह सुनने में आ रहा है। वहां सी०पी०एम० के कैडर के जो लोग हैं, उनको एपाइन्ट किया जा रहा है। इसी तरह से पंजाब में हो रहा है। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों जितने एन्टी सोशियल लोग कनविक्ट्स टेरोरिस्ट्स एक्ट में पकड़े गए थे और वे जेलों में थे, तो पहले तो उन्हें जेलों से अनकंडीशनली छोड़ दिया गया और उसके बाद उनको पुलिस में भर्ती किया जा रहा है। तो जाहिर है कि जब ऐसी बैकग्राऊन्ड के लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा, तो क्या हालत होगा। आज वहां पर क्या हालात बने हुए हैं और ला एण्ड आर्डर की क्या हालत है। हर रोज मर्डर लूट और आगजनी की वारदातें हो रही हैं। इसी तरह से काश्मीर के बारे में है। वहां पर ऐसा होता रहा है कि जो प्रो-पाक एलिमेंट है या जो कम्युनलिस्ट एलीमेंट है, जम्मू व काश्मीर में उसको पुलिस में भर्ती किया गया है।

**श्री चरनजीत सिंह अठवाल (रोपड़)** : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : किस नियम के अधीन ?

[हिन्दी]

श्री चरनजीत सिंह अटवाल : इन्होंने यह कहा है कि जो लोग रिलीज किए गए हैं, उनकी वजह से ये कत्ल हो रहे हैं। मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं कि वे एक भी इन्सटान्स बता दें कि जो रिलीज किए गये हैं, उन्होंने ऐसे वाकयात किये हैं।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : तो ये वाकयात हैं और खासकर बोर्डर स्टेट्स में ऐसे वाकयात देखने में आए हैं। मैं काश्मीर की बात कर रहा हूं। पुलिस में ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है और वहां पर जो कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, पुलिस तमाशा देखती रहती है और कुछ नहीं करती। कितने ही कम्यूनल फसाद वहां पर हुए हैं। वहां पर पुलिस मौजूद थी लेकिन वह तमाशा देखती रही। इसी तरह से पंजाब में और जगहों पर हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं अगर कोई मामूली-सी भी कम्पलेंट है, तो उसको रिव्यू करने की पावर ट्रिब्यूनल के पास होनी चाहिए और जो ऐसे खराब एलिमेंट्स हैं, उनको क्योंकर सर्विस में रखा गया है? उनकी पोस्टिंग ठीक से हुई या नहीं हुई है, इस चीज को देखने की पावर इनके पास होनी चाहिए।

बात जरूरी है, इसलिए इन चन्द शब्दों के साथ, यह जो एमेंडमेंट बिल आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

شری پی۔ نام گیال (لداخ) اپادھیکش مہودے۔ سرکار دوارا ایڈمنسٹریٹیو ٹریبونل امینڈ مینٹ بل جو لایا گیا ہے میں اسکا سمرتھک کرتا ہوں۔ جیسا کہ اپادھیکش مہودے نے کہا ہے کہ میں بریف ہی رہوں اس بارے میں کچھ سجھاؤ دینا چاہتا ہوں۔

پہلا سجھاؤ تو یہ ہے کہ ٹریبیونل میں جانے سے پہلے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں سیل ہونا چاہیئے۔ ڈپارٹمنٹ لیول پر کوئی کمیٹی بنی ہو جو سروس میٹر کی پرابلم کو اس لیول پر دیکھ سکے۔ کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں تو اس لیول پر حل کیے جا سکتے ہیں تاکہ آگے جانے سے وقت اور پیسہ خرچ نہ ہو۔ یدی ان سیل میں انصاف نہیں ملتا ہے تو ایڈمنسٹریٹیو ٹریبیونل میں جانے کا پروویژن ہے۔ ٹریبیونل میں انکو انصاف ملنا چاہیئے اسلیئے آپ نے ٹریبیونل میں دو ممبر رکھنے کا ہے پرویژن کیا ہوا ہے ایک ممبر ایڈمنسٹریشن کیڈر سے اور دو جوڈیشیل ممبرس سروس کیڈر کو رکھنے کے لیئے کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہونا چاہیئے کیونکہ نان جوڈیشیل ممبر کو وہاں کے ماحول کا پتہ ہوتا ہے انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہوتا ہے اور ملازم پیشہ کی پرابلم کو وہ اچھی طرح سمجھ پائینگے اور ان کو زیادہ انصاف مل سکے گا۔ رہی بات سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کی تو سپریم کورٹ میں ہر کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ عام طور پر جو ممبر صاحبان نے کہا ہے سپریم کورٹ میں جانا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ہر ایک ہیئرنگ پر ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اسلیئے ہر کیس ایڈمنسٹریٹیو لیول پر ہی فیصل ہو تو زیادہ انصاف ہوگا۔ سروس میٹر کے گریوانسز خاص کر پوسٹنگ، ٹرانسفر، اپائنٹمینٹس کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹریبیونلس ہیں انکو اسٹیٹ گورنمنٹ یا سنٹرل گورنمنٹ اور خاص طور سے اسٹیٹ گورنمنٹس جو اپائنٹمنٹ کرتی ہیں انکو ریویو کرنے کی پاور ہونی چاہیئے۔ خاص کر کچھ اسٹیٹس میں جیسا کہ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ویسٹ بنگال میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سننے میں آ رہا ہے وہاں پر سی پی ایم کے کیڈر کے جو لوگ ہیں ان کو اپائنٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے پنجاب میں ہو رہا ہے۔ آپنے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں جتنے بھی اینٹی سوشل لوگ ٹیررسٹس ایکٹ میں پکڑے گئے تھے اور وہ جیلوں میں تھے تو پہلے تو انہیں جیلوں سے انکنڈیشنلی چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد ان کو پولیس میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو

پولیس میں بھرتی کیا جائیگا تو لا اینڈ آرڈر کی کیا حالت ہوگی۔ آج وہاں پر کیا حالات بنے ہوئے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی کیا حالت ہے۔ ہر روز مرڈر لوٹ اور آگ زنی کی واردات ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے کشمیر کے بارے میں ہے۔ وہاں پر ایسا ہوتا ہے جو پرو پاک ایلیمنٹ ہیں یا جو کمیونسٹ ایلیمینٹ ہیں جموں وکشمیر میں اسکو پولیس میں بھرتی کیا گیا ہے

شری چرنجیت سنگھ اٹھوال (روپڑ): میرا پائنٹ آف آرڈر ہے۔

Mr. Deputy Speaker: Under what rule ?

شری چرنجیت سنگھ اٹھوال: انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ریلیز کیے گئے ہیں انکی وجہ سے یہ قتل ہو رہے ہیں۔ میں اپنے دوست سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بھی انسٹانس بتادیں جو کہ ریلیز کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ایسے واقعات کیے ہیں۔ . . .

...(Interruptions)...

Mr. Deputy Speaker : There is no point of order.

شری پی نام گیال: تو یہ واقعات ہیں اور خاص کر بارڈر اسٹیٹس میں ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں پولیس میں ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے اور وہاں پر جو کچھ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے پولیس تماشہ دیکھتی رہتی ہے کتنے ہی کمیونل فسادوہاں پر ہوئے ہیں وہاں پر پولیس موجود تھی لیکن وہ تماشہ دیکھتی رہی۔ اسی طرح سے پنجاب میں اور جگہوں پر ہو رہا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو ٹربیونلس ہیں اگر کوئی معمولی سی بھی کمپلینٹ کرے تو اسکو ریویو کرنے کی پاور ٹریبونل ان کے پاس ہونی چاہیئے اور جو ایسے خراب ایلیمنٹس ہیں ان کو کیوں کر سروس میں رکھا گیا ہے؟ ان کی پوسٹنگ ٹھیک ڈھنگ سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس چیز کو دیکھنے کی پاور ان کے پاس ہونی چاہیئے۔

بات زیادہ نہیں ہے اسلیے ان چند شبدوں کے ساتھ جو امینڈمنیٹ بل آیا ہے اسکا میں سمرتھن کرتا ہوں۔

[हिन्दी]

**श्री राम प्यारे पनिका (रौबर्ट्सगंज)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक सदन के सामने विचारार्थ है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं क्योंकि उसमें केवल एक एमेंडमेंट किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार है लेकिन इस अवसर का लाभ उठाते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं और निगमों के कर्मचारी हैं, उनमें बड़ा असंतोष फैला हुआ है खासकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण और यह बहुत ही गलत बात होगी यदि हम संविधान में आर्टीकिल 311 में संशोधन न करें। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसार में यदि हमें नेचुरल जस्टिस मिली है तो खासकर अपने देश में और सभी देशों में ऐसा नियम है कि किसी न किसी रूप में लोगों को सर्विस से निकालने से पहले निश्चित रूप से उनको यह बताना चाहिए कि किस कारण से उनको डिसमिस किया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण सरकारी कर्मचारियों में एक असंतोष की भावना जग गई है और यही नहीं, असुरक्षा की भावना उनके दिल में पैदा हो गई है। यह आप जानते ही हैं कि अपीजीशन ने बन्द का आवाह्न किया था और मैं सही बात बताना चाहता हूं कि उनका बन्द बिल्कुल सफल रहा होता और उसकी सफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी अगर सारे के सारे कर्मचारी इसका विरोध न किये होते। 60 लाख कर्मचारी इसके विरोध में थे इसलिए कि वे सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यदि कोई ब्यूरोक्रेट उनको सर्विस से निकाले, तो उनको सुरक्षा चाहिए। मुझे अपने उत्तर प्रदेश के बारे में पता है वहां एक ट्राइब्यूनल है। मान्यवर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आई० ए० एस० के खिलाफ ट्राइब्यूनल ने जितने भी फैसले किये, उन पर आज तक अमल नहीं हुआ और किसी आई० ए० एस० अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। सारी की सारी रिपोर्ट दबा दी गई।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि मैं आई० ए० एस० के प्रति कोई लांछन लगा रहा हूं कि यह एक ऐसा वर्ग बन गया है। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० दोनों का एक ऐसा वर्ग बन गया है। वे दोनों आपस में लड़ते हैं। आई० ए० एस० कहता है कि हम सुपीरियर हैं, आई० पी० एस० कहता है कि हम सुपीरियर हैं। दोनों कैडर में आपस में लड़ाई होती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए, एक ऐसा कैडर तैयार किया जाए जिसको समान रूप से अवसर देने की बात हो।

मान्यवर मैं कहता हूं कि जिसको भी कोई सजा देने की बात हो तो उसको मौका मिलना चाहिए कि वह अपने पक्ष में कारणों को प्रस्तुत कर सके। मान्यवर मैं इस बिल का तो समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही यह भी कहता हूं कि सरकार को एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए जिसमें आई० ए० एस० के और आई० पी० एस० के क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं। उसमें

स्पेसिफिकल्ली इस बात को दिया जाना चाहिए। हम प्रदेशों में देख रहे हैं कि किस तरह से आई० ए०एस० और आई०पी०एस० केडर में खींचातानी चल रही है जिसके कारण जगह-जगह ला एण्ड आर्डर को मेंटेन करने में कठिनाई हो रही है। कहीं सीनियोरिटी की लड़ाई है, कहीं प्रभुता की लड़ाई है। इसलिए सरकार को निश्चित तौर पर सभी स्तर के कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसी सेसन में संविधान के अनुच्छेद 311 में अमेंडमेंट लाना चाहिए जिससे कि हमारे देश के कर्मचारियों को नेचुरल जस्टिश मिल सके। हमारी लोकतंत्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के, गरीबों के, कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा हमेशा करती रही है। इसलिए जैसा कि कुमार मंगलम जी ने भी कहा इसी सत्र में सरकार को अनुच्छेद 311 में संशोधन करना चाहिए।

**श्री हरीश रावत** (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, जब मैं अपने नौजवान मंत्री चिदम्बरम साहब को देखता हूं तो मेरा मन इस बिल का समर्थन करने के लिए कहता है लेकिन जब मैं इस बिल का विवेचन करने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन डर से कांप जाता है। मैं तो उम्मीद में बैठा था कि श्री चिदम्बरम् जी एक ऐसा बिल लेकर आयेंगे जिस बिल के माध्यम से ब्योरोक्रेसी को नियंत्रित करने, उसके अधिकारों को निर्धारित करने और उसको पब्लिक के प्रति अधिक रिस्पांसिव बनाने के प्रोविजंस होंगे। लेकिन मुझे इस बिल को देख कर बड़ी तकलीफ हुई। जहां हमारी ब्योरोक्रेसी को पहले से ही असीमित अधिकार मिले हुए थे उसको हम और अधिक अधिकार देने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां कर्मचारियों की एक विशाल रैली हुई थी जिसमें संविधान के अनुच्छेद 311 के कुछ प्रोविजंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का इन्टरप्रिटेशन दिया है और जिसके कारण कर्मचारियों में एक असुरक्षा की भावना जाग उठी है, उसमें संशोधन की बात कही गई थी। हमारी ब्योरोक्रेसी जिस प्रकार से कर्मचारियों की पहले से ट्रीट करती रही है, उसी ब्योरोक्रेसी को इस बिल के माध्यम से और अधिकार देकर आप हमारे कर्मचारियों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं जिससे कि वह ब्योरोक्रेसी अपने कर्मचारियों को एक व्यक्तिगत नौकर की तरह से ट्रीट करने लगे। आप इस अधिकरण में एक प्रशासनिक सेवा के सदस्य को अपोइन्ट करने जा रहे हैं। इस अधिकरण के द्वारा आप ब्योरोक्रेसी को वह भी अधिकार दे रहे है जो कि अब तक जुडीशियरी के क्षेत्र में रहा है। जो निर्णय अब तक जुडीशियरी कर्मचारी के पक्ष में देती रही है अब वह निर्णय कर्मचारी के पक्ष में नहीं हो सकेगा। उसको न्याय मिलने की थोड़ी बहुत आशा हो सकती थी, न्याय उसको मिल सकता था, लेकिन इससे हर व्यक्ति को आशंका हो सकती है, मैं भी आशंकाग्रस्त हूं कि प्रशासनिक सदस्य अपाएंट कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिग्रहण है, उसमें उसको न्याय मिलने की आशा कम हो जाएगी। ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जहां कर्मचारी को प्रताड़ित किया जाता है, गलत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उसके केस में मात्र लीपापोती हुआ करेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मामले में पुनर्विचार करें और यदि आप पुनर्विचार न कर सकें तो जहां आप

[श्री हरीश रावत]

प्रशासनिक सदस्य अपाएंट कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो इसमें अपील करने के लिए जाएगा, उस वर्ग का भी रिप्रजेंटेटिव दीजिए जो कर्मचारी-वर्ग का हो। आप उसको रिप्रजेंटेशन दीजिए। जैसा अभी रंगराजन साहब ने कहा है कि जब प्रशासनिक सदस्य रहेगा तो कर्मचारी वर्ग का रिप्रजेंटेटिव भी होना चाहिए, इससे ज्यादा न्याय की आशा की जा सकेगी। इसके साथ-साथ यह भावना भी व्यक्त की गई है कि इसकी ज्यादा शाखाएं होनी चाहिए। जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, आज उनके सामने इतने ज्यादा केसेस आ गए हैं कि लगता है कि ये भी कहीं दूसरे कोर्ट न बन जाएं। जल्दी न्याय दिलाने की जो मंशा है वह पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं दो बिन्दुओं पर निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो इसमें प्रशासनिक सदस्य रखने का औचित्य, इस पर फिर से विचार करें, यदि औचित्यपूर्ण पाते हैं तो कर्मचारियों के लिए भी इसमें स्थान दीजिए और दूसरा यह कि इसकी अधिक शाखाएं होनी चाहिएं, ताकि जल्दी से जल्दी एक शेड्यूल्ड टाइम में लोगों को न्याय मिल सके।

इन शब्दों के साथ इस बिल के संदर्भ में अपने नौजवान मित्र से पुनर्विचार करने के लिए आग्रह करूंगा

**चौधरी सुन्दर सिंह** (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं इसकी ताईद करता हूं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनसे मैं बहुत खुश हूं। हमारे यहां जो लैण्ड लैस लोग हैं, जो बीस-बीस साल से जमीन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा 20-30 साल के कब्जे मालिक के नाम से लिख देने की वजह से वह जमीन उनको नहीं मिल पा रही है। मैं समझता हूं कि इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की वजह से बीस सूत्री कार्यक्रम ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है। आपकी कोई चीज इन्होंने चलने नहीं देनी है, आप कोई भी कानून बनाएं, ये ब्यूरोक्रेट्स उसको चलने नहीं देते हैं। आज इनको तकलीफ हुई है तो इन्होने कहा कि हमारे लिए यह होना चाहिए। इनके लड़के टाइयां लगाकर अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, शानदार तरह से रहते हैं और वह गरीब आदमी जिसके पास जमीन नहीं है, उसको न्याय नहीं मिलता है। आप सोशलिस्टिक पैटर्न कैसे ला पाएंगे। महात्मा गांधी ने क्या कहा है—

[अनुवाद]

> "विदेशी शासन की अनेक बुराइयों में देश की युवा-शक्ति पर किसी विदेशी माध्यम को थोपने का यह अभिशाप इतिहास की सबसे बड़ी बुराई मानी जायेगी। इसने राष्ट्र की शक्ति को निस्तेज कर दिया है। इसने छात्रों की जिन्दगियों को छोटा कर दिया है। इसने उन्हें जनसाधारण से दूर कर दिया है, इसने शिक्षा को अनावश्यक रूप से खर्चीला बना दिया है। यदि यह प्रक्रिया अभी भी बनी रहेगी, तो इस देश की आत्मा इससे जुदा हो जायेगी।"

[हिन्दी]

यह महात्मा गांधी का लिखा हुआ मेरे पास है। जहां तक ब्यूरोक्रेट्स का ताल्लुक है, कोई भी कानून हो, उसको ये ठीक तरह से लागू नहीं होने देते। जब अपना झगड़ा पड़ा है तो कह दिया कि यह होना चाहिए और यह बिल बन गया। ट्रिब्यूनल क्या इन्होंने कोई कानून नहीं चलने देना है। मैं इनके बहुत बरखिलाफ हूं, इनकी कोई बात नहीं मानी जानी चाहिए। पटवारी तक इनके बरखिलाफ हैं। मैं क्या बताऊं, कभी इनसे मिलने के लिए जाओ तो कहते हैं कि साहब बाथरूम में हैं। आज जो हमारे मिनिस्टर हैं, इनके पास जाएं तो इनके सेक्रेट्री इनकी बात नहीं मानते हैं। जब लोगों को तकलीफ होती है, हरिजनों को ही नहीं दूसरे लोगों की तकलीफ को लेकर भी जब इनके पास जाते हैं तो ये नीचे भेज देते हैं और नीचे ब्यूरोक्रेट्स इतना लंबा नोट लिख देते हैं और मिनिस्टर घबरा जाता है।

हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है।... (व्यवधान) सिलसिला बहुत खराब है। दो-दो महीने तक कोई काम नहीं होता। मैं कांग्रेस में हूं इसलिए दिल की बात कह रहा हूं वरना मेरा दिल तो करता नहीं है।... (व्यवधान) तीस साल से कोशिश कर रहा हूं लेकिन गरीब की कोई सुनता ही नहीं है। कोई हरिजन या कोई गरीब आदमी किसी आफिसर या मिनिस्टर के पास जाता है तो एक हफ्ते का काम हो तो चार-चार हफ्ते लगा देते हैं। लोग सोचते हैं कि चौधरी सुन्दर सिंह एम०पी० बन गए हैं इसलिए उनसे कहकर अपनी तब्दीली करा लेंगे। असम में कुछ होता ही नहीं है। मिनिस्टर का जवाब आ जाता है, "मैं मामले की जांच करवाऊंगा।" हम तो कोशिश करते हैं लेकिन हमारा लैटर नीचे चला जाता है और नीचे कोई पूछता ही नहीं है। कई-कई महीने लग जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी से मैं तो बहुत तंग आ चुका हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसा ट्रिब्युनल बना रहे हैं। आइ०ए०एस० या आइ०पी०एस० का लड़का होगा तो उसकी सुनेंगे लेकिन गरीब को कोई नहीं पूछता है।... (व्यवधान) आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं भी विधेयक की ताईद करता हूं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं कि आज हमने अपराह्न में उस विधेयक पर अति विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया जिसके बारे में मैंने सोचा था कि यह एक गैर-विवादास्पद विधेयक है तथा जो एक अति संक्षिप्त विचार-विमर्श के पश्चात् स्वीकार कर लिया जायेगा। किन्तु मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए कुछ शंकाओं को स्पष्ट करना चाहूंगा। ये शंकाएं ऐसे सम्मानित सदस्यों द्वारा उठाई गई हैं जिनमें बहुत-से प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हैं तथा जिनमें बहुत-से प्रशासनिक विधि की जटिलताओं से परिचित हैं।

सर्वप्रथम, मैं इन अधिकरणों द्वारा 1 नवम्बर, 1985 में उनकी स्थापना की तारीख से अब तक किये गये कार्य को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमने 1 नवम्बर, 1985 को केवल 5

[श्री पी० चिदम्बरम]

न्यायपीठों की स्थापना की थी। हमने और न्यायपीठों को स्थापित करने का एक चरण बद्ध कार्यक्रम तैयार किया और हमने स्वयं यह वायदा किया तथा उच्चतम न्यायालय को यह कहा था कि 31 मार्च से पहले तीन और न्यायपीठें स्थापित की जायेंगी। मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 3 मार्च को ही हम बंगलौर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में तीन अतिरिक्त न्यायपीठों को स्थापित कर चुके हैं। हमने यह भी वायदा किया था तथा उच्चतम न्यायालय को कहा था कि हम 30 जून से पहले सात और न्यायपीठों की स्थापना करेंगे। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हम इस अन्तिम तिथि के प्रति बचनबद्ध हैं तथा इस अन्तिम तिथि से काफी पहले अहमदाबाद, कटक, एर्नाकुलम, हैदराबाद, जबलपुर, जोधपुर और पटना में सात और न्यायपीठों की स्थापना कर दी जायेगी।

श्री राम प्यारे पनिका : लखनऊ के बारे में क्या विचार है ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, हम प्रथमतः उच्च न्यायालयों के स्थायी स्थानों पर न्यायपीठों को स्थापित करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि हम उच्च न्यायलयों के कार्यक्षेत्र को समाप्त करके इसे अधिकरणों को सौंप रहे हैं। अतः यह तर्क संगत और उचित भी है कि हम पहले उन स्थानों पर न्यायपीठों की स्थापना करें जहां उच्च न्यायलय को स्थायी पीठ है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम और न्यायपीठ स्थापित नहीं करेंगे। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को शीघ्रतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से न्याय प्रदान कराना और इस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा ध्येय है। हम आवश्यकतानुसार और न्यायपीठों की स्थापना करेंगे, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां उच्च न्यायालय की सर्किट-बेंच है अथवा जहां उच्च न्यायलय की न्यायपीठ स्थित है अथवा जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अधिक संख्या में हैं।

यह एक चरणबद्ध कार्यक्रम है, लेकिन जब हम कार्यक्रम पर अमल करते हैं, माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को जल्दी एवं प्रभावशाली न्याय दिलाने के लिए जितनी खण्ड पीठों की स्थापना की आवश्यकता होगी, उनको स्थापित करने का हम अपना वादा पूरा करेंगे।

महोदय, जहां तक पणजी का सम्बन्ध है—वहां पर बम्बई उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ है। अहमदाबाद में अधिकरण की एक खण्डपीठ अभी तक हमने नहीं स्थापित की है। जब अहमदाबाद में अधिकरण की एक खण्डपीठ स्थापित हो जायेगी तब मैं आशा करता हूं कि नई बम्बई में वर्तमान में कार्यरत अधिकरण की खण्डपीठ पणजी में सरकिट में कार्य करेगी और बाद में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा केन्द्रशासित प्रदेश गोवा, दमन और दीप के सरकारी कर्मचारियों के मामलों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यदि पणजी में खण्डपीठ स्थापित करना

आवश्यक हुआ तब हम वहां पर खण्डपीठ स्थापित करने हेतु सदैव विचार कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो कुछ अन्य दूसरी खण्डपीठों के सम्बन्ध में कहा है वह पणजी पर भी लागू होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि जल्दी और प्रभावशाली न्याय दिलाने के लिए जितनी खण्डपीठों की आवश्यकता हो उनको स्थापित किया जाये।

महोदय, इस अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वतापूर्ण तर्क दिये गये हैं। महोदय, मैं इस वार्तालाप को न्यायालय के समक्ष हुई बहस का रूप नहीं देना चाहता हूं। निःसंदेह, इन तर्कों को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जहां पर कि अधिनियम को चुनौती दी गई है। लेकिन मैं एक या दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं, यह हमारा स्पष्ट विचार है कि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर अनुच्छेद 323 क हम लोगों को कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों क क्षेत्राधिकार को लेकर यह हमें विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करता है। वास्तव में मूल अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार को नहीं छीना था। जब अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिकाओं के स्थानान्तरण पर रोक लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अन्य सुझाव दिये थे, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर लेना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुझाव नहीं दिया था कि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को लेकर हम विधि निर्माण नहीं कर सकते हैं। यही वह एक प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय लेख याचिका के अन्तिम नियतन पर विचार करेगा। सरकार ने मामले पर पुनंविचार किया है सम्माननीय सदस्य यह बात जानते हैं कि सेवा सम्बन्धी मामले किस सम्बन्ध में होते हैं। ज्यादातर सेवा के मामले, बर्खास्तगी, छंटनी, सेवा से हटाने पदावनति, वारिष्ठता, पदोन्नति तथा अति क्रमण से सम्बोन्धित होते हैं। एक सेवा संबंधी मामला अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के तहत भी उठाया जा सकता है। लेकिन प्रमुख समस्या मौलिक अधिकार को लागू करने की नहीं है बल्कि नौकरी नियमों के तहत अधिकार को लागू करने की है। और अभी तक का हमारा अनुभव क्या है। हमारा अनुभव है कि ज्यादातर नौकरी के मामले उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 के तहत दायर किये जाते हैं। वास्तव में, अनुच्छेद 32 का कभी कभार सहारा लिया जाता है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि अनुच्छेद 32 के अधीन मौलिक याचिका पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार बिल्कुल सीमित हैं। सर्वोच्च न्यायालय याचिकाकर्ता को हमेशा यह सलाह देता है कि राहत पाने के लिए उसे अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में जाना चाहिए। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को ले लेना इस समय आवश्यक नहीं है। और उन उद्देश्यों, जिनके लिए कि अधिनियम पारित किया था, को दृष्टिगत रखते हुए, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को लेकर के अधिकरण को दे देना बिल्कुल पर्याप्त होगा।

[श्री पी० चिदम्बरम]

अब महोदय, मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यगण यह अनुभव करते हैं कि संसद की शक्तियों के सम्बन्ध में केशवानन्द भारती निर्णय के फलस्वरूप जो प्रश्न उठ खड़े हुये है उन पर उन्हें सर्वप्रथम विचार करना चाहिए। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से पूछता हूं कि क्या यही अधिनियम है, क्या यही अवसर है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के साथ मुद्दा उठाने का यही समय है ? हमारा उद्देश्य शीघ्रता से एक ऐसी व्यवस्था कायम करने से हैं जहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कि उच्च न्यायालय में अत्यधिक विलम्ब 10, 12, 15 वर्षों का सामना कर रहे हैं, शीघ्र राहत पाने हेतु एक प्रभावशाली मंच उपलब्ध हो।

यह हमारा उद्देश्य है।

मैं नहीं समझता कि यही वह मुद्दा है जिसको हमें उन लोगों के साथ उठाने की आवश्यकता है। जोकि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के संसद की सर्वोच्च सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो कि 42वें संशोधन की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाते है तथा जो अनुच्छेद 323 क पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हो सकता है इसे दूसरा अवसर मिले, लेकिन यह अवसर नहीं है और प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए, हमने सोचा की अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में हस्तक्षेप न करना सबसे अच्छा तरीका है।

लेकिन ऐसा कहने के बाद मुझे यह भी कहना है कि इन अधिकरणों की स्थापना के पश्चात् इन अधिकरणों के 5 वर्ष या 10 वर्ष कार्य करने के पश्चात् उनके सरकारी कर्मचारी, सामान्य जन मानस, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था का विश्वास प्राप्त कर लेने के पश्चात 5 या 6 वर्ष बाद हम सदैव अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को एक बार फिर ले सकते हैं क्योंकि मेरा यह स्पष्ट विचार है कि नौकरी से सम्बन्धित मामलों में अनुच्छेद 323क सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को लेने हेतु विधि निर्माण का अधिकार हमें देता है।

तब, उच्च न्यायायय के अधिकार क्षेत्र की तुलना में इन अभिकरणों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रश्न उठाये गए थे। मैं नहीं जानता कि अब यह संदेह क्यों पैदा हो गया है वह धारा मूल अधिनियम में है। वास्तव में हमने उस 'धारा' को अभी नहीं छुआ है। धारा 14 इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देती है अर्थात् "इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण नियत दिन से ही ऐसे क्षेत्राधिकार, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करेगा जो उस तारीख के ठीक पहले (सर्वोच्च न्यायालय के सिवाय...) सभी न्यायालयों द्वारा प्रयोक्तव्य है..."

**एक माननीय सदस्य :** परमादेश याचिका सहित।

**श्री पी० चिदम्बरम** : हां, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि सरकार की राय में अधिकरण के पास विशेषरूप से उच्च परमाधिकार रिटों के जारी करने और इसी प्रकार के अन्य आदेश जारी करने सहित, उच्च न्यायालय की वे सभी शक्तियां हैं जो न्याय देने के लिए अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त हैं। वास्तव में, ये अधिकरण, यदि हम अनुच्छेद 323 क की पृष्ठ भूमि को देखें, यदि हम अनुच्छेद 323क के पीछे विधि के इतिहास को देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये अधिकरण उच्च न्यायालयों को विस्थापित करते हैं; और अनुच्छेद 226 अथवा 227 के अन्तर्गत जो भी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्राप्त हैं वे अब पूर्णरूप से अधिकरणों के पास है और उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 अथवा 227 के अन्तर्गत किसी भी सेवा मामले में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति अभी भी बरकरार रहेगी। हमने उस पर विचार किया था और मैं केवल यह कह सकता हूं कि मूल अधिनियम की धारा 27 को अब संशोधन विधेयक के खण्ड 18 द्वारा संशोधित किया गया है और संशोधन का मतलब अधिकरण के आदेशों को अन्तिम मानना और किसी भी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से बाहर करने से है। हमने विशेष रूप से यह उपबन्ध किया है कि किसी आवेदन का अन्तिम निपटान करने के अधिकरण के आदेश अन्तिम होंगे और उस पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मैं समझता हूं कि इसे धारा 14 के साथ पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालयों की, अनुच्छेद 226 अथवा 227 के अन्तर्गत किसी भी सेवा मामले में हस्तक्षेप करने और अधिकरण द्वारा दिए गए अन्तिम आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

धारा 2(6) का विलोप करने वाले संशोधन विधेयक के क्षेत्र के बारे में कुछ संदेह प्रकट किया गया है। जैसाकि मैंने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में कहा था, यह एक अतिरिक्त अधिकार है, यह वह अधिकार है जो अब प्रत्येक कर्मकार को दिया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत प्रथमतः उसके अधिकार को संघ द्वारा उठाना पड़ता था और ऐसे मामलों में जो धारा 1 के अंतगत आते हैं के कुछ सीमित वर्गों (श्रेणियों) में उसका व्यक्तिगत अधिकार होता था, इसमें कोई संदेह नहीं है; परन्तु उस व्यक्तिगत अधिकार का प्रयोग वह तक नहीं कर सकता था जब कि वह समुचित सरकार से अनुमति न ले ले।

आज हमने एक प्रभावशाली कदम आगे बढ़ाया है; और मुझे पूरी आशा है कि सरकारी कर्मचारियों को, जो एक कर्मकार ही हैं, को इस अधिकार को देने के संबंध में जो हमने सुधार किए हैं, जो अति प्रभावशाली कदम हैं, यह गरिमामय सदन यह मानेगा हमारे सरकारी कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग भी है जो केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत एक कर्मकार भी हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उनके अधिकार अब सुरक्षित हैं। यदि वे एक ऐसा सामूहिक विवाद उठाना चाहते हैं, यदि वे आन्दोलन करना चाहते हैं और अपने

[श्री पी० चिदम्बरम]

लिए एक ऐसा नया संविदा कराना चाहते हैं जो कि एक औद्योगिक अधिकरण, दक्षिण भारत बैंक मामले के निर्णयानुसार, एक नियोक्ता और कर्मचारियों के लिए कर सकता है, वे फिर भी औद्योगिक अधिकरण में जा सकते हैं।

परन्तु अब तुमने यह किया है कि एक कर्मकार जो पदच्युत किया गया है, जो सेवा से हटाया गया है, जिसकी छंटनी की गई है अथवा जिसकी सेवा शर्तों में परिवर्तन किया गया है अथवा 3 अथवा 4 ऐसे कर्मकार जिनकी एक ही समस्या हो, आज बिना संघ के हस्तक्षेप के, बिना सुलह के, बिना समुचित सरकार की अनुमति लिए एक कागज के टुकड़े पर अपनी शिकायत लिखकर अधिकरण में जा सकता है और अपनी याचिका दायर कर सकता है और अपने मामले के निपटान के लिए कह सकता है।

यह एक अतिरिक्त अधिकार है, एक अतिरिक्त मंच है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो उनके पास अब नहीं है। आज उनके पास औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अधिकार है; उनके पास अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में जाने का भी अधिकार है क्योंकि वह एक कर्मकार है। वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत इसलिए जाता है क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी है, वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाता है। हमने केवल उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र का अधिकरण को अन्तरण किया है। इसीलिए आज एक कर्मकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत जा सकता है और एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अधिकरण में जा सकता है। मेरे विचार से हमने यह एक बहुत प्रभावी कदम आगे बढाया है और मुझे पक्का विश्वास है कि जैसे-जैसे समय निकलेगा और ये अधिकरण कार्य करना शुरू कर देंगे, माननीय सदस्य तथा इस देश के लोग और सरकारी कर्मचारी यह महसूस करेंगे कि धारा 2 (ख) का लोप करके और उन्हें अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाने से उन्हें एक अमूल्य अधिकार प्राप्त हुआ है।

माननीय सदस्य, श्री अजय विश्वास ने बहादुरी से यह घोषणा की थी कि यह सरकार कभी भी अधिकरण स्थापित नहीं करेगी। मैं माफी चाहता हूं, वे पूरे दूरदर्शी नहीं हैं। जब इस देश के सभी राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य अधिकरण स्थापित करना शुरू कर देंगे और बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जायेंगे तो उस वक्त बंगाल सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी यह महसूस करेंगे कि उनकी सरकार हठधर्मी से उन्हें एक ऐसा अधिकार नहीं दे रही जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को आजकल प्राप्त है, और अधिकरण की स्थापना करने के लिए उनके अपने मजदूरी संघों से और अपने ही लोगों से दबाव डाला जाएगा और जिस दिन ये अधिकरण स्थापित हो जायेंगे, मैं कह देता हूं, कि आपको अपने शब्द वापिस लेने पड़ेंगे।

मैं अन्य प्रश्नों का विस्तृत विवेचन नहीं करना चाहता हूं। मैं इस अधिकरण में पहली बार प्रशासनिक अधिकारी को नहीं रख रहा हूं; ऐसा मूल अधिनियम में था। पिछली बार इस मामले पर काफी लम्बा वाद-विवाद हुआ था और मेरे पूर्ववर्ती प्रसिद्ध मंत्री ने इसका भली-भांति उत्तर दिया था; उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक कानून, सेवा कानूनों, नियमों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को रखना आवश्यक क्यों है। सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि अधिकरण में उचित संतुलन हो। इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होगा।

वास्तव में, मैं इस माननीय सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं परन्तु स्वयं उच्चतम न्यायालय में अनेक बार कहा है कि किसी अधिकरण में सेवा कानूनों को जानने वाला, सेवा कानूनों से अवगत और प्रशासनिक कार्यकरण के तरीके जानने वाला व्यक्ति होने से सरकारी कर्मचारियों को लाभ ही होगा। मेरा विचार है एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से गठित अधिकरण न्याय देने में समर्थ होगा। मैं इस माननीय सभा को केवल फरवरी माह के आंकड़े देता हूं; फरवरी हमारे सबसे छोटे महीनों में से एक है। हमारे पास केवल पांच न्यायपीठ हैं और पांच न्यायपीठों ने 266 मामले निपटाए हैं। क्या हम पांच उच्च न्यायालयों के नाम गिनवा सकते हैं जिन्होंने फरवरी माह में 266 सेवा संबधी मामले एक साथ निपटाए हों। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आशा है कि यह अधिकरण शीघ्र और प्रभावी न्याय देगा और अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा देख-रेख इन अधिकरणों के उचित कार्यकरण की निगरानी के लिए पर्याप्त होगा।

हमने उच्चतम न्यायालय का यह सुझाव स्वीकार कर लिया है कि न्यायिक सदस्य की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायधीश के परामर्श से होनी चाहिए। मैं समझता हूं यह एक लाभप्रद उपबन्ध है और मेरा विचार है जब हम अधिकरण में नियुक्ति हेतु न्यायपालिका से किसी व्यक्ति को लेते हैं, तो यह एक स्वस्थ नियंत्रण है; इसका पालन करना एक स्वस्थ सिद्धांत है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा; और मुख्य न्यायधीश से परामर्श करना निश्चय ही कोई अनुचित कदम नहीं है परन्तु यह एक ठोस कदम है ताकि न्यायपालिका इस देश में कानून के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करने वाला शीर्षस्थ निकाय है, सदैव आश्वस्त रह सके कि इन अधिकरणों में उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं।

**प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर)** : क्या इन अधिकरणों को अपने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा जाएगा ?

**श्री पी० चिदम्बरम** : अधिकरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं और मन्त्रालय अधिकरणों के कार्यकरण की निगरानी करता है और हम इन अधिकरणों को अपने कार्यकरण, निपटाए गए मामलों की संख्या के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।

[श्री पी० चिदम्बरम]

मैं माननीय सदस्यों के सुझाव के लिए उनका आभारी हूं और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा।

समय सीमा आदि के बारे में अन्य अनेक मुद्दे उठाए गए थे। ये मामले नियमों द्वारा शासित होंगे। नियम बना लिए गए हैं। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मैंने उन नियमों को देखा था, मैं निमयों से संतुष्ट नहीं हूं, परन्तु हम केवल इस संशोधनकारी विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ऐसे समय नियम बनाना उद्देश्यहीन होगा, जब इस सभा में कोई संशोधन विधेयक विचाराधीन हो। जब इस सभा द्वारा संशोधन विधेयक पारित कर दिया जाएगा, तब अगले कुछ दिनों में नए नियम बनाएंगे और आप पाएंगे कि नए नियमों में प्रक्रिया को अधिक सरल बना दिया जाएगा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्णय छोटे हों, सटीक हों और एक उपयुक्त समय अवधि में दे दिए गए हों। नियमों में हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं।

महोदय, आप हमें हमारे द्वारा लिए गये ठोस कदमों से समझ सकते हैं। उन लोगों को देखिए जिन्हें हमने अधिकरणों में नियुक्त किया है। हमने प्रसिद्ध, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया है; यहां तक कि वे सिविल सर्वेंट, जिन्हें हमने नियुक्त किया है, भी प्रसिद्ध सिविल सर्वेंट हैं, उनका रिकार्ड देखा जा सकता है।

हमने केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही नियुक्त नहीं किया है, हमने अनेक सेवाओं से अधिकारियों को नियुक्त किया है। हमने भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। हमारा प्रयास होगा कि सिविल सेवाओं में से सुयोग्य पूर्ण निष्ठावान, निष्पक्ष, विद्वान, बुद्धिमान तथा परिपक्व विचारवान व्यक्तियों को लिया जाए।

और दूसरी ओर, न्यायिक क्षेत्र में से विद्वान न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी। मेरे विचार में मूल अधिनियम के पारित होने के बाद से इस अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों पर अभी तक किसी को कोई शिकायत नहीं हुई।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा निर्दिष्ट अन्य मुद्दों पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नियम बनाते समय मैं उन्हें अवश्य ध्यान में रखूंगा। नियम बनाते समय उनका ध्यान रखा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि नियमों के प्रकाशित होने पर माननीय सदस्य संतुष्ट हो जाएंगे।

यह विधेयक विवादास्पद नहीं है, इससे सभी कमियां दूर हो जाती हैं, यह विधेयक मूल अधिनियम का और विस्तार करता है, तथा उसमें और सुधार करने वाला है, इसलिए मैं श्री अजय

विश्वास से अनुरोध करता हूं कि वे अपने सांविधिक संकल्प पर जोर न डालें बल्कि इस विधेयक को बिना किसी विमत या सर्व के पारित करने में हमारा साथ दें।

**श्री अजय विश्वास** (त्रिपुरा पश्चिम) : विधेयक के समर्थन में मंत्री महोदय द्वारा दिये गए तर्कों से मैं सहमत नहीं हूं। वास्तव में, मैं यह और स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैंने यह स्पष्ट भी किया था कि त्रिपुरा सरकार ऐसे प्रशासनिक अधिकरण स्थापित नहीं करेगी। यह कोई नई बात नहीं है। वामपंथी सरकार कर्मकार दोषी के, ट्रेड यूनियनों के अधिकारों की तथा कर्मचारियों के अन्य अधिकारों की रक्षा करना चाहती है।

आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का अधिनियमन किया है। आप जानते हैं कि हम इस अधिनियम को त्रिपुरा में लागू नहीं कर रहे हैं **(व्यवधान)**

कर्मकार श्रेणी के अधिकारों तथा कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने आवश्यक सेवायें बनाये रखने का अधिनियम बनाया है। वास्तव में, इस अधिनियम के द्वारा कर्मकार श्रेणी के अधिकार छीन लिए गये हैं। हम इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल में हम लोग अधिकरण स्थापित नहीं करना चाहते क्योंकि हम समझते हैं कि वर्तमान प्रणाली ··· **(व्यवधान)**

**श्री राम प्यारे पनिका** : आप कौन हैं ? क्या आप त्रिपुरा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ?

**श्री अजय विश्वास** : मैं आत्म समर्पण नहीं कर रहा।

**श्री राम प्यारे पनिका** : महोदय, क्या वे त्रिपुरा सरकार की तरफ से बोल रहे हैं या एक संसद-सदस्य के रूप में ? **(व्यवधान)**

महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या संसद-सदस्य स्पष्टत: यह कह सकता है कि वह···नहीं आ रहा है··· **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं लेकिन सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।

**श्री अजय विश्वास** : मैं अपनी सरकार के विचार जानता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अन्यथा वह अधिकरणों की स्थापना के लिए सरकार को राजी करें। उस सरकार की ओर वह कुछ नहीं कह सकते।

**श्री अजय विश्वास** : मन्त्री महोदय ने कहा है कि कर्मचारी राज्य अधिकरण स्थापित करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालेंगे। मैं त्रिपुरा राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रेसीडेंट हूं। मैं कर्मचारियों की ओर से मंत्री महोदय को यह विश्वास दिलाता हूं कि कर्मचारी वहां पर अधिकरण स्थापित करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे। इसके विपरीत, वे प्रसन्न हैं कि त्रिपुरा सरकार वहां पर प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने नहीं जा रही है। कठिनाई यह है कि केन्द्रीय सरकार लोगों की भावना को समझने में असमर्थ है। वर्तमान स्थिति क्या है ? माननीय सदस्य श्री कुमार मंगलम ने ठीक ही ध्यान दिलाया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मन में भय व्याप्त हो गया है। वे और अधिक न्यायिक अधिकार या शक्ति, वर्तमान न्याय-प्रणाली का विस्तार तथा संविधान में संशोधन चाहते हैं ताकि अनुच्छेद 311 (2) (क) (ख) (ग) को समाप्त किया जा सके। इन परिस्थितियों में, जब इस मामले पर कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है, कर्मचारियों के वर्तमान न्यायिक अधिकारों को छीनने के लिए आपने यह विधेयक पुरःस्थापित कर दिया है। इसलिए कर्मचारी की मांग और सरकार की कार्यवाही में स्पष्ट विरोधाभास है।

**एक माननीय सदस्य** : आपका क्या सुझाव है ?

**श्री अजय विश्वास** : वर्तमान प्रणाली को बदला नहीं जाना चाहिए।

**श्री पी० चिदम्बरम्** : क्या उनका सुझाव यह है कि उन्हें उच्च न्यायालय में जाकर दस-पन्द्रह वर्षों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ? क्या इससे आपके कामगारों के अधिकार अधिक सुरक्षित हो जायेंगे ?

**श्री अजय विश्वास** : श्रमिक अधिकरण के बारे में आप क्या कर रहे हैं ? एक लाख से भी अधिक मामले लम्बित पड़े हैं और उनमें से कुछ मामले पिछले 15 वर्षों से लम्बित हैं। इसलिए, आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह अधिकरण मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटायेगा ?

**श्री पी० चिदम्बरम** : आप फरवरी का परिणाम देखें।

**श्री अजय विश्वास** : मामलों का तेजी से निपटान प्रशासन के पक्ष में होगा अथवा कर्मचारियों के पक्ष में ? इस गति से आप एक साल में सभी मामलों को निपटा लेंगे। ऐसा होने जा रहा है। आप प्रशासन के पक्ष में लम्बित मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटा रहे हैं। यही कारण है कि आपने वहां उच्च अधिकारियों का नियुक्त किया है।

कर्मचारी अनुच्छेद 311 (2) (क) (ख) (ग) के मामले को लेकर उत्तेजित हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् स्थिति ने एक गम्भीर मोड़ ले लिया है। 1975 में त्रिपुरा

में अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अधीन राज्य सरकार के 29 कर्मचारी तथा शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। त्रिपुरा एक छोटा राज्य है। वहां केवल 35,000 कर्मचारी हैं और आपकी सरकार ने अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अधीन 29 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं। 26 तारीख को राज्य सरकारों के 50 लाख कर्मचारियों ने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (क) (ख) (ग) में संशोधन करने के लिए सरकार पर जोर डालने हेतु पूर्ण हड़ताल की थी। इसलिए इस विधेयक से असन्तोष और भड़का है। मैं मंत्री महोदय द्वारा दी गई युक्तियों से सहमत नहीं हूं। इस कारण, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और अपने संकल्प पर जोर देता हूं।

6.00 म०प०

**उपाध्यक्ष महोदय**: मैं श्री अजय बिश्वास द्वारा प्रस्तावित सांविधिक संकल्प सभा स्वीकृति हेतु पेश करता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 जनवरी, 1986 को प्रख्यापित प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**उपाध्यक्ष महोदय**: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार प्रारम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 26 विधेयक के अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 2 से 26 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:—

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।"

**श्री पी० चिदम्बरम** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

6.02 म०प०

## सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : महोदय, मै सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 210/86 सी०शु०प्रति एक गति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 110-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि सीमा-शुल्क टैरिफ के शीर्ष, 98.01 के अन्तर्गत लागू शुल्क की रियायती दर का लाभ उस समस्त माल को दिया जा सके जिसका भारत में आयात गेटवे टेली फोन एक्सचेंज परियोजना के लिए किया जाता है, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०—2259/86]

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा कल 11 बजे म०पू० में समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.03 म०प०

**तत्पश्चात् लोक सभा 18 मार्च, 1986/27, फाल्गुन, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

---

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स